राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का बारहवां दिवस [संख्या: 07

सोमवार,

06 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

प्रदेश में नरेगा की बकाया मजदूरी का भुगतान

138. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सत्र 2013-14 से 2016-17 तक नरेगा में कुल कितनी मजदूरी का भुगतान किया जाना था ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सत्र 2013-14 से 2016-17 तक उक्त योजना में मजदूरी का कितना भुगतान किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नरेगा की मजदूरी देरी से भुगतान करने पर ब्याज देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक मजदूरी भुगतान में देरी पर वर्षवार कितना ब्याज दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नरेगा मजदूरी भुगतान में देरी के क्या कारण रहे ? मजदूरी के देरी से भुगतान के लिए कौन दोषी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मनरेगा को कृषि श्रम से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कुल मजदूरी का भुगतान निम्नानुसार किया जाना था:-

वर्ष 2013-14 रु. 1817.47 करोड़

वर्ष 2014-15 रु. 2105.41 करोड़

वर्ष 2015-16 रु. 2506.16 करोड़

वर्ष 2016-17 रु. 3083.45 करोड़ (दिनांक 27.02.2017 तक)

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक किया गया भुगतान निम्नानुसार है:-

वर्ष 2013-14 रु. 1817.22 करोड़

वर्ष 2014-15 रु. 2104.14 करोड़

वर्ष 2015-16 रु. 2499.47 करोड़

वर्ष 2016-17 रु. 3004.82 करोड़ (दिनांक 27.02.2017 तक)

(3) जी नहीं ।

(4) महात्मा गांधी नरेगा योजना में भुगतान में देरी के मुख्य रूप से निम्न कारण रहे हैं:-

कार्मिकों की कमी, सर्वर की धीमी गति, श्रमिकों के खाते कोर बैंकिंग प्रणाली से नही जुड़े हुए पोस्ट ऑफिस/ मिनी बैंक में होने से, खाते स्थानान्तरण में समय लगना, ई-एफएमएस की प्रक्रिया में सुधारात्मक कार्यवाही निरन्तर प्रगतिशील होने के कारण, श्रमिकों के खाते नम्बर गलत अंकित होना।

(5) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 में प्रावधान नही होने के कारण जोड़ा जाना संभव नही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, उन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया कि मजदूरों को भुगतान भारत सरकार से आने के बाद में भी आपने नहीं किया। जैसे 2016-17 में आपको भुगतान करना था 3083 करोड़ रुपये। आपने किया 3004 करोड़। 2015-16 में 2506 करोड़ करना था, आपने किया 2499 करोड़। 2014-15 में 2105 करोड़ के बजाय 2104 करोड़ किया। यह भुगतान आपने विलम्ब से किया। विलम्ब का कारण आपका सर्वर डाउन होना बताया आपने। सरकार का सर्वर डाउन हो गया और कर्मियों की कमी। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सरकार का नहीं, विभाग का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार का नहीं, मंत्रीजी का सर्वर डाउन हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह सभी का होता है, वह सभी का होता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न एक पूछ चुके आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न सर्वर का नहीं है साहब, मेरा। वह तो आपको अनुभव है इसका।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में ही सवाल-जवाब करने लग गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसके बदले में इनको 0.05 परसेंट मुआवजा देना था देरी के लिए, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है, जिसके लिए यूपीए सरकार के समय भी शासनादेश जारी हो गया था, लेकिन उसमें से केवल 27 लाख का पेमेंट किया है। 50 करोड़ से अधिक रुपये का पेमेंट विलम्ब के कारण से मुआवजे के रूप में मनरेगा कर्मचारियों को देय है, वह आपने नहीं नहीं दिया, एक। नम्बर दो...

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नम्बर दो साथ ही पूछ लें, बहुत ही होशियार मंत्री हैं साहब। दूसरा, मेरा पूछना है आपने जो 5 में कहा है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ने का प्रावधान नहीं है। क्या यह सही है कि आपने सुराज संकल्प यात्रा में मनरेगा को कृषि से जोड़ने का वचन दिया था ? उसके अनुरूप हमने भारत सरकार से क्या चिट्ठी-पत्री की और भारत सरकार ने हमको क्या जवाब दिया वह सदन को बताएं। इन दो प्रश्नों का जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मजदूरी भुगतान में राजस्थान पूरे देश के अंदर चौथे स्थान पर है। हमसे बेहतर मजदूरी का भुगतान सिर्फ मणिपुर, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने आंकड़े दिये, 2013-14 के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि 1817.47 करोड़ मजदूरी का भुगतान होना था और हमने पूरा भुगतान समय पर किया 1817 करोड़। 2014-15 के अंदर 2105.41 करोड़ का भुगतान होना था 2104.14 करोड़ का भुगतान हुआ, यानी कि 1.27 करोड़ कम। 2015-16 में 2506 करोड़ होना था और 2499 करोड़ हो गया, यानी भुगतान में विलम्ब सिर्फ 6 करोड़ हुआ। इसी तरह माननीय सदस्य ने कहा कि 2016-17 में 3083 करोड़ की जगह 3004 करोड़ है, अध्यक्ष महोदय, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह फरवरी का आंकड़ा है और मैं समझता हूं मार्च तक यह भुगतान पूरा हो जाएगा। इसको सारा हम जोड़ें माननीय सदस्य, तो इन चारों सालों का भुगतान बनता है 9512.49 करोड़ रुपये। भुगतान मजदूरों के पास पहुंच गया सीधा खाते में, वह है 9425 करोड़। यानी अगर मैं इसका प्रतिशत निकालूं तो विलम्बित भुगतान है सिर्फ .91 परसेंट। अगर दूसरे राज्यों की आप तुलना करें तो यह भुगतान बाकी राज्यों में काफी ज्यादा है। औसत देश में 54 प्रतिशत विलम्बित भुगतान है, नरेगा सारे देश में जहां चल रही है। उत्तर प्रदेश में विलम्बित भुगतान 77 प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में 83 प्रतिशत है, अपने यहां मात्र 24 प्रतिशत है। एक महीने के अंदर, 15 दिन बाद में 97 फीसदी मजदूरी का भुगतान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान में खातों में जा रहा है, देश के अंदर हम चौथे स्थान पर हैं।

दूसरा, आपने कहा कि इसको आपने कृषि श्रम के साथ क्यों नहीं जोड़ा ? अध्यक्ष महोदय, नरेगा का एक्ट 2005 में बना हुआ है। एक्ट के अंदर एक शिड्यूल बना हुआ है शिड्यूल वन। उसमें वह काम जो स्वीकृत किया जा सकता है, अनुमत है, उसका भी जिक्र है और उसके खण्ड 3 में यह जिक्र है, शिड्यूल के पैरा 4(3) में है, कृषि कार्य जैसे जुताई, बुवाई, घास हटाना आदि के कार्य इसमें नहीं कराये जा सकते। इसके साथ ही जो अनुसूची 5 है उसमें दुर्बल काश्तकारों के लिए, विशेष तौर पर एससी, एसटी, बी.पी.एल. महिला, दिव्यांग के लिए, कुआं खोदना, रिचार्ज पिट बनाना, फॉर्म पौंड बनाना, खाला निर्माण करना, डिग्गी निर्माण करना, परत भूमि को ठीक करना, बंजर भूमि को ठीक करना, भूमि का समतलीकरण करना, एक लम्बी लिस्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि पूरे राजस्थान के अंदर इस बार तीन लाख रुपये तक की जिनकी स्वीकृति जारी की गयी वे इस बार 113312 काम उस गरीब काश्तकार के स्वीकृत हुए हैं जिनको तीन लाख तक का काम राजस्थान की सरकार ने किया। उसमें से आज 9527 काम तो पूरे हो गये, 165 करोड़ रुपये सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में इन गरीबों के लिए राजस्थान की सरकार ने दिये हैं।

मैं निवेदन करूं कि यह जो विलम्बित हुआ है निश्चित तौर पर उसमें भी जो नरेगा एक्ट है, इस एक्ट के शिड्यूल 2 के पैरा 29 में यह साफ कहा गया है, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ एक्ट में अमेण्डमेंट हिन्दुस्तान की सरकार ने कर दिया और यह कह दिया कि विलम्बित के लिए मुआवजे का प्रावधान है। उसके अंदर .05 परसेंट, यानी किसी का एक हजार रुपये का भुगतान 15 दिन से विलम्बित हो गया तो उसे 50 पैसे मिलेंगे। इसके लिए मुआवजे का जो भुगतान किया गया, इसमें भी सही है कि 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 29(1)(डी) में यह कहा कि अगर विलम्बित मुआवजा है तो संबंधित कार्मिक से जो जिम्मेदार है, उससे वसूल किया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा 2013-14 में इसमें एक पैसे का भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि प्रक्रिया नहीं थी। उसके बाद जनवरी के अंदर इसमें अमेण्डमेंट आया। 2014-15 के अंदर 1 लाख 48 हजार, 2015-16 में 19 लाख और 2016-17 में 19 लाख 82 हजार, यह पैसा विलम्बित है क्योंकि सर्वर, नरेगा सॉफ्टवेयर अपने आप बना देता है, इसमें बता देना है कि कितना मुआवजा देय है, इसमें इनबिल्ट है। उसमें 14.50 लाख रुपये संबंधित कार्मिक और अधिकारियों से हमने वसूल कर लिये है। शेष रही राशि भी वसूलेंगे और अब तक सर्वाधिक खर्च करने में, 4430 करोड़ रुपये इस 31 जनवरी तक खर्च करके नरेगा के अंदर राजस्थान हिन्दुस्तान के पहले पायदान पर खड़ा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक बात साफ हो गयी। (व्यवधान) पूरक प्रश्न नम्बर दो यह है कि आप एक नम्बर पर हैं ही, उसमें तो कोई बात मुझे नहीं है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं एक नम्बर पर आप बता दें कि राज्य में मनरेगा जॉबधारी कार्ड होल्डर कितने हैं और उनमें से प्रत्येक को 100 दिन कितने लोगों को आपने रोजगार दिया राज्य में, यह संख्या बता दें ताकि आपका पता लग जाएगा कि आप एक नम्बर पर हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो कुल कार्डधारी हैं वो 97 लाख 13 हजार हैं और उनमें से 100 दिन जिन्होंने पूरे किये हैं, मुझे स्वीकार करने में गुरेज नहीं हैं, 2 लाख 26 हजार परिवारों ने 100 दिन पूरे किये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसीलिए एक नम्बर पर हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् भी आज आप देखते हैं कि जो फार्म नम्बर 6 है वह भरकर देना है। जो नरेगा का एक्ट है उसमें प्रावधान है रोजगार देने का और इस रोजगार देने के अन्दर जो फार्म नम्बर 6 भरकर देता है उसको रोजगार उपलब्ध कराते हैं और हम कोशिश पूरी करते हैं। आज पूरे देश में नरेगा के अन्दर जिस प्रकार का श्रमिकों का समायोजन है, उसके अन्दर हम नम्बर एक पर हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नरेगा में कैटल शेड और ऐसी चीजें अनुमत कर रखी हैं, इस प्रदेश का किसान रोजड़ों के आतंक से बहुत परेशान है और विशेषकर हमारे मेवाड़ में रोजड़े फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, किसानों को राहत दिलाने के लिए हमारे सुराज संकल्प घोषणा पत्र में भी है कि हम तारबन्दी अनुमत करेंगे। तो जो अनुसूची में डालना है या कुछ भी करना है, क्या सरकार ऐसा प्रावधान करने का विचार रखती है कि आने वाले समय में रोजड़ों से फसल को बचाने के लिए तारबन्दी को अनुमत करेंग ?

साथ ही यह भी है कि अधिकतम नरेगा का पेमेंट फरवरी-मार्च में होता है तो क्यों नहीं पूरे साल भर इसका पेमेंट होता रहे ताकि जो भी योजना है उसमें डिले नहीं हो। मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत की आपने घोषणा की, आने वाले समय में और भी हम विधायकों को गोद लेनी है, लेकिन मेरा इसमें यह सुझाव है कि 60:40 के रेशो को समाप्त किया जाए। मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत में तो कम से कम 60:40 का रेशो नहीं रखा जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब तक नरेगा के अन्दर कुल 300 करोड़ रुपये सामग्री मद के बाकी हैं जो भुगतान होने हैं और 78 करोड़ रुपये लेबर के बाकी हैं। अध्यक्ष महोदय, लेबर के भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है और मैं समझता हूं कि आने वाले 15 दिन में यह सतत चलने वाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह जो 300 करोड़ रुपये बाकी है इसमें हमने राजस्थान सरकार से एडवांस में लिये हैं 279 करोड़ रुपये और आने वाले 15 दिन में यह भुगतान भी हो जाएगा।

आपने यह कहा कि रोजड़ों से बचाने के लिए इसमें तारबन्दी हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें पहले निवेदन किया कि इसका जो शिड्यूल बना हुआ है जिसके अनुसार जो अनुमत कार्य हैं उनमें डिच-कम-बंडिंग, यह तो है। डिच-कम-बंडिंग से भी रोजड़ों को बचाया जा सकता है पर फिर भी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि तारबंदी इस नरेगा में अनुमत हो इसलिए राजस्थान राज्य रोजगार परिषद जो बनी हुई है, क्योंकि इस एक्ट में लिखा है कि अगर सरकार कोई परिवर्तन चाहती है तो इस रोजगार परिषद के अन्दर अपना प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजे तो आने वाली बैठक के अन्दर हम इन सबको लेंगे ताकि किसान को भी इसकी राहत मिल जाए। परन्तु हाल-फिलहाल यह अनुमत नहीं है पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके लिए हम प्रयास करेंगे, राज्य रोजगार परिषद में प्रस्ताव लेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो, श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा और ये मंत्रीजी के खुद के विभाग के आंकड़े हैं कि कुल जो 9894 पंचायतें प्रदेश में हैं, उनमें से 2352 पंचायतों में पिछले 10 महीने में कोई भी वर्क हुआ ही नहीं, एक भी रोजगार का सृजन नहीं हुआ और उनमें से 55 पंचायतों तो खुद मंत्रीजी के जिले की हैं। कई पंचायतों में मैटेरियल का भुगतान आज दिन तक ही नहीं हो रहा है जबकि 12 महीने हो गये, 2 साल हो गये। सरपंच घूम रहे हैं, कर रहे हैं तो इसका भी जवाब दें। साथ में मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो रोजगार सृजन का काम है मैटेरियल और लेबर का, वो पंचायत स्तर पर है तो उसको ब्लॉक स्तर पर किया जाए ताकि काफी लोगों का काम हो सके।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही और इन्होंने कहा कि राजस्थान में 252 ग्राम पंचायतों में नरेगा का इस वर्ष में कोई काम नहीं हुआ, यह बिल्कुल निराधार है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ये आपके ही आंकड़े हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): चूंकि यह समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर यहां पर सवाल-जवाब कर रहे हैं....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): समाचार पत्र के आंकड़े नहीं हैं, आप कहो तो मैं आपको नकल दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस वित्तीय वर्ष में 252 ग्राम पंचायतें नहीं हैं, यह बात निराधार है और अगर हुई तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। पर, मुझे जो विभाग ने जानकारी दी उसमें सिर्फ 5 ग्राम पंचायत हैं जो नगरीय सीमा के निकट हैं और 2016-17 में उनमें कोई कार्य नहीं हुआ। चूंकि ये भी नगरीय परिधि में हैं इसलिए नहीं हुआ, बाकी सबमें नरेगा का काम हुआ है और यह बात मैं मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके आधार पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न माननीय प्रद्युम्न सिंहजी। (व्यवधान) नो-नो, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैटेरियल महत्वपूर्ण बात है साहब। सभी पंचायतों में काम ठप है और मैटेरियल के पैसे बाकी पड़े हैं। सरपंच घूम रहे हैं उसका जवाब तो सही दो। पंचायतों के मैटेरियल के पैसे बाकी पड़े हैं और साल-साल, दो-दो साल के बाकी पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, प्रद्युम्न सिंहजी प्रश्न करेंगे। केसाराम जी, बैठ जाइये। एक व्यवस्था है। केसाराम जी, विराजिये। विराजिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि औसत मजदूरी राजस्थान में क्या मजदूरी के रूप में दी। मैं मैटेरियल कम्पोनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, औसत मजदूरी आपने प्रति मजदूर कितनी दी और औसत मजदूरी क्या आई ? यह बता दें आप। जो उनकी मजदूरी की रेट फिक्स है उसके मुकाबले में औसत मजदूरी प्रति मजदूर को क्या मिली, यह बताने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, औसत मजदूरी की माननीय सदस्य ने बात की है, राजस्थान में 131 रुपये प्रतिदिन की औसत मजदूरी आई है। जिस तरह माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आपके मैटेरियल कम्पोनेंट का पैसा बाकी है तो मैंने पहले ही मेरे उत्तर में जवाब दे दिया कि 300 करोड़ रुपये के लगभग बाकी है। क्योंकि भारत सरकार से रिलीजेज मिली नहीं, इसके कारण से बकाया है और यह भी स्वीकार करता हूं कि 3 महीने से ज्यादा बकाया है। इसके लिए हमने राजस्थान सरकार ने एक बार 279 करोड़ अग्रिम तौर पर दिये हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले 20 दिन के अन्दर-अन्दर हम सारा जो मैटेरियल कम्पोनेंट का पैसा बकाया है उसका भुगतान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री पब्बाराम। नहीं-नहीं, तीन सवाल हो चुके, बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी जो बोल रहे हैं वो अंकित नहीं हो। मेरी बिना परमिशन के बोल रहे हैं। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा डोटासरा जी का। केसाराम जी का भी अंकित नहीं होगा। मैंने अगला सवाल पुकार लिया है। श्री पब्बाराम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम, अपना सवाल कीजिये। नहीं बैठिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री अध्यक्ष: ये भी अंकित नहीं हो, ये भी अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

बाप उपखण्ड मुख्यालय में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की योजना

139. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उपखण्ड क्षेत्र बाप में गत 5 वर्षों में अग्नि प्रकरणों की कितनी घटनाएं घटित हुईं व उक्त घटनाओं से कितने जनधन की हानि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर अग्नि प्रकरणों के नियन्त्रण हेतु अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री अमराराम): (1) बाप उपखण्ड व तहसील दिनांक 02.10.2012 से बनी है जिसमें 194 अग्नि प्रकरणों में 02 जनहानि एवं अनुमानित 1 करोड़ 41 लाख 30 हजार 438 रुपये की धनहानि हुई है। विवरण **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) उपखण्ड मुख्यालय बाप एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र में आगजनी दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर निकटतम नगरीय निकाय से अविलम्ब अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

(राज्य मंत्री, राजस्व)

वर्तमान में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग में उपखण्ड क्षेत्र बाप पर अग्नि प्रकरणों पर नियन्त्रण हेतु अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाकर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 194 प्रकरण दर्ज किये परन्तु वास्तव में प्रकरणों की संख्या 229 है। कारण यह है कि कुछ प्रकरण दर्ज नहीं हुए। इंटीरियर के लोग हैं और वहां पर बैठ गये जिससे दर्ज नहीं हो पाये। कुल मिलाकर मेरे पास में 229 हैं। इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं पिछले 5 सालों में हुईं, एक मॉडल स्कूल के पास में घनी आबादी क्षेत्र हैं जहां पर एक गैस टैंकर पलट गया और वहां पर 5 घंटे बाद दमकल पहुंचा। जो फलौदी का दमकल है क्षेत्र है उसमें लोहावट पंचायत समिति, देचू पंचायत समिति और बापिणी पंचायत समिति के बहुत से गांव आते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में एक छोटी गाड़ी है जो नगरीय सेवा में काम करती है। अगर दूसरी जगह गयी तो उपखण्ड बाप के अन्दर वो पहुंच नहीं पाएगी जिससे जितना नुकसान होना है वो हो जाएगा। अगर उस गैस टैंकर में लोग अपने प्रयासों से आग पर काबू नहीं पाते और कोशिश नहीं करते तो इतनी बड़ी जनहानि हो जाती, क्योंकि घनी आबादी क्षेत्र भी पास में है और स्कूल भी पास में हैं।

नम्बर दो, बड़ीसिड के पास एन.एच. 15 के ऊपर ट्रकों की भिड़न्त में ट्रकों में आग लग गयी और उसको समय पर काबू नहीं किया गया जिसके चलते एक ड्राइवर उसमें जलकर खतम हो गया। इसी प्रकार से श्रीरामपुरा के अंदर रूई से भरा हुआ ट्रक जलना शुरू हो गया और आपस में स्पार्किंग से तार से क्षति हो गयी। बाप के बाजार के अंदर आग लगी और वहां पर भी दमकल समय पर नहीं पहुंच पाई और बहुत बड़ी जनहानि, दूसरी बड़ी धनहानि हुई।

इसी प्रकार से दमकल सेवाएं हमारे वहां पर 40 से 50 किलोमीटर दूर है और वह भी एक छोटी गाड़ी है और एक एयर बेस भी है, वह 70 किलोमीटर दूर है। वहां से आते-आते बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हमारा बाप क्षेत्र है, उसके पास में नोख जो पोकरण का क्षेत्र है जैसलमेर का और इधर नगरासर, यह एरिया आता है बीकानेर का और इधर नागौर का क्षेत्र आउटस्कर्ट में भी आता है। इन क्षेत्रों में भी अगर वहां जिला मुख्यालय से आती है तो बहुत समय लगता है। बाप से समय पर पहुंच जाती है।

(श्री पब्बाराम)

वहां पर सोलर का बहुत बड़ा हब है, बहुत सारे प्रतिष्ठान काम करते हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि प्रस्ताव नहीं है तो इसको प्रस्ताव में स्वीकार करें। मेरा निवेदन है कि यहां पर उपखण्ड स्तर पर इसको जरूर स्वीकृति प्रदान करेंगे, इसके लिए कुछ न कुछ करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि जो प्रकरण है, वह 194 नहीं हैं, 225 के आसपास है। मैं इसका वेरीफिकेशन कराकर, नियमानुसार उनको भुगतान कराने का इनको आश्वासन देता हूं। आज दिन तक वहां पर 131 को हमने भुगतान कर दिया और 30 ऐसे प्रार्थना पत्र थे, जो नोर्म्स में नहीं आ रहे थे, वह खारिज हो गये। बाकी के ये प्रकरण यदि बतायेंगे, उनका वेरीफिकेशन कराकर तुरन्त ही उनको भुगतान एक वीक के अंदर हम करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। अभी जवाब देंगे। जवाब आ रहा है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): इसके अलावा इन्होंने चिंता जाहिर की है वाहन की। इन्होंने चिंता जाहिर की कि बाप क्षेत्र बहुत बड़ा है और उधर बीकानेर लग रहा है। वाकई में यह बात सही है। आपको यह पता होना चाहिए, हमारे विपक्ष और पक्ष के जो भी सदस्य हैं, उनको पता है कि 2016 का जो बजट हुआ, उसमें यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की घोषणाओं में 213 नम्बर पर है, ग्रामीण क्षेत्रों के अग्निशमन सेवाओं का अभाव, उसमें घोषणा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने की है कि 15,000 से अधिक आबादी वाली समस्त ऐसी पंचायतें जो अपने स्वयं के संसाधनों से अग्निशमन वाहनों का संचालन एवं रखरखाव करने के लिए इच्छुक हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह इनकी चिंता है। ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है और प्रस्ताव आने पर सरकार इस पर गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हमारा बाप क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है और आप अंदाजा लगा लीजिये कि प्रधान मंत्री आवास के रूप में वहां पर लगभग 4,000 आवास स्वीकृत हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का क्षेत्र है। वहां पर कच्चे आवास बहुत बड़ी संख्या में हैं और इसके चलते वहां पर आग लगने की बहुत बड़ी संभावनाएं रहती हैं और वहां पर सोलर की स्थिति है। वहां पर सोलर हब है। वहां पर 51 से 52 डिग्री

(श्री पब्बाराम)

सेल्सियस का तापमान रहता है और पड़ी हुई चीज को आग लगती है। किस समय गर्मियों के अंदर क्या हो जाए, कोई पता नहीं। जिस प्रकार से आप एक्सीडेंट्स के अंदर हाथों-हाथ 50,000 रुपये का या ऊपर का देते हैं उसको राहत प्रदान करने के लिए तो, क्या यह भी करेंगे ? वह आदमी तो काल-कवलित हो जाता है, परन्तु जो बेघर हो जाता है और तिल-तिल करके मरने के लिए मजबूर रहता है तो, क्या राज्य सरकार इसके बारे में विचार कर रही है कि उनको तुरंत प्रभाव से कुछ सहायता राशि वहां पर जिलाधीश महोदय के माध्यम से उसी समय उसको उपलब्ध करवाई जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर भी कोई अग्निकांड हुआ, तुरन्त रिपोर्ट पटवारी के पास जाती है, पुलिस थाने में भी रिपोर्ट जाती है, एफआईआर दर्ज होती है और एसडीएम के थ्रू कलक्टर के पास आती है। हम जल्दी से जल्दी उनको राहत पहुंचाने के लिए राशि देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अप्रैल, 2015 में हम 1.50 लाख रुपया जनहानि के देते थे, अब हमने 4.00 लाख रुपये कर दिया है। इसमें जनहानि होने पर 4.00 लाख रुपये, कपड़े जल गये हैं तो 1.800 रुपये, बर्तन आपके जल गये हैं तो 2,000 रुपये, झोंपड़ी अगर जल गयी है तो 4,100 रुपये, पक्का मकान-कच्चा मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है तो 95,100 रुपये देते हैं। पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर हम 5,200 रुपये देते हैं। आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चा मकान होने पर 3,200 रुपये देते हैं। इसी प्रकार गाय, भैंस, ऊँट आदि की क्षति होती है तो इनके लिए हम 30,000 रुपये देते हैं, भेड़, बकरी के लिए 3,000 रुपये देते है, घोड़ा, बैल आदि के लिए 25,000 रुपये देते हैं और बछड़ा गाय, गधा, इनके लिए हम 16,000 रुपये देते हैं। इस प्रकार जो नोर्म्स बने हुए हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पोंस फंड बना हुआ है और स्टेट का जो डिजास्टर रेस्पोंस फंड बना हुआ है, उसी नोर्म्स के अनुसार हम पेमेंट करते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया। जवाब आ गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत, पूरक प्रश्न। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि गर्मी के आने वाले सीजन में गांवों में अधिकतर जगहों पर सारी फसल जलकर नष्ट हो जाती है तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अग्निशमन

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सेवा होनी चाहिए। जो आपने मुआवजा बताया कि इतने हजार और इतने हजार, तो न इतने हजार में कोई गाय, भैंस आती है और अध्यक्ष महोदय, जिसकी पूरी फसल जलकर नष्ट हो जाती है, ना के बराबर उसको मुआवजा दिया जाता है, वह भी साल भर बाद। जिस आदमी का पूरा घर जलकर नष्ट हो गया तो मुआवजा बढ़ाने की मंशा रखते हैं या नहीं, मंत्री महोदय ? एक-एक अग्निशमन सेवा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव विधान सभा क्षेत्र से आया हुआ हमारे पास विचाराधीन नहीं है ।

जहां तक मुआवजे की बात है, हम सहायता दे रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं और नोर्म्स के अनुसार ही हम दे रहे हैं। हमारा प्रयास होगा, अगर कोई प्रस्ताव आएगे तो सरकार गुणावगुण के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए... यह तो बजट के अंदर भी है कि हम अनुदान देते हैं। अगर कोई प्रस्ताव ही नहीं पेश करे तो हम क्या करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भेजे हुए हैं। प्रस्ताव तो भेजे हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली बार भी भेजा था।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। आप देंगे जवाब? माननीय गुलाबजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे आपदा राहत से हमने नगरीय क्षेत्र में व्यवस्था करने के लिए पिछले साल 7.12 करोड़ रुपये दिया है, उसमें सात बड़ी गाड़ियां हैं, पांच छोटी हैं और नगरीय विकास विभाग को भी हमने 10 बड़ी गाड़ियां दी हैं। इसके अलावा भी हमने 11 करोड़ रुपया दो बड़े शहरों के लिए, 60 फीट हाइट की अग्निशमन के लिए भी स्वीकृति दी है। यह हमने आपदा राहत से एक्स्ट्रा व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यही पूछना है कि सेंट्रल रिलीफ फंड में जो आपने शिड्यूल बताई है, जो राशि बताई है, यह 15 और 20 वर्ष या उससे भी अधिक समय से पुरानी है। एक व्यक्ति का घर जल जाता है, एक व्यक्ति के रुपये जल जाते हैं, एक व्यक्ति का सामान जल जाता है, उसका गेहूं या अन्य कोई भी सामान जल जाता है या पशुधन की हानि होती है, मनुष्य की हानि हो जाती है तो क्या इस रिलीफ फंड को बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यूएशन जो भी आपकी अथोरिटी तय करती है, उस वैल्यूएशन के अनुसार

(श्री जोगाराम पटेल)

उस रिलीफ फंड से रिलीफ दिलाने के लिए प्रस्ताव आप स्वयं स्वीकार करने की स्थिति में हैं तो आप स्वयं ही और केन्द्र सरकार से स्वीकार कराने की स्थिति में हैं तो वह केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की मंशा रखते हैं ? और साथ ही साथ प्रत्येक उपखण्ड पर ऐसी अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और सदन में बताना चाहूंगा कि जब रबी का खराबा हुआ था उस समय पहली बार राजस्थान ने लीड ली और जितनी भी आपदा की जो सहायता किसान को मिलती है उसकी लगभग डेढ़ से दोगुने तक बढ़ोतरी उसमें हमने की है। पहली बार हिन्दुस्तान में 33 परसेंट से अधिक खराबे को, अब तक पचास परसेंट से अधिक खराबे को, अब तक 33 परसेंट खराबा था हमारे ही प्रस्ताव के आधार पर सम्पूर्ण देश में अब 33 परसेंट से पचास परसेंट तक भी अनुदान मिला है। जानवरों के मरने के बारे में भी जो रेट पहले थी उससे कहीं अधिक बढ़ा कर जो अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा है पहले तीन हजार और पांच हजार मिलता था उसको तीस हजार तक बढ़ाया है तो मैं सोचता हूं कि आपदा राहत में मैक्जीमम हमारी सरकार के आग्रह पर ही सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में सारी रेटें रिवाइज हुईं जिसके कारण से किसानों को लाभ मिला। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती द्रोपती।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अग्निशमन का भी आपदा के तहत जो क्षेत्र आता है उसमें आपदा राहत से भी पैसा मिलता है। ये 95,100 रुपये जो मकान के गिरने पर पक्के मकान पर या पूरा ही नष्ट हो जाने पर मिलता है, आपदा राहत का ही मापदंड है जिसके आधार पर पेमेंट हम इनके विभाग को करते हैं और उसके द्वारा किसान को जाता है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। पहले तो एक शिकायत बिजली विभाग से भी है कि उन्होंने एक-डेढ़ घंटे तक बिजली नहीं काटी और बहुत बड़ी घटना घट गयी थी। दूसरा यह कि वहां अग्निशमन नहीं होने की वजह से तीन घंटे तक कंटीन्यू दुकान में आग लगी रही फिर गंगानगर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ से अग्निशमन मंगा कर वहां पर आग बुझाई गयी रात को 9-9.30 बजे तक। बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। टायर की दुकान थी। टायरों ने आग पकड़ ली। पूरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पूरे शहर वाले घर से बाहर निकल

(श्रीमती द्रोपती)

गये थे तो ऐसी स्थिति में और बहुत बार ऐसी दुकानों पर हो जाती है। सब्जी मंडी में हो गयी। दो-तीन साल में मेरे वहां पर सात-आठ घटनाएं ऐसी हो गयीं। खेतों में भी हो जाती हैं ऐसी घटनाएं तो मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि आप ऐसी कोई योजना बनाए कि प्रत्येक उपखंड पर एक अग्निशमन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा इनको मुआवजा भी दिलवाया जाए, ताकि उनमें ज्यादा आक्रोश न पैदा हो, जनता में भी ज्यादा आक्रोश न पैदा हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गयी है, इस प्रकार की योजना तो इसके लिए जो कोई कमी होगी उसको देख कर के आपकी भावनाओं के अनुरूप और जनता की भावनाओं के अनुसार इस प्रकार की घटनाओं पर काबू पाने के लिए साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अमृतलाल।

सलूम्बर में ग्रीन हाउस निर्माण हेतु अनुदान

140. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा प्रदेश में उन्नत कृषि हेतु उन्नत बीज, बागवानी, फलदार खेती हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को ग्रीन हाउस निर्माण के लिये अनुदान देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं से लाभान्वितों की संख्या व भावी योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): जी हां। यह सही है की उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार के कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिसमें लघु सीमान्त कृषक भी आते हैं। बागवानी विकास की योजनाओं में ग्रीन हाउस, शेडनैट हाउस, फलदार पौधों के बगीचे लगाना व सब्जी फसलों के उन्नत बीजों का वितरण भी आता है। गत दो वर्षों में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में उन्नत सब्जी बीज मिनीकिट, बागवानी फलदार खेती व ग्रीन हाउस के तहत लाभान्वित कृषकों का विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

उद्यानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत जिलेवार लक्ष्य आबंटित किये जाते है। जिसमें मुख्यत: नये बगीचों की स्थापना, जल स्रोतों का विकास, संरक्षित खेती में ग्रीन हाउस संरचना, शेडनैट हाउस संरचना, प्लास्टिक टनल, प्लास्टिक मल्च, मधुमक्खी पालन, उद्यानिकी में यन्त्रीकरण, फसलोत्तर प्रबन्धन एवं

(कृषि मंत्री)

कृषक प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन किया जाता है। सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र (जिला उदयपुर) के कृषक भी अपनी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुरूप आवेदन कर लाभान्वित हो सकते हैं।

(विवराण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. एक 1

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खेती व ग्रीन हाउस के संबंध में योजना में आबंटित बजट कितना दिया गया है, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सलूम्बर क्षेत्र में वर्षवार लाभान्वित कृषकों की संख्या कम क्यों की गयी जबकि पूरा क्षेत्र अस्सी परसेंट कृषि आधारित एरिया है और 2014-15 में 34 किसानों को लाभान्वित किया गया। 2015-16 में 12 को किया गया, 2016-17 में मात्र 17 को किया गया और इस बजट कहीं हवाला ही नहीं। सारी बात बता दी इतना ग्रीन हाउस, इतना शेडनैट, प्लास्टिक वाला, मधुमक्खी का। उस एरिया में मधुमक्खी का कितना बजट हुआ, ग्रीन हाउस का कितना हुआ या इस पूरे बजट में कोई हवाला नहीं दिया गया है, मात्र 63 किसानों को तीन वर्षों में लाभ दिया है जो उस क्षेत्र की दृष्टि से बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितना बजट प्रोविजन किया गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसी भी विधान सभा क्षेत्र के लिए पृथक से कोई भी बजट आबंटित नहीं होता है, जिले के लिए आबंटित होता है। जहां तक ग्रीन हाउस का, शेडनैट का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में 26 हजार स्क्वायर मीटर ग्रीन हाउस स्थापना के लक्ष्य रखे गये थे और इस लक्ष्य के विपरीत 14 हजार स्क्वायर मीटर का प्रस्ताव सलूम्बर के माननीय विधायक के विधान सभा क्षेत्र के किसानों के द्वारा दिया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नैट हाउस की एक हिस्सा राशि किसान के द्वारा जमा करायी जाती है और 2014-15 में इनके 11 फार्मर्स ने ग्रीन हाउस के लिए आवेदन किया था ऑन लाइन लेकिन हिस्सा राशि एक भी किसान ने जमा नहीं करायी। 2015-16 में 15 लोगों ने आवेदन किया था, 5 ऐसे किसानों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई लेकिन हिस्सा राशि जमा नहीं हुई और 2016-17 में 35 ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त हुई जिसमें से 5 कृषकों के ग्रीन हाउस के 14 हजार स्क्वायर गज की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री रामलाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो ग्रीन हाउस की स्वीकृति आप जारी करते हो और जो अनुदान जारी किया जाता है उस अनुदान की वरीयता क्या है, पहले आओ, पहले पाओ वरीयता है या लॉटरी सिस्टम की वरीयता है ? अनुदान की जो राशि दी जाती है वह राशि किसान के खाते में डाइरेक्ट जाती है या जो ग्रीनहाउस लगाने वाली कंपनी है उसके खाते में जाती है ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अनुदान प्रक्रिया क्या है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, सब्सिडी किसके खाते में जाती है, मेरा आपसे निवेदन है कि ग्रीन हाउस की ऑनलाइन एप्लीकेशन काश्तकार सीधे करता है और प्राथमिकता के आधार पर क्योंकि पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो लगभग 9 लाख स्क्वॉयर मीटर के ग्रीन हाउस स्थापित करने थे लेकिन एप्लीकेशन 49 लाख स्क्वायर मीटर की प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने वाले पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के बाद में जो किसान अपना हिस्सा जमा करा देता है ऐसे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान देने की प्रक्रिया की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा किसी भी कंपनी को स्पेशली किसी के लिए नहीं कहा जाता है बाकी एक एम्पेनलमेंट किया जाता है और किसान की मर्जी से स्वयं कपंनी से खुद भी अपनी बात करता है और अपने हिसाब से उसकी वो स्थापना करता है। जब उसका ग्रीन हाउस लग जाता है तो उसके बाद उसके वेरीफिकेशन के बाद में उसके भुगतान की प्रक्रिया की जाती है। वर्ष 2017-18 जो आने वाला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सारा का सारा भुगतान अब किसान के खाते में ऑनलाइन हम लोग करेंगे। अभी तक किसान के वेरीफिकेशन के बाद जिस कंपनी से वो करते हैं उसको दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न, श्री नानालाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सलूम्बर विधान सभा से लगता हुआ मेरा विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से ग्रीन हाउस के लिये आपके पास कितने आवेदन आये हुए हैं ? जो आवेदन आपके पास आये हुए हैं उन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ? दूसरा, जनजाति क्षेत्र के काश्तकारों हेतु ग्रीन हाउस निर्माण की क्या व्यवस्था है। सरकार टीएसपी क्षेत्र के जनजाति काश्तकारों को ग्रीन हाउस निर्माण में विशेष सब्सिडी देकर लाभान्वित करना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि उदयपुर जिले में 26 हजार स्क्वायर मीटर के लक्ष्य हम लोगों ने रखे थे। आपको विधान सभा क्षेत्र में भी यदि प्राथमिकता से जिन्होंने ऑन लाइन कराया होगा, क्योंकि अभी तक उदयपुर में मात्र 14 हजार स्क्वायर गज में ही ग्रीन हाउस की स्थापना हुई है। शेष यदि प्राथमिकता से इनके विधान सभा क्षेत्र के भी आते होंगे तो हम लोग उनकी भी स्वीकृति जारी करेंगे।

आपने यह पूछा है कि इसके प्रावधान क्या है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीन प्रकार के ग्रीन हाउस बनते हैं, एक हजार स्क्वायर गज, दो हजार स्क्वायर मीटर और 4 हजार स्क्वायर मीटर। इन तीनों के लिये अलग अलग व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत हम लोग किसानों को देने का काम करते हैं। जो एक हजार स्क्वायर गज का ग्रीन हाउस लगायेगा उसको 9 लाख 35 हजार रुपये एससी, एसटी के जो लघु सीमांत कृषक हैं उनको 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 2 हजार स्क्वायर गज का जो बनेगा वह 17.80 लाख का बनेगा और 4 हजार स्क्वायर मीटर का जो बनेगा उसकी 33.76 लाख यूनिट कॉस्ट है। यदि किसान के द्वारा अपना हिस्सा जमा करा दिया जाता है तो अनुदान की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यदि पूरे जिले में प्राथमिकता में आता है तो निश्चित रूप से उसका ग्रीन हाउस स्थापित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना पूछना चाहूंगा कि आपने लक्ष्य रखा है लेकिन लक्ष्य की पूर्ति जिला लेवल पर पूरी होती नहीं है, आपके विभाग के द्वारा बराबर फोलो नहीं होता है, फोलो करने का सिस्टम आप क्या बनाओगे।

दूसरा, आपके पैनल में आपने कंपनियां तय कर दीं, अब उन कंपनियों का चार्ज होता है डबल। मतलब अनुमान कर लीजिए जैसे आप 8 लाख रुपये अनुदान देते हो तो, कंपनी 16 लाख रुपये लेती है, अब वह किसान अगर सीधा जाकर करवाता है, कंपनी 12 लाख रुपये में अगर करती है तो यह हमारे पैनल में लाना, मतलब उनको कोई अमर पट्टा मिल गया क्या, पैसे ज्यादा लेगा, इसका आप कोई सिस्टम बनाओगे क्या ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक चाहते हैं कि प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, मैं आपसे निवेदन करना

(श्री प्रभू लाल सैनी)

चाहूंगा राजस्थान में आरटीपीपी एक्ट बना हुआ है और इस एक्ट के माध्यम से निविदा प्रक्रिया आमंत्रित की जाती है। निविदा में जिस प्रकार से कंपनी की रेट्स आती हैं उसमें नेगोशिएट करके प्राथमिक आधार पर उनको पूरे राजस्थान में एक ही तरीके से स्वीकृत किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी प्रावधान किये हुए होते हैं कि यदि आंधी, तूफान से या किसी कारण से किसी किसान का ग्रीन हाउस लगने के बाद फट जाता है तो यह उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह मेंटीनेंस करे, रख रखाव करे और उसकी व्यवस्था करे। इसलिए मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि वास्तव में जो टैंडर प्रक्रिया करके हम काम करते हैं और बाजार में सीधा जाकर प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसमें दरों में निश्चित रूप से अंतर आता है लेकिन क्वालिटी बेस कोई भी चीज को हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उसकी रेट भी ज्यादा होगी और इसकी रिपेयर और मेंटीनेंस की गारंटी भी, चूंकि उस कंपनी को करना है इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्रावधान किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में उद्योगों की स्थापना

141. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ऐसे कौन-कौनसे विधान सभा क्षेत्र हैं, जहां सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोई कारखाना/फैक्ट्री, बड़े उद्योग अथवा लघु उद्योग स्थापित नहीं हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के जिन विधान सभा क्षेत्रों में कोई बड़ा कारखाना/फैक्ट्री संचालित नहीं हैं, वहां पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलवर जिले के नीमराणा, बहरोड़, खुशखेड़ा एवं भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से लगते हुऐ बानसूर में प्रदूषण मुक्त कोई बड़ा मध्यम एवं लघु उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अलवर जिले में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) प्रदेश में ऐसा कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं है, जहां सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाना/फैक्टी, बड़े उद्योग

(उद्योग मंत्री)

अथवा लघु उद्योग स्थापित नहीं हो ।

(2) उदारीकृत आर्थिक वातावरण में उद्योग स्थापित करने एवं उसके स्थान का निर्णय निवेशक द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहारिता के आधार पर लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सीधे ही उद्योग स्थापित नहीं किये जाते है।

(3) जी नहीं। उत्तर बिन्दु सं. 2 के अनुसार।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, प्रदेश में ऐसे कौन कौन से विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर सरकारी या गैर सरकारी उद्योग धंधे या लघु उद्योग धंधे स्थापित हैं या नहीं है, जिलेवार सूची दें। उत्तर में दिया गया है प्रदेश में ऐसा कोई भी विधान सभा क्षेत्र नहीं है जहां पर सरकारी या गैर सरकारी कारखाना, फैक्ट्री, बड़े उद्योग धंधे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर हैं, तो क्यों नहीं सूची सदन में रखी ? इतना बड़ा +++ और वह भी सदन में।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द एक्सपंज किया जाए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ...(व्यवधान)... अगर है तो मेरे बानसूर का ही बता दें कौनसी जगह कौनसा उद्योग धंधा है।

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल जी का एक भी शब्द रिकार्ड पर न जाए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, असत्य उत्तर सदन को दिया गया, बड़े शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर है तो लिस्ट रख दें, हम मान जाएगे कि मेरे बानसूर में कौनसा उद्योग धंधा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था विधान सभावार, ऐसा कौनसा विधान सभा क्षेत्र है जहां पर लघु, मध्यम या बड़ा उद्योग स्थापित नहीं है। मेरा जवाब है कि राजस्थान का ऐसा एक भी विधान सभा क्षेत्र नहीं है जहां पर लघु, मध्यम, माइक्रो, स्माल, मीडिया या बड़ा उद्योग स्थापित नहीं है। आपने जो जिलेवार सूची मांगी है, जिलेवार सूची अगर आप मांग रहे हैं, तो सदन की मेज पर जिलेवार सूची रख दी जाएगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कहां है, हमारे पास तो नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): रख दी जाएगी, मैंने भी अभी प्रश्न को ढंग से देखा है कि जिलेवार सूची आपने मांगी है, जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख देंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मेरे उत्तर में क्यों नहीं भेजी। यह तो गुमराह करने वाली बात है। ...(व्यवधान)...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): हां, हां रख देंगे, दे देंगे आपको, अभी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जब भी हम राजस्थान के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, राजस्थान के इंडस्ट्रियल एन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सवाल कान्स्टीट्युएंसी सेंट्रिक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक नहीं हो सकता। यह सही बात है कि कौनसे जिले में कौन कौनसे कितने उद्योग हैं, जानकारी देने में कोई तकलीफ नहीं है, जानकारी आपको हम दे देंगे, ...(व्यवधान)... जिले की जानकारी दे देंगे। आपके जिले की और राजस्थान के बाकी जिलों की जानकारी भी दे देंगे, जानकारी छिपाने का कोई सवाल नहीं है लेकिन कान्स्टीट्युएंसी सेंट्रिक क्वेश्चन, विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से न तो इंडस्ट्रीयल एरिया बनते हैं, न इंडस्ट्रीज लगती है, न उसके आधार पर कोई पालिसी एडोप्ट की जाती है। जिले के आधार पर इंडस्ट्रियल का लगाना या नहीं लगाना तय नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और सदन के बाकी सदस्यों को भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पूरे राजस्थान के जिलेवार कि कौन कौनसे जिले में कौन कौनसी इंडस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर्ड है, उसकी संख्या निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, जिलेवार दे देते तो भी हम मान जाते कि कुछ सूची दी तो है। दूसरा प्रश्न है क्या सरकार प्रदेश के जिन विधान सभा क्षेत्रों में कोई बड़ा कारखाना/फैक्ट्री संचालित नहीं हैं, वहां पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है या नहीं, नहीं तो क्यों? इसमें उत्तर दिया गया है उदारीकृत आर्थिक वातावरण में उद्योग स्थापित करने एवं उसके स्थान का निर्णय निवेशक द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहारिता के आधार पर लिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि सरकार की परमिशन के बिना, रेवेन्यू, पर्यावरण, अन्य विभागों की परमिशन के बिना ही कोई एमओयू साइन किया जाता है क्या?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है कि इंडस्ट्री सरकार नहीं लगाया करती। हम तो वैसा इंडस्ट्रियल एन्वायरमेंट दे सकते हैं जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के आधार पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। आपकी बात बिलकुल सही है कि किसी भी बडे उद्योग के लगाने से पहले कई प्रकार के क्लीयेरेंस की जरूरत है, लेकिन एमओयू का जहां तक ताल्लुक़ात है

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

यह बिमॉक (Bemock) अंडरस्टेंडिंग है। मैं किसी स्टेट में किसी पर्टीकुलर सैक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखता हूं। यह इंटेंशन जाहिर करना और इंटेंशन के प्रति कमिटमेंट जाहिर करना, उसके साथ किसी एप्रूवल की जरूरत नहीं है। न कोई एन्वायरमेंट एप्रूवल की जरूरत है, न किसी रेवेन्यू की एप्रूवल की जरूरत है, न किसी डिपार्टमेंट के एप्रूवल की जरूरत है। मेरा इतना ही निवेदन करना था कि राजस्थान में कहां पर इंडस्ट्रिज लगाई जाए इसका निर्णय इंडस्ट्रिलिस्ट करता है और उसके कई डाइमेंशंस हैं। वहां पर पोटेंशल कितनी है, मार्केट से उसकी रीच कितनी है,....

लाजिस्टिक सपोर्ट कितना मिलेगा ? हयूमन रिर्सोस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा ? लेबर का एनवायरमेंट कैसा है ? इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं पर अपना इनवेस्टमेंट करता है। लेकिन एम.ओ.यू. करने के अंदर यह इंटेनशन जाहिर करना कि मैं राजस्थान के अंदर फलां-फलां इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं। इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूं और मेरी इंडस्ट्री के टैक्स के लांग टर्म बेनिफिट आपको ऐसे होंगे, इसलिए मेरी आप मदद करें। मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं। यह इंटेनशन और इंटेनशन के साथ में एमओयू में कमिटमेंट करने में, मैं समझता हूं कि इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

(संकेत से अंकित करने से मना किया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से...।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें क्वेश्चन लगा हुआ था और आपने मेरे को बोलने की अनुमति दी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र धोद ने, जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि एनवायरमेंट और उसकी उपलब्धता पर उद्योग लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री अपने हिसाब से जवाब देंगे। आपके हिसाब से जवाब नहीं देंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री गोरधन (धोद): मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पिछली दफा भी इस विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए

(श्री गोरधन)

कहा था और विभाग से निवेदन किया था कि धोद विधान सभा क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। जिसके कारण से छोटे-मोटे उद्योग जो बाहर आउट साइड में लगे हुए हैं, उनको एक जगह पानी, बिजली और सब प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं। तो मंत्री महोदय इसका विचार रखते हैं। यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कहां पर नया इंडस्ट्रीयल एरिया डवलप करना चाहिए, इसका निर्णय करने के कई फैक्टर्स हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि कहां पर इंडस्ट्रीयल सैक्टर की डिमांड किस इलाके से आ रही है ? या यह देखना पड़ेगा कि वहां पर उस इलाके की पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है ? माननीय सदस्य की तरफ से धोद में इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की डिमांड आई है, और भी कई माननीय सदस्यों से अपने-अपने इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की डिमांड आई है। तकरीबन 48 डिमांड जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की आई है। इंडस्ट्रियल एरिया खोलने के लिए जिन चीजों का ध्यान रखकर इंडस्ट्रियल एरिया खोला जाना चाहिए, उन सब 48 प्रपोजल्स को उन पैरामीटर्स के ऊपर एक्जामिन करने के बाद आने वाले समय में हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा): उत्तर आ गया। माननीय मंत्री जी ने जो बताया उसमें आ गया मेरा भी।

श्री अध्यक्ष: आ गया ? ठीक है तो।

माननीय कृषि मंत्री जी, आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं या देना चाहते हैं ? यह समझ में नहीं आया।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप खुद चाहते हैं ?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: आपने यह लिखा है कि कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप देना चाहते हैं ?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं सदन को देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दीजिए।

प्रश्न संख्या 140.

सलूम्बर में ग्रीन हाउस निर्माण हेतु अनुदान

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं प्रश्न संख्या - 3 में, सदन के सभी माननीय सदस्यों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि 2009 से लेकर 2017 तक, जिन किसानों ने राजस्थान प्रदेश में ग्रीन हाउस और शेडनैट हाउस लगाए हैं, वे फट गये हैं या जो भी गरीब रह गए होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि अभी हम लोगों ने 24 लाख रुपये जो पुराने ग्रीन हाउस हैं, बीज के लिए, खाद्य के लिए, आर्गेनिक खेती करने के लिए, उसकी तुड़ाई के लिए, पैकिंग के लिए, जो भी सारा खर्चा है। उसका 12 लाख रुपये तक प्रत्येक ग्रीन हाउस पर, प्रत्येक नेट हाउस पर मैं अनुदान देने की घोषणा करता हूं। उसी के आधार पर 2009 से अब तक राजस्थान प्रदेश में लगभग 23,61,436 स्क्वायर गज यानी 997 फॉर्म्स ने ग्रीन हाउस लगाए हैं और शेड नैट हाउस 7,51,200 स्क्वायर मीटर में लगे हैं, जिनमें 246 काश्तकारों ने यानी कुल मिलाकर 1243 ऐसे काश्तकार, जिन्होंने 2009 से अब तक ग्रीन हाउस लगाए हैं, उनको यह अनुदान देने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करके लाभान्वित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्रीराम भींचर।

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को राशन का वितरण

142. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सभी राशन कार्ड धारियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): जी हां। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड के आधार पर नियमानुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपको आपके अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, इसके जवाब में आपको बिलकुल गुमराह किया गया है, जबकि मैं इसमें गुमराह नहीं हो सकता। मुझे इसकी जानकारी है और इसमें आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको प्रति माह खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है।

(श्री श्रीराम भींचर)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2013-14 के पहले जो पुराना राशन कार्ड था, किसी व्यक्ति के राशन कार्ड के अंदर अगर दस मैम्बर थे, 2013-14 के बाद जब राशन कार्ड नए बने। उसमें उस परिवार में उनके लड़कों ने अलग से अपना राशन कार्ड बनवा लिया। पीछे मुखिया स्वयं या उसकी पत्नी, दो ही व्यक्ति रह गये हैं। अब जो सामग्री मिल रही है वो दो ही व्यक्तियों को मिल रही है। उनके लड़कों ने अलग से राशन कार्ड बनवाए हैं, तो हैं तो उसी परिवार के सदस्य ही, उस मुखिया के जिन पुत्रों ने अलग से अपना राशन कार्ड बनवाया है, क्या उनको भी राज्य सरकार खाद्य सामग्री देने का विचार रखती है ? मंत्री महोदय बताएं।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूर्ववर्ती सरकार के टाइम लागू हुआ और इसके तहत भारत सरकार द्वारा चयनित परिवारों की संख्या 4 करोड़ 46 लाख निर्धारित की गयी थी। उसके तहत बिना सर्वे के या बिना किसी विधिवत जांच के 5 करोड़ 46 लाख चयनित परिवारों का सर्वे किया गया और उसके तहत जो खाद्यान्न आवंटन होता है, वह 27.91 लाख मैट्रिक होता है। उसके आधार पर भारत सरकार के द्वारा इसकी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धारित सीमा लागू की गयी। ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों की संख्या 69.09 प्रतिशत निर्धारित की गयी और शहरी क्षेत्र में 53.00 प्रतिशत संख्या निर्धारित की गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि उस समय 5 करोड़ 46 लाख चयनित परिवारों का सर्वे करके, बिना औचित्य के चयनित तो कर दिया गया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो सूचना आई उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया और तय किया गया कि पूरे राजस्थान में जो चयनित परिवार हैं, उन का एक निर्धारित मापदंड तय किया गया इस सर्वे के आधार पर। यह आज भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नाम काट दिया गया, या हटा दिए गये। मैं आपके माध्यम से सब माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसा कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा यह थी कि जो भी पात्र व्यक्ति राजस्थान में हैं और जिनको इस योजना का अधिनियम के तहत लाभ मिलना चाहिए, उन सबको लाभ मिले। मैं इस बात के लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे क्षेत्र को भी इसमें चयनित किया । जैसे कि आज उदयपुर कथोड़ी जाति का परिवार है। आज बारां में सहरिया जाति के लोग हैं। उनको इस अधिनियम के तहत.. जो अंत्योदय परिवार हैं,

(श्री बाबूलाल वर्मा)
उनको 35 किलो प्रति परिवार हम गेहूँ देते हैं दो रुपये किलो के हिसाब से और एन.एफ.एस.ए. के तहत जो लाभार्थी हैं, उनको हम पांच किलो प्रति यूनिट के हिसाब से।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: यह अंकित नहीं होगा। इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: जवाब चल रहा है। आप बीच में क्यों बोल रहे हो ? वो जवाब दे रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: वो जवाब दे रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, ऐसा नहीं। डोटासरा का एक शब्द अंकित नहीं हो। आदत में हैं इनकी। जब चाहे तब। वो जवाब दे रहे थे, उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। बैठिए ।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं एक तो यह धारणा जो माननीय सचेतक महोदय कह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। विराजिए।

(12:00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से खींवसर विधान सभा क्षेत्र सहित प्रदेश में टयूबवैल/नलकूपों के संचालित अवैध कनेक्शन से राज्य सरकार को हो रही हानि को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें नियमित किए जाने के संबंध में।
2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सीकर जिले में गंभीर पेयजल संकट होने के बावजूद भी कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना की मंजूरी नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. डा. किरोडीलाल, सदस्य की ओर से नेशनल पार्क के विस्थापितों की समस्याओं तथा नेशनल पार्क रणथम्भौर एवं सरिस्का में चल रही कामर्शियल गतिविधियों के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से कोटपूतली को जिला नहीं बनाये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में।
6. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से कोलायत उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।
7. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रहे जल प्रदूषण व मोबाइल टावर के रेडिएशन के कारण कैंसर से हो रही मौतों के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार, श्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्री भंवरसिंह एवं श्री सुखराम विश्नोई को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की बेनीसर से दुसारणां वाया भोजास एवं भोजास से दुसारणा 9 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने के संबंध में ।
2. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर में नहरी परियोजनाओं के कार्य में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।
3. श्री रतन लाल जलधारी, सदस्य की ओर से सरकारी कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में सम्मानजनक वेतन दिए जाने के संबंध में ।
4. डा. किरोडी लाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति सपोटरा के कालीसिंध बांध के बहाव क्षेत्र में बनाये गये मॉडल तालाब के नियम विरूद्ध निर्माण कार्यों की जांच कराने के संबंध में।
5. श्री तरूण राय कागा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन एवं सेड़वा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में ।
6. श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पर्यटनक्षेत्रों को विकसित करने के संबंध में ।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में मुख्य सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।
8. श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में डीएनपी क्षेत्र में प्रभावित गांवों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में ।
9. श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से गौवंश की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु प्रबंध किए जाने के संबंध में ।
10. श्रीमती गीता वर्मा, सदस्य की ओर से गांव मोरोली से धोण होते हुए दौसा क्षेत्र के आस्था केन्द्र पपलाज माता की ओर जाने वाली कच्ची सड़क का निर्माण कराने के संबंध में ।
11. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से अराई (अजमेर) में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किए जाने के संबंध में।
12. श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत 4 सीवाईएम में पानी की टंकी का निर्माण करने के बावजूद पेयजल उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

मानीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 6 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 47 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री रामहेत सिंह यादव, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, खुशखेडा के उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को शाहबी नदी में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री नाना लाल अहारी, खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के जीणशीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ को क्रमोन्नत करने एवं महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में नवीन विषय प्रारम्भ करने के संबंध में।
4. श्री रामलाल शर्मा, यमुना नदी के जल को जयपुर जिले के बांधों जमवारामगढ़-कालख-सांभर झील में लाये जाने के संबंध में। श्री श्रवण कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस सरकार के समय किसानों को गेहूं की फसल पर बोनस दिया जाता था। आपकी बीजेपी सरकार ने आते ही..

श्री अध्यक्ष: मेरी बीजेपी सरकार नहीं है वहां से। अपने आपको करेक्ट कीजिए। आपने कहा आपकी, मेरी नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह पूरे राजस्थान की समझ लो।

श्री अध्यक्ष: हां, यह ठीक है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कुछ करें तो बता देंगे। इन्होंने क्या किया, आते ही गेहूं के ऊपर किसान का बोनस बंद कर दिया। किसान वैसे ही बुरी तरह पीड़ित है। बिजली के पैसे बढ़ गये, खाद के पैसे बढ़ गये, तेल के पैसे बढ़ गये, बिजाई के पैसे बढ़ गये, उसके बावजूद भी उसको पैसा कम मिल रहा है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। सरकार से मेरी विनती है कि बोनस दुबारा चालू करें। किसान का गेहूं का बोनस चालू कराएं, आपसे यह विनती है । सरकार से उत्तर भी दिलाए कि करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि गेहूं की फसल आ गयी, केवल एक महीना ही बाकी है। लेते हैं गेहूं, उनकी पर्ची दे देते हैं कि पर्ची ले लो और पैसे 6 महीने, 12 महीने तक नहीं आ रहे हैं। मूंग को लिया, पर्ची दे दी, पर्ची के पैसे 12 महीने तक नहीं आए। आज तक लोग घूम रहे हैं पैसा, कि पैसा देंगे, सरकार से आएगा तब देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसान को पैसा नहीं मिलेगा, उसको शादी भी करनी है, बीस तरह की उसके बीमारियां हैं, नोटबंदी होने के बाद तो यही कह दिया कि जब मार्केट में पैसे आएंगे तब देंगे। तो हालत तो प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार तो यह सोचती है कि पैसे इनके पास खूब है, सोच रहे होंगे खूब होंगे। किसान गरीब है, मजदूरी करके अपना काम चला रहा है।

मेरी आपसे विनती है, पारदर्शी सरकार के बहुत बड़े जिम्मेदार अध्यक्ष हो, पूरे राजस्थान में आपका बड़ा नाम है, तो सरकार से उत्तर दिलाएं कि बोनस देगी या नहीं देगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप रेस्पोंड कर दें।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही बोनस देना बंद दिया, आपको मैं अवगत करा दूं कि 2014-15 में माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी की सरकार थी

(श्री बाबूलाल वर्मा)

जिन्होंने 150 रुपये प्रति क्विण्टल का बोनस डिक्लियर किया था और राजस्थान के किसानों को राहत दी थी। यह बात कहना कि बंद कर दिया, यह माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी की संवेदनशील सरकार है, जिसके अंदर बोनस भी दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वर्तमान परिस्थिति में अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने यह महसूस किया, भारत सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य कर का अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा बोनस दिए जाने के संबंध में एक नीतिगत परिवर्तन किया है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला था। उनका यह मानना था कि जब बोनस दिया जाता है तो बाहर के लोग थे, बाहर के प्राइवेट लोग थे वह यहां आकर अपना व्यापार करते थे, उससे मेलाफाइड़ प्रेक्टिस होती थी, उन्होंने नीतिगत निर्णय लेकर, बोनस देने का चेंज किया है। उसमें यह भी किया है, उन्होंने राज्य सरकार को यह मानते हुए, बोनस नहीं दिए जाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है। यह मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कर दी घोषणा ?

श्री अध्यक्ष: बस जितनी उन्होंने घोषणा कर दी उतनी कर दी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या अर्थ हुआ इसका, किसान को क्या मिला, किसान को कुछ मिला क्या ?

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भारत सरकार ने घोषणा कर दी, बंद कर दिया। भारत सरकार इनकी है, स्टेट गवर्नमेंट इनकी है, यह करेंगे क्या ? हमें क्या मिला ?

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यही था क्या इनका जवाब, भारत सरकार ने बंद कर दिया ?

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

कोटपूतली को जिला नहीं बनाने से व्याप्त असंतोष

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): महोदय, पिछले 40-50 साल से कोटपूतली वासियों की जिला बनाने की मांग है। जिसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। कोटपूतली क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से और राजस्व के हिसाब से डिजर्व करता है जिला बनने के लिए। कोटपूतली में पहले ही, 1952 से एसडीएम कोर्ट है, चौमूं तक का क्षेत्र उसमें आता था। नगरपालिका वहां 1952 से है। इसके साथ-साथ वहां 1962 में महाविद्यालय खुल

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

गया था, महिला महाविद्यालय है। वहां पर हास्पिटल है, जिसमें रोज तीन हजार से ऊपर ओपीडी है। मरीजों को बहुत परेशानी होती है। सात लाख से ऊपर मरीज सालाना आते हैं। इसी तरह वहां एडीजे कोर्ट में 4500 मुकदमे विचाराधीन हैं। जबकि सवाईमाधोपुर, दौसा और बहुत से जिलों में, पूरे जिले के 4500 मुकदमे पैंडिग नहीं हैं। वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जयपुर आते हैं। उसमें 3500 मुकदमे पैंडिंग हैं।

इन सब बातों को देखते हुए, और राजस्व के मामले में भी जयपुर की 13 तहसीलों में सबसे ज्यादा राजस्व कोटपूतली क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर इसको बानसूर, विराटनगर, बहरोड़ और नीमराणा को मिलाकर जिला बनाया जाए तो इस क्षेत्र की जनता को, 25 लाख लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): बहरोड़ को बनवा रहे हो क्या?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): साथ ही बनेंगे दोनों। साथ-साथ मिलकर हो जाएगा।

इन चारों तहसीलों को एक जगह करके अगर जिला बनता है तो इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, विराजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): इसमें सब नियमों के हिसाब से है। लगातार उसमें जनता बहुत आक्रोशित है, धरने पर बैठी हुई है। इसको देखते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में निर्णय ले।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

कोलायत उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में कोलायत विधान सभा क्षेत्र का उपखण्ड मुख्यालय कोलायत बीकानेर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है और तहसील का क्षेत्राधिकार भी 150 गुणा 150 किलोमीटर है। तहसील क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2 लाख 61 हजार है। उस क्षेत्र में प्रतिवर्ष पांच से दस हजार बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे कालेज के लिये जाते हैं। परन्तु विडम्बना यह है कि सम्पूर्ण तहसील क्षेत्राधिकार में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, जिससे क्षेत्र के स्कूली बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये या तो बीकानेर शहर जाना पड़ता है या मजबूरन आगे की शिक्षा को छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले की

(श्री भंवरसिंह)

कोलायत तहसील भारत-पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर लगती है और 200 किलोमीटर लम्बा यह कोलायत विधान सभा क्षेत्र है। परन्तु इसमें एक भी राजकीय महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अभी तक संचालित नहीं किया जा रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 2013 में राजकीय महाविद्यालय हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया। वहां प्रिंसिपल भी लगा दिया गया। लेकिन चूंकि शैक्षणिक एडमिशन का समय निकल गया था और 2014 से वह कालेज चालू होना था, 2014 में वर्तमान सरकार के गठन के बाद राजस्थान के करीब 46 राजकीय महाविद्यालयों को समीक्षा समिति में डाल दिया गया, माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, 2014 का बजट, 2015, 2016 और 2017 का बजट पेश होने जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा सरकार के सुराज संकल्प पत्र में भी इस बात को प्राथमिकता दी गयी है कि राजस्थान के हर-एक उपखण्ड मुख्यालय पर बालिकाओं और बालकों के अलग-अलग राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे।

कोलायत के पांच हजार बच्चे 12वीं के बाद शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से बारम्बार यह निवेदन रहेगा कि 46 में से कई राजकीय महाविद्यालय ऐसे हैं, जिनको समीक्षा समिति ने हरी झण्डी दे दी है। लेकिन कोलायत सीमावर्ती होने के बावजूद शैक्षणिक क्षेत्र में राजस्थान का सबसे...

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। सरकार आपकी बात पर विचार करेगी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट में बात समाप्त करना चाहूंगा।

राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है शिक्षा के क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करे। कोलायत के साथ खाजूवाला का कालेज खोला गया था और डूंगरगढ़ का खोला गया था। खाजूवाला के कॉलेज को पिछले विधान सभा बजट में चालू कर दिया गया। हमारे माननीय सदस्य किशनारामजी, डूंगरगढ़ के विधायक यहां विराजे हुए हैं, इनके क्षेत्र में भी आन्दोलन चल रहा है। हमारे क्षेत्र में भी आन्दोलन चल

(श्री भंवरसिंह)

रहा है। हमारी यह मांग रहेगी कि कोलायत और डूंगरगढ़, दोनों राजकीय महाविद्यालयों को इस शैक्षणिक सत्र में, किशनरामजी आपकी पार्टी से हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। श्री सुखराम विश्नोई। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी सरकार की सोच, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। हो गयी बात। आप विराजिये, आप विराजिये। ध्यान आकर्षित कर दिया। बार-बार रिपीट करने से क्या फायदा। आप विराजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आप भेदभाव नहीं करते हैं तो कोलायत के राजकीय महाविद्यालय को इसी शैक्षणिक सत्र में चालू करें।

श्री अध्यक्ष: कृपया श्री सुखरामजी विश्नोई। भंवरसिंहजी, बैठिये आप। दो मिनट के लिये कहा, 4-5 मिनट हो गये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जिससे कि बीकानेर जिले और सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों की आगे की पढ़ाई पूरी की जा सके। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये आभार। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा, मंत्री महोदय यहां विराजे हैं।

श्री अध्यक्ष: देना चाहें तो दें, नहीं तो मैं कम्पैल नहीं कर सकता।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दो दिन बाद बजट पेश होना है। कृपया बीकानेर जिले की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग, दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: विराजी हैं। देना चाहें तो देंगी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जवाब दिलवा दो, साहब। दे रही हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, जवाब आ जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो बात यहां पर कही है और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भेदभावपूर्ण तरीके से यह सरकार कार्य कर रही है, तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगी कि वर्ष 2013 में जब आपकी सरकार के जाते-जाते, लास्ट छह महीने रहे थे, उन छह महीनों में इन्होंने लगभग 27 कालेजों की घोषणा की। इन्होंने इनके पूरे कार्यकाल में, कांग्रेस के 2008 से लेकर 2013 के कार्यकाल में 30 कालेजों की घोषणा की, 45 कालेजों की आपने टोटल घोषणा की। आउट आफ 45 कालेजों में से 05 कालेज आपने चालू किये। 42 कालेज ऐसे थे लास्ट 06 महीनों के अन्दर आप लोगों ने घोषणा की, तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों की क्या कार्य प्रणाली रही है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

2003 से 2008 का जो हमारा कार्यकाल था, उसमें हमने 13 कालेजों की घोषणा की और 13 ही कालेज हमने कम्पलीट किये, चालू कर दिये। उसके बाद आपकी सरकार आई। आपकी सरकार के 45 में से 42 ऐसे थे, जो लास्ट 6 महीनों के अन्दर आपने किये। अंतिम छह महीनों के अन्दर आप ही के द्वारा जो घोषित किये गये, उन 32 कालेजों के हम लोगों ने भवन भी बनवाये, हम लोगों ने बजट भी उपलब्ध करवाया और हम लोगों ने ये सारे कालेजेज चालू करवाये।

मैं आपके सामने, माननीय अध्यक्षजी, बताना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार, जो वर्तमान में चल रही है माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में, 27 कालेजेज तो इनके और 28 नये कालेजों की हमने घोषणा की है, कुल मिलाकर 55 कालेज पिछले इन तीन सालों के अन्दर घोषणाएं कीं और चालू हो गये। वे कालेजेज चल रहे हैं।

जहां तक कोलायत की बात इन्होंने कही है, माननीय अध्यक्षजी, आठ कालेज ऐसे हैं, जो समीक्षाधीन हैं। पूर्व में 15 कालेजेज थे, जो समीक्षाधीन थे, उनमें से सात चालू हो गये हैं। जहां तक आठ कालेजेज हैं, वे आठ कालेजेज अभी समीक्षाधीन हैं। इन्होंने कहा कि भेदभावपूर्ण, आपको बता दूं कि जो सात कालेज समीक्षाधीन थे, जिनमें इनके कालेजेज जो हम लोगों ने शुरू किये, ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के ही समीक्षाधीन रखे गये, बी.जे.पी. के भी समीक्षाधीन थे। आपके कालेजेज और बी.जे.पी., ऐसा कहीं नहीं था। आवश्यकता के आधार पर उन कालेजों को शुरू किया गया। आठ जो अभी समीक्षाधीन हैं, उनमें भी आठ में से पांच ऐसे हैं, जहां पर बी.जे.पी. के एम.एल.एज. जीते हैं और तीन कांग्रेस के हैं। उनमें से भी, जो बजट की उपलब्धता होगी और जो बी.एफ.सी. के अन्दर उन आठों कालेजेज ...(व्यवधान)... एक मिनट, सुन लो। पहले आप लोगों की नीयत सुन लो, जैसे काम करने की आपकी प्रणाली है, वह सुन लो। आपने हमेशा भेदभावपूर्ण किया। यह जितने आपने कालेजेज, जो हमने 27 कालेजेज सैंक्शन किये हैं, आपके द्वारा घोषित किये गये, लास्ट 06 महीनों में। उनमें से एक भी ऐसी जगह नहीं है, जहां पर बी.जे.पी. का एम.एल.ए. था और आपने घोषणा की। सारे के सारे कांग्रेस के एम.एल.ए. वहां से जीते थे। सिर्फ उनको खुश करने के लिये आपने लास्ट 06 महीनों में घोषणा की।

लेकिन फिर भी हमने यह नहीं कहा कि हम वे कालेजेज नहीं चलाएंगे। हमने उन 27 कालेजों को अपने ऊपर लिया, भवन हमने बनवाया, उनके अन्दर जो भी सारा स्टाफ चाहिये था, वह दिया और कालेजेज को रन किया। इसके अलावा 28 कालेज नये हमने रन करने के लिये घोषित किये और उनको अभी कर रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सांचौर में बी.जे.पी. का एम.एल.ए. था, कालेज सैंक्शन किया। ...(व्यवधान)... सांचौर में बी.जे.पी. का एम.एल.ए. था, कालेज की घोषणा की पिछली सरकार ने। उस कालेज को आपने निरस्त कर दिया। उसमें क्या कहना है आपका ?

श्री अध्यक्ष: आप भी विराजिये, आप भी विराजिये ।...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अभी बात चल रही है। कोलायत के माननीय सदस्य ने जो बात ...(व्यवधान)... पूरी बात अभी नहीं हुई है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): खाजूवाला में बी.जे.पी. के थे, कोलायत में बी.जे.पी. के थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप भी ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, अगर आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो आप पूरी बात सुन लीजिये।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्षजी, इन्होंने 03 तारीख को, अभी गत 03 तारीख को तारांकित प्रश्न पूछा था, इसी कोलायत के कॉलेज के सन्दर्भ में। इनको पूरा जवाब दिया गया। फिर भी आपने कृपा करके इनको स्थगन के अन्दर बोलने का मौका दिया। जबकि पूरा जवाब इन तक पहुंच गया, इसी 03 तारीख को, इसी बात के ऊपर इन्होंने प्रश्न पूछा। यह जवाब इनको मिल चुका है।

ये आठों कालेजेज हमने बी.एफ.सी. के अन्दर भेजे हैं। जो भी स्वीकृति होगी, उसको हम लोग आपके सामने रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री किशनाराम।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, बैठिये आप। नो-नो। आप बैठिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल बाद तो वैसे ही सरकार चेंज होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री किशनाराम। नहीं, बहुत मुश्किल से इनका आज आया है। ....(व्यवधान)....

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव। ....(व्यवधान)....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 चालू हो गया। मेरा स्थगन प्रस्ताव था। यह 295 पढ़ रहे हैं, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बाकी है। मेरा स्थगन बाकी है, मैं बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: रह गया तो हम इजाजत दे देते हैं न, अब यह पढ़ लेना। ....(व्यवधान)....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इन्होंने 295 पढ़ना शुरू कर दिया, हमारा बाकी है।

श्री अध्यक्ष: किशनारामजी, आप विराजें। श्री सुखराम विश्नोई, प्रारंभ करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यह ऐसे करो साहब, विपक्ष का कौन ध्यान रखेगा अगर आप नहीं रखोगे तो ? मेहरबानी रखो साहब, जब आपने ही व्यवस्था दी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा ?

श्री अध्यक्ष: आपको जरूरत नहीं है बोलने की। मैं व्यवस्था कर रहा हूं, आपकी राय देनी की आवश्यकता नहीं है। बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नाई।

जल प्रदूषण व मोबाइल टावर के रेडिएशन से बढ़ रही कैंसर रोगियों की संख्या

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मेरा स्थगन प्रस्ताव के जरिये वर्तमान की स्थिति में एक ज्वलंत प्रश्न है, मुद्दा है कि आज दिनों दिन कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं जो 2010 में करीबन 10 लाख थे, वह आज 14 लाख हो गये हैं और पूरे हिंदुस्तान का आकलन किया गया है कि 2021 तक 7 करोड़ लोग इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि इस कैंसर के होने के दो-तीन कारण हैं। एक तो तंबाकू है, उसके साथ में यह जो मोबाइल टॉवर लगाये गये हैं और मोबाइल टॉवर से जो इसकी चुंबकीय किरणें निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं, उससे होता है। बड़े-बड़े शहरों और छोटे शहरों में जो गंदा पानी निकलता है। उस गंदे पानी से जो किसान खेती कर सब्जी तैयार करते हैं, वह ही सब्जी बाजार में आ जाती है और लोग खाते हैं, उससे कैंसर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि आज हर जगह, जहां भी मिलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि यह तो स्किन कैंसर हैं, ब्लड कैंसर से मौत हो गयी। इसके मतलब हड्डी का कैंसर था, इसके पेट का कैंसर था, इसका इस तरह का कैंसर था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं सरकार को चेताना चाहता हूं और आश्वासन चाहता हूं कि जैसे जयपुर के अंदर यह ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, पाली में ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, बड़े-बड़े शहरों में गंदे पानी को ट्रीट करने लिए प्लांट लगे हुए हैं, आज की तारीख में पूरे के पूरे प्लांट बंद पड़े हैं। गंदा पानी जा रहा है, सरकार ने

(श्री सुखराम विश्नाई)

व्यवस्था की थी कि जो साफ पानी होगा, उस साफ पानी से किसानों को वितरण किया जाएगा, उसको बारा-बंदी की जाएगी, किसान फसल पैदा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में उद्योग मंत्रीजी विराजमान हैं। जयपुर के अंदर गंदा पानी जा रहा है, चाहे उसको द्रव्यवती नदी कह दो, अमानीशाह का नाला कह दो, यह यहां चारों तरफ जा रहा है। मेरे जोधपुर शहर में जा रहा है, सांचौर में जा रहा है, जहां भी गंदा पानी जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से करोड़ों रुपये खर्च कर दिये परंतु आज की तारीख में पूरे ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम ट्रीटमेंट प्लांट चालू किये जाए।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि जो टावर लगाये जा रहे हैं और हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि बस्ती के अंदर जहां आबादी है वहां टावर नहीं लगाये जाएं और इसमें जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है फरवरी के अंदर नई, उसमें लिखा है कि जहां पर हाई कोर्ट का स्टे नहीं हैं वहां पर हम टावर लगा देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पत्रकारों ने जब उद्योग मंत्रीजी से पूछा तो इनका यह जवाब था कि इन टावरों से काहे का कैंसर होता है ? तो कैंसर नहीं होता है तो इनके घरों के ऊपर टावर लगा दिये जाए ताकि कम से कम कैंसर नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो टावर लगाने की पॉलिसी है, कम से कम 7-8 लाख, यह 4-जी सिस्टम आया है, इससे रेडिएशन ज्यादा बढ़ा है तो 4-जी के अलावा 7 लाख टावर और बने हुए हैं, एक लाख इस 4-जी के लगे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह टावर लगाने की बाकायदा पॉलिसी बनाई जाए और आबादी से इसको हटाया जाए और ट्रीटमेंट प्लांट सभी चालू किये जाए। धन्यवाद। जय हिंद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। आपने ध्यान आकर्षण कर दिया।

श्री किशनाराम। आप रेस्पांड करेंगे ? बैठिए, किशनारामजी।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): कभी बार-त्योहार तो न्यौता आता है, बोलने की आवाज दे रहे हैं और बोलने के लिए आप खड़े हो जाते हो। ....(व्यवधान)....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): फालतू की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ....(व्यवधान)....

(12.24 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, मैं माननीय सदस्य

(श्री कालीचरण सराफ)
को यह बताना चाहूंगा कि जल प्रदूषण के लिए विभाग के द्वारा वार्षिक कार्य-योजना बनाई जाती है। जिला एवं ब्लाक स्तर पर चिकित्सा दल का गठन किया हुआ है। जल जनित रोग जैसे- कोलेरा, सिगेला, हेपेटाइटिस-ए और ई, टाइफाइड की संभावना रहती है लेकिन विभाग द्वारा समय-समय पर पानी का शुद्धिकरण कराया जाता है, जिससे उपरोक्त बीमारियों पर अंकुश लगाया जाता है। विभाग द्वारा हर सप्ताह पानी के नमूने लेकर जांच करवायी जाती है।

जहां तक मोबाइल टावर के रेडिएशन से बीमारी फैलने का संबंध है, इस संबंध में ब्लड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किये गये अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली किरणों एवं कैंसर तथा अन्य बीमारियों के मध्य कोई संबंध नहीं है। इसके लिए 25 हजार से ज्यादा रिसर्च पेपर के अध्ययन से उक्त तथ्य प्रमाणित हुआ है। 2012 में गठित कमेटी में जिसमें एम्स के डाक्टर और आई.सी.एम.आर. तथा आई.आई.टी. वैज्ञानिक सदस्य थे, इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भी मोबाइल टावर से निकलने वाली किरणों एवं कैंसर तथा अन्य बीमारियों के मध्य कोई संबंध नहीं है।

इसके लिए पॉलिसी क्या है? इसके लिए यू.डी.एच. मंत्रीजी बताएंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं बताऊं?

श्री उपाध्यक्ष: एक बार उनका भी आ जाए, फिर आप।

सूचना

ओ. बी. सी. की कतिपय जातियों के प्रमाण-पत्र

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गुर्जरों सहित राजस्थान की पांच जाति जो ओ.बी.सी. में है, उनके सेंटर के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। चूंकि, स्टेट में एस.बी.सी. का नहीं बने वह अलग कोर्ट का विषय है लेकिन सेंटर की लिस्ट में ओ.बी.सी. में ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। यह आप एकदम कहां से विषय ले आए?

श्री मान सिंह (गंगापुर): सर, वह इंटरव्यू चल रहे हैं सेंटर में और प्रमाण पत्र बन नहीं रहे हैं इसलिए मंत्री से यह जानना चाहूंगा। मंत्रीजी, इस मामले में जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय। बिल के समय आप तो पूरा ही दे देना, when you pilot your bill.

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय पूरे सदन के सामने रखा है, जहां तक

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

एस.बी.सी. सर्टिफिकेट का विषय है, सेंटर के लिए अलग प्रावधान है, अलग प्रारूप है उस सर्टिफिकेट का, उसके आधार पर बनते हैं और स्टेट के लिए अलग बनता है। स्टेट में जो एप्लाई करता है एस.बी.सी. के सर्टिफिकेट के लिए करता है और वहां पर ओ.बी.सी. के लिए करता है।

इसमें कहीं, आज सुबह अख़बार में, समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली, मैंने अधिकारियों को सुबह ही निर्देश दे दिये हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अलग उनका प्रारूप है, उस प्रारूप के ऊपर सबके बनें, इसको सुनिश्चित करना चाहिए, यह आज ही सुबह निर्देशित किया है। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: 295- श्री किशनारामजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जल प्रदूषण व मोबाइल टावर के रेडिएशन से बढ़ रही कैंसर रोगियों की संख्या

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मेरा जवाब रह गया न साहब, मोबाइल टावर का जवाब देना है न इनका ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: सॉरी। हां।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मोबाइल टावर लगाने की अनुमति चूंकि, हमारे स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि 31.08.2012 को आपके ही राज में, कांग्रेस के राज में मोबाइल टावर लगाने की पॉलिसी बनाई गयी, उस पॉलिसी की वजह से यह रेडिएशन, जो बात आप अभी कर रहे हैं, आपने मुद्दा उठाया है, हमने तो काफी चेंजेज किए हैं, अभी पॉलिसी बनाकर। आपके समय में जो पॉलिसी आपने बनाई वह केवल सिर्फ संभागीय मुख्यालयों के लिए लागू थी। हमने अभी जितने भी छोटे-छोटे कस्बे हैं, हर कस्बे में हमने इस पॉलिसी को लागू किया है। आपके समय में टावर रेडिएशन संबंधी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। केन्द्र सरकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित टर्म्स सेल से जांच करवाकर ही टावर एक्टिवेट किया जा सकता है। रेडिएशन की सीमा को हमने नियंत्रित किया है। हमने मानिटरिंग की व्यवस्था की है, आपने मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं की।

अभी हमने विद्यालय, खेल मैदान, चिकित्सालय और जेल की पांच सौ मीटर की परिधि के बाहर टावर लगाने के लिए कहा है। हमने यहां तक किया कि जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में और राजस्थान सरकार में राज्य स्तर पर चीफ सैक्रेटरी की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की परमिशन के बिना मोबाइल टावर की परमिशन नहीं दी जाएगी।

अगर आपके राज में वह पॉलिसी नहीं बनती तो आज इतनी स्थिति राजस्थान की नहीं बिगड़ती, यह सब कांग्रेस के राज की देन है। हमने इसमें काफी सुधार किया, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

आप इसका जवाब दे ही नहीं रहे हो कुछ भी। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत श्री किशनाराम।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

डूंगरगढ़ में बेनीसर से दुसारणां व भोजास से दुसारणां सड़क का नवीनीकरण

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम-295 के तहत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की सड़क के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बेनीसर से दुसारणां वाया भोजास एवं भोजास से दुसारणां 9 किलोमीटर की दूरी है। इस रोड की हालत जर्जर अवस्था में है एवं पिछले काफी वर्षों से इस सड़क के नवीनीकरण करने हेतु वहां की जनता की तरफ से बार-बार मांग उठती रही है। इस सड़क के नवीनीकरण से उपनी, नोखा एवं सुजानगढ़ तक के अन्य सड़कों के मिलाने से वहां की जनता को फायदा मिलेगा।

अत: सरकार से मेरी मांग है कि आम जनता की इस पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए बेनीसर से दुसारणां वाया भोजास एवं भोजास से दुसारणां 9 किलोमीटर दूरी की इस सड़क का नवीनीकरण तत्काल प्रभाव से कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

नागौर में नहरी परियोजनाओं के कार्य में अनियमितताएं

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये नागौर जिले में नहरी परियोजनाओं के धीमी तथा लापरवाही से चल रहे कार्यों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, नागौर जिले के गांव व ढाणी में मीठा पानी पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही नहरी परियोजनाओं के कार्य बहुत ही धीमी गति तथा लापरवाहीपूर्वक चल रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार जलग्रहण योजना, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना आदि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के माध्यम से घर-घर तक पानी की उपलब्धता की दिशा में कार्य करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नागौर जिले की खींवसर, जायल व नागौर विधान सभा क्षेत्रों में नहरी परियोजना के अन्तर्गत लगे नाम मात्र के टी.एस.पी. पाइंट से औरतें भी सिर पर मटका ढोकर पानी लाने को मजबूर हैं। इसलिये जब तक नागौर जिले के प्रत्येक गांव और ढाणी में घर-घर तक पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की दिशा में कार्य पूर्ण नहीं हो जाए, तब तक नहरी पानी पहुंच चुके गांवों में दो-दो हाइड्रेन्ट सरकार लगाए ताकि आगामी गर्मी के दिनों में बिना किसी बाधा के टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति हो सके।

इस परियोजना के अन्तर्गत जहां पाइप लाइन पहुंच चुकी है, वहां किसी गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से जल कमेटी बनाकर उपयोग किये जा रहे पानी का भुगतान संबंधित गांव से लेने के दिशा-निर्देश प्रदान किये हुए हैं परन्तु मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत लोग टी.एस.पी. पाइंट कम होने की वजह से पानी का उपयोग ही नहीं कर पाते, इसलिये वो भुगतान नहीं कर पाये और वहां जलापूर्ति बंद कर दी गयी। इसलिये इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज नागौर जिले में नहरी परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्य में भयंकर अनियमितता व लापरवाही बरती जा रही है और बिना अनुमति पाइप लाइन डालने के लिये सड़कें तोड़ दी गयीं तथा जगह-जगह जो खड्डे किये, वो भी वापस नहीं भर पाये। सरकार करोड़ों रुपये इस परियोजना के अन्तर्गत खर्च कर रही है, मगर कार्यकारी कम्पनियां तथा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहरी परियोजना का मूर्त रूप व वास्तविक उद्देश्य साकार नहीं हो रहा है।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि नागौर जिले के अन्तर्गत चल रहे नहरी परियोजना के कार्य को गुणवत्तापूर्वक करवाते हुए प्रत्येक गांव और ढाणी में पाइप लाइन के माध्यम से घर-घर तक पानी पहुंचे तथा मनमर्जी से राजकोष को नुकसान हो रहे नहरी परियोजना के अधिकारियों पर कार्यवाही हो व जब तक घर-घर तक पानी नहीं पहुंचे तब तक प्रत्येक गांव में दो-दो हाइड्रेन्ट सरकार लगाए ताकि सुलभ जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतनलाल जलधारी।

राज्यकर्मियों को परिवीक्षाकाल में सम्मानजनक वेतन

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकारी कर्मचारियों से संबंधित एक अत्यन्त गंभीर

(श्री रतन लाल जलधारी)

विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान में नये नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दो वर्ष तक बहुत ही कम राशि वेतन के रूप में दी जाती है। इस फिक्स वेतन से आज के इस महंगाई के युग में एक परिवार तो क्या, एक व्यक्ति का भी ढंग से गुजारा होना मुश्किल है।

वित्त विभाग की ओर से फिक्स वेतन संबंधी जारी अधिसूचनाओं को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। राज्य सरकार ने हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर रखी हे, जोकि अभी तक विचाराधीन है।

मेरा विनम्र अनुरोध है कि वित्त विभाग के आदेशानुसार आज एक कनिष्ठ लिपिक को मात्र 8,910/- रुपये प्रति माह फिक्स वेतन के तौर पर दिये जा रहे हैं। राजकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी कैसे इस राशि में अपना और अपने परिवार का जीवन-यापन करने में समर्थ हो सकता है, यह समझ से परे है।

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के मार्फत राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि प्रदेश के प्रोबेशन पर कार्यरत राज्य कर्मचारियों को न्यूनतम 20,000/- रुपये प्रति माह वेतन के बतौर दिये जाने के आदेश आज ही जारी करवाकर सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान करें, ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में समर्थ बन सकें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ. किरोड़ी लाल मीणा।

सपोटरा के कालीसिंध बांध के बहाव क्षेत्र में निर्माण कार्यों की जाँच

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): उपाध्यक्ष महोदय, जिला करौली के अन्तर्गत पंचायत समिति सपोटरा द्वारा जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजना कालीसिल बांध के बहाव क्षेत्र में ग्राम पंचायत बाजना क्षेत्र के मॉडल तालाब वर्ष 2015-16 में करीबन एक करोड़ 20 लाख की स्वीकृति बार-बार टुकड़ों में की गयी, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य को कराने के लिये पंचायत समिति कार्यकारी एजेन्सी थी, जो प्रतिवर्ष राज्य सरकार की गाइड लाइन की पालना करते हुए अरबों रुपयों के निर्माण कार्य कराती है लेकिन इस कार्य में राज्य सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कालीसिंध बांध के बहाव क्षेत्र का अस्तित्व ही कार्य कारी संस्था ने खतरे में डाल दिया, जिससे हजारों किसानों की भूमि, जो इस बांध से सिंचित होती थी, वह अब असिंचित हो जाएगी और किसानों को बाँध नहीं रहने पर रोजी-रोटी के लिये पलायन करना पड़ेगा।

कार्यकारी संस्था द्वारा S.B. civil Writ petition no.11153/2011 540

(डॉ. किरोड़ी लाल)

Moto vs state ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र एफ.4 (9) पराविि/पीसी/वर्षा जल संरक्षण/2011-12 दिनांक 30.07.2012, D.B. civil Writ petition no.1536/2003 -Decided on 2-8-2004 ABDUL Rahman मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जयपुर के परिपत्र संख्या टी/एफ-216/एनीकट/पार्ट-4/टी.ए.एस./665 दिनांक 4.6.2007, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3 (किस)ए.एस.आई.खेल/2010/1304-12 दिनांक 22.07.2010 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश क्रमांक एफ-4/विविध/पीसी/परा/11/2142 दिनांक 30.11.2011 व एफ-4/ विविध/पीसी/परा /11/406 दिनांक 23.2.2012 व एफ-4/विविध/पीसी/परा/44/1252 दिनांक 15.06.2012 के आदेशों की अवहेलना करते हुए कालीसिल बाँध के बहाव क्षेत्र में उक्त मॉडल तालाब का निर्माण करा दिया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार ने ऐसे निर्माणों को ध्वस्त करने तथा निर्माण कार्य करने वाली संस्था से व्यय की गयी राशि वसूलते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दे रखे हैं। किसी बांध के भराव क्षेत्र में 2 मीटर उंचाई तक के एनीकट बनाने के लिये जल संसाधन विभाग या राज्य सरकार की एन.ओ.सी. लेनी अतिआवश्यक है जबकि इस कार्य में ना तो विभाग/सरकार से एन.ओ.सी. ली गयी है और 2 मीटर ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई में बांध बना दिया है।

अत: आपसे निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा पारित उक्त आदेशों की अवहेलना करके कार्यकारी संस्था पंचायत समिति सपोटरा द्वारा बनाये गये मॉडल तालाब, जोकि कालीसिल के बहाव क्षेत्र में बनाया गया है, उसकी जांच करवाकर उसे ध्वस्त कराया जावे एवं नियम विरुद्ध कार्य करने वाली संस्था से राशि वसूल कर उसके विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

चौहटन व सेड़वा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उप खण्ड मुख्यालय चौहटन व सेड़वा में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के करीब 70 वर्ष उपरान्त भी विधान सभा चौहटन उच्च शिक्षा की सुविधा से वंचित है, जबकि बाड़मेर जिला मुख्यालय के अतिरिक्त पूरे जिले में सबसे पहले सन् 1959 में चौहटन कस्बे में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौहटन खोला गया था, जहां पर बाड़मेर जिले के सम्पूर्ण

(श्री तरुण राय कागा)
सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिये आते थे, लेकिन उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय स्थापना की दौड़ में यह क्षेत्र अन्य की तुलना में वर्तमान में सबसे पीछे रह गया। हालत यह है कि शिक्षा में हमेशा अग्रणी रहे इस क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उच्च अध्ययन हेतु जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर का रूख करना पड़ता है, जोकि इस क्षेत्र के अधिकांश गांवों से तकरीबन 50 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दो उपखण्ड क्षेत्रों (चौहटन व सेड़वा) एवं तीन पंचायत समिति क्षेत्रों (चौहटन, धनाऊ व सेड़वा) में विभक्त यह सघन व विशाल क्षेत्र राजकीय महाविद्यालय की सुविधा से वंचित है।

उल्लेखनीय बात यह है कि चौहटन की तीनों पंचायत समितियों, चौहटन, धनाऊ व सेड़वा के अतिरिक्त पंचायत समिति रामसर व गड़रारोड़ की समीपस्थ ग्राम पंचायतों के समस्त आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तकरीबन 125 है और उनमें उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी हजारों की संख्या में हैं जिनका सीधा जुड़ाव चौहटन से रहता है। इस क्षेत्र की छात्राओं के लिए भी उच्च अध्ययन हेतु जिला मुख्यालय स्थित कन्या महाविद्यालय ही एकमात्र आधार है, जो कि दूरी व रहने के स्थान की समस्या होने के कारण अभिभावकों को परेशानी एवं चिंता का सबब बनता है। इस तरह प्रति वर्ष सैंकड़ों की संख्या में यहां की छात्राएं कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर उच्च स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाती हैं और ऐसे में महिला सशक्तीकरण का दावा खोखला साबित होता है।

इस सम्बन्ध में चौहटन क्षेत्र की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य सुनिश्चित करवाने हेतु चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय अथवा राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं सेड़वा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के लिए व्यक्तिगत विनम्र आग्रह है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर के पर्यटन क्षेत्रों का विकास

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के आकर्षक पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में अवस्थित माचिया सफारी पार्क से संलग्न क्षेत्र का पर्यटन दृष्टि से विकास करने की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

और आकृष्ट करना चाहती हूं। माचिया सफारी पार्क का लोकार्पण 20 जनवरी, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे जी द्वारा किया गया था। एक वर्ष की छोटी सी अवधि में ही यहां सवा तीन लाख देशी-विदेशी पर्यटक अब तक विजिट कर चुके हैं। परन्तु इतनी विशाल संख्या में आने वाले पर्यटकों के लिए अकेले विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में ही पर्यटन आकर्षण के अनेक केन्द्र होने के बावजूद पर्यटन ठहराव बढ़ाने में सफलता नहीं मिल रही है। मेरा निवेदन है कि :-

1. माचिया सफारी पार्क से संलग्न कायलाना झील के किनारे पर्यटन सुविधाओं यथा रोड़ निर्माण, बैठने के लिए बैंचेज, चिल्ड्रन पार्क का विकास, संलग्न पहाड़ी क्षेत्र में हरीतिमा विकास, रॉप-वे, बोटिंग सुविधा, रेस्तरां, पीने के पानी की सुविधा, म्यूजिकल कलरफुल फाउन्टेन का विकास किया जाए।
2. इसके साथ ही इसे सिद्धनाथ मन्दिर, चौपासनी श्याम मनोहर मन्दिर और उसके सन्निकट स्थित सुन्दर बालाजी पहाड़ी स्थित सनसेट पाइंट को विकसित किया जावे ताकि दिनभर कायलाना-माचिया सफारी पार्क में भ्रमण किया पर्यटक यहां संध्या समय अद्भुत सनसेट का नजारा देख सके और फिर संध्या आरती श्रीश्याम मनोहर प्रभु मन्दिर, चौपासनी में कर सके।
3. इसके बाद पर्यटक के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ स्मारक उद्यान, मसूरिया, जोकि जोधपुर की छत जैसा स्थान है, वहां बने ओपन थियेटर में रात्रि में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट एवं वीर दुर्गादास राठौड़ स्मारक उद्यान समिति के साथ जुड़ कर रोजाना लोक कलाकारों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
4. पर्यटकों के लिए अलसुबह और रात्रि में मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में अवस्थित रानीसर-पदमसर और ब्रहमपुरी क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर स्थानीय संस्कृति से परिचित होने के लिए पर्यटक भ्रमण पट्टिका का निर्माण किया जाए।
5. तुरजी का झालरा का संरक्षण और विकास होने से यहां पर्यटक आने लगे हैं। इस प्रकार के अनेक प्राचीन जलाशय, कुएं, बावड़ियां जोधपुर में हैं, यदि उनका भी इसी तरह से विकास हो तो वहां भी पर्यटक भारी संख्या में आ सकते हैं। अत: जोधपुर के सभी प्राचीन तालाबों, कुओं, बावड़ियों का प्राचीन स्थापत्य संरक्षित कर प्राचीन पनघट पैटर्न को उभारा जाए।
6. जोधपुर के काजरी और आफरी, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, हथकरघा कारीगरों के स्थान, कोमल कोठारीजी के अरना झरना स्थित संग्रहालय के बारे में पर्यटकों को परिचित कराने के लिए आकर्षक रूप से जानकारियां पर्यटन सूचना पुस्तिकाओं में उपलब्ध करायी जाए।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार यदि हम विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के उक्त पर्यटक स्थलों, मेहरानगढ़ दुर्ग, मण्डोर उद्यान सहित समस्त जोधपुर नगर के लिए राउण्ड द क्लॉक पर्यटन भ्रमण गलियारा बना सके तो यहां हम पर्यटक ठहराव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारीलाल जी सिंघल।

अलवर शहर में मुख्य सड़कों का निर्माण

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में आर.यू.आई.डी.पी. व पी.एच.ई.डी. द्वारा डाली गयी व डाली जा रही लाइनों के कारण शहर की लगभग सभी मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण शहर में वाहनों के आवागमन से धूल-मिट्टी के गुबार उड़ते रहते हैं जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वहीं इसकी ओर जिला मुख्यालय की सड़कें खराब होने के कारण शहर में बाहर से आने वाले यात्रियों व आगंतुकों के सामने अलवर शहर की उच्च प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।

श्रीमान् नगर विकास न्यास द्वारा पूर्व में उक्त सड़कों का निर्माण करवाया गया था किन्तु वर्तमान में नगर विकास न्यास, अलवर के जिम्मेदार अधिकारियों के वित्तीय प्रबन्धन में विफल रहने के कारण उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। श्रीमान् कारण पूछे जाने पर न्यास द्वारा बताया गया है कि उक्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व की हैं, पूर्व में न्यास की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण उक्त सड़कों का निर्माण करवा दिया गया था किन्तु वर्तमान में वित्तीय प्रबन्धन विफल होने के कारण सड़कों का पुन: निर्माण न्यास, अलवर द्वारा नहीं करवाया जा रहा है।

श्रीमान् निवेदन है कि जिला मुख्यालय, जो कि राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में भी है, की सभी मुख्य सड़कों का निर्माण अविलम्ब सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा करवाये जाने की आवश्यकता है जिससे आम जन का यातायात सुगम हो सके, शहर की प्रतिष्ठा खराब होने से बचायी जा सके व आम जन के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटू सिंह जी।

जैसलमेर में डी.एन.पी. क्षेत्र में प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में डी.एन.पी. विभाग द्वारा जन मानस को प्रताड़ित करने से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय, जैसलमेर जिले का लगभग 6 प्रतिशत भू-भाग आज भी मूलभूत सुविधाओं से नकेवल वंचित है बल्कि विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र का जन मानस तरह-तरह से प्रताड़ित भी है। वैसे तो इस विभाग की नींव ही गलत रूप से एवं नियमों को ताक में रख कर स्थापित की गयी थी तथा इस क्षेत्र की भोली-भाली जनता को कई वर्षों तक तो कानोंकान खबर भी नहीं दी गयी थी। धीरे-धीरे जनता जैसे-जैसे तथ्यों से परिचित होती गयी वैसे ही जन मानस प्रताड़ना का शिकार होता गया।

प्रभावित क्षेत्र के गांवों में सड़कें बनने नहीं दी जा रही, पानी की लाइन बिछने नहीं दी जा रही, बिजली से वंचित रखा जा रहा है, मोबाइल नेटवर्क से काट कर रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति है कि अन्यत्र क्षेत्र के लोग उन गांवों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहते हैं।

विगत दो वर्षों से कार्यरत एक अधिकारी ने अंग्रेजों जैसी दमनकारी नीति बना रखी है एवं प्रशासन उसका भरपूर सहयोग कर रहा है अथवा अन्जान बना हुआ है। उक्त अधिकारी दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ नियमों का हवाला देते हुए पशुओं एवं पशुपालकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है तथा डी.एन.पी. सीमा के अन्दर जिन किसानों की खातेदारी भूमि आयी हुई है उन्हें अपनी खेती से वंचित रखने का घोर पाप कर रहा है। आवाज उठाने वाले को डी.एन.पी. के सख्त नियमों का हवाला देते हुए अन्दर करने की धमकी देकर धमकाया जाता है। दूसरी तरफ अपने मातहत अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिल कर पैसा बनाने का खेल रचाया जा रहा है।

राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासनिक लॉबी का उसे संरक्षण प्राप्त है। जो कार्य डी.एन.पी. के क्षेत्राधिकार में नहीं है उन कार्यों को बिना स्वीकृति के विभाग स्वयं के स्तर पर करवाया जाकर पैसे का खेल खेला जा रहा है। अनपढ़ लोगों की अध्यक्षता में ग्राम स्तर पर कमेटियां गठित की गयी हैं जिनकी हस्ताक्षरयुक्त चैक बुकें अधिकारियों के पास रहती है। कागजों में डी.एन.पी. क्षेत्र में इन कमेटियों के माध्यम से कार्य दिखाया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से कोई सीधा संवाद नहीं है। पत्रों के उत्तर प्राप्त नहीं होते, विधान सभा प्रश्न लम्बित पड़े रहते हैं, कुछ के गलत उत्तर दिये जा रहे हैं।

डी.एन.पी. का सुदासरी क्षेत्र गोडावण संरक्षित क्षेत्र है परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा बाहर से अधिकारियों को लाकर सुदासरी क्षेत्र को मनोरंजन क्षेत्र बना दिया गया है।

(श्री छोटू सिंह)

उच्चाधिकारियों के प्रोग्राम बेहद ही गोपनीय रूप से अंजाम दिये जा रहे हैं। उनके जाने के पश्चात् स्थानीय लोगों व समाचार माध्यमों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे संवेदनहीन अधिकारी नकेवल जन मानस को पीड़ित व परेशान कर रहे हैं बल्कि राज्य सरकार को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं, जो कि बेहद ही शोचनीय विषय है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डी.एन.पी. क्षेत्र में प्रभावित गांवों की मूलभूत सुविधाओं के निदान हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर उसकी तय समय में रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर कार्यवाही की जावे तथा स्थानीय निवासियों एवं पशुपालकों को दी जा रही प्रताड़ना को रोका जावे तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाई जावे। धन्यवाद।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर में है, इसमें इसकी बहुत अहम भूमिका है। पूरे वर्ल्ड में गोडावण, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, इनकी कुल संख्या 100 है और यह संख्या घटती ही जा रही है। फीमेल गोडावण साल में एक बार ही अंडा देती है। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक होता है। यह आबादी क्षेत्र से दूर रहती है और इसको डिस्टर्ब करने से आगे वृद्धि नहीं होती है।

अभी मैंने 25 फरवरी को दौरा किया। जब से मैंने वन एवं पर्यावरण विभाग सँभाला है, तबसे करीबन 10 हमारे जो पार्क हैं, कवर कर लिए हैं, ताकि वास्तविक जो जानकारी है, वह मुझे हो जाए। यह जो कमिटमेंट है हमारे प्रदेशवासियों का और हमारे अधिकारियों का, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। माननीय विधायक महोदय से मैं सहमत हूं कि ऐसी परियोजना के अंदर, आसपास के जो गांव हैं, उनको जब फंड आता है केन्द्र सरकार से और राज्य सरकार से, उनको भी कुछ आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो इस बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट में हम सफल हो पाएंगे। अभी गांव की डिस्टर्बेंस की वजह से अधिकांश जो गोड़ावण हैं, वह सब आर्मी का जो फायरिंग रेंज है, उसमें जाकर के संरक्षण ले रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम अलग से एक कमेटी बनाएंगे, जिसके आप भी सदस्य रहेंगे, हमारे अन्य जन प्रतिनिधि भी सदस्य रहेंगे। हम ऐसा काम करेंगे जिसके अंदर हमारे अधिकारी, उनका भी अपना कमिटमेंट है कि इनकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए और आसपास के गांव वाले कैसे लाभान्वित हों। हम सब मिलकर, मैं आश्वासन देना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि हम एक वर्किंग कमेटी अलग से बनाकर के यह जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है, इसको कामयाब बनाएंगे और वहां पर जनता को भी लाभ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल।

गौ-वंश की सुरक्षा एवं उनका संवर्धन

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम, 1986 के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो से मान्यता प्राप्त 6 देशी नस्लों की गायें साहीवाल, राठी, गिर, थारपारकर, कांकरेज एवं मालवी देश-विदेश में नाम कमा रही हैं। प्रदेश की पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन योजना में नीतिगत रूप से माना गया है कि गौ वंश की देशी नस्लें परिस्थिति की कसौटी पर खरी, कम मेहनत व कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन देने वाली हैं। इनका दूध संकर एवं विदेशी नस्लों की गायों की तुलना में ज्यादा अच्छा है। देशी गौ वंश का दूध ए-2 किस्म का है, जिसमें हानिकारक तत्व बीटा केसो मार्फिन-1 नहीं होता है।

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विधि, बीकानेर में विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों ने इन नस्लों से संबंधित परिणाम अगले 10-15 वर्षों के लिए अनुमानित किये हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इनके हिमकृत वीर्य से देशी नस्ल संवर्धन का काम शुरू किया है। देशी नस्लें हर दृष्टि से खरी उतरती हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इनके संरक्षण के प्रयास किये जाने चाहिंए एंव देशी नस्लों का कृत्रिम गर्भाधान किया जाना चाहिए। देशी गायों की नस्लों की उत्तम संवर्धन हेतु गौ शालाओं एवं गौ संघों के माध्यम से इनका संरक्षण किया जाना चाहिए।

राजस्थान दूध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश की सकल अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान 10.21 प्रतिशत है।

राजस्थान में उपरोक्त 6 नस्लों की जो गायें पाई जाती हैं, उनके विभिन्न क्षेत्र हैं। साहीवाल- यह राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अलावा पंजाब में इस नस्ल की गायें हैं। इनसे 25 लीटर दूध रोज लिया जा सकता है। राठी- मरुस्थलीय क्षेत्र की विरासत के रूप में इसे देखा जाता है। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में यह नस्ल बहुत पाई जाती है। यह भी प्रतिदिन 25 लीटर दूध देती है। गिर-गुजरात से लगते इलाके में इस नस्ल की गाय पाई जाती है। इसकी मांग ब्राजील, अमेरिका, मैक्सिको एवं वेनेजुएला में है। इसका शोध केन्द्र उदयपुर में स्थित है। यह 2952 लीटर प्रति ब्यात देती है। थारपारकर- रेगिस्तानी परिस्थितियों से समान अनुकूलन बनाने वाली इस नस्ल की गायें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में मिलती हैं। यह गाय प्रति ब्यात 1800 से 2600 किलो दूध देती हैं। कांकरेज- गुजरात की यह नस्ल बाड़मेर एवं जोधपुर में पाई जाती है। गुरूमंछ गौशाला सिवाना तथा गुलाब गौशाला डण्डाली, सिणधरी में इस नस्ल की गाय बहुत पाई जाती है। इनसे प्रति ब्यात 1738 किलो दूध का उत्पादन होता है। एक

(श्री हमीरसिंह भायल)

गाय 16.2 किलो प्रति दिन दूध देती है। इनका अनुसंधान केन्द्र कोडमदेशर में है। मालवी- मध्यप्रदेश से सटे इलाके में इस नस्ल की गाय मिलती है। इस नस्ल का अनुसंधान केन्द्र झालावाड़ में है। यह प्रति ब्यात 915 किलो दूध देती ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से निवेदन रहेगा कि गौ वंश का संरक्षण एवं उचित प्रबंधन तथा संवर्धन करने हेतु गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने हेतु प्रस्ताव लेने के लिए केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर गौ वंश की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है। गौ वंश के प्रति गांवों में स्थिति बड़ी विकट है। चारे पानी का उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण प्रत्येक गांव में सैकड़ों के समूह में यह विचरण करती हैं। जिससे किसानों की खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाती हैं तथा यह स्वयं भी अकाल मौत की शिकार हो जाती हैं। इसी क्रम में निवेदन रहेगा कि गौ वंश की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु प्रबंधन किये जाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती गीता वर्मा।

मोरोली से धोण (दौसा) पपलाज माता की कच्ची सड़क का निर्माण

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के ध्यानाकर्षित करने के पहले मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक की जो 2 महत्वपूर्ण सड़कें दी हैं और उसका जो निर्माण कराया है, मैं वहां की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: 295 में जो आपने लिखकर भेजा है, वही पढ़ें। आपको धन्यवाद देना है, आप उनके चैम्बर में पधारकर दे देना।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): ठीक है, सर।

श्री उपाध्यक्ष: 295 पढ़ें।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि दौसा क्षेत्र का सबसे बड़ा आस्था का केन्द्र पपलाज माता का स्थान, जो यहां व आसपास के लोगों का बहुत बड़ा आस्था का केन्द्र है। यहां प्रतिवर्ष बैसाख व भाद्रपद माह में विशाल मेले का आयोजन होता है। जिसमें हजारों श्रद्धालु पद यात्रा एवं कनक दंडवत करते हुए आते हैं और रास्ते में आई सभी परेशानियों को झेलते हुए अपने लक्ष्य, मंदिर तक पहुंचते हैं। माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय व बांदीकुई, महवा, टोड़ाभीम के लोगों की भी इस स्थान में बहुत आस्था है। जो कि प्रतिवर्ष यहां दर्शन करने आते हैं।

(श्रीमती गीता वर्मा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव मोरोली से धोण होते हुए पपलाज माता के स्थान को एक रास्ता है। यह अन्य रास्तों की अपेक्षा लगभग 12 से 15 किलोमीटर छोटा है। लेकिन वह रास्ता कच्चा होने के कारण वहां से पद यात्रियों व कनक दंडवत करने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो वह रास्ता उबड़-खाबड़ है, दूसरा रास्ते में पत्थरों के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कनक दंडवत करने वाले श्रद्धालुओं के रास्ता सही नहीं होने के कारण पत्थरों की वजह से छाले हो जाते हैं, जिससे उन्हें रास्ता पूरा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

(13:00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोरोली से पपलाज माता के स्थान की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। जिसमें मोरोली से सर गांव की दूरी 6 किलोमीटर है जो कि एक नोन पेचेबल सड़क है, उसका भी नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है। सर से धोण सड़क की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है जो कि एक मिसिंग लिंक सड़क है, इसका निर्माण करवाना भी महत्वपूर्ण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सड़कों का निर्माण करवाने से यह रोड पपलाज माता व ब्याई माता धार्मिक स्थान को जोड़ती हुई पीपली पातलवास, कालीवाड़ा, डोब, पपलाज माता, सर धोण, कोचर, मोरोली आदि गांवों के निवासियों एवं प्रति वर्ष आने वाले हजारों श्रद्धालु पद यात्री कनक दण्डवत करने आने वाले यात्रियों को सुविधा हो सकेगी एवं यहां के निवासियों का जिला मुख्यालय से सीधा सम्पर्क हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

अराई (अजमेर) में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख कस्बे अराई के आसपास 50 से 60 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज सम्पदा का अथाह भंडार है, जिनमें दादिया, गोठियाना, झिरोता, कासीर, मनोहरपुरा, आकोड़िया, बोराडा, डबरेला, सरवर, गुर्जरवाड़ा, देवरिया आदि स्थानों पर फेल्सपार क्वार्ट्ज का खनन गत 15-20 वर्षों से किया जा रहा है। वहीं ढसूक एवं आसपास के गांवों में ग्रेनाइट का खनन भी हो रहा है और उन्हीं खनन क्षेत्रों के पास ही मार्बल कटर एवं छोटे गेंगसा लगाए जाकर माल की प्रोसेसिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में आसपास के उद्यमियों द्वारा वहां

(श्री भागीरथ चौधरी)

स्थित निजी खातेदारी की जमीन को औद्योगिक कार्य हेतु परिवर्तित करा कर मार्बल गैंगसा एवं पाउडर प्लांट तथा छोटे-छोटे कटर लगाए जा रहे हैं जिससे भविष्य में निश्चित ही इन गांवों के सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के अराई परिक्षेत्र में स्थित उक्त खनन एवं इससे सम्बन्धित उद्योगों की व्यापक उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए अराई कस्बे में रीको द्वारा एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र की कार्य योजना बनाकर मार्बल एवं ग्रेनाइट इकाइयों एवं पाउडर प्लांट के सुनियोजित एवं आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराने की कृपा करावें ताकि इस क्षेत्र में ग्रामीणों को रोजगार सुलभ हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञात रहे कि इस हेतु ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हलका कटसूरा तहसील अराई स्थित सिवाय चक कुल रकबा 135.13 बीघा का प्रस्ताव औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु रीको मुख्यालय को भिजवाया गया है जिसका परीक्षणोपरांत जिला कलेक्टर, अजमेर में उक्त वर्णित राजकीय भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रीको लिमिटेड के पक्ष में आरक्षित करने हेतु पत्रावली स्वीकृति हेतु विचाराधीन है एवं इसी संदर्भ में गत विधान सभा चुनाव 2013 से पूर्व आयोज्य सुराज संकल्प यात्रा के दौरान उक्त अराई कस्बे में आयोजित चुनावी सभा दिनांक 23.11.2013 को माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने सार्वजनिक मंच से पंचायत समिति, अराई क्षेत्र में रोजगार एवं औद्योगिक विकास के लिए रीको की ओर से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की घोषणा भी की थी, जिस पर समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रीको की चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक विभागीय कार्य योजना में विभागीय उच्चाधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर अराई (अजमेर) में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की सक्षम स्वीकृति जारी कराएं।

पीलीबंगा की 4 सीवाईएम ग्राम पंचायत में पेयजल संकट

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 4 सीवाईएम, तहसील, रावतसर में वाटर वर्क्स की डिग्गी का निर्माण

(श्रीमती द्रोपती)

किया गया था परंतु आज तक डिग्गी में पेयजल नहीं डाला गया है। वर्तमान में डिग्गी की हालत खस्ता है, वह जगह-जगह से टूट चुकी है। ग्रामवासियों द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने डिग्गी में लगाई गयी घटिया सामग्री की जांच नहीं करवाकर बजट जारी कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत 4 सीवाईएम की आबादी अधिक है, गांव में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर समस्या का समाधान करने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय।

पर्ची के माध्यम से उठाए गए मुद्दे

भिवाड़ी, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों से प्रदूषित पानी का निकास

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिला एनसीआर में आता है। भिवाड़ी, खुशखेड़ा और चौपानकी, ये तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित पानी, रीको द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट से साबी नदी में डालने के लिए पाइप डाली गयी और प्रदूषित पानी जब साबी नदी में आया तो तिजारा विधान सभा क्षेत्र और मेरे विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़बास के बूढ़ीबावल, मेसरा, खुशखेड़ा, धामावास, राबड़का, करीरीवास, लालपुर, आकोली, हाजनाका, देवसीका, जाटूबास, बीरनबास, मकडावा, मतलवास, सिलपटा, आनाका, नरवास और खानड़का, कतोकपुर, जमालपुर, मीरपुर, मोधोपुर, भोकर, भिलाड़ी, हाजीपुर, रामपुर, कोट कासिम, जोड़िया, चावंडी, इस तरह तीन दर्जन गांव उस प्रदूषित पानी से परेशान हैं। उसका कारण था कि साबी नदी जो नैचुरल बारिश के दिनों में बहने वाली नदी थी, वह हरियाणा में जाती थी। हरियाणा प्रशासन और हरियाणा के गांव वालों ने मिलकर सावी नदी जो हरियाणा में एंट्रेंस था वहां पर एक बड़ा बांध दिया गया। यह विषय 2013 के अंदर जब मैंने प्रश्न के माध्यम से तत्कालीन सरकार के सामने विधान सभा में इसको रखा और तत्कालीन उद्योग मंत्री राजेन्द्र पारीक जी ने अपने जवाब में बताया कि यहां पर 6 एमएलडी पानी को ठीक करने के लिए सीटीपी प्लांट है, हम इसकी क्षमता और बढ़ाएंगे और इसको ठीक करके पानी को साबी में डालेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने भी उस समय सदन में यह माना था 2013 के अंदर कि हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि सीटीपी संशोधित पानी के निस्तारण के लिए जो रीको द्वारा भिवाड़ी के

(श्री रामहेत सिंह यादव)

ग्राम बूढ़ी बावल, करीरी वास से होते हुए ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम के समीप इसी साबी नदी तक पाइप लाइन डाली गयी, उक्त पाइप लाइन डालने का निर्णय रीको के पर्यावरणविद्, तकनीकी विद्वता से संबंधित कार्यालय के अधिकारियों द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर किया गया। जवाब में यह भी बताया, जी हां, परियोजना के साबी नदी में अंतिम बिन्दु के बाद नदी के बहाव क्षेत्र को हरियाणा सीमा के ग्रामवासियों द्वारा मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। वर्तमान में इस योजना का संशोधित पानी साबी में नहीं जा रहा है। उसमें स्वयं भी माना और इस पर सदन में काफी चर्चा हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी पर्यावरण को लेकर उस समय तत्कालीन राज्य सरकार से इसी विषय पर, इसी बिन्दु पर चर्चा की। आपने भी, आग्रह किया था कि सरकार ऐसी योजना बनाए। उस समय के सदन के नेता और कांग्रेस के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी स्वयं ने मेरे जवाब में स्वीकार किया जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने सदन में यह अवगत कराया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, हालांकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जो पानी निकलता है वह खेतों को खराब करता है, गायों के खुर खराब हो जाते हैं, कुंओं का पानी खराब कर दिया गया है, चाहे पाली हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे टपूकड़ा हो, उसके बाद कहा कि मैं एक एक्सपर्ट कमेटी बनाऊंगा, यह 8 मार्च, 2013 की बात है, एक्सपर्ट कमेटी बनाऊंगा, उसके बाद इसकी लंबी, वृहत् योजना बनाकर प्रदूषित पानी से गांवों को परेशानी नहीं हो, इसको ठीक करेंगे। मैं कहना चाहता हूं 2008 की बात है,

यह 8 मार्च, 2013 को सदन में सदन के नेता का कथन है। आज चार साल कम्प्लीट होने को है। भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण ट्रस्ट उसका संचालन करता है। उन्होंने सरकार राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड से निवेदन किया कि यह 6 एमएलडी है इसको 9 एमएलडी किया जाए। जबकि सदन में ही उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री ने कहा था कि मैंने इसको 15 एमएलडी मंजूरी दे दी है। आज 9 एमएलडी की परमिशन तो दे दी है, लेकिन आपरेशन की परमिशन आज तक नहीं हुई है। आज फिर वही स्थिति जो 2013 के अंदर थी, माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से प्रशासन व उद्योग विभाग से जुड़े हुए लोग, उद्योगपति मिलकर इस गंदे पानी को वापस साबी नदी में डालना चाहते हैं। हमारे साथ दोहरा व्यवहार है। जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, ये स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते। एक भी स्थानीय नौजवान को रोजगार नहीं

(श्री रामहेत सिंह यादव)

देते। उसके कारण से लोगों में आक्रोश है और हमारे यहां गंदा पानी डालेंगे। इस पानी को साबी में डालना है तो पाइप डाले और हरियाणा सरकार से पहले बात करे। राजस्थान से पाइप के माध्यम से साबी नदी के अंदर पाइप डालकर हरियाणा सरकार से बात करके जो उसका नैचुरल बहाव है उसको हरियाणा में जाने दें।

यही नहीं, जो गंदा पानी है, जब आप कह रहे हो वह खेती के पास आ सकता है, शुद्ध पानी है, उद्योगों में भी तो पेड़-पौधे लगते हैं, गार्डन बना हुआ है। क्या इसको रीसाइक्लिंग करके उद्योगों को सप्लाई करें या दिल्ली में जिस तरह से मल्टीस्टोरी फ्लैट बनते हैं, वहां दिल्ली की सरकार ने कानून बना रखा है कि उद्योगों से निकलने वाले पानी को ट्रीटेड करेंगे और कंस्ट्रक्शन के लिए, मल्टीस्टोरी फ्लैट्स बनते हैं, बिल्डर्स को वह पानी दिया जाता है। यह व्यवस्था करें। भिवाड़ी में 20-20 मंजिले मकान हैं, लाखों मकान बने हुए हैं, उनमें भी पानी की आवश्यकता है। जब आप कहते हो वह शुद्ध पानी है, खेती के काम आ सकता है, निर्माण के काम आ सकता है तो भिवाड़ी में लीजिए। अगर यह नहीं है तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट से सारे का बांध, जो लगभग 36 साल से सूखा पड़ा हुआ है, सारे कलां का बहुत बड़ा बांध है और नैचुरल बहाव भी उधर ही है, पश्चिम से उत्तर की तरफ वहां पानी जाता है, जितनी भी नदिया हैं। ये नैचुरल बहाव के विपरीत हमारे यहां डालना चाहते हैं। जनता में भयंकर आक्रोश है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय सदन में घोषणा करे, वहां एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाकर सारे पक्षों को, जनता का पक्ष सुने, उद्योगपति का पक्ष सुने, उसका क्या समाधान हो सकता है, लम्बे समय के लिए विचार करे और तब तक उस पानी को साबी नदी में नहीं डाला जाए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सदन में एक उच्च स्तरीय विधायकगण की कमेटी बने, जो देखे, सब पक्षों को सुने, अधिकारियों ही नहीं, उद्योगपतियों ही नहीं, आमजन की बात सुनकर सरकार को कांक्रीट दो या तीन महीने में रिपोर्ट दे, उसके आधार पर सरकार निर्णय ले, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): आप इंडस्ट्रीज का लेना चाहेंगे या पोल्यूशन वालों का लेना चाहेंगे?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): दोनों से। उद्योग और पर्यावरण दोनों का है। आप दोनों ही जवाब दें, मेहरबानी करें और उस कमेटी में आप दोनों भी चलें तो भी जनता के हित में, जिले के हित में रहेगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण

(श्री गजेन्द्रसिंह)
के बारे में आपने जो इश्यूज रेज किये हैं उनके बारे में मैं बेसिकली पर्यावरण व उद्योग दोनों ही इश्यूज हैं और मैं मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ आपके इश्यूज हैं तो आप भी इनको अवगत करा दें।

उपाध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी हमारे राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। पर्यावरण से रिलेटेड जो गंदा पानी जा रहा है पोल्यूटेड कैमिकल्स के साथ, यह भी एक बहुत गंभीर इश्यू है। अभी भिवाड़ी के अंदर 6 एमएलडी का सीईटीपी प्लांट था, उसको क्रमोन्नत करके 9 एमएलडी बनाया गया। फेज वन से लेकर फेज फाइव तक इस पानी को ओपन ड्रेन से सीईटीपी प्लांट ले जाया रहा है। 50 प्रतिशत पानी है यह उद्योगों से आता है और 50 प्रतिशत म्युनिसिपैलिटी का है। यह खाली उद्योग का पानी नहीं है, 50-50 है। 9 एमएलडी का सीईटीपी प्लांट है यह वहां पर इण्डस्ट्रीज का ट्रस्ट है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वह इस ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। 2012 में पाइप लाइन रीको ने स्थापित की जो साबी नदी के अंदर इस पानी को लेकर छोड़ने का प्रयास था। वहां किसानों ने पाइप लाइन को ब्लॉक कर दिया। उनकी भी मांग उचित थी क्योंकि जो पानी जा रहा था वह एज पर नोर्म्स नहीं था, उसमें प्रदूषण ज्यादा था, उससे आपका ग्राउण्ड वाटर इफैक्ट हो रहा था और किसानों की क्रॉप का नुकसान होने की पूरी आशंका थी। इसलिए किसानों ने उस पाइप लाइन को ब्लॉक कर दिया। आज भी वह पाइप लाइन ऑपरेटिव नहीं है। अभी पानी नैचुरल रूट ले रहा है क्योंकि पाइप लाइन को ब्लॉक कर दिया गया है। खुशखेड़ा होते हुए राबड़का जा रहा है, हमारा जो आखिरी गांव है और उसके पश्चात् नंदरामपुरबास, हरियाणा के अंदर वह प्रवेश करता है। हरियाणा ने ओए दर्ज करके एनजीटी को अपील की है कि हमारे क्षेत्र को राजस्थान से बहुत भारी गंभीर नुकसान हो रहा है। हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 8.2.2017 को जो भिवाड़ी का ट्रस्ट है उसको एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि आप एज पर नोर्म्स पानी सीईटीपी से निकाल रहे हो वह ज्यादा प्रदूषित है और एक्सेप्टेबल नहीं है It is not within the norms. उसके बाद ट्रस्ट ने डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करके डिफ्यूज एरिएशन प्लांट का ऑर्डर किया गया। हमें आशा है कि वह प्लांट एक महीने में आकर वहां स्थापित हो जाएगा। ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। इसके अलावा जो ओपन ड्रेन्स हैं, पानी जो वन टू फाइव फेज का जाता है उसके अंदर अब पाइप लाइन लगायी जाएगी क्योंकि बरसात का जब पानी आता था तो ओपन ड्रेन से वह स्पिल ओवर होकर खेतों के अंदर नुकसान पहुंचाता था। लॉंग टर्म मेजर है, हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को एक पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि 53 करोड़ रुपये की हमें सैंक्शन दे जिसके अंदर जैडएलडी का प्लांट लगाया जाए, जीरो

(श्री गजेन्द्रसिंह)

लिक्विड डिस्चार्ज। हम अभी केन्द्र सरकार से वेट कर रहे हैं कि वह हमें सैंक्शन दें। माननीय उद्योग मंत्री जी और मैं दोनों जाकर प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी किया जाए। जैसे कि टैक्सटाइल मिल्स के अंदर सांगानेर और ये सब बंद हो गयी थी, जसौल, बालोतरा, पाली को एनजीटी ने नोटिसेज भेज दिये थे। केन्द्र सरकार ने हमें चार बहुत बड़े सीईटीपी प्लांट दिये। हमें आशा है कि केन्द्र सरकार हमें 53 करोड़ रुपये दे दे तो 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का, 25 प्रतिशत राजस्थान सरकार का और 25 प्रतिशत ट्रस्ट दे ताकि लॉंग टर्म प्लान करके इस समस्या को दूर करेंगे।

माननीय सदस्य को मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अभी ट्रस्ट जो खर्चा करेगा, अभी पैसे लगाकर डिफ्यूज एरिएशन करेगा, हमें आशा है कि यह पानी किसानों के काम आने लायक होगा। कम से कम फसलें न उगे तो बाग़-बगीचे वगैरह के लिए वह पानी होगा। हम सब मिलकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रीको, माननीय मंत्रीजी, और आपकी एक कमेटी बनाकर, क्योंकि यह गंभीर विषय है और इसको हमें फास्ट फारवर्ड करना है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस सरकार को जो भी अपील की थी, किसी ने सुना नहीं, हम आपके साथ हैं इस गंभीर विषय को हम जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नानालाल अहारी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): बड़ा कांप्रेहेंसिव आंसर दे दिया है। मैं सोचता हूं माननीय सदस्य महोदय (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): तब तक पानी नहीं आएगा साबी में, यह एश्योरेंस आप दे सकते हैं। (व्यवधान) जब तक यह कमेटी बने, दिल्ली से पैसा आये, वह ट्रीटमेंट प्लांट ठीक हो तब तक मेरे क्षेत्र में साबी में पानी नहीं डालोगे ना? यह एश्योरेंस तो आप सदन के माध्यम से दे ही सकते हो। मैं फिर कहता हूं जनहित में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह तो अंडरस्टूड है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, को किसी भी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते टाइम पोल्यूशन डिपार्टमेंट उसको एनओसी देता है। उसके आधार पर या तो उस इण्डिस्ट्रि को अपने परिसर के अंदर प्लांट लगाना होता है या इण्डिस्ट्रियल एरिया के अंदर Common effluent treatment plant लगाना होता है।

दरअसल इसमें रीको का रोल कम होना चाहिए लेकिन इसके बावजूद 2012 के अन्दर 22 किलोमीटर की जो पाइप डाली है वो रीको ने अपने पैसे से डाली है और

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय मंत्री आप जानते हैं। अब चूंकि गांव वालों का यह कहना है कि जो पानी ट्रीटेड है वह अप-टू-द-मार्क ट्रीटेड नहीं है, उसके अन्दर बीओडी की संख्या ज्यादा है, सीओडी की संख्या ज्यादा है, मैटेलिक ज्यादा है और उसको अब इर्रिगेशन के लायक किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि ट्रस्ट ने अभी डिफ्यूज एरेटेड सिस्टम का आर्डर प्लेस कर दिया है और उसके बाद मैं समझता हूं कि यह पानी इर्रिगेशन के लायक हो जाएगा।

जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तीन तरह का पानी है। स्ट्रांग वाटर है, सीवरेज का पानी है और इण्डस्ट्रियल पानी है। जहां तक सीवरेज के पानी का ताल्लुकात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछली बार भी विधान सभा में दो साल पहले आया था और यूडीएच मंत्री की हैसियत से मैंने कहा कि यह सीवरेज का पानी आ रहा है उस सीवरेज के पानी के ट्रीटमेंट की हम अलग व्यवस्था करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लोकल बॉडीज के माध्यम से एसटीपी प्लांट बनने के काम का आर्डर जारी हो गया है जिससे सीवरेज के पानी की अलग से व्यवस्था हो जाएगी। डिफ्यूज एरेटेड सिस्टम लगने के बाद में पानी इर्रिगेशन के लायक हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक नवम्बर में हुई थी और उसमें कहा गया था कि भिवाड़ी जल प्रबन्धन निवारण ट्रस्ट, इसकी एक डीपीआर तैयार करेगा छह महीने में। अगले एक-दो महीने में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और जिस पाइप लाइन की जरूरत है तो हमारी रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है लेकिन उसके बावजूद उस पाइप लाइन का खर्चा रीको वहन कर लेगा। उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर जैसे माननीय मंत्री महोदय चर्चा कर रहे थे कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का एक प्लान है उस प्लान के आधार पर मेरे ख्याल से प्रस्ताव भेजा गया है। उस प्रस्ताव के अन्दर 25 परसेंट का कांट्रीब्यूशन हम देने के लिए तैयार हैं, जमीन देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का 50 परसेंट का कांट्रीब्यूशन है, 25 परसेंट का कांट्रीब्यूशन ट्रस्ट की तरफ से होगा जिन्हें एक एसपीए, बनाना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जल्दी ही एसपीए बन जाएगा और एसपीए बनने के बाद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए राजस्थान सरकार का 25 परसेंट का जो कांट्रीब्यूशन है वो कांट्रीब्यूशन देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। मीनव्हाइल यह जो डिफ्यूज एरेटेड सिस्टम लग जाने के बाद पानी इर्रिगेशन के काम आ सकता है। इसके अलावा एक एमएलडी हम इण्डस्ट्रियल सैक्टर को री-यूज करने के लिए कह रहे हैं, री-साइकल पानी को और इण्डस्ट्रियल यूनिट्स इस्तेमाल करने को तैयार हैं। उसके लिए पाइप लाइन की जरूरत है और उस पाइप लाइन के निर्माण के लिए भी हमारा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)
कांट्रीब्यूशन देने के लिए हम तैयार हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुरानी समस्या है और इस पुरानी समस्या का निदान माननीय सदस्य की राय लेकर, वहां की जनता की राय लेकर, माननीय मंत्री महोदय के साथ बैठकर हम इसका लांग टर्म सोल्यूशन निश्चित तौर पर क्रियेट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नानालाल अहारी।

खैरवाड़ा की सड़कों की जर्जर स्थिति

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पिछले कई वर्षो से सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टूटी-फूटी हो गई हैं और यातायात के लिए बहुत बड़ा अभाव है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी तरफ थोड़ा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा - सम्पर्क सड़क पोगराकलां से 2.80 किलोमीटर, सम्पर्क सड़क कातरवा से काटरी 7 किलोमीटर, सम्पर्क सड़क डेयरी से गुवावाड़ा 6 किलोमीटर, सम्पर्क सड़क गरनाला कोटड़ा से वाया माइंस रोड ढेलाना 7.6 किलोमीटर, सम्पर्क सड़क सोमावत 3.2 किलोमीटर, रेटड़ा से गधनियां 3.80 किलोमीटर, खैरवाड़ा जुवासावेरी 12 किलोमीटर, पलसिया से महुदरा 1 किलोमीटर, डेयरी से गुवावाड़ा किलोमीटर 3.0 से ढैयावाड़ा तक, आरटिया से दैमतगुढ़ा 2 किलोमीटर, कनबई से सूखबावड़ी 7 किलोमीटर, खैवड़ा घाटी से खैरवण 5 किलोमीटर, भाणदा से गोगरवाड़ा 6 किलोमीटर, एनएच 927 ए से रानावाड़ा, बालवाड़ा से मउड़िया 3 किलोमीटर, फलोदड़ा कल्याणपुर पुड़ियार 16.0 से 38.0 तक 22 किलोमीटर, बोरीपाल स्कूल से खाखरिया 3 किलोमीटर, बागथला श्यामपुरा 2.5 किलोमीटर, टोकर से कानपुर शक्तावतों का गुढ़ा 6 किलोमीटर, एनएच 8 से कंडाल 3 किलोमीटर, करनूवा से खानबीन और कल्याणपुर मुख्य सड़क से बालिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि यहां 927ए जो सड़क रतलाम-बांसवाड़ा-गढ़ी-प्रतापपुर-सागवाड़ा-डूंगरपुर-खैरवाड़ा-स्वरूपगंज की टेंडर प्रक्रिया का प्रोसेस कब तक पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि यह सड़क तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली सड़क है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो सड़कें बिल्कुल नॉन पेचेबल हो गई हैं उनके लिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक कमेटी बनाकर इन सड़कों की जांच कराकर इन सड़कों का शीघ्र से शीघ्र डामरीकरण किया जाएगा तो यातायात की बेहतर सुविधा होगी। धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन क्षतिग्रस्त सड़कों की चर्चा की है उन सबको मैंने नोट कर लिया है। आज से तीन वर्ष पहले इनके क्षेत्र में लगभग 16 से 17 प्रतिशत सड़कें क्षतिग्रस्त थीं। उन सड़कों में से हमने पिछले तीन वर्षों में लगभग 65 किलोमीटर सड़कें दुरुस्त कर दीं और अब लगभग 6 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं जिनका वर्णन अभी आपने किया है जो क्षतिग्रस्त हैं। अगले वर्ष इनकी जो टूटी हुई 16-17 सड़कें बताई हैं उनमें से 10-12 सड़कें ठीक करने का प्रयास हम करेंगे। वैसे माननीय सदस्य के क्षेत्र में नई सड़कों का भी काफी काम अभी चल रहा है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में दूसरे-तीसरे माननीय सदस्य हैं जिनके इतना लम्बा-चौड़ा काम चल रहा है। अभी 150 करोड़ रुपये का नया काम चल रहा है और लगभग 65 किलोमीटर नवीनीकरण का काम इनके क्षेत्र में किया है। इसके अलावा जो भी सड़कें आपने नोट कराई हैं, विशेष रूप से उनको हम प्राथमिकता के आधार पर देख लेंगे।

एक जो एनएच घोषित हो रखा है, जिसकी चर्चा आपने की कि गुजरात बोर्डर तक जाएगा, उसका डी.पी.आर. अन्तिम रूप से दिल्ली पहुंचा दिया है, अलाइनमेंट भी फाइनल हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी मार्च में उसकी स्वीकृति हमें मिल जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह जी।

चित्तौड़गढ़ महाविद्यालय का क्रमोन्नयन एवं नवीन विषय की मांग

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में सांवरिया जी कन्या महाविद्यालय के नाम से जिले में एकमात्र महाविद्यालय है। वहां करीब 700 छात्राएं हैं। यह महाविद्यालय 1998-99 में बना था जब भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे, ललित किशोर जी चतुर्वेदी उच्च शिक्षा मंत्री थे और नरपत सिंह जी राजवी वहां के एमएलए थे। उन सबके प्रयासों से वहां कन्या महाविद्यालय बना। कन्या महाविद्यालय जिले का एकमात्र होने के साथ-साथ आस-पास के सभी ग्रामीण इलाके हैं जहां से वहां बच्चियां पढ़ने आती हैं। वो वहां पर स्नातक तक पढ़ पाती हैं और फिर आगे स्नातकोत्तर पढ़ने के लिए वहां कोई साधन नहीं है। वहां पर कॉलेज का कोई फंक्शन था जिसमें मंत्री जी कालीचरण जी पधारे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था। इसके अलावा विधान सभा उपाध्यक्षजी, जो अभी विराज रहे हैं, वो भी उस कॉलेज में पधारे थे और उस समय उनके सामने भी कहा था कि आने वाले दिनों में यह कन्या महाविद्यालय क्रमोन्नत हो और स्नातकोत्तर बने, पर वह बन नहीं पाया। अब जो मंत्री बने हैं, वह मेवाड़ के भी हैं, चित्तौड़गढ़ से भी इनके अच्छे रिश्ते रहे हैं और अभी भी रिश्ते हैं। उस महाविद्यालय को क्रमोन्नत तो करें इसी सत्र में क्योंकि

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')
वहां की जो छात्रसंघ की कार्यकारिणी है, उन्होंने भी घोषणा कर रखी है कि तब तक हम छात्रसंघ की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, जब तक घोषणा नहीं हो जाए। इसके लिए बार-बार छात्राओं ने आंदोलन भी किये हैं, ज्ञापन भी दिये हैं। ज्ञापन मैं मेरे साथ में भी लाया हूं। उसको क्रमोन्नत भी करें। वहां नये विषय भी समाजशास्त्र, इतिहास वगैरह खोलें।

एक हमारे वहां पीजी कालेज है महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उसमें नये सब्जैक्ट खोलने का विषय है। वहां करीब 7,500 छात्र-छात्राएं हैं और काफी बड़ा पुराना कालेज है। उसमें एक तो भूगोल स्वपोषित है। वहां 40-40 एससी बच्चियां हैं और 6,000 रुपये फीस लगती है। वह काफी ज्यादा है और 2001 से वह कालेज चल रहा है तो उनको भी राजकीय दर्जा दें और उसको भी करने की कोशिश करें।

वहां एम.एससी. में 20 सीटें हैं। उसको भी बढ़ाकर 40 सीटें करें। उसके अलावा एम.ए. संस्कृत, एम.एससी. बोटनी और दूसरे सब्जैक्ट्स भी पी.जी. में खोलने की कोशिश करें। वहां संस्कृत में भी पी.जी. खोलने की कोशिश करें। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय अभी आश्वासन भी देंगे और चित्तौड़गढ़ में सांवरियाजी कन्या महाविद्यालय है, उसको इस बजट में क्रमोन्नत करेंगे और जो छोटे-मोटे आंदोलन हो रहे हैं, उसको खतम करेंगे। मंत्री महोदय फर्मायें इसमें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय भैरोंसिंहजी ने 20 कन्या महाविद्यालय खोले थे, उन 20 के 20 को ही कर दिया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। सभी को पी.जी. कर दिया जाए। यह सच्ची श्रद्धाजंलि होगी माननीय भैरोंसिंहजी को कि 20 के 20 को पी.जी. में कर दिया गया और सभी में 500 से ज्यादा संख्या है छात्राओं की।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से बात यहां पर कही है कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ को क्रमोन्नत करने के संदर्भ में। हम लोग इनका प्रस्ताव बीएफसी के अंदर आलरेडी भेज चुके हैं और मैं मानती हूं कि इनकी बात बहुत जायज है, वास्तव में गर्ल्स की संख्या काफी अच्छी संख्या है और इस कालेज को हम लोगों को क्रमोन्नत करना चाहिए।

साथ ही साथ इनकी एक बात थी कि महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय है, उसमें एसएफएस के अंदर, जो सैल्फ फाइनेंस के तहत कोर्सेज चल रहे हैं, 2001 से चल रहे हैं। उसके लिए भी हमने प्रस्ताव बनाया है कि ऐसे सैल्फ फाइनेंस के कोर्सेज,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जो पिछले 10 साल से चल रहे हों और जिनका पूरी तरीके से भार स्टूडेंट्स पर पड़ता है, उनको किसी तरीके से हम लोग ले सकें। उसके ऊपर एक पूरी हमारी टिप्पणी बन रही है। इसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। रिपोर्ट बन जाएगी तो हम बहुत सारे ऐसे जो सैल्फ फाइनेंस के तहत कोर्सेज चल रहे हैं और जिनको 10 साल से ज्यादा हो गये, उनको गवर्नमेंट अपने स्तर पर ले, इसके संदर्भ में विचार चल रहा है।

इन्होंने एम.एससी. के अंदर जो सीट्स बढ़ाने के सन्दर्भ में कहा है, हम लोग सीट्स इस सत्र से, आने वाले सत्र से बढ़ा देंगे। यह मैं आपके माध्यम से उन्हें आश्वस्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर के बांधों में यमुना जल लाने की योजना

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान यमुना नदी का जल, जो एक ओर बरसात के दिनों में कई जिलों के अंदर तबाही मचाने का काम करता है। चाहे वह प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तरप्रदेश हो और चाहे बंगाल और बिहार हो, और दूसरी तरफ राजस्थान एक ऐसा सूखा प्रदेश है। एक तरफ फसलें अधिक पानी की वजह से चौपट होती हैं और दूसरी तरफ पानी के अभाव में फसलें होती ही नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे मन की अभिव्यक्ति इन शब्दों के माध्यम से करना चाहूंगा। "सूखी नदियां, सूखे बाँध, सूख गये कुए-तालाब, जोड़कर इनको यमुना जल से, जीवित करो महानुभाव" उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जयपुर जिले के अंदर कई विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आज से पहले किसान की आजीविका खेती के ऊपर निर्भर थी, लेकिन धीरे-धीरे जल स्तर इतना नीचा चला गया कि आज उन तहसीलों के अंदर, उन विधान सभा क्षेत्रों के अंदर एक भी बूंद पानी सिंचित करके फसलें तैयार नहीं की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह आ गयी, चाहे सांभर हो, दूदू हो, फागी हो, चाकसू हो, आज इन विधान सभा क्षेत्रों की स्थिति यह है कि यहां पीने का पानी भी बीसलपुर से लाकर लोगों को, आम जनता को पिलाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के दो जिलों में, प्रमुख रूप से नर्मदा का पानी जालौर व बाड़मेर के अंदर लाया गया और आज दोनों जिलों के अंदर जहां-जहां नर्मदा का पानी आया है, वहां खुशहाली आई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से गंग नहर जिसको वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। आज इस एक नहर की वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर आदि जिलों में इसके पानी

(श्री रामलाल शर्मा)
की वजह से सिंचित क्षेत्र के अंदर सिंचाई भी हो रही है और पीने के काम में भी आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, वर्षों पहले जिस पानी के ऊपर हम सबको गर्व हुआ करता था और लोग इस बात की दुहाई देते थे। जब रामगढ़ बांध का पानी जयपुर लाया गया तो लोगों के मन में था कि 100 साल तक जयपुर के वाशिंदों को रामगढ़ का बांध पानी पिलायेगा लेकिन आज स्थिति यह आ गयी कि बांध के अंदर एक बूंद पानी नहीं है और आज रामगढ़ की जनता भी पानी के लिए त्रस्त है। माननीय सदस्य कई बार इस सदन में विषय उठा चुके हैं कि पानी की समुचित व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि जयपुर जिले के अंदर कई ऐसे बांध थे जो सिंचाई और पीने के पानी के काम में भी आते थे। जिनके अंदर जमवारामगढ़ का बांध था, कालख का बांध था, सांभर की झील थी, जवानपुरा धाबाई का बांध था, छितोली का बांध था, निकला का बांध था, बनिया का बास का बांध था, पंचपहाड़ी का बांध था, बुचारा का बांध था, बनेड़ी का बांध था, हिंगोनिया का बांध था और छापरवाड़ा का बांध था। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे जिले की स्थिति यह है कि इन सारे बांधों के अंदर एक बूंद पानी की नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले के अंदर कई छोटी-छोटी नदियां निकलती थीं और वह आसपास के अंदर वाटर को रिचार्ज करने का ही काम नहीं करती थी, बल्कि वह पशुओं, मनुष्यों और खेती के लिए एक तरीके से जीवनरेखा साबित थीं। अगर जिले की नदियों की स्थिति देखें उपाध्यक्ष महोदय, चाहे मेंडा नदी ले लो, चाहे बांडी नदी ले लो, चाहे त्रिवेणी ले लो, बाणगंगा ले लो, साबी नदी को ले लो, सोता नदी को ले लो, ढूंढ नदी को ले लो, कालखो नदी को ले लो, चाहे बनास को ले लो, ये सारी नदियां मृतप्राय हो चुकी हैं। आज जयपुर जिले के अंदर एक भी नदी ऐसी नहीं है जो बरसात के अंदर भी बहने का काम करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, हमें यमुना का वह पानी नहीं चाहिए जो और के हिस्से को काटकर हम लाना चाहें। यमुना का वह पानी जो बाढ़ में एक तरह से तबाही मचाने का काम करता है, उस बरसात के पानी को भी यदि हम राजस्थान की धरती के ऊपर लेकर आते हैं, जयपुर जिले के अंदर लेकर आते हैं, जयपुर से अलवर को भी आ सकता है, सीकर के अंदर भी जा सकता है, नागौर होते हुए जोधपुर-बाड़मेर तक यह पानी जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा, आज समय है और समय रहते यदि हम नहीं चेतें तो आने वाले समय के अंदर पीने के पानी

(श्री रामलाल शर्मा)

की भी गम्भीर समस्या हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ी होगी। यह योजना चंद वर्षों के अंदर पूरी नहीं हो सकती लेकिन इस योजना की शुरुआत यदि हम अभी से करेंगे तो आने वाले कई वर्षों के बाद इस योजना का लाभ हमारे को मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करूंगा कि वर्तमान के अंदर कई बार प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर हमारे को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। चाहे हमने सुनामी के माध्यम से उसका खामियाजा भुगता हो और चाहे केदारनाथ की त्रासदी के रूप में भुगता हो। प्रकृति एक तरफ तो तबाही बचाने का काम करती है और दूसरी तरफ सूखे से तबाही मचाती है। इन दोनों का प्राकृतिक रूप से संतुलन बनाया जाना आवश्यक है। अंत में एक शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा उपाध्यक्ष महोदय, "पानी जीवन का आधार है, बहती नदियां, सुन्दर झीलें मन को बहुत लुभाते हैं और जब ये सूख जाये तो बड़ा कष्ट हम पाते हैं। इनको फिर से जीवन देकर आओ इन्हें उपयोगी बनाए, इनको यमुना जल से जोड़ने की मंत्री महोदय, कोई योजना बनाएं।" धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: फर्मायें डाक्टर फूलचन्द भिण्डाजी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय मंत्री महोदय।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, झज्झर के रास्ते से नारनौल तक पानी आता है और नारनौल के बाद में हमारे राजस्थान का कुछ खेतड़ी का पार्ट है, नीमकाथाना का पार्ट है फिर श्रीमाधोपुर का पार्ट है, दो थोई और कांवट के बीच में झीलें हैं और एक ये सुराणी के नले हैं जिनमें तीन हजार बीघा के नले हैं उसमें लाकर छोड़ दिया जाए तो अपने आप भर जाएगा। मंडिशा के ढेर से जहां नदियां निकलती हैं। ढूंढ भी यहां से निकलती हैं, मेदा भी यहां से निकलती हैं, त्रिवेणी भी यहां से निकलती है, सोता भी निकलती है और साबी भी निकलती है। यह ऐसा पाइंट है जिस पर अगर उसको लिफ्ट भी करना पड़े तो लाया जाए और उसके बाद पांच साइड में पानी जाएगा।

पहला जो बुचारा बांध है उसको भर कर सोता से बहरोड़ और बहरोड़ से वापस मुंडावर होकर के जो मथुरा नाला है वहां तक पानी जाएगा। दो सौ किलोमीटर बहेगी। स्वत: ही बहेगा उसमें अपने को साधनों की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा त्रिवेणी जो आपके क्षेत्र से निकलती है वो त्रिवेणी भी शाहपुरा, विराटनगर, कोटपूतली, बानसूर मुंडावर फिर वापस उसी में मिल जाएगी। ये भी दो सौ किलोमीटर बहेगी।

तीसरा पाइंट है बाणगंगा क्षेत्र है। बेणीमाधव नदी जो मनोपो होकर निकलती है

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

वो आगे जाकर बाणगंगा में मिलती है। जमवारामगढ़ बांध को भरेगी उसके बाद में पूरे दौसा जिले को भरेगी। सवाईमाधोपुर की एक तहसील को भरेगी फिर भरतपुर के सब तहसीलों में पानी जाएगा। धौलपुर को टच करके वो जोबना में वापस चली जाएगी। इस कारण से उसको हम वापस कर देंगे।

चौथा पाइंट, हमारा दिवराला की नदी है और आगे जाकर के वो बांडी के रूप में दो भागों में कन्वर्ट होती है। एक तिगरा निवाणा होकर के आगे जाकर कालख बांध में जाती है कालख बांधध से ओवरफ्लो होकर के वो बनास में जाएगा। बनास से वापस चम्बल में जाएगी और वापस यमुना में चली जाएगी।

पांचवां पाइंट है जो महरौली की नदी निकलती है वो जाएगी सांभर झील में और सांभर झील पैंतीस किलोमीटर भरने के बाद अगर ओवरफ्लो होगा तो वो जाएगा पुष्कर में और पुष्कर की पहाड़ियों से ही लूणी निकलती है तो लूणी के बाद में पूरा नागौर जिला, जोधपुर जिला और बाड़मेर, जिला ये स्वत: ही बहता हुआ पानी जाएगा। इस कारण से कहीं वो चीज आवश्यक नहीं है।

अगर तेरह जिले कवर होते हैं उस पानी से तो मैं कहूंगा, आज हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है तीनों सरकारों का तालमेल करके केवल हमें जमीन लेनी है और हरियाणा को दो फसलों का नुकसान नहीं होगा जिसमें बाढ़ का पानी आएगा उसके बाद में एक फसल बो सकेंगे। वो जो-गेहूं बो सकेंगे उस काम में आवश्यकता नहीं केवल हमें पानी का गलियारा चाहिए ऐसा और इसके कारण से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दस साल में जितना पानी का पैसा खर्च होगा पेयजल पर उतना पैसा इस परियोजना में लगेगा ही नहीं उससे भी कम पैसा लगेगा और जीवन भर के लिए 13 जिले अपने यहां पानी से सरसब्ज होंगे ऐसा निवेदन आपके माध्यम से करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मामले में आपके ज्ञान का कोई सानी नहीं है। आप भी अगर सदन को कुछ इसमें उपकृत कर दें...।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, कई बार ऐसे सुझाव आ जाते हैं कि कोई बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम तो यह चाहते हैं कि जिन मंत्रीजी के पास में यह महकमा है अगर वो ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें और वो नहीं कर सकते तो आप कर दें तो कम से कम इनको कुछ संतुष्टि हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी-सी बात है। अगर आप इजाजत दें तो।

श्री उपाध्यक्ष: जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जितनी बात हुई उसका अर्थ यही है कि 'ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में मंत्री जाने ना'।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री वासुदेव देवनानी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

शिक्षा विभाग

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कार्य शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.8(17)शिक्षा-5/फीस/2004पार्ट, दिनांक 8.2.2017, जिसके द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री राजपाल सिंह जी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री फूलचंद जी भिण्डा।

याचिका

विराटनगर के मैड ग्राम के राजकीय कन्या विद्यालय का क्रमोन्नयन

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम मैड स्थित राजकीय कन्या सैकण्डरी विद्यालय को सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

अजमेर की अराई पंचायत समिति में उपकोष कार्यालय की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र की तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय अराई में उपकोष कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 श्री राजपाल सिंह जी।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार की व्याप्ति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न भी है और मेरा ज्ञान भी इतना नहीं है इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि ये राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017, हमारे यहां पर एप्रोप्रिएशन बिल पर जब बहस होती है उस बहस में हम सामान्यत: वित्तीय मामलों की सारी बहस करते हैं लेकिन मैं निवेदन करूं चूंकि एप्रोप्रिएशन बिल, मनी बिल इनमें कोई संशोधन नहीं आता है आज तक और उनके संशोधन पर विचार भी नहीं होता है। उनमें संशोधन होता नहीं है इसलिए इस बिल को यह जो एप्रोप्रिएशन का बिल है, इस की सीमा यदि हम जो विनियोग बिल है उतनी ही रखेंगे तो इस पर सम्पूर्ण बहस होगी। पर, उसमें संशोधन कैसे आएंगे? यह केवल एप्रोप्रिएशन बिल का निरसन बिल ही है, इसमें कहा है कि हम ये जो इतने सारे सब्जैक्ट इसमें आये हैं, उनको निरस्त करते हैं। तो फिर इसमें बहस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहस की सीमा फिर उसमें केवल एक पाइंट तक सिमट जाएगी। तो मूल बात यह समझ में आई कि यह बिल मनी बिल है और एप्रोप्रिएशन बिल है तो इस पर कोई बहस ही नहीं होगी, इसमें कोई संशोधन नहीं आएगा। अगर यह विनियोग विधेयक का ही है और इसका व्याप जैसा माननीय अध्यक्षों की व्यवस्था रही है कि किसी भी विषय पर अगर बहस होती है या सामान्य अमैंडमेंट भी आता है तो जो उसका व्याप है, पूरी परिधि उसकी विचार की, वो इस पूर्ण विषय तक सीमित हो जाती है। यदि आसन का मार्गदर्शन होगा कि एप्रोप्रिएशन पर बिल है, एप्रोप्रिएशन जितना इसका व्याप है तो इस पर हमारे विचार रख पाएगे। अगर वो न होकर केवल ये विधि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें स्टेट्यूट बुक में लिखे हुए जितने भी हैं उनको केवल एक झटके में साफ करना है, वो सही तो आप जरा व्यवस्था करेंगे उस हिसाब से हम बोल पाएगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, would you like to react on this?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, यह मनी बिल नहीं है, यह रिपील का बिल है। यह एप्रोप्रिएशन बिल नहीं है, एप्रोप्रिएशन बिल जो रिडंडेंट हो गये हैं, जो सीम्स टू बी एन्फोर्स हैं, उनके रिपील का बिल है, किसी भी समय संशोधन आ सके। वर्ना संशोधन आने का कोई सवाल ही नहीं होता। मनी बिल होता तो उस बिल में संशोधन आया नहीं करते हैं। यह तो उनके रिपील करने का है जो रिडंडेंट हो गये हैं जो ओब्सोलीट हो गये हैं जो फोर्स में नहीं हैं इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल और एप्रोप्रिएशन बिल के निरसन बिल में बहुत मोटा अन्तर है। एप्रोप्रिएशन बिल तो बजट के बाद में सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के बाद में उस पैसे को एप्रोप्रिएट करने का ऑथोराइजेशन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबकि ये जो ऑथोराइजेशन दिया जा चुका है, जिसका टाइम निकल गया है, जो रिडंडेंट हो गये हैं, जो टाइम बार हो गये हैं, उनके निरसन का विधेयक है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये ऑब्जेशन सस्टेनेबल नहीं है। आपकी रूलिंग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि इस पर बहस कितनी होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी यही बिल आया था। इसमें पांच ऐसे एप्रोप्रिएशन बिल जो एन्फोर्स में नहीं हैं उनको रिपील किया था। उस समय भी कोई बहस नहीं हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 248वीं उसमें यह रिकमंडेशन आयी थी कि इस प्रकार के जो बिल एन्फोर्स में नहीं हैं उन बिलों को रिपील किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पिछले दस वर्षों के जितने भी इस प्रकार के एप्रोप्रिएशन बिल थे वो रिपील किये हैं इसलिए माननीय प्रभारी मंत्री जी ने जो कहा है इसको मनी बिल के रूप में न देख कर एक विधेयक के रूप में देखना चाहिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कि चूंकि इसमें तो आज कंसोलीडेटंड फंड से पैसा जो एप्रोप्रिएट होना था वो हो चुका है। आज कोई बात नहीं है और एक साथ ही 1950 वर्ष 2012 तक ये एप्रोप्रिएशन बिल आये हैं बिना मतलब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको एक प्रकार से रिपील करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
है कि जो आज एन्फोर्स नहीं हैं उन सारे विधेयकों को रिपील करें, ताकि आम आदमी की जानकारी में वो सारे कानून और विधेयक आ जाएं जिनकी आज आवश्यकता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कंसोलिडेट फंड ऑफ द स्टेट में से एक बार यदि राशि विथड्रा हो जाती है तो या तो कांस्टीट्यूशन में अमेंड करके पांच साल बाद में ये एक्ट जो बनेंगे मनी बिल या एप्रोप्रिएशन बिल वो रिडंडेंट हो जाएंगे बिकॉज कंटीन्यूटी एप्रोप्रिएशन बिल इस साल भी आएगा। अगले वर्ष भी आएगा, लेकिन यह मेग्नाकार्टा के समय से शुरू हुआ है और सिर्फ प्रक्रिया है वर्ना मंत्री महोदय बता दें कौनसे, लॉ कमीशन को तो छोडें वो तो कोई लॉ नहीं है यह कौनसे इनेबलिंग क्लॉज कहां से मिल गया जिसके आधार पर आप इनको रिडंडेंट कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल 202, 203 और 204 में निश्चित तौर पर विनियोग विधेयक के बारे में प्रावधान भी है उनके पारण का प्रावधान भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर पूरे देश में इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। यह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 248वीं रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि इस प्रकार के लॉज और विशेष तौर पर इसी आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसी प्रक्रिया से रिपील किया है, इसलिए कोई बात ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा ही नहीं कि रिपील नहीं कर सकते या रिपील का अधिकार नहीं है, मैं कह रहा हूं इस पर चर्चा का व्याप है, वह कितना बड़ा है। इस चर्चा की परिधि क्या है, वही मैं पूछ रहा था,

एप्रोप्रिएशन जितनी है तो ठीक है, फिर भाषण देते हैं इस पर।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था This is basically the Chair who will also agree to the expressions of the Govt. and their Ministers that the Bills, which have been rendered, redundant, obsolete and have no further use, probably they are trying to withdraw this Bill but in any case when you come onto that, the scope is there. It is, of course, not a Money Bill. This is very much clear. मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी (अनुपस्थित) श्रीमान घनश्याम तिवाडी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक वही शंका चल रही है कि मैं अगर इस पर चर्चा करता हूं तो मैं उसके क्षेत्र के बाहर जाता हूं, नहीं जाता हूं और कुछ समय बाद लोग देखेंगे कि इस पर मैंने चर्चा की, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह केवल निरसन तक ही सीमित है, इसलिए मैं इस पर चर्चा में भाग नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इसके कारणों और उद्देश्यों में बताया गया है कि 235 वो विधियां हैं जिनका इनट्रोड्यूस हुआ उस समय इसका उपयोग था और समय के साथ ही उनका उपयोग बिलकुल बंद हो गया। वर्तमान में इन 235 विधियों का किसी तरह का कोई उपयोग नहीं है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया चाहे लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यूज में नहीं आने वाले कानून जो प्रभावी नहीं है, उनका हो या संविधान में किसी कानून को निरस्त करने के लिये प्रावधान नहीं, कानून बनाने और हटाने के लिये है, उसके तहत हो आर्टिकल 204 के आस पास, उसके तहत ऐसे कानून जो निष्प्रभावी हो गये हैं, ऑनली लिस्टेड रहते हैं तो राजस्थान में कुल कानूनों की संख्या बढ़ती है ये एक हजार हैं, दो हजार हैं या पांच हजार हैं। यह लिस्टेड कानून प्रभावी नहीं रहे जिस कानून का कोई उपयोग हो, कभी न कभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वर्ग के लिये, किसी न किसी क्षेत्र के लिये उनका ही उपयोग लिया जाए, यह 235 ऐसी विधियां हैं जिनका किसी तरह का कोई उपयोग नहीं है और न भविष्य में इनका उपयोग होने वाला है, क्योंकि जिस दिन यह पेश हुआ था उस दिन उसका जो स्कोप था उस स्कोप तक इसका आब्जैक्ट था, वह पूरा हो गया है। यह सिर्फ निरसन विधि है और निरसन विधि का जो यह बिल लेकर आये है यह वाकई काबिल-ए तारीफ है और सरकार की जो मंशा थी उसके अनुसार है। इसलिए मैंने जो अपना संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह साबित होता है कि प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष से ज्यादा विद्वान है क्योंकि हमने लगाया ही नहीं, हमें पता था आपका हाल यही होना है।

श्री उपाध्यक्ष: जैसे आसन ने पहले भी आप लोगों से निवेदन किया है या तो प्रभारी मंत्री का उत्तर आने के बाद आप विथड्रा कर ले, अब यह समझ में नहीं आता कि मंत्री का उत्तर नहीं आया उसके पहले ही हम विथड्रा कर रहे हैं और जब आपकी संपूर्ण सहमति थी कि बिल ठीक है और अच्छा है तो फिर आपने जनमत जानने के लिये क्यों इसमें आग्रह किया। मेरा यह मानना है अब यह सदन ही निर्णय करे कि जनमत जानने के लिये भेजा जाए या ना भेजा जाए, हम उनकी अनुमति के उपरांत ही कुछ इसमें निर्णय लेंगे। श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित), डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह निश्चित समय के लिये विनियोग विधेयक थे, वह समयावधि पूरी हो गयी, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया उसके बाद भी इसकी प्रस्तावना में पर्याप्त बातें कहीं गयी कि यह इन इन पर लागू नहीं होगा, इस कारण से इस पर बहस का कोई विषय बचा नहीं है, इस कारण से मैंने इसमें जो संशोधन और परिचालन के लिये निवेदन किया था, उसको मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे ता सम्माननीय सदस्य डाक्टर की उपाधि लिये हुए हैं इसलिए आपको समझाना तो मेरे ख्याल से व्यक्तिगत क्षमता मैं नहीं रखता लेकिन मैं इतना सा निवेदन करता हूं कि जब इसमें कुछ था ही नहीं तो फिर हमने जनमत जानने के लिये अमेंडमेंट मूव क्यों किया। सामान्यत: ऐसी परिपाटी पड़ गयी है कि शायद उस बिल की रचना को बगैर पढे हुए ही संशोधन के लिये आप प्रस्ताव कर देते हैं और जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह लगता है कि अब यह संशोधन ठीक नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि पहले उसको आप पढ़ लें। जैसा कि सम्माननीय सदस्य का अपना एक संशय था, उस संशय का साफ होना जरूरी था, लेकिन जिनका संशय ही नहीं था और फिर भी उन्होंने संशय प्रकट किया, उसके बारे में तो मैं कुछ निवेदन नहीं कर सकता। श्री रामहेत जी (अनुपस्थित), श्री मानसिंह जी (अनुपस्थित), प्रभारी मंत्री जी, अगर इसमें कोई उत्तर देने लायक चीज हैं तो आप उत्तर दें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है एप्रोप्रिएशन बिल जनमत जानने के लिये परिचालित नहीं किया जा सकता, यह प्रस्ताव ही गलत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको सज़ा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: इससे बड़ी सज़ा आप क्या चाहते हैं कि आसन से दिया हुआ वक्तव्य पूरे सदन में सुना दिया गया ? उससे बड़ी अब क्या सज़ा हो सकती है ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाएं ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाएं ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर जिन्होंने संशोधन दिये हैं, वे वापस ले सकते हैं। इस स्टेज पर आपसे रिक्वैस्ट करेंगे, फिर आसन रखेगा और उसमें अगर सदन की स्वीकृति मिल जाती है तब उसको वापस ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें अगर कोई बोलना चाहे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग आयोग विधेयक, 2017, श्री घनश्याम तिवाडी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य का आर्डिनेंस 21 अक्टूबर, 2016 को राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 पर परिनियत संकल्प विचारार्थ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि निश्चित तौर पर आर्टिकल 213 में जब सदन नहीं चलता तो महामहिम राज्यपाल महोदय अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके आर्डिनेंस जारी करते हैं। छह सप्ताह के बाद अनुमोदन के लिये वह आता है। यह पहला मौका है जब इस प्रकार का परिनियत संकल्प सत्तारूढ दल के माननीय सदस्य ने रखा है, यह उनका अधिकार है, मैं उस पर कोई बात नहीं करता। सामान्यत: इस प्रकार का संकल्प जब रखा जाता है तो चूंकि उस पर आपकी व्यवस्था है कि मतदान भी होगा, मैं माननीय सदस्य आपसे प्रार्थना कर रहा था कि आप बोल लें, थर्ड रीडिंग पर बोल लें, इस पर बोलेंगे फिर मतदान के द्वारा हम इसको खारिज करेंगे, आप वरिष्ठ सदस्य हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी आसन के माध्यम से माननीय सदस्य से प्रार्थना है।

(14:00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, परिनियत संकल्प में कहीं भी नहीं है कि उसको विपक्ष का सदस्य रखे। परिनियत संकल्प हम रखते हैं। इस पर बहस होती है और परिनियत संकल्प के बाद में संकल्प पेश करने वाला सदस्य अगर चाहे तो अपना परिनियत संकल्प वापस ले सकता है। इसलिए उसमें मतदान की आवश्यकता नहीं रहती। आप मतदान कराना चाहें तो आपकी मर्जी है। बाकी तो आपकी इच्छा की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 736- आप इसको पढ़ लें। इसमें भी लिखा है कि 'मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा' और आपकी व्यवस्था आने के बाद मतदान तो होगा ही होगा। जब जनमत जानने के लिए जिन लोगों ने परिचालित किया, उनको भी मतदान के लिए रखा। उनको भी वापिस लेने का मौका नहीं दिया। इसलिए माननीय सदस्य इस पर सोच लें। इस पर मतदान कराकर अपने परिनियत संकल्प का निर्णय कराना है । यह तो मेरी प्रार्थना है। मैं बोलने के लिए मना नहीं करा रहा। बोलने का आपको व्यापक अधिकार है। थर्ड रीडिंग में बोलें, कभी भी बोलें। पर, आज यह जो राजस्थान की विधान सभा में उदाहरण प्रस्तुत होगा। वैसे तो संसदीय ज्ञान आपसे ज्यादा किसी का नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तीन बार परिनियत संकल्प पर बोल चुका। यहां सत्तारूढ़ दल में रहते हुए परिनियत संकल्प पर दो बार बोल चुका, पिछले सत्र में। वे संकल्प भी मैंने वापिस लिए और उसी रूप में मैं अपना संकल्प वापिस लेने के लिए आसन से प्रार्थना करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ठीक है। ले लो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा राजस्थान राज्य पिछड़ा-वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016, (2016 का अध्यादेश संख्या 3) पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर परिनियत संकल्प पर मतदान होना है तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ताकि मैं माननीय सदस्यों को बुला लूं। अगर वैसे ही ये वापस लेने की अनुमति.. वैसे तो आसन के पास व्यापक अधिकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सम्माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह आदरणीय सदस्य पर निर्भर करेगा। आपके संकल्प के उपरांत जब मंत्री जी उत्तर दें, उत्तर देने के बाद अगर आप उनके उत्तर से सहमत हो जाएं तो आसन आपको वापस संकल्प लेने के लिए.... अन्यथा फिर मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी के जवाब के बाद वापस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले संकल्प लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पिछड़े वर्ग आयोग का बिल आया है। यह बिल दो कारणों से आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्रीजी सामान्य विषय को बहुत गंभीर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं प्रतिपक्ष के मैम्बर के नाते भी और सत्तारूढ़ दल के मैम्बर के नाते भी इस सदन में चार बार परिनियत संकल्पों पर बोल चुका हूं। यह परिनियत संकल्प भी उसी प्रकार है कि मेरे बोलने के बाद में मंत्री जी बोलें, उनके उत्तर से संतुष्ट होने के बाद में मैं मेरा संकल्प वापस लेना चाहूं तो सदन की अनुमति से अपना संकल्प वापस ले सकता हूं आसन चाहे तो और मैं उसी प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी बात रख रहा हूं। यदि आपको मेरी बात रखने पर ही ऐतराज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जिस अध्यादेश को आप अस्वीकार करने की सदन से अपील करोगे, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि नई परम्परा होगी। आप हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। सत्तारूढ़ दल के सदस्य महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जारी किया गया, मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया और महामहिम राज्यपाल महोदय के संवैधानिक अधिकारों के बाद जारी किया गया अध्यादेश, उसको वापिस लेने के लिए परिसंकल्प लेकर आए हैं, मैं समझता हूं उचित परिपाटी नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): परिसंकल्प नहीं है, परिनियत संकल्प।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां परिनियत है। परिनियत ही मैं बोल रहा हूं।

परिनियत संकल्प

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने यह जो अध्यादेश जारी किया, वो राजस्थान सरकार के एक निर्णय रिट पिटीशन नंबर 6046/1999 रतन लाल बागड़ी एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, इस आदेश के बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि आप ओ.बी.सी. के लिए एक परमानेंट आयोग बनाएं। लेकिन ओ.बी.सी. के लिए एक परमानेंट आयोग राजस्थान में बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार इंदिरा साहनी एंड अदर्स और यूनियन ऑफ इण्डिया में कि राज्य सरकारें ओ.बी.सी. के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए अपने-अपने यहां पर आयोग बनाएं। वो आयोग बना हुआ था। सारे राज्यों में बना हुआ था और यहां भी आयोग बन गया। उस आयोग के बनने पर मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इसी बात की है उन्होंने एक निर्देश दिया था कि इसके तुरंत बाद राज्य सरकार को यह आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने आर्टिकल 174 को पढ़कर सुनाना चाहता हूं 'राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझें अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा'। यह हमारे संविधान में लिखा कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। इसलिए हमें छह महीने में एक बार सदन मिलता है, लेकिन इसको पूर्ण करने के लिए हमारे पास राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियम और प्रक्रिया हैं, जिसके अंदर हमने तय किया है कि संविधान के अनुच्छेद 174 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन एक कैलंडर वर्ष में विधान सभा के कम-से-कम तीन सत्र अर्थात् शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और वर्षाकालीन सत्र होंगे और एक कैलंडर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठकों की कुल संख्या कुल मिलाकर साठ से कम नहीं होगी, परन्तु जब कोई सरकारी कार्य विधान सभा द्वारा किए जाने को न हो, तो विधान सभा नियम 126 में उल्लिखित कार्य और ऐसा अन्य कार्य करेगी, जिसकी गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सूचना दी जाए और जिसमें नियमों के अधीन स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, नियम 126 में 12 इस प्रकार के उपक्रम लिख हुए हैं, जिनकी सदन में चर्चा होनी चाहिए। पिछले दस-पंद्रह साल से मैं देख रहा हूं कि दो सत्र होते हैं और किसी भी विषय की, जो कि 126 में दिया गया है, सदन में चर्चा नहीं होती है। मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं कि इस बार जो बजट सत्र समाप्त हुआ और बजट सत्र जो प्रारंभ हुआ, उसमें सिर्फ 5 घंटे और 21 मिनट तक राजस्थान की विधान सभा मिली, 3 घंटे हंगामा हुआ और 2 घंटे में हमने जीएसटी का बिल और एक्सेस डिमांड या सप्लीमेंट्री डिमांड्स थीं, उनको मुखबंद में पारित किया। जब सदन को एक साल में तीन घंटे ही मिलेंगे तो सरकारों को अध्यादेश जारी करने के अलावा उनके पास विकल्प नहीं होगा। लेकिन जो विकल्प था वह यह था कि अध्यादेश तो हम जारी करें लेकिन उसके कारण भी आ गये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विषय है। इस विषय को अपन यहीं तक सीमित रख लेंगे कि अध्यादेश आपने ओ.बी.सी. के लिए जारी किया। वहां तक यह विषय नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आज मैंने जब इस बिल को पढ़ा तो बिल को पढ़ने के बाद साफ आया कि इसमें आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और सामान्य ई.बी.सी. वर्ग, की भी आपने चर्चा की। इस विधेयक में जब आपने ई.बी.सी. का उल्लेख किया है, अनुसूचित जाति का उल्लेख किया है, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया है और विशेष पिछड़ा वर्ग का भी आपने उल्लेख किया है तो उस समय यह और अधिक कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाए। इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां पर जब चर्चा होती है तो दो चर्चा होती है। एक कानून की चर्चा होती है कि कानून नहीं है। विशेष पिछड़ा वर्ग का कानून हमने जब बनाया, उसमें जब भाषण हुए। बाहर जो लोग बोलते हैं और आर्टिकल्स आते हैं, वे कई बार ये कहते हैं कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग, यह संविधान में कानून नहीं है, नियम नहीं है। इनका तो किसी भी कीमत पर आरक्षण नहीं हो सकता। यह पहला विषय नहीं है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा इस समय राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को समझना चाहिए और उस स्थिति को समझकर हमको व्यापक कदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून और न्याय दो प्रकार की चीज है। कानून तो बनता है। आपको बताऊं कि 1951 जब पहली शिड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण हुआ था। उस समय भी मद्रास हाइकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था रिजेक्ट करने के बाद में प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 10 मई, 1951को पहला संविधान संशोधन लाया गया और यह आरक्षण हुआ था, वह किसका हुआ था? मैं निवेदन करूंगा 1951 में तमिलनाडु का नाम मद्रास था, उन्होंने सीटों का आरक्षण किया था।

सीट 6 नोन ब्राह्मण हिन्दू 42.85 परसेंट। सीट पिछड़े हिन्दू 14.82 परसेंट। सीट ब्राह्मण 14.28 परसेंट। उस समय हरिजन शब्द लिखते थे जो अब गलत है, सीट हरिजन 14.28 परसेंट। सीट एंग्लो इंडियन ईसाई 7.14 परसेंट, सीट मुस्लिम 7.14 परसेंट। यह आरक्षण उस समय उन्होंने किया, मद्रास सरकार ने। इसको मद्रास हाई कोर्ट ने पहले निरस्त किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनल अवार्ड कहकर इसको निरस्त किया। उसके बाद 10 मई, 1951 प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल जी नेहरू द्वारा पहला संविधान संशोधन लाया गया। उसके बाद 121 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। जब तक संविधान संशोधन नहीं हुए, सब लोग कहते हैं यह कानून, ऐसा काम नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद जब न्याय की मांग है तो कानून में संशोधन हो सकता है। 1921 से पहले ब्रिटेन में महिलाओं को अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार नहीं था। कई देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

था। उसके लिए आंदोलन हुआ। लोगों ने कहा यह तो गैरकानूनी है। कानून बना तो मारग्रेट थैचर आज भी वहां की प्रधानमंत्री है, तो न्याय हो गया। कुछ समय पहले, अमेरिका में ओबामा जैसे राष्ट्रपति रह गये। अमेरिका में नीग्रोज को अधिकार नहीं था। जब मांगते थे तो कहते कानून नहीं है, उन्होंने न्याय की मांग की तो कानून में संशोधन करना पड़ा, उसको कानून मिल गया। दक्षिणी अफ्रीका में गोरों का राज था, काले लोगों को रेस्टोरेंट में नहीं जाने देते थे। कानून बने हुए थे, लोगों ने आंदोलन किया, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। बातचीत हुई, कालों को अधिकार प्राप्त हो गया और आज वहां के राष्ट्रपति काले हैं। जिस समय कुछ लोग कानून की बात कहकर उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं उस समय न्यायपालिका का काम नहीं होता। उस समय कार्यपालिका का काम होता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का काम होता है कि वह लोग इस काम को पूरा करें।

यह जो कानून लाया गया है, दूसरी और परिस्थिति पैदा हो गयी राजस्थान में। राजस्थान में एसबीसी का अपन ने बिल पास किया, बिल हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गये, हमको थोड़ी सी राहत मिल गयी, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज स्थिति बनी हुई है कि गुर्जर समाज न तो एसबीसी में है, न ओबीसी में है। उनको एक परसेंट मिला था वह भी खतम हो गया। चारों तरफ उसमें आंदोलन हो रहे हैं। हम तुरंत इसको क्यों नहीं डील करते, इसका समाधान क्यों नहीं निकालते ? आज वह सामान्य वर्ग के साथ खड़ा हुआ है। आज भी सुबह मंत्री जी ने जवाब तो दे दिया कि निश्चित रूप से हमने आदेश कर दिए हैं कि उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाए। आपने आदेश कर दिए लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी उसमें फंसना नहीं चाहेगा आपके आदेश से। उनको केन्द्र सरकार की नौकरी के लिए भी राजस्थान की ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो आपको कोई न कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी।

उसी प्रकार से आपने ईबीसी को लाकर खड़ा कर दिया। इकोनोमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण,वैश्य, कायस्थ और ओबीसी में ना आने वाले मुसलमान हैं, उनका कानून बना दिया, कानून बनाकर अपने पास रख लिया। आप उनके धैर्य की परीक्षा आखिर क्यों लेना चाहते हो ? उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं करते ?

उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दल और सरकारें कुछ पालतू आदमी रखती है, पालतू। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जानते हैं कि ताल छापर में बहुत हिरण होते हैं। जब किसान को हिरण को पकड़ना होता है तो हिरण तो पकड़ में आते नहीं है, बहुत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जोर से भागते हैं, जब उनको पकड़ना होता है तब दो-तीन पालतू हिरण होते हैं ...(व्यवधान)... अब आप धीरे-धीरे देखते जाओ, कोई उधर भी निकल सकता है। ऐसा थोड़े ही है कि इधर ही निकलेंगे। इधर भी निकल सकता है। वैसे उपाध्यक्ष महोदय का फैसला किया हुआ है, मैं किसी भी माननीय सदस्य की किसी भी पशु-पक्षी से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। पालतू हिरण होते हैं, हिरण पकड़ में नहीं आते हैं, तो एक खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोदकर उस पर घास बिछा देते हैं, ऐसा लगता है कि यह तो जमीन के बराबर ही जमीन है। पालतू हिरण हिरणों के झुण्ड में खड़े रहते हैं। हिरणों के झुण्ड में जाकर ऐसी आवाज निकालता है, भय या उल्लास की आवाज निकालता है और फिर दौड़ता है। वह सारे हिरण उसके पीछे दौड़ते हैं। जो पालतू होते हैं वह तो खड्डे के बाहर से निकल जाते हैं लेकिन जो सामान्य हिरण होते हैं 5-10 उस खड्डे में गिर जाते हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ...(व्यवधान)... ऐसे ट्रेंड हिरण, सुना नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब कर लेना आप, वन विभाग के आदमी हो, आपको भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। मैं बताऊंगा आपको। कुछ चीजें आपने भी नहीं सीखी, सीख लोगे आप। राजेन्द्र जी जानते हैं अच्छी तरह से। इनको भी बता देना। तो जो पकड़े जाते हैं, 5-7 दिन में उनको भूख प्यास नहीं रहती, फिर उनको निकाल कर पकड़ लेते हैं और पालतू कर लेते हैं। इस प्रकार के पालतू लोगों को बुला-बुलाकर उनसे बात करना, फिर समय तय करना, फिर तीन साल का समय करना, यह समय की बर्बादी है। समाज और जो लोग इस बात को समझते हैं.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): स्पष्ट रूप से नाम लो ना, सरकार ने पिछले दिनों में जिनसे वार्ता की है वे सारे पालतू हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं किसी का नाम नहीं ले रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): कह दो ना, रिकार्ड पर बात चली जाए। आप और हम स्पष्टता से बात कह दें उनको। बात को घुमावदार मत करो। या तो यह कहो नि:संदेह इस आरक्षण के मसले पर अलग-अलग वर्गों ने अलग-अलग मंचों से आंदोलन किया। नि:संदेह एक लोकतांत्रिक परम्परा है, राज्य सरकार ने मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनाई, मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने दर्जनों बार इनसे बात की है। अगर उन सबकी तरफ इंगित करके माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो रिकार्ड पर सारी बात चली जाए, ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि उनकी हैसियत और उनकी अहमियत माननीय सदस्य के दिलो-दिमाग में क्या है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह इनके मन का चोर बोल रहा है। ना तो मुझे पता था कि कोई मंत्री जी ने मीटिंग की है, ना मुझे पता है कि इस प्रकार की कोई कमेटी बनी है, ना मैं इस कमेटी में गया। इनके मन का चोर बोल रहा है। यह किससे राजनीतिक प्रतिद्वंदता रखते हैं, उसको किसी न किसी माध्यम से सदन में प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे लोगों को सदन में प्रताड़ित मत करो। मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं। मैं सरकारी अधिकारियों के....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे जानते हैं, मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदता रखने वाला हूं ? पूरे सदन में अगर आज आप वहां से वोट कर लें, मेरे से ज्यादा सीधा, सरल, निरीह कोई मंत्री नहीं होगा, कोई सदस्य नहीं होगा और आपके नेत्रों में मैं ऐसा आदमी हूं ?

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानीय सदस्य, इतना ट्रांसपेरेंट तो कभी कोई संसदीय कार्य मंत्री रहा नहीं, जितने यह है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बिलकुल इतने सरल है कि यह अल्लाह की गाय है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शत-प्रतिशत मैं आपकी बात से सहमत हूं। शत-प्रतिशत सहमत हूं। इतना ट्रांसपेरेंट कोई नहीं रहा कि उनकी सब बातों को, सब लोग जाने, यह राजेन्द्र जी है जिनकी हर बात को हर आदमी जानता है, मैं आपको शुभकामना और बधाई देता हूं। सब जानते हैं आपको। लेकिन मेरा किसी की ओर इशारा नहीं है। मैं किसी सदस्य, जो सदन में नहीं है उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता। बार-बार सरकार जो कमेटियां बना रही है, कमेटियां बनाकर आप रिपोर्ट लेते हैं, एक रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट, कभी तीसरी रिपोर्ट, उन रिपोर्ट की ओर इंगित करना चाहता हूं। फालतू के जो आपके काम है, इन कामों की ओर ध्यान ना करके आप एक ध्यान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। ओबीसी के, हमने जब आंदोलन चलाया, खुद आंदोलन चलाया, मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, वह कई जगह गयी है। हमने उसमें शिड्यूलड कास्ट के आरक्षण का समर्थन किया। हमने भारत में वह काम किया, मानव सभ्यता के विकास क्रम में जो शिड्यूलड कास्ट के लोग पिछड़ गये थे उनको आरक्षण देकर हमने आज बराबर के दर्जे पर लाकर बिठाया, यह समझता हूं कि मानव समाज के इतिहास में भारत के लोगों की राजनीतिक शक्ति, बुद्धि का परिचय था कि आज वह इस स्थान पर हैं। हम ओबीसी के आरक्षण का भी समर्थन करते हैं। हम शिड्यूलड ट्राइब के आरक्षण का भी समर्थन करते हैं। हम विशेष ओबीसी का भी समर्थन करते हैं लेकिन जो बचे हुए लोग है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इकोनोमिकली बैकवर्ड है, मैं उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में चार जगह भर्ती हुई। उनकी स्थिति की ओर इंगित कर रहा हूं। पुलिस भर्ती चित्तौड़गढ़ में हुई। चित्तौड़गढ़ में ड्राइवर्स की भर्ती हुई। झुन्झुनूं में कांस्टेबल की भर्ती हुई, हनुमानगढ़ में कांस्टेबल की भर्ती हुई, और भी मेरे पास 50 इस प्रकार के उदाहरण है। उनमें सामान्य वर्ग के 307 में से 9, 17 में से 1, 120 में से 1 और 129 में से 1 और यहां तक कि कुल नौकरियों में आरक्षित वर्ग के लोग 90 प्रतिशत की संख्या में आए, फिर अब उनको आप क्या मानोंगे? वह पीड़ित नहीं है, बच्चे गरीब जो है उनके ? हम उनके भी आरक्षण की मांग करते हैं, इनके साथ-साथ।

दूसरा, मैं उदाहरण आपको दूंगा, जनवरी, 2014 भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, केन्द्र सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16, पृष्ठ संख्या 39, इसमें जनवरी, 2014 की स्थिति दर्शाने वाले आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि पूरे भारत में केन्द्र सरकार के कुल 45373 सफाई कर्मियों, जिन्हें पहले अन्य नाम से पुकारा जाता था, में लगभग 34 प्रतिशत सफाई कर्मी सामान्य वर्ग से हैं, जो राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, जो ओ.बी.सी. में आने वाले मुसलमान जो नहीं हैं, वे लोग भी अब सफाई कर्मियों में शामिल हो रहे हैं। इसलिये आप यह नहीं कह सकते, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम केवल, यह भारत सरकार में है, तो यह सफाई कर्मियों में जब जांचा है तो उनकी हालत खराब ही रहती है, इसलिये हम किसी गरीब ब्राह्मण के लिये, किसी गरीब राजपूत के लिये, किसी वैश्य के लिये या किसी कायस्थ के लिये, या जो मुसलमान ओ.बी.सी. में नहीं आया, उसके लिये अगर बात करते हैं तो वह बात उसी प्रकार की बात है, जिस प्रकार हम शिड्यूल्ड कास्ट के लिये, शिड्यूल्ड ट्राइब के लिये, ओ.बी.सी. के लिये और विशेष ओ.बी.सी. के लिये मांग करते हैं, उसी प्रकार की बात थी, वह बात है, उसको उसी हिसाब से देखना चाहिये। हमने कई बार कहा है कि आरक्षण अब बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होना चाहिये। ये अगर लाते समय हम एक ई.बी.सी. का भी आयोग बना देते, एक कानून तो आपको बनाना था, तो सबका एक साथ आता। फिर आप जाओगे हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट उसमें कहेगा कि एक परमानेंट आयोग बनाओ। फिर आप उसके लिये कानून बना कर आयोग बनाओगे। इस प्रकार की बात उनके साथ, किसी प्रकार की क्यों झेल रहे हो। कौन-कौनसा ऐसा कानून है, जिस कानून में बिना सरकार और भारत सरकार के हो गया।

केवल शिड्यूल्ड कास्ट का ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। ओ.बी.सी. का आयोग

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी बराबर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया और भारत सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ा। ओ.बी.सी. को जब शिक्षा में देना पड़ा, तो भी निरस्त हुआ। उसके लिये भी संशोधन करना पड़ा। यहां तक कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो अटलबिहारी वाजपेयीजी ने किया, वह भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, उसको भी हमने लागू किया। उसके लिये भी संविधान संशोधन किया। आप कहते हैं, रामदासजी अठावले, कि संविधान संशोधन की आवश्यकता है तो 15(4) में संशोधन करने के लिये फिर इतने संशोधन कर लिये तो ई.बी.सी. के लोगों के लिये भी अगर संविधान संशोधन कर लिया जाये तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, और आरक्षण सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हो जाएगा। आप इतने लम्बे समय तक किसी को आन्दोलन करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। आप किसी को उत्तेजित होने के लिये नहीं कह सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया में कितना समय निकल गया। हमारा राज था, तब हमने किया। कानून बन गया और 13 महीने तक पिछली सरकार उस पर कुंडली मार कर बैठी रही और राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करने दिया। राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर नहीं किये। उसके बाद उसके खण्ड, टुकड़े कर दिये गये। इसका टुकड़ा एक करके किया गया यह इसलिये निरस्त हो गया कि इसमें 14 प्रतिशत और 05 प्रतिशत एक साथ जुड़ा हुआ है। यहां हमारी बहस हुई गहलोत साहब से। हमने कहा इसलिये नहीं हुआ। यह इसलिये हुआ कि न तो इसको नवीं अनुसूची में डलवाया, न इसके लिये संविधान संशोधन कराया। क्या कारण है कि तमिलनाडु में 68 प्रतिशत है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में सीमा ज्यादा है, झारखण्ड में सीमा ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में सीमा ज्यादा है। जब सब जगह इतनी सीमा बढ़ी हुई है, वहां का स्टे नहीं होता। बहस चल रही है अभी। हमारा स्टे क्यों होता है। या तो सरकार की पैरवी कमजोर है, या हम गलत आरक्षण कर रहे हैं, या हमारी मंशा नहीं है। हम इस विषय पर इसलिये बोलना चाहते हैं। यह जो यहां पर रुका है, इस रुकने को आप समझिये। राजस्थान गुर्जर आन्दोलन को देख चुका है। भगवान से प्रार्थना है, सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि वैसी स्थिति नहीं आने दे, उसके पहले उसका समाधान करें। उनका समाधान करने के पहले-पहले हमारा भी समाधान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको कोई छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। दो बातों पर जोर दिया जाता है। एक तो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अगर हमारा संविधान देखें तो पहली तीन लाइनें लिखी हुई हैं संविधान में, प्रिएम्बल में, संविधान का निर्माण किसलिये, Justice politically, socially and

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

economically. जब इकोनोमिक जस्टिस संविधान में लिखा है और इकोनोमिक जस्टिस के आधार पर बी.पी.एल. का आरक्षण हो चुका है, बी.पी.एल. का आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर ही तो है, उपाध्यक्ष महोदय, जाति नहीं है उसमें। इसके पास मकान है कि नहीं, इसके पास सम्पत्ति है कि नहीं। जब बी.पी.एल. का आर्थिक आधार पर आरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया तो ई.बी.सी. वर्ग को आर्थिक आधार पर घनश्याम तिवाड़ी जैसे लोगों को छोड़ कर बाकी जो गरीब ब्राह्मण हैं, उनका अगर आप आरक्षण कर दो तो आपको कोई दिक्कत है। राजेन्द्र राठौड़ जैसे सम्पन्न राजपूतों को छोड़कर बाकी किसी सामान्य राजपूत को आरक्षण मिल जाए तो क्या गलत है। क्या अपने बंसलजी जैसे को छोड़ कर गरीब बनिये का आरक्षण हो जाए तो क्या दिक्कत है। जो मुसलमान, क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया तो इकोनोमिकली आधार पर गरीब मुसलमान का भी आरक्षण इनके साथ में हो जाए तो कौन सी समस्या की बात है। इसको कौन रोकना चाहता है। इसलिये इसका हम निवेदन करना चाहते थे, इकोनोमिकली।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जातीय प्रश्न नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब संविधान सभा बनी थी तो आजादी के पहले बनी थी। संविधान सभा में 87 प्रतिशत हिन्दू थे और 13 प्रतिशत मुसलमान थे। उस समय देश की जनसंख्या में 13 प्रतिशत मुसलमान थे, तो शामिल थे। 87 प्रतिशत में 84 प्रतिशत ब्राह्मण थे। पण्डित जवाहर लाल नेहरू से लेकर, पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत से लेकर, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर, मदन मोहन मालवीय से लेकर, 84 प्रतिशत ब्राह्मण थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे, और लोग भी थे। इन सबने मिलकर जिस समय किया तो उन्होंने जातीय आधार ध्यान में नहीं रखा। अगर वे जातीय आधार ध्यान में रखते तो अपने लिये भी कर लेते। लेकिन उन्होंने देश हित और राष्ट्र हित को ध्यान में रखा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को आज सबसे पहले आवश्यकता है, तो उन्होंने उसको दिया। उसके बाद ओ.बी.सी. आ गया। इसके बाद अपन विशेष ओ.बी.सी. की बात करते हैं।

मैं तो कई बार, उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि ब्राह्मणों का काम होता है सगाई तय कराना, पंचांग देखना और शादी करा देना। शादी करने के बाद में फिर दक्षिणा मांगते हैं। तो ब्राह्मणों ने शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, ओ.बी.सी., विशेष ओ.बी.सी., सबकी आरक्षण से शादी करा दी। आरक्षण से शादी करने के बाद में दक्षिणा दे देते तो भी ठीक था। शादी के बाद बच्चे भी हो गये, नौकरियां भी लग गये। बच्चे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होने के बाद तो दे दो दक्षिणा में 14 प्रतिशत, जिसमें सभी शामिल हैं। कौनसी समस्या है। और, सब जातियां सहमत हैं। जो-जो आन्दोलन कर रहे थे, अभी किरोड़ीलालजी ने आन्दोलन किया, उन्होंने लिखा है सवर्ण आरक्षण। हनुमानजी बेनीवाल ने लिखा। मायावतीजी बोल रही हैं। मुलायमसिंहजी बोल रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है। बी.जे.पी. ने तो सबसे पहले प्रस्ताव ही यह रखा। तो सब लोग जब इसके समर्थन में हैं, लेकिन यह सवर्ण आरक्षण नहीं है। यह बहुत बड़े गलत ढंग से इसको प्रचारित करते हैं। सवर्ण का अर्थ है, चार वर्णों में जो भी आदमी है वह सवर्ण है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, चारों सवर्ण हैं। इन चारों के बाहर जो है, वह है, इसको एक बार, वह जाति का नाम मैं नहीं लेना चाहता, चाण्डाल जाति कहते थे, वह लोग केवल वर्ण के सवर्ण नहीं थे, तो चारों ही सवर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, सब। चारों वर्ण सवर्ण हैं। लेकिन अब वर्ण के बजाय वर्ग बन गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे आर्डिनेंस में तो कहीं नहीं लिखा, जिसके निरसन के लिये ये परिनियत संकल्प लेकर आये हैं। ये तो पूरे इकोनोमिक बैकवर्ड कमीशन पर बोल रहे हैं। बोल लें, कोई बात नहीं, पर आपने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें लिखा है राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, 2016, अध्यादेश इतने के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प। तो संकल्प पर तो कोई बोलें, साहब, कहां ई.बी.सी. आ गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब इसमें ई.बी.सी. आपने लिखा। मैंने तो लिखा नहीं। और आपको मेरे बोलने से तकलीफ क्यों होती है। तकलीफ नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, ये सुनना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बोलें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अबकी बार तो इन्होंने शब्द नहीं बोले। इनके बोलने पर क्यों आपत्ति कर रहे हो बारबार?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं। ये सुनना चाहते हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं एक बात बताऊं, आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बीच में आप क्यों आ रहे हैं ? दाल-भात में बीच में आप क्यों?

श्री उपाध्यक्ष: तो बीच-बीच में आप सब क्यों आ रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और जिनको आना चाहिये, वे आ नहीं रहे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह माननीय टोकते नहीं हैं। ये अपना काम पूरा करते हैं। जैसे आपको बोल रहे थे, मैं तो बार-बार चेयर के ध्यान में लाया। चेयर ने उनको नहीं रोका। अगर आपको ओलमा देना है तो चेयर को दो, मुझे मत दो।

मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, ज्यादा लम्बा नहीं ले रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। यह पुरानी आदत है इनकी। निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं लगा रहे हैं। आप कह दो न उपाध्यक्ष महोदय को।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा लगता है कि कुछ आप लोगों में आपस में सहमति हो गयी दिखती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, वह सहमति के आधार पर ही हम यह कार्यवाही कर रहे हैं। न तो मैंने कभी निगाहों से किसी को देखा, न निशाना लगाया अभी यहां पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमने उसको, कांग्रेस पार्टी ने नहीं डाला, फिर हमने इसको दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हमने लिख दिया और एस.बी.सी. का आरक्षण हमने पास कर दिया और वह रुक गया। उसमें एक गलती की उस समय। उसमें एक परसेंट को छोड़कर चार परसेंट करते न तो एक परसेंट बचा रह जाता। हमने उसको शामिल कर दिया, यह गलती कर दी और ई.बी.सी. का कर दिया। मैं आज यह विषय इसलिए उठा रहा हूं कि आप यह पास करिए ओ.बी.सी. का लेकिन आप ई.बी.सी. का भी लेकर आइए और विशेष पिछड़ा वर्ग की जो समस्या हो गयी, इसका समाधान करिए।

मेरा यहां भाषण देने का, कोई पोलिटिकल स्कोर करने का इरादा नहीं है। मेरा एक मात्र काम है कि राजस्थान में जो अशांति जगह-जगह फैल रही है, जो आंदोलन की स्थिति बन रही है तो सामान्य वर्ग के लोगों को और एस.बी.सी. को आंदोलन के लिए हम समय नहीं दें, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और उनकी समस्या का समाधान करें। केवल हाई कोर्ट ने एक आर्डर कर दिया या उस कोर्ट ने एक आर्डर कर दिया और उस आर्डर के बाद हम तुरंत आर्डिनेंस लेकर आ जाएं तो बारबार यह काम नहीं कर पाएंगे।

एक बार पुन: आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मैं इस आर्डिनेंस का तो समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत से मंत्रीजी के जवाब के बाद में मैं वापस लूंगा लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन जातियों के लोगों की समस्याओं को भी सुनें, उनका भी विचार करें और सब, आरक्षण सर्वजन हिताय,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सर्वजन सुखाय हो और राजस्थान की विधान सभा में जो हिंदुस्तान में सबसे पहला कानून पारित किया था, उसके हिसाब से हम काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अरुण चतुर्वेदी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, वे बहुत वरिष्ठ हैं, काफी विद्वान हैं, विधान सभा की प्रक्रिया और कानून, दोनों का ही अच्छा ज्ञान आप रखते हैं।

पहले तो आपने कहा हिरण पालने की बात। वन मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं पर जितना कानून का मुझे ज्ञान है, आजकल हिरण तो कोई पाल ही नहीं सकता। किसी भी वन्य जीव को पालना आजकल क़ानूनन अपराध है, उसको पालने का अधिकार किसी को नहीं है।

विधान सभा में एक ओ.बी.सी. के बिल को, रिप्लेसिंग बिल हम लेकर आए हैं। उसको अस्वीकार करने का आपने रखा, एक संकल्प रखने की बात की है। आपने उसमें कहा कि राज्य की परिभाषा जहां पर दी गयी है, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, एस.बी.सी., ओ.बी.सी. आर्थिक पिछड़ा वर्ग, सबका उल्लेख किया गया है। लेकिन उसी के साथ-साथ, उसी परिभाषाओं में पहली परिभाषा पिछड़ा वर्ग की दी है, जिसके संबंध में यह आयोग बनाने की बात की गयी। क्लॉज-2 में कहा है- ' (क)- 'पिछड़ा वर्ग' से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के पिछड़े वर्गों के ऐसे समस्त प्रवर्ग, जो राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के, और राज्य में नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रवर्ग के पक्ष में राज्य में शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के, आरक्षण के लिए उपबंध बनाते हुए तत्समय प्रवृत्त संबंधित विधि के द्वारा या अधीन घोषित किये जायें, अभिप्रेत हैं;'

इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ऐसा एक आयोग बनाने की बात जो समय-समय पर जो राष्ट्रीय, एन.सी.बी.सी. बना उस एन.सी.बी.सी. ने कुछ जातियों को, 68 जातियां राजस्थान की हैं, जिनको आपके यहां सूचीबद्ध किया। इसी प्रकार उसी समय शायद इस बात की पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी व्याख्या की इंदिरा साहनी के केस में और बाद में रामसिंह के केस में भी और अभी आपने कहा कि रतन सिंह बागड़ी के केस में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी, इस बात को उन्होंने उल्लेखित किया है। उन्होंने शायद पहले ही देख लिया था कि इस तरह के विषय बार-बार आते रहेंगे। कभी भी कोई समाज इस बात को कह सकता है कि हम पिछड़ा वर्ग

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

की सूची में आते हैं। इस बात को लेकर जब भी कोई अभ्यावेदन लेकर अगर आएगा तो सरकार के सामने कोई इस तरह का निष्पक्ष आयोग हो, जिस आयोग के बारे में अपनी राय दे सके। इसके बारे में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी बड़ा स्पष्ट रूप से इसका आदेश पारित किया है। कमीशन बनाते समय भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था। उसी के तहत उसमें केवल इतना ही नहीं कहा, यहां तक उसमें कहते आए कि आप जोड़ने का काम भी और हटाने का काम भी, उसमें डिलीशन का काम और एडिशन का काम, यह साथ-साथ चलेगा। इसके साथ-साथ एक पीरियोडिकल रिव्यू की बात भी उसी समय आयोग के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में इस बात को कहा गया कि राज्य सरकार को इसका अधिकार दिया कि पीरियोडिकल रिव्यू करता रहे और उसी के तहत सरकार ने पहले यह अध्यादेश जारी किया और उसका रिप्लेसिंग बिल हम लेकर आए हैं। स्पष्ट रूप से आपने जिस फैसले का उल्लेख किया- रतनलाल बागड़ी व अदर्स वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान, इसमें स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि-

"The State of Rajasthan is directed to appoint a permanent Commission for Backward Classes by enacting a suitable legislation for examining the requests of inclusion and the complaints of over-inclusion or under-inclusion in the list of OBC, to advise the Government, as directed in paragraph 847" इसमें इंदिरा साहनी के केस में पैरा 847 में उल्लेख किया हुआ है।

"Judgment in Indra Sahni & ors. V/s Union of India & ors. (supra) and for which directions have also been given in Ram Singh V/s Union of India (Writ Petition (Civil) No.274 of 2014) decided on 17.3.2015. The permanent mechanism will be set up within four months."

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदेशों का उल्लेख करते हुए इस आदेश को पारित किया और उसी पर हम, इस आर्डिनेंस को लेकर आये 21 अक्टूबर, 2016 को उस समय विधान सभा नहीं थी और पहला अवसर जब आया तो उस अवसर पर यह बिल लाकर, केवल विधान सभा में लाकर इस बिल को पारित करवाने का अपना एक विनिश्चय है, जो कानून की व्याख्या है, जो कानून में आदेश दिये गये हैं, उसके तहत करने की बात हमने की है। इसलिए कहीं किसी प्रकार के कोई वॉयलेशन की बात मुझे नहीं लगती।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

दूसरा, माननीय सदस्य ने एस.बी.सी. के आरक्षण के संबंध में केन्द्र की नौकरियों के विषय में जो प्रमाण-पत्र की बात की है, उस प्रमाण-पत्र के संबंध में भी यह पहले से था क्योंकि एस.बी.सी. यहां पर चल रहा था। उसको दो प्रोफोर्म में अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी सर्विसेज के लिए जो लोग एप्लाई करते थे, उनको ओ.बी.सी. का प्रमाण-पत्र मिलता था और जो स्टेट की सर्विसेज के लिए एप्लाई करते थे उनको विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र मिलना था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब एस.बी.सी. के आरक्षण को स्ट्रक-डाउन किया तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ओ.बी.सी. की लिस्ट में यह पांचों जातियां हैं जो 68 सूची है राजस्थान की, उसमें पांचों है और उस सेंटर सर्विसेज में पांच परसेंट देने का किसी तरह का कोई अवरोध अब भी नहीं है और लगातार वह चल रहा है। केवल एक व्यक्ति को कहीं एक अधिकारी के द्वारा, इसमें कोई आपत्ति की गयी, उसके कारण से यह विषय बना और आज उसमें यह निकाल कर दी है और आज ही एक स्पष्ट आदेश हमने, आज विभाग की तरफ से इसका जारी किया गया है- 'अत: समस्त जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, उक्त पांच जातियों, पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार केन्द्र या अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित कराएं।' तो सरकार की कोई मंशा नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का व्यवधान आए और लगातार जैसे मिल रहे थे, उसी तरह से दिए जाए। केवल एस.बी.सी. का आरक्षण क्योंकि स्ट्रक-डाउन हुआ है इसलिए उस विषय को छोड़कर केन्द्र की जितनी भी सर्विसेज में, उनको देने की बात चल रही है।

तीसरी बात, हमने इस विषय को लेकर भी सरकार ने अपनी तरफ से, एस.बी.सी. का जैसे ही स्ट्रक डाउन हुआ, हमारे पास जो कानूनी अधिकार थे, तुरंत उच्चतम न्यायालय गये वहां पर हमने लीव एस.एल.पी. फाइल की। एस.एल.पी. में लीव ग्रांट हुई है और उसी में राजस्थान सरकार के विशेष प्रयासों के कारण एक एप्लीकेशन हमने लगाई कि ऑल-रेडी जो लोग रिक्रूटेड हैं, जिनके अपाइंटमेंट हो चुके हैं, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की लीव ग्रांट करते हुए हमें यह निर्देश दिया कि आप इनको, प्रोटेक्ट करने की बात की है। क्योंकि उसमें स्टडी को भी दिया है, तुरंत सरकार ने ओ.बी.सी. कमीशन को अपनी तरफ से भेजा कि इसकी स्टडी पूरी की जाए, एस.बी.सी. कमीशन को, इसकी स्टडी कम्प्लीट करके जल्दी से जल्दी हमें अपनी रिपोर्ट सब्मिट करे, जिससे सरकार एस.बी.सी. आरक्षण के विषय को और अधिक बढ़ाने की बात कर सके।

जहां तक ई.बी.सी. का है या आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के विषय की

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

बात है, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, पिछली बार सरकार में आप विधि मंत्री भी थे और आप ही उस बिल को लेकर आए थे जिसमें एस.बी.सी. के लिए पांच परसेंट और 14 परसेंट आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। आपने सही कहा कि उस समय राजस्थान की सरकार बदलने के बाद कांग्रेस सरकार 13 महीने तक अपने पास रोककर बैठी रही, उसने कुछ नहीं किया। आपकी जानकारी में इस बात का उल्लेख है कि बाद में हाई कोर्ट में वह चेलेंज हुआ और उच्च न्यायालय ने उसको क्वैश किया। 2010 में माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, उस फैसले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी, आप इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करने से पहले क्वांटिफाइड डाटा तैयार करें किसी भी काम्पीटेंट एजेंसी के थ्रू काम्पीटेंट डाटा जब तैयार हो जाए, उसके बाद नोटिफाइड करें और नोटिफाइड करने के भी एक महीने बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की बात उसमें कही थी। दुर्भाग्य से, माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि जिस समय यह आदेश आया कोर्ट का उस समय एस.बी.सी. और ई.बी.सी. दोनों का यह विषय था लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने एस.बी.सी. के लिए आयोग का गठन कर दिया। उसकी स्टडी चालू हो गयी, स्टडी की रिपोर्ट आ गयी बाद में उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। ई.बी.सी. की केवल घोषणा की गयी। ई.बी.सी. आयोग का गठन नहीं किया गया, जिसके कारण से लगातार तीन-चार साल तक वह विषय आगे बढ़ने की स्थिति नहीं रही।

जब इसी सदन में एस.बी.सी. और ई.बी.सी. का विधेयक पारित किया और नोटिफाइड करने की बात आई तो यह ध्यान में आया कि इस तरह का राजस्थान उच्च न्यायालय का एक आदेश है और इस पर तुरंत राजस्थान की सरकार ने, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने तुरंत इस बात का एक कमीशन बनाने का काम किया कमीशन ने अपनी स्टडी इमीडिएट तुरंत प्रारंभ की है और वह प्रोसेस में है।

जैसे ही ई.बी.सी. कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होगी, सरकार, विधान सभा में जिस संकल्प को पारित किया और जिस बिल को पारित किया है, उस बिल को लेकर अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। उन वर्गों के लिये, जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसको पूरी तरह सुनिश्चित करने का काम भी उस बिल के तहत सरकार करती है और केवल इतना ही नहीं, यही राजस्थान की सरकार है जिस सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के इन सब पक्षों को देखते हुए वहां भी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी समाज में भी पिछड़ा हो सकता है। इसी को देखते हुए राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जितने भी 750 के लगभग छात्रावास हैं, उन

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सब छात्रावासों में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो लोग प्रवेश प्राप्त करते हैं और इनकी परिवार की आय पांच लाख से कम है, उनकी फीस का 50 प्रतिशत सरकार के द्वारा देने का एक आदेश राजस्थान सरकार ने पारित किया। 18 जिलों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिये छात्रावास बनाने की घोषणा करके आज सभी कलक्टर्स को लिख दिया। जैसे ही जमीनों के आंबटन जहां-जहां होते आ रहे हैं, उसके फण्ड का एलोकेशन हो गया, उनके भवन बनाने का काम शुरू करके उनके रहने की व्यवस्था हो। जैसे सामान्य सब लोगों के छात्रावास की व्यवस्था है, वह आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिये भी हो, इसको भी सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है।

इसके साथ ही अनुप्रति योजना, केन्द्रीय परीक्षाओं में जो बच्चे पास होते हैं आई ए एस की परीक्षा में, एक लाख रुपये तक अलग अलग चरणों में देने की व्यवस्था उसमें की है। राज्य की परीक्षाओं में जो पास होते हैं, अनुप्रति योजना में 50 हजार रुपये तक अलग अलग चरणों में देने का भी आदेश इसी सरकार ने किया है। पालनहार की योजना में भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग, सभी वर्गों के लिये है। विधवा, परित्यक्ता और ऐसी आठ कैटेगरी हैं, उन आठ कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उन परिवारों को पालनहार के नाते से उनका पैसा देने की जो व्यवस्था है, उसको भी नियम के तहत जारी करने की इच्छा है।

जैसे आपने कहा कि 'सर्वजन हिताय' की बात करके आती है सरकार और 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए यह राजस्थान की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। क्योंकि कानून की बाध्यता है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि चार महीने में इस प्रकार का अध्यादेश लाया जाए। हमने पहले विधान सभा को भेज दिया और विधान सभा का सत्र, क्योंकि उस समय कम चला, इस कारण से पिछले सत्र में नहीं लाया जा सका। पहला अवसर मिलते ही, विधान सभा का सत्र आहुत होते ही इस सत्र में लाकर इसको पारित करने की बात हमने की है।

श्री उपाध्यक्ष: Are you pressing or withdrawing ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Not pressing.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य द्वारा प्रस्तुत परिनियत संकल्प को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश

(श्री उपाध्यक्ष)

संख्या 3) पर परिनियत संकल्प को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अरुण चतुर्वेदी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2107 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 जो लाया गया है, राजस्थान सरकार की पिछली इसी भाजपा सरकार ने 2007 में राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग बनाया था, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने शून्य अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद में आयोग बिठाने के लिये हाई कोर्ट ने सरकार से रतनलाल बागड़ी बनाम अन्य में और जो पहले आयोग बना था, उसमें भारत सरकार ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ में अनुशंसा की कि अलग से आयोग बनाया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक लाया गया है, इसी तरह का आर्डिनेंस 21 अक्टूबर, 2016 को सरकार द्वारा लाया गया। महज तीन-साढ़े तीन महीने ही पहले बचे थे और साढ़े तीन महीने बाद में विधान सभा थी, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि ऐसी कौनसी आवश्यकताएं पड़ गयीं सरकार को, कि सत्र से साढ़े तीन महीने पहले इस विधेयक को आर्डिनेस के जरिये लाया गया। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि जो 21 अक्टूबर, 2016 को ओर्डिनेंस लाया गया और यह सत्र आहूत किया गया, उनके बीच में उस आयोग की कितनी बैठकें हुईं, कितनी शिकायतें आयीं, उन शिकायतों पर क्या निर्णय हुआ, क्या शिकायतें सरकार को भेजी गयीं, सरकार ने वह मानी या नहीं मानी? पूरी बात स्पष्ट माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक में सांगानेर से आने वाले हमारे विधायक महोदय ने निवेदन किया था कि अध्याय-1 में परिभाषाएं दी गयी हैं। उसमें (च) और (छ) इसमें 'राज्य के अधीन सेवाओं' में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी, एस.बी.सी., आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, सभी के बारे में हवाला देकर लास्ट में लिखा गया है कि अधिनियम 2008 (2009 का अधिनियम संख्या 12)

(श्री सुखराम विश्नाई)

की धारा 2 के खण्ड (छ) में दिया गया है। तो क्या दिया गया है, क्या किया गया है, कम से कम हम इस बात को समझ पाते, तो स्पष्ट रूप से यह बात रख सकते थे। साथ ही इन अलग-अलग जातियों के लिये क्या किया गया ? ई.बी.सी. के लिये क्या किया गया ? पिछड़े वर्ग के लिये क्या किया गया ? यह कम से कम खुलासा होना चाहिये था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, ई.बी.सी. के लिये पहले विधेयक यहां से पास किया और आर्डिनेंस जारी नहीं किया। किस कारण से वह अटका हुआ पड़ा है, किस कारण से पास नहीं कर रहे हैं। यह पूरी बातें मंत्रीजी के जवाब में आनी चाहिये ताकि ई.बी.सी. के लोग भी जान सकें जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कि सरकार ने हमें केवल मात्र आर्डिनेंस पास करके, अध्यादेश पास करके छोड़ दिया है, वाकई में सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है ? यह पूरा खुलासा होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का अध्याय संख्या 2 है, 2 के अंदर राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, कौन-कौन सदस्य गठन में होंगे। इसमें दो लोगों की योग्यताएं दर्शाई गयी हैं। एक तो अध्यक्ष है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं या हैं, वह होगा और एक सदस्य सचिव राजस्थान सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक का राज्य सरकार कोई अधिकारी है, रह चुका या जिला न्यायाधीश है, या रह चुका है। बाकी के दो में एक समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री की क्या योग्यता होनी चाहिये, कितना पास होना चाहिये? इसके साथ ही इसमें ऐसे दो व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखें। विशेष ज्ञान किस तरह से रखते हों, जब तक इसकी योग्यता नहीं आएगी, सरकार, अपनी मनमर्जी से जो कोई जानकार नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, केवल मात्र अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को खुश रखने के लिये नोमिनेट करेंगे, कम से कम इसमें खुलासा होना चाहिये कि जो समाजशास्त्री होगा, उसकी योग्यता क्या होगी? और जो पिछड़े वर्ग का जानकार है, उसकी जानकारी किस तरह की होगी, बी.ए. पास होगा, डिप्लोमा हो, किस तरह की योग्यता हो, वह स्पष्ट होनी चाहिये ताकि नियुक्ति के अंदर सरकार को कोई तकलीफ नहीं आए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो आयोग बना है, उस आयोग को फ्री हैण्ड नहीं किया गया हे। आयोग के अध्याय तीन में आयोग के कृत्य लिखे हुए हैं कि क्या क्या ड्यूटी रहेगी। उसमें केवल मात्र लिखा हुआ है कि 'किसी भी प्रवर्ग में अधिक सम्मिलित किये जाने या कम सम्मिलित किये जाने की शिकायतें सुनेगा और

(श्री सुखराम विश्नाई)

उस पर राज्य सरकार को सिफारिश करेगा।' केवल मात्र शिकायतें सुननी हैं कि इसको सम्मिलित किया जाए या नहीं। दो बातों को देखना है परन्तु इस आयोग को यह पावर भी दिया जाये कि जो जातियां सम्पन्न हो गयीं, या जो सक्षम हैं, उनका भी सर्वे साथ में किया जाए ताकि ओ.बी.सी. से काबिल है उनको हटाया जाए। इसमें यह बात भी बतानी चाहिये कि जब तहसीलदार, एस.डी.ओ, ओबीसी का सर्टिफिकेट देता है तो लिखता है क्रीमीलेयर या नोन-क्रीमीलेयर। इस एक्ट में खुलासा होना चाहिये कि क्रीमीलेयर में जो ओ.बी.सी जातियां हें उसमें लघु है या सीमांत है या किस आय वर्ग तक के लोग हैं, यह बिलकुल खुलासा होना चाहिये। ताकि जो तहसीलदार, एस डी एम या जो प्रशासनिक अधिकारी हें, ओ.बी.सी के लोगों के लिये सर्टिफिकेट जारी करें, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आए, कोई अड़चन नहीं आए, इस बात का भी इस अधिनियम में खुलासा होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो आयोग की शक्तियां लिखी हुई हैं, सिविल कोर्ट को जो शक्तियां दी गयी हैं वो ही शक्तियां इस आयोग को दी गयी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह मामला थोड़ा स्पष्ट नहीं है कि सिविल न्यायालय का जो विचारण होगा उसी तरह से इस आयोग का विचारण होगा। तो सिविल कोर्ट को तो बहुत सारे राइट्स हैं, सिविल ने जो फैसला किया, उसकी अपीलें होती हैं बाकायदा, उसमें मियाद दे रखी है। तो इस आयोग को कम से कम फ्री हैंड करना चाहिए और जो शक्तियां हैं उनका इस अधिनियम में खुलासा होना चाहिए ताकि स्पष्ट हो जाए।

इसके साथ ही जो सैक्शन 11 है इसके अन्दर 'राज्य सरकार द्वारा कालिक पुनरीक्षण:- राज्य सरकार, ऐसे वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं, अपवर्जित करने या नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से, पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों का कालिक पुनरीक्षण कर सकेगी।' सरकार ने यह केवल मात्र अपने पास अधिकार रखा है। आयोग को यह अधिकार दिया जाए ताकि वो बकायादा जो जातियां सक्षम हो गयी हैं, जो परिवार सक्षम हो गये हैं उन सक्षम परिवार को निकाला जाए और दूसरे सामान्य वर्ग में डाला जाए। यह इस आयोग को पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

इसके साथ ही इस आयोग को पावरफुल बनाया जाए। आज की तारीख में पचास परसेंट से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होने से यह जो एस.बी.सी. का मामला चल रहा है, एस.बी.सी. के मामले का भी मंत्री जी को खुलासा करना चाहिए। उस एक परसेंट की वजह से जो कई लोग, लड़के अटके हुए हैं, तो एक परसेंट का खुलासा होना चाहिए, चार परसेंट मान लों उसमें संशोधन का मामला है परन्तु एक परसेंट तक एस.बी.सी. को रिजर्वेशन दिया जाए। यह बात भी खुलासे में होनी चाहिए।

(श्री सुखराम विश्नाई)

मैं मेरी बात को पूर्ण करूंगा और पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस आयोग को बनाया गया है, आज की तारीख में राजस्थान के अन्दर करीब-करीब सभी जातियां इस ओ.बी.सी. में जुड़ी हुई है, जो मूल ओ.बी.सी. के लोग हैं, जो आजादी से पहले हिन्दू वर्ण व्यवस्था के ऊपर पालन-पोषण करते थे उन लोगों के अधिकार संरक्षित किये जाएं, उनकी नौकरियों की रक्षा की जाए क्योंकि दूसरी जो जातियां हैं, काश्तकार जातियां हैं वो ओ.बी.सी. में आने से जो मूल ओ.बी.सी. के लोग थे, जिस मंशा को लेकर के मण्डल आयोग ने जो ओ.बी.सी. की जातियां घोषित की थीं उस वक्त मण्डल आयोग में यह जातियां नहीं थीं, मेरा मंत्री जी से निवेदन है ...(व्यवधान)...

हां, मैं भी इसी में हूं, मैं कौनसा अलग हूं, हम तो एक साथ ही हें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि जो मूल ओ.बी.सी. हैं उन के लिए भी इस एक्ट में प्रावधान होने चाहिए। जो हिन्दू वर्ण व्यवस्था के ऊपर पालन-पोषण करते थे, आज न उनके पास खेत है न उनके पास नौकरी है, उनको भी संरक्षण दिया जाए। यह भी इस अधिनियम में खुलासा होना चाहिए। आपने मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 के संशोधन हेतु मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित किया था, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 पर काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आखिर यह कब तक चलता रहेगा, किस जाति को जोड़ना, किस को रखना, किस को नहीं रखना। काफी लम्बा, सन् 1992-93 से लगा कर आज दिन तक यह विवाद चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय हाई कोर्ट हो, अनेक बार अनेक अदालतों में भी विषय जा रहा है। इसका कोई न कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल जावे, सभी की संतुष्टि हो जावे, जिनको जो अधिकार मिलना है वो पूरा अधिकार मिल जावे, ऐसी व्यवस्था और ऐसी मंशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रही है और भारतीय संविधान की भी रही है।

यह नेशनल कमीशन फोर बैकवर्ड क्लासेज एक्ट, 1993 आया, उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवम्बर, 1992 को कुछ ऑब्जर्वेशंस किये थे अपने जजमेंट में और वो ऑबजर्वेशन यह थे

(श्री जोगाराम पटेल)

"The Government's orders on reservation of appointments or posts under the Government services of India in favor of backward classes of citizens under article 16 (4) of the Constitution, the Supreme Court, inter alia directed the Government of India to constitute a permanent body within four months from the date of judgment i.e., by 15th March, 1993 for entertaining and examining and for recommending upon the request made to it for, inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the lists of the backward classes of citizens. The Supreme Court observed that the body so created can also be consulted by the Government in the matter of periodic revision of lists of backward classes. The Supreme Court has also observed that the permanent body must be empowered to examine the complaint relating to such matters and pass appropriate orders."

इसी का समाधान ढूंढने के लिए राजस्थान सरकार ने, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन हो जावे, पहले आर्डिनेंस और आज यह एक्ट आपके सामने लाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने तो इसके डाइरेक्शन में चार महीने से कुछ समय ऊपर जरूर हुआ होगा, द नेशनल कमीशन फोर बैकवर्ड क्लासेज एक्ट, 1993 पास कर दिया। उसमें सैक्शन 9 और 11 सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइम भी था और सेण्ट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है और विभिन्न सरकारों के लिए भी है। उसका सैक्शन 9 है वो अभी जो आपके सामने एक्ट आया है, जिस पर विचार हो रहा है, उसी का सैक्शन 9 है। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा-बहुत शब्दावली का फर्क किया गया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

इसके कमीशन के पावर क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे, कमीशन रिक्वेस्ट को एग्जामिन कर सकेगा और कम्प्लेंट को भी एग्जामिन कर सकेगा। कम्प्लेंट में अण्डर इन्क्लूजन है या ओवर इन्क्लूजन है, इन दोनों की जांच कर सकेगा अगर कम्प्लेंट नहीं है और रिक्वेस्ट भी है कि, साहब, हमारा नाम रह गया है, हमारा भी इन्क्लूजन होना जरूरी है, तो उसको भी कंसीडर कर सकेगा। इसलिए सरकार के पास कोई कम्प्लेंट लेकर जाने की आवश्यकता नहीं रही, यह बेसिक उद्देश्य है।

लेकिन सेक्शन 11 बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी यही रही थी

(श्री जोगाराम पटेल)

"Periodic revision of lists by the Central Government:- (1) The Central Government may at any time, and shall, at the expiration of ten years from the coming into force of this Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the lists with a view to excluding from such lists those classes who have ceased to be backward classes or for including in such lists new backward classes."

और यह मेन ऑब्जैक्ट था, इसकी पालना नहीं हो रही थी इसीलिए यह सारे जजमेंट अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, जजमेंट्स आ रहे हैं।

कोई भी क्लॉस बैकवर्ड हो सकती है एक समय के लिए लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बैकवर्ड ही रहे। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बैकवर्ड क्लॉस, जो बैकवर्ड हो वो बैकवर्ड नहीं भी रहे, यह पीरियोडिकली रिवीजन पर निर्भर करता है और यह विषय अनेक बार चला। राजस्थान में भी चला और केन्द्र में भी चला। जब यह एक्ट आ गया तो दिनांक 31.05.1997 को राजस्थान में उस कमीशन की हियरिंग की और यहां जयपुर में दो दिन तक उस कमीशन ने बराबर हियरिंग की और हियरिंग करने के बाद उन्होंने एक विषय, अभी जो जजमेंट में है, जिस जजमेंट का बेसिस बनाया गया ऑब्जैक्ट एण्ड रीजंस में, यह रिकमन्डेशन किया कि राजस्थान में सिवाय धौलपुर और भरतपुर को छोड़ कर के एक जाति, जाट जाति के नाम से है, उनको ओ.बी.सी. का आरक्षण मिलना चाहिए। उनके डिटेल रिकमण्डेशन के आधार पर जो उनकी रिपोर्ट बनी वो 28.11.1997 कमीशन ने रिपोर्ट पेश की कि इनका सारा हमने एग्जामिन किया है, इनका इसमें राइट बनता है और इनको इन्क्लूड करना चाहिए। पर एक्सेप्शनल उन्होंने धौलपुर और भरतपुर के राजा थे, उसमें किया था। उस रिपोर्ट के पैरा 152 में सारे डिटेल रीजंस उन्होंने इन्क्लूड किये थे, किस तरह से एग्जामिन करना है, क्या-क्या एग्जामिन किये हैं, उनकी क्या पास्ट हिस्ट्री रही है, क्या इनकी वर्किंग है, कैसा जॉब है, क्या एक्सपेंडीचर है, यह सारा करने के बाद रिकमण्ड की। उस रिकमण्डेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया और 27.10.1999 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सिवाय धौलपुर और भरतपुर के जाट जाति के लोगों के सिवाय बाकी पूरे उस समुदाय को, माननीय, समुदाय को उसका रिकमण्डेशन दे दिया, उसका नोटिफिकेशन कर दिया और उसकी परस्युएंस में 03.11 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

(15:00 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल)

दिनांक 27.10.1999 को जो नोटिफिकेशन हुआ, उससे राजस्थान में जाट समुदाय को ओ.बी.सी. में मान लिया गया और तब से उनको बराबर लाभ मिल रहा है। उसके बाद लोगों की ओर से प्रार्थना पत्र आए कि हमको गलत छोड़ दिया गया है। धौलपुर, भरतपुर को नहीं छोड़ना चाहिए था। उनको भी साथ होना चाहिए था। जब यह प्रार्थना-पत्र आने लगे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन के सामने एप्लीकेशन लगायी गयी, कमीशन से प्रार्थना की गयी कि इसको भी आप एग्जामिन कर लें कि धौलपुर और भरतपुर को भी इसमें इनक्लूड करें कि नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, 21.05 को जस्टिस आर.एस.वर्मा की अध्यक्षता में एक नया कमीशन और बना दिया गया और ऑनरेबल जस्टिस वर्मा को यह अधिकार दिया गया कि आप इसको एग्जामिन करें कि धौलपुर और भरतपुर के जाट समुदाय के लोगों को भी ओ.बी.सी. में शामिल करें या नहीं करें। ऑनरेबल जस्टिस वर्मा का नोटिफिकेशन 01.07.1999 को जारी हो गया। एक विषय जो कि आजकल देखने योग्य है वह यह है कि यह नोटिफिकेशन होने के बाद में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन भी वहां गया, जो भी डेटाज देने चाहिए, जो भी तथ्य देने चाहिए, समुदाय के लोगों ने भी दिए, गवर्नमेंट ने भी दिए, लोगों ने जिनको देने चाहिए, जिनको एतराज करना था उन्होंने एतराज किया और जिनको पक्ष करना था, उन्होंने पक्ष किया। यह सब होने के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने, 22.10 को कोई रिप्रजेंटेशन हुआ था और कोई काम 12.11 को हुआ, सीधे ही 8.10 को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को अपने पास मंगवाया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, उसमें यह लिख दिया कि इसमें जो रिकमंडेशन की है कि धौलपुर और भरतपुर को नहीं करना चाहिए, 7.1.2000 की हियरिंग करके डायरेक्ट ही दिनांक 8.01.2000 को बिना कोई उन्होंने स्वयं जांच किए, सीधा नोटिफिकेशन, रिकमंडेशन कर दिया और गवर्नमेंट को रिकमंड कर दिया। राजस्थान सरकार ने मान लिया और धौलपुर एवं भरतपुर के जाट समुदाय को भी ओ.बी.सी. में शामिल कर लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, वह रिट चैलेंज हुई। यह रिट जिसका हवाला आपके सामने दिया है, वह उस 2000 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए, इसमें यह 7 रिटें साथ थी। उसकी सुनवाई के दौरान बीच में यह सब बाकी सब स्टोरी चली। उसमें फिर अदर बैक्वर्ड क्लासेज, एसबीसी और यह सारे चले। 2 जो इश्युज इसमें कंसीडर किए हैं और मैं आभार भी व्यक्त करुंगा आदरणीय मंत्री जी का कि पीरियोडिकल रिवाइज करना, हर 10 साल बाद में इसको एग्जामिन करना कि वह जो अमुक जाति है, वह ओ.बी.सी. की लिस्ट में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई कम्प्लेंट भी है कि हमारा

(श्री जोगाराम पटेल)

पर्टिकूलर वर्ग है और हमको छोड़ दिया गया है, तो उसको भी सुनने वाला चाहिए। बार-बार गवर्नमेंट को इंटरविन नहीं करना पड़े और उस कमीशन की जो रिपोर्ट आवे, गवर्नमेंट उसको माने या नहीं माने, वह अलग विषय हो सकता है। लेकिन वह टोटली इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह काम करे, इसीलिए एक्ट लाए हैं इसको कमीशन बनाने का।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कमीशन बना, मंडल कमीशन से लगाकर के 2000 तक, बीच का जो पीरियड चला, उसमें सुप्रीम कोर्ट की इन्दिरा साहनी वाले केस में यह स्पष्ट रिकमंडेशन थी 1993 में कि आपको सिर्फ 4 मंथ के अंदर-अंदर कमीशन बनाना है, लेकिन नहीं बनाया गया। राजस्थान में भी नहीं बनाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद अनेक बार हाई कोर्ट में रिटें हुई। अल्टीमेटली रतन लाल बागड़ी वाली रिट की हियरिंग में आया, तब यह आब्जर्वेशन आया कि आज दिन तक कमीशन नहीं बना है, तो वन ऑफ दी ग्राउंड, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने पैरा नम्बर 5 में टोटल जजमेंट में कंसीडर ही यही किया कि जब 4 महीने में आपको परमानेंट कमीशन बनाना था तो आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया? बिना कमीशन बनाए आप टैम्प्रेरी कमीशन से इस तरह से रिकमंडेशन लेकर के करते हो तो इल्लीगलिटी है। यह भी कहा कि किसका अंदर होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, जैसा माननीय मंत्रीजी ने बताया कि एक बार नोटिफिकेशन का कहा तो आपने पूरा डेटा कलेक्ट नहीं किया। 2007 में जो चौपड़ा कमीशन बनाया, उसका डेटा कम्प्लीट नहीं था। उसके आधार पर 2012 में जाकर वह स्ट्रक डाउन हो गया। 2013 में फिर गोयल आयोग बनाया गया, उसके डेटा पूरे कलेक्ट नहीं हुए तो वह भी स्ट्रक डाउन हो गया। फिर जाकर के तीसरा कमीशन बना, ऑनरेबल सुनील कुमार जी गर्ग का कमीशन बना। मेरा सब्मिशन यह है कि कैप्टन गोविन्द सिंह जी की रिट याचिका हो, 5 रिट याचिकाएं हों, रतन लाल बागड़ी की रिट याचिका हो, इन सब में एक विषय जरूर आया है कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पहला मेरा निवेदन था वह यह कि इन सब रिट याचिकाओं में इन्दिरा साहनी वाले केस में, सेन्ट्रल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लॉसेज एक्ट, 1993 है, इन सबकी एक ही मंशा थी कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए। जो कि इसको एग्जामिन करे। यह इसके पीछे बेसिक आइडिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, 2 बातें और रहेंगी कि राजस्थान में अभी 3 वर्ग जो हैं, नाम इनक्लूड कराने या नहीं कराने, इनक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के विवाद चल रहा है। एक तो यह 5 जातियां, एक कृषक राजपूत हैं, एक है भरतपुर, धौलपुर के जाट समुदाय का, यह तीनों ही वर्ग अपना-अपना नाम इनक्लूड

(श्री जोगाराम पटेल)

करवाने, या कोई इस पर एतराज करता हो, एतराज करने के लिए मामले चल रहे हैं। मेरा सब्मिशन है कि यह जो 3 वर्ग अपना अधिकार क्लेम कर रहे हैं या और कोई इसमें एतराज कर रहे हैं, इन सबका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि इस कमीशन को कोई डायरेक्शन दिया जावे कि वह विधिवत पूरी डिटेल हियरिंग कर दे, सभी समुदायों को अपनी-अपनी बात कहने का मौका दे दे, उसके उपरांत इसका अंतिम रूप से निर्णय कर ले। अभी जो उदयराम वाली रिट याचिका हुई है, बहुत रिसेंटली ही, यह 5.1.2017 को हुई है, इसमें भी हाई कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन है, उन्होंने लिखा है कि जो सारे डेटाज थे वह कलेक्शन नहीं किए गये, कोई जांच ही नहीं की गयी है। जो इनक्लूड किया गया है, उसमें भी कुछ डायरेक्शन हो। रतन लाल बागड़ी वाले डायरेक्शन में भी यही हुआ कि आप इसका स्पेशल कमीशन बनाओ और इस तरह से करो। यह तीसरा जो श्रवण सिंह और अदर्स वाली रिट है, उसमें भी यही है। मेरा आपसे सब्मिशन है कि यह जो आप एक्ट लाए हैं, लेकिन कोई सीमा निर्धारित हो ताकि राजस्थान में एकदम शांति हो जाए। ऐसा आप जरूर करेंगे, यह मेरा विश्वास है।

मैं विशेष रूप से इतना निवेदन जरूर करूंगा, पुराने भी जो 2 एसबीसी के एक्ट लाए थे, पहले 2008 और फिर 2015 यह 2008 वाला भी गया और 2015 वाला भी गया। अब यह परमानेंट कमीशन का जो एक्ट लाए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, सारे राजस्थान में वर्गों में आपसी विवाद ना हो, आपस में शांति हो और जितने भी वर्गों के वाद चल रहे हैं, इसकी परमानेंट शांति के लिए आप जो एक्ट लाए हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसका शीघ्र निस्तारण हो। अपना-अपना हक सभी को मिले। यही मेरा निवेदन था। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 लाई है। इस देश में बहुत प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। वह पुरातन समय से इतनी बढ़िया चल रही थी। लेकिन जब से देश में विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने जातियों में बांटना चालू किया, तब से वर्ग भेद ज्यादा हो गया। फिर कांग्रेस के राज से यह भेद और ज्यादा बढ़ते गए। इतना गैप हो गया कि अब वापिस उसको सही करने के लिए कहीं न कहीं नियम लाने पड़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने यह बहुत ही बढ़िया किया है। ऐसा वर्ग जो कि पिछड़ा नहीं रह गया हैं, अपवर्जित करने या नए पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने वाला विषय इसमें है। इसमें जो सदस्य रहेंगे, उनको भी बहुत ठोक-बजाकर, ऐसे समाज शास्त्री, ऐसे लोग जो इस पर विचार कर

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

सकते हैं या अपना सहयोग कर सकते हैं, उनको लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस बात पर जाता हूं, डा. भीमराव अम्बेडकर इतने होशियार व्यक्ति थे कि बडौदा के राजघराने ने उस हीरे को तराशकर विदेश पढ़ने भेजा। पढ़-लिखकर के आए तो संविधान लिखा। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उन जैसे विद्वान व्यक्ति को कांग्रेस ने लोकसभा में पहुंचने से रोका। अगर जाने दिया होता तो शायद आज हिन्दुस्तान का चित्र और कुछ होता।...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): उनको राज्य सभा में भी भेज सकती थी कांग्रेस, लेकिन चलाकर नहीं भेजा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह चीज कहना चाह रहा हूं कि ऐसे दिमाग के खजानों का आयोग के माध्यम से उनका उपयोग लेना और कहीं न कहीं व्यवस्था को सुधारना, यह मेरा ध्येय है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया वह किया लेकिन हम इस चीज में सुधार ला रहे हैं इसलिए इन बातों को बिलकुल चिन्हित किया है। मैं माननीय मंत्रीजी और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(15.10 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि आपके आसन पर विराजते ही मुझे बोलने का अवसर मिला।

माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... यह पुरोहितों के मुंह से निकला हुआ शब्द है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आयोग के गठन के बाद इसमें ऐसी कई बातें ली गयी हैं। आज रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी हर जगह पर, क्योंकि समाज का जो सबसे नीचे का तबका है उसको बराबर की स्थिति में लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था को बनाया गया है। आज भी किसी भी दायरे से जो भी तबका दबा हुआ है उसको बराबर की स्थिति में लाना।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर लाऊंगा, पाली, जालौर, सिरोही, मेरे पाली जिले के मीणा बंधुओं की आज भी क्या स्थिति है? आज दिन तक उनका एक भी अधिकारी नहीं बन पाया, शिक्षा का स्तर उनका ऊंचा हो ही नहीं पाया, किसी भी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, मुश्किल से गिने-चुने दो सौ, ढ़ाई सौ अध्यापक बन पाए हैं। पांच-पच्चीस उनके फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी बन पाए हैं, यह स्थिति है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं एक बैलेंस लाकर नीचे दबे

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

हुए व्यक्ति को ऊपर लाना यह आयोग की मंशा है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो अपना बिल लाया गया है, आयोग जो गठन करने का विषय है, निश्चित रूप से यह राजस्थान में मील का पत्थर साबित होगा और चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ऊपर लाना, आखिर कहीं न कहीं यह जातिवाद के झगड़े एक पर्सेंट उनको दो, एक पर्सेंट उनको दो, एक बैंलेंस तो बनाना पड़ेगा और वास्तव में जो दबा हुआ वर्ग है उसको ऊपर लाने के लिए हम जो मंशा से करने वाले हैं वह हम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे भी लोग आपने आयोग में ले लिए, हालांकि आपने प्रस्ताव ऐसा है कि वापस हटा भी सकते हैं। बहुत होशियार हैं लेकिन समय ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो एक-एक बिन्दु पर विचार करना पड़ेगा। किसी तबके को लेना और कहीं न कहीं कानून में यदि कहीं कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए हर तरह के विचार करने पड़ेंगे। ऐसे ही विद्वान व्यक्तियों को इसमें रखें, इस पर जरूर विचार करे और यह जो बिल लाया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का हम कैसे उत्थान करें इस पर भी हम विचार करें, सभी वर्गों को समान दर्जा कैसे मिले इस आयोग के माध्यम से इस बात की चिंता करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया है वह मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एक स्थायी आयोग के गठन के लिए आज राज्य सरकार बिल लेकर आई है। इसमें बिल की धारा 2(6) में जो बात लिखी है, अकेले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही बिल लेकर आई है, इसमें आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग का भी हवाला दिया है, शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन नियुक्ति और पदों का आरक्षण अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड 6 में दिया गया, का हवाला देते हुए दिया गया है।

मैं इस बिल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे सामने दो और भी गंभीर समस्याएं इस राजस्थान प्रदेश में चल रही है। आप अच्छी तरीके से जानते

(श्री मनोज कुमार)

हैं कि एस.बी.सी और ई.बी.सी, उनके लिए भी सरकार यह कह रही है कि हमने आयोग गठित कर दिए और आयोग के माध्यम से तथ्यात्मक रिपोर्ट जो भी होगी उनको आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 2007 में यह आयोग गठित किया गया था, इसमें लिखा है कि 2017 में गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वही रहेंगे जो 2007 में थे। मैं कहना चाहता हूं कि अब वर्तमान में जो आयोग गठित किए हैं, कहीं न कहीं आपकी सरकार के सामने वही बाधा पैदा होगी कि आप एक स्थायी आयोग गठित करें, जिनको विधायी मान्यता दिलाने का काम सदन में करें। तो, क्यों नहीं सरकार एस.बी.सी और ई.बी.सी के लिए भी जो आयोग गठित किया गया है, उसका भी कहीं न कहीं बिल लाकर के एक स्थायी आयोग गठित करके उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट ले जिससे किसी भी न्यायालय में जाने का मौका पड़े तो हम यह कहें कि हमारा यह वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से गठित आयोग था जिसके निर्णय की पालना की जा रही है। लेकिन उस विषय पर विचार नहीं किया गया।

आज आरक्षण के इस गंभीर विषय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नाम देकर आपने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी और रामसिंह आदि प्रकरणों में दिए गये निर्णयों, राजस्थान उच्च न्यायालय के कैप्टन गुरविंदर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में दिए गये निर्णय की पालना में ओबीसी वर्ग में जातिगत आधार के अलावा अन्य आधारों पर भी पिछड़े वर्गों को शामिल किया जाए ताकि असली पिछड़े वर्ग को इसमें आरक्षण का लाभ मिल सके, ऐसा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने निर्देश दिया। तो इस आयोग के माध्यम से फिर जातिगत आधार पर आप इसमें शामिल क्यों कर रहे हैं? जातिगत आधार पर यदि आप शामिल करना चाह रहे हैं तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जो आप आयोग बना रहे हैं तो फिर उसमें उसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अन्य आधारों के साथ भी अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें शामिल किया जाए।

मैं विशेषकर मेरी तरफ से एक सुझाव देना चाहूंगा कि रंगनाथ मिश्र आयोग का एक महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के पास है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित वर्ग के बीपीएल वर्ग के लोग जो कार्डधारी हैं वह अपने आप में आरक्षित हैं और अनारक्षित वर्ग के लोग जो बीपीएल कार्डधारी बचे हैं उनको सर्वप्रथम शामिल किया जाए क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण के लेवल पर उनका सर्वे करके बीपीएल के आधार से उनको लाभ दिए गये हैं। बीपीएल आपने उसी आधार पर कैटेगरी की है कि उसका घर है कि नहीं है, उसके जमीन है कि नहीं है, तो फिर उन बीपीएल को शामिल

(श्री मनोज कुमार)

करने में राज्य सरकार को कहीं किसी भी प्रकार के सर्वे करने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम तो इस प्रदेश के सभी बीपीएल को आप आरक्षण में शामिल करें जिनका पहले सर्वे हो चुका है।

इसी तरीके से आपको एक सुझाव और देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिनके वर्तमान में हालात बहुत खराब हैं। सबसे पहले उन लोगों का सर्वे कराया जाए जो सभी भूमिहीन कृषक और मजदूर हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं है। दूसरा 5 बीघा कमांड या 15-20 बीघा अनकमांड भूमि जिनके पास है, ऐसे लोगों को उनमें शामिल किया जाए, तीसरा हमारे जो गरीब तबके के लोग, ऊंट चालक, बैलगाड़ी चालक, हाथ गाड़ी चालक, साइकिल रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक, मजदूर, जिनका कोई संसाधन नहीं है वह इसमें शामिल किए जाएं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में सभी बस के, ट्रक के, कार के, टैक्सी के, ट्रोला के क्रेन के, अन्य जो भी वाहन चालक हैं, जिनके पास वाहन चालन के अलावा दूसरी कोई अन्य आय नहीं हो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया जाये। होटल, ढाबा, धार्मिक स्थलों, भोजन पकाने-परोसने वाले और साफ-सफाई के कार्य में लगे सभी कामगार, उद्योग, फैक्ट्री, ईंट-भट्टा, खान मजदूर, दुकान, वर्कशॉप आदि कार्यों पर लगे चौकीदार सहित सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, केन्द्र-राज्य नगर निगम, नगरपालिका, निजी क्षेत्र आदि में कार्यरत जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो सबसे निचले स्तर पर हैं जिसमें आरक्षण एससी व एसटी का तो उनको मिल गया, लेकिन उसमें सामान्य वर्ग से जो लोग लगे हुए हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धर्मस्थलों में कार्यरत पुजारी, मौलवी, ग्रंथी, पादरी, सेवादार हैं, जिनका इसके अलावा अन्य कोई आधार नहीं है उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए जिससे इन लोगों को लाभ मिल सके। सभी पत्रकार, ऐसे पत्र-पत्रिकाओं के मालिक/प्रकाशक जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 2 हजार से कम हो, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक की 10 हजार, 15 हजार से कम हो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। वकील पेशे से होने के नाते कहना चाहता हूं जिस वकील के पास पूरे वर्ष भर में 5 से अधिक स्वतंत्र केस न हो ऐसे वकीलों को भी इसमें शामिल किया जाए। वकील पढ़े-लिखे जरूर हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वास्तव में वे कमजोर हैं। उनको इसमें शामिल किया जाए जिससे उन लोगों को लाभ मिल सके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, नियमों में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी माननीय सदस्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपने हित की बात सदन में नहीं करेगा। माननीय सदस्य वकील हैं और मैं यह भी जानता हूं कि इनके पास साल में दो-तीन केस ही आते हैं। इसलिए इसको एक्सपंज कराओ सभापति महोदय।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रश्न का जवाब देते हुए, आज वकील नहीं, आज एक विधायक होने के नाते, इस सदन का माननीय सदस्य होने के नाते उस वर्ग की बात कर रहा हूं, न कि एज ए वकील मेरी बात कर रहा हूं। मैं विधायक होने के नाते उस वर्ग की बात कर रहा हूं जो राजस्थान के हाईकोर्ट (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अपने हित की बात नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, आप नियमों में देख लीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारा हित है ही नहीं। उच्च न्यायालय में, ट्रायल कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, कवि, गायक, संगीतकार, कलाकार जिनकी आय कम हो, उन सबको भी इसमें शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के निर्णय का जो हवाला दे रहे थे उस हवाला को छोड़कर आप उनको दिये हुए निर्देश की पालना करना चाहते हैं तो, इन सभी बातों पर विचार करके उनको इसमें शामिल करें। जो गरीब और असहाय लोग हैं उनकी मदद हो सके।

इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय न्यायाधिपति श्री सुनील कुमार जी गर्ग एसबीसी उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा एक विज्ञप्ति 23 फरवरी, 2017 को जारी की गयी। उसमें उन 25 जातियों का सर्वे करके विज्ञप्ति जारी की। मैं कहना चाहता हूं इसमें 91 जातियां शामिल हैं। सभी जातियों का सर्वे किया जाए। उन सभी जातियों का आयोग गठित होने के बाद इस आधार पर सर्वे किया जाए कि किन-किन लोगों को, किन-किन जातियों की आरक्षण के बाद उनकी भागीदारी किस परसेंटेज में रही, किस व्यक्ति की कितनी परसेंटेज रही। उस आधार पर सभी का सर्वे किया जाए तो आपके आयोग के मूल उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसमें लिखा है कि हम आयोग गठित करने के बाद इसमें यह तय करेंगे कि कौन-कौन लोग इसमें शामिल रह सकते हैं, कौन लोग इसमें शामिल नहीं रह सकते। फिर 25 व्यक्तिगत जातियों का निर्धारण करना गलत है। सभी जातियों का सर्वे किया जाए। विशेषकर आरक्षण की बात है, मूल ओबीसी के जो लोग थे उनके अधिकारों का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, इस आयोग में, इस एक्ट में या गठन में कहीं उस बात की चर्चा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप मूल ओबीसी के उन लोगों का भी गंभीरता से संरक्षण करें

(श्री मनोज कुमार)

कि उस आरक्षण पर जो कुठाराघात हुआ वह कुठाराघात नहीं हो। हमारे माननीय सदस्य शंकरसिंह जी कह रहे थे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, मैं तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अकेली नहीं, आप भी भारतीय जनता पार्टी वाले उससे ज्यादा दोषी हो। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में अपना वर्चस्व कायम करने के बाद जय भीम-जय भारत का नारा दिया, उसके बाद जय भीम कहीं न कहीं दिखायी देने लगा, नहीं तो आपको जय भीम-जय भारत कहीं दिखायी नहीं दे रहा था। अंबेडकर जयन्ती आपने भी मनानी शुरू कर दी, क्योंकि आपको लगने लगा कि मूल वोट बहुजन समाज पार्टी का साथी हो गया है इसलिए कहीं न कहीं भीम का नाम लेकर हम भी कहीं संरक्षित हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कम से कम याद तो किया, उस महान विभूति को आप याद करने लगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। इन सभी बातों पर गौर करते हुए इसको जनमत जानने हेतु तीन महीने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री हनुमान जी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ही बधाई दे दूं कि आज आप यहां विराजे हैं। आज सदन में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 पर चर्चा हो रही है। इस आयोग का गठन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार को कड़ी फटकार के बाद सरकार इस विधेयक को लेकर आयी है।

सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार राजस्थान ओबीसी आयोग को जो कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने के लिए सरकार विधेयक ला रही है यह स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें जो देरी की है उसमें निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज प्रदेश में आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2008 में थी उस दरमियान भी आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर चला और राजस्थान की जनता ने लम्बे टाइम तक बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था का दंश झेला। हमारे 72 गुर्जर भाई भी शहीद हुए। बहुत बड़ी आरक्षण की लड़ाई उस टाइम हुई। आज भी देश में आरक्षण की आग के अंदर हरियाणा झुलस रहा है, उत्तर प्रदेश झुलस रहा है। नौजवान पुलिस, आर्मी की लाठी, गोली का शिकार हो रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को सोचना होगा। आनन-फानन के अंदर बिना कानूनी, बिना संवैधानिक, बिना मान्यता के आप चुनाव के अंदर लाभ लेने के लिए घोषणाएं कर देते हो, आरक्षण में शामिल करने की बात कर देते हो, जातियों को आपस में लड़ाने का काम करते हो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तो निश्चित रूप से कानून की स्थिति देश और प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर लगातार बिगड़ती रही है।

सभापति महोदय, प्रदेश में 2015 के अंदर हाईकोर्ट ने धौलपुर व भरतपुर के जाटों का आरक्षण रद्द किया तब ओबीसी में शामिल जातियों का फील्ड सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने को कहा। 10 जनवरी, 2000 को जारी अधिसूचना रद्द की क्योंकि न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को अधूरा माना।

सभापति महोदय, प्रदेश के भरतपुर व धौलपुर के जाटों का जो आरक्षण रद्द किया है उससे समुदाय में गहरा रोष है। पूरे प्रदेश के जाट समाज में भारी रोष है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ओबीसी आयोग जब अस्तित्व में आयए तब तत्काल इनकी स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सिफारिश करे और सरकार तुरंत इस पर अमल करे।

सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने पहले ओबीसी आयोग का गठन 29 जनवरी, 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया था, मगर सरकार ने रिपोर्ट अमान्य की। फिर 20 सितम्बर, 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और उस मण्डल आयोग की सिफारिश पर केन्द्र ने 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी के लिए आरक्षित किया था। मेरा सुझाव है कि इस आयोग में ऐसे लोगों को भी लिया जाए जो समाज के अंतिम तबके में बैठे हों ताकि आयोग की मूल भावना को सशक्त बनाया जा सके।

सभापति महोदय, आरक्षण को लेकर प्रदेश के अंदर भी आज हर समय डर बना रहता है। इस देश के अंदर हर समय डर बना रहता है और अभी जो हरियाणा का आंदोलन हुआ, राजस्थान का गुर्जर आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ हरियाणा का, उसमें हजारों करोड़ की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ, हजारों लोगों पर मुकदमें दर्ज हुए, लोगों ने शहादत दी, बलिदान दिया और कहीं न कहीं इसमें सरकार का भी दोष लगता है। इसलिए सरकार जातियों को लड़ाने-भिड़ाने के अलावा जो वैधानिक मान्यता होती है उसके तहत अगर कानून लेकर आएं तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का, देश का भला होगा। इस देश का जवान जातिवाद के जहर के अंदर, आज पीने का पानी व बिजली का कनेक्शन भी जाति देखकर दिया जा रहा है। बताओ, कितना जातिवाद का जहर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश के अंदर घोला। उससे पहले जातिवाद नहीं था। 2003 के बाद ही जातिवाद हुआ। जिन इलाकों में गये वहीं कहा हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): काहे पर बोल रहे हैं सभापति महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या बोल रहा हूं ? मैं कुछ नाम लेकर बोला ? मैंने किसी का नाम लिया है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक में यह कहां लिखा है ? इसके ऑर्बिट से इतनी दूर चले गये कि एक पार्टी पर आरोप लगाना चालू कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा सा बिल की तरफ ही रहें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, राठौड़ साहब, +++ मैंने ऐसे क्या बोल दिया। मैंने ऐसे क्या बोला, मैं तो मेरी बात कर रहा हूं। क्या बोला मैंने ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप पूरी एक पार्टी पर आरोप लगाने लग गये जाति पर। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौनसी पार्टी ? कब कहा मैंने ? (व्यवधान) मैं आपकी पार्टी में था और आपसे दु:खी होकर ही तो बाहर निकला था कि यह मामला ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इतना असत्य भाषण मत करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है। सभापति महोदय, कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, राजस्थान का जवान आज आपकी ओर देख रहा है कि 15 लाख नौकरियों की बात थी, पर 15 लाख नौकरियां तो छोड़ो, आपने तो इस पूरे आरक्षण को ही लटका दिया। अगर आज इस ओबीसी आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट यहां सही हिसाब से नहीं आई, सही सर्वे नहीं कराया तो राजस्थान को फिर एक बार आरक्षण की आग में झुलसना पड़ेगा। सभापति महोदय, एस.बी.सी को आरक्षण आपने दे दिया लेकिन आज भी एस.बी.सी आरक्षण के तहत जिन 4 हजार जवानों की नौकरियां राजस्थान में लगी वो कोर्ट की वजह से अटक गयीं। आज राजस्थान का एस.बी.सी. का जवान और किसान सड़क पर बैठा है अपने हक और अधिकार के लिए। धौलपुर-भरतपुर का जाट, हरियाणा का जाट, उत्तर प्रदेश का जाट भी दिल्ली की, हरियाणा की, यू.पी. की और राजस्थान की सरकार की ओर देख रहा है। सभापति महोदय, किसी न किसी को तो आगे आकर इस देश को, इस प्रदेश को बचाना होगा, जवान को बचाना होगा और जातियों को लड़ाने का काम सरकार नहीं करे। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, पर मैं कहता हूं कि जातिवाद का जहर 2003 के बाद प्रदेश में घुला और उससे पहले जाति के नाम पर प्रदेश में वोट नहीं मांगे गये थे। सभापति महोदय, सरकार आनन-फानन में संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखते हुए आरक्षण की घोषणा कर देती है जिससे नतीजा यह होता है कि आरक्षण का लाभ उस वर्ग को नहीं मिल पाता।

सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि 2013, 2014 और 2015 की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

ओ.बी.सी. की, एस.सी. की, एस.टी. की, एस.बी.सी. की छात्रवृत्तियां बाकी हैं और प्रदेश का छात्र आंदोलित है। वो छात्रवृत्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाता रहता है। हमारे मंत्री जी लम्बा-चौड़ा लेकर आते हैं, बताते हैं कि सबको दे दी लेकिन हमारे पास लोग आते हैं कि लोगों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है और जो वर्ग आरक्षित है उसको लाभ नहीं मिल रहा है। आपने मीना-मीणा विवाद खड़ा कर दिया, गुर्जरों को सड़क पर ले आये, जाट लड़ रहे हैं और अब आर्थिक आधार को लेकर दूसरी जातियां भी लड़ रही हैं तो अब इसके अलावा आप कौनसा काम करोगे ? यह तो बताओ। भाई से भाई को लड़ाने का काम सरकार नहीं करे और एक निश्चित तरीके से जिन समाजों का अहित हो रहा है, इस आयोग का गठन जल्दी से जल्दी करके रिपोर्ट दें और धौलपुर-भरतपुर के जाटों को जल्दी से जल्दी आरक्षण की व्यवस्था करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रमेश जी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार। जिस प्रकार राज्य सरकार यह बिल लेकर आई है और सरकार की आगे क्या मन्शा रहेगी क्योंकि पिछले सालों में जो राज्य सरकार की मन्शा रही है उसके बारे में मैं बताने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। राज्य में गुर्जर और एस.बी.सी. समुदाय की आबादी 11 प्रतिशत के आस-पास है। 1989 में इनको मण्डल कमीशन ने ओ.बी.सी. में शामिल किया। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में गुर्जर समुदाय एस.टी. में शामिल है। गुर्जर आंदोलन की शुरूआत 25 मई, 1976 को पहली बार उठी थी। राज्य में गुर्जर आरक्षण की मांग अलग से तब उठी जब 1999 में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या गुर्जर, राईका, बंजारा, गाड़िया लोहार, गड़रिया समुदाय को एस.टी. में आरक्षण मिल सकता है।

2003 के चुनाव में जब राज्य में चुनाव चल रहे थे तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समुदाय से वादा किया था कि हम सत्ता में आये तो गुर्जरों को उनकी मांग के आधार पर आरक्षण दिलाएगे। लेकिन 2003 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने 2007 तक गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए कुछ भी नहीं किया। आखिरकर गुर्जर समुदाय को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। भाजपा सरकार ने राज्य में जातिगत संघर्ष को बढ़ावा दिया। राज्य सरकार ने पहले इस आंदोलन को हल्के में लिया। जब गुर्जर समुदाय का गुस्सा सड़कों पर, रेल लाइन पर आया तो सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी और इसका नतीजा यह हुआ कि दिनांक 23 मार्च, 2007 का

(श्री रमेश)

एक ही दिन में आदोलन में 27 लोग मारे गये और आंदोलन तेज हो गया जिसमें इस गुर्जर समुदाय के 70 से अधिक लोग मारे गये।

इतना सब होने के बाद भाजपा सरकार को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने बेमन से....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इतना सब होने के बाद आपकी सरकार भी आई थी। आपने कौनसे तीन मार लिये वो बता दो न इतना सब होने के बाद।

श्री रमेश (सपोटरा): वो आप बता देना। मैं जो बता रहा हूं वो आप सुन तो लें, धैर्य रखो थोड़ा सा। फिर उसके बाद में आपने बेमन से एक चोपड़ा कमीशन का गठन किया जिसकी जिम्मेदारी यह थी कि बतायें गुर्जर राज्य में एस.टी. में सम्मिलित हो सकते हैं क्या। चोपड़ा कमीशन ने रिपोर्ट दी कि गुर्जर पिछड़े हुए जरूर हैं लेकिन एस.टी. में शामिल होने योग्य नहीं है। अब यह राज्य सरकार की राय थी जिसे चोपड़ा कमीशन ने रिपोर्ट में बताया था या कमीशन की स्वयं की राय थी, यह विचारणीय बिन्दु है। जब राज्य सरकार कोर्ट में वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाई जिसके आधार पर गुर्जरों को पिछड़ा बताया गया तो फिर किस आधार पर गुर्जर समुदाय को पिछड़ा मानकर 50 प्रतिशत से अबॉव आरक्षण में शामिल किया जाए। अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में 14 जुलाई, 2008 को एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एवं आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण के लिए विधेयक, 2008 सदन की मेज पर रखा गया जो सर्वसम्मति से 16 जुलाई, 2008 को पारित हुआ। इसके साथ-साथ ही केन्द्र सरकार की नौवीं अनुसूची में जुड़ाने के लिए सम्बन्धित संकल्प भी पारित किया गया।

राज्य सरकार यह बिल इतनी देरी से लाई कि एक्ट उनकी सरकार जाने के बाद 2009 में बना जब राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर किये। इससे राज्य का जो आरक्षण था वो 68 प्रतिशत हो गया और इसको न्यायालय में चुनौती दी गयी। केवल एक कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार गुर्जरों को पिछड़ा मानकर बिल तो ले आई जबकि तर्कसंगत आंकड़े जुटाकर आरक्षण का बिल लाना था, उन विशेष परिस्थितियों को बताने के बारे में संतुष्ट करना था जिसके आधार पर उनको 50 प्रतिशत से अबॉव से अधिक आरक्षण दिया जा सके। लेकिन राज्य सरकार यह करने में विफल रही और कोर्ट ने स्टे दे दिया।

वर्ष 2012 में ओ.बी.सी. कमीशन से गुर्जर समुदाय के सम्बन्ध में सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई तो हमारी सरकार ने 5 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। उसके बाद यह व्यवस्था भी कानून की प्रक्रिया में उलझ कर 2013 में रुक गयी।

(श्री रमेश)

आपकी सरकार आने के बाद फिर इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया गया। 2015 में गुर्जर समुदाय ने पुन: 8 दिन रेल रोककर सड़क यातायात बन्द कर दिया तो आपको मजबूरन समझौता कर नया कानून लाना पड़ा। 2015 में आपने बिल पास कराया लेकिन इसके बाद भी दिसम्बर, 2016 में न्यायालय में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस बिल में भी 50 प्रतिशत से अधिक की सीमा को तार्किक बताने के लिए आप गुर्जर सहित अन्य जातियों को दिये गये आरक्षण के सम्बन्ध में न्यायालय में आंकड़ों सहित तथ्य नहीं रख पाये। बिल पास होने के बाद भी डेढ़ वर्ष हो गया और केन्द्र भी भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी आप नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करा पाये तो राज्य सरकार ने डेढ़ साल में किया क्या? इसके बदले राज्य सरकार के पास दिखाने के लिए एक पत्र है जो पूर्व मुख्य सचिव सी.एस. राजन ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को लिखा था। राज्य सरकार, 11 प्रतिशत जनता है एस.बी.सी में, इसके हितों का ध्यान नहीं रख पा रही है और दूसरी तरफ मदमस्त है कि तीन साल का समारोह हो रहा है। हजारों बच्चे जिनकी नौकरी लग चुकी है, एस.बी.सी. कोटे से पास हो चुके हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी में हैं और उनको पता नहीं है कि अब हमारा स्टेटस क्या है, हम जनरल में हैं या क्या है? केन्द्रीय भर्ती में जो सर्टिफिकेट बनने की समस्या आ रही है उसके बारे में पहले ही आपके विधायक कह चुके हैं कि आप अधिकारियों को ऐसे दिशा-निर्देश दें ताकि उनके सर्टिफिकेट नहीं रुकें, उनके काम हों। इस तरह से लग रहा है कि आप जो बिल लाये हैं और परमानेंट एक कमीशन बनाने की बात है उसमें गुर्जर समुदाय की मांग है कि हमें जो रिजर्वेशन मिले वो 50 प्रतिशत के अन्दर ही मिले और इसके लिए आपने शायद इनसे समझौता भी किया है। जो आज आप ओ.बी.सी. कमीशन बिल लेकर आये हैं उसमें आपने जो रास्ता चुना है ओबीसी कमीशन के माध्यम से गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने के योग्य साबित करने के लिए आपको आंकड़ें, तथ्य और विशेष उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको प्रस्तुत करना होगा। यदि आपने यह भी कर लिया तो ऐसी स्थिति में ओबीसी में सम्मिलित अन्य जातियां इसका विरोध करेंगी तो यह बिल फिर न्यायिक प्रक्रिया में उलझ सकता है। अत: मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऐसा सुगम रास्ता, ऐसा प्रावधान लाए कि जो गुर्जर समुदाय प्लस एसबीसी की पांच अन्य जातियां हैं, उनको पांच परसेंट आरक्षण मिल सके क्योंकि राज्य में आज दस वर्ष से गुर्जर समुदाय आंदोलन की राह पर खड़ा हुआ है। आप और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस समुदाय को अपना हक दिलाएं। मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री केसाराम।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 सदन में रखा है, उसमें मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, देश आजाद हुए 70 वर्ष हो गये, मगर आज भी हमें जाति, वर्ग और भेद में लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अलग-अलग तरह के कानून लाकर हम चाहते हैं कि उनका निवारण हो और यह समाज कानूनों के तहत, उसमें रहते हुए, उन कानूनों के तहत उसको रिजर्वेशन मिले या अधिकार मिले। जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, वह राष्ट्र के लिए एक खतरा है। मैं इसको सिरे से खारिज करते हुए निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो जातिगत आरक्षण है, इसका नाम भी वैसे ही जाति। जाति जाति रहेगी, वह अपनी है। मतलब यह जातियां कब तक चलेंगी? इस राष्ट्र में जाति परिवर्तन होता है। कई जातियों में किस तरह से परिवर्तन कर देते हैं। अपन कई कानून लाए मगर मेरी जाति 50 साल पहले क्या थी और अब जाति दूसरी कैसे चल गयी? इस तरह से यह जो अलग-अलग परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों में हमारी सरकार भी यह प्रयास कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से इस राष्ट्र को चलाया जाए? इस राष्ट्र को चलाने के लिए जाति, वर्ग और भेद के झगड़े पैदा न हों, उनके लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया कि एक आयोग का गठन किया जाए। इस ओबीसी में किसको जोड़ना है और किसको बाहर निकालना है, उनकी क्या शिकायतें हैं? उनको सुनने के लिए यह सरकार आयोग लाई है, निश्चित रूप से यह आयोग बनने से कुछ जो दुविधाएं हैं, उनको दूर करेगा, जिससे ओबीसी वर्ग को कुछ राहत मिलेगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार एससी एसटी को एक बार सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको बार-बार वापस सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती। कोई जाति परिवर्तन किसी का होता नहीं। इसी तरह से ओबीसी वर्ग को भी आपने उसकी जाति में सम्मिलित कर दिया, ओबीसी में सम्मिलित कर दिया उस जाति को तो उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। जिस तरह आप उससे एफिडेविट भी लेते हैं, क्रीमिलेयर का सर्टिफिकेट भी लेते हैं तो उसके साथ ऐसी दो बातें नहीं होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदयजी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो भ्रांति है, उसको दूर करना चाहिए।

दूसरा, अगर कोई जाति स्टेट में ओबीसी है और केन्द्र में भी ओबीसी में आती है तो फिर उसका सर्टिफिकेट दोनों जगह मान्य होना चाहिए चाहे स्टेट जारी करे, चाहे

(श्री केसाराम चौधरी)

केन्द्र जारी करे। क्या उसकी जाति में परिवर्तन आ जाएगा या क्या उसकी ओ.बी.सी की कोई जाति दूसरी हो जाएगी? इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, कई जातियों में आज भी, एससी जातियों में भी कई जातियों का आज दिन तक खुलासा नहीं हो पाया कि वह किस जाति का है और उसको एससी का सर्टिफिकेट जारी किया जाए या एसटी का किया जाए? ऐसा ही मेरे यहां पर एक ओमप्रकाश मेघवाल है। वह छह महीने से एससी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तहसील में जूझ रहा है। खुद उसके पास एससी का सर्टिफिकेट है, उसके बच्चे के पास एससी का सर्टिफिकेट है। तहसील के अंदर उसके भाई के रेवेन्यू रिकार्ड में भी उसके लिखा हुआ है मेघवालों के रावल। इसके आधार पर उसको एससी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसके एक बेटे को तो एससी का सर्टिफिकेट दे दिया, मगर दूसरा बेटा एससी के सर्टिफिकेट के लिए छह महीने से तड़प रहा है। मेरी मारवाड़ जंक्शन तहसील में यह रावल और भाट, जो मेघवालों के भाट हैं। विभिन्न तरह से उनको अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग जाति से पुकारा जाता है। कहीं तो रावल कह देते हैं, कहीं रावलिया कह देते हैं, कहीं भाट कह देते हैं। कहीं रावल सवर्ण कास्ट में भी हैं तो इस तरह से जो भ्रांति होती है। इस भ्रांति के पीछे कई लोग आईएएस और आईपीएस बन गये ऐसे झूठे सर्टिफिकेट लेकर। फिर उसके लिए दूसरी बातें करनी पड़ती हैं।

इसी तरह से मेरे यहां पर एक रंगास्वामी जाति है। मारवाड़ जंक्शन में रंगास्वामी, वह रंगास्वामी वहां पर एससी में है और रानी में वही रंगास्वामी ओ.बी.सी में है। इस तरह की भ्रांतियां चलती हैं, इन भ्रांतियों को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो वर्ग, भेद और झगड़े पैदा होंगे।

आपसे निवेदन है कि जैसे अत्यन्त गरीब जाति राजस्थान के अन्दर नायक जाति निवास करती है। 60 वर्षों से भील, गरासिया, कौल इन सब जातियों में एक जाति नायक भी है। इन जातियों को एससी का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। केन्द्र सरकार की, भारत सरकार की अनुसूची में दर्ज किया गया है। महोदय, नायक समाज, लोग एवं रीति-रिवाज और उसके पहनावे से हकीकत में सबसे गरीब जाति है, एससी कौम में आने वाली जाति है किन्तु यहां पर उसको एसटी में मानते हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह के यह जो जातियों में, एससी और एसटी में भी कई तरह के विवाद हैं। इन विवादों को दूर करने के लिए यह आयोग बनेगा। निश्चित रूप से यह आयोग सिफारिश भी करेगा कि कौन इस ओबीसी में है और कौन नहीं है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया सुनें। बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, इस तरह से जो वर्ग भेद की बातें हो रही हैं, उनको ठीक करने के लिए यह आयोग काम करेगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई बदलाव जरूर आयेगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो मैंने प्रस्ताव दिया है, मैं आपकी आज्ञा से वापस लेने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह टोडासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं पहले तो आपको बधाई देता हूं। लेकिन आपने मेरा जो सरनेम है, उसका उच्चारण ठीक नहीं किया तो कृपया रिकार्ड पर सही शब्द जाए। डोटासरा अंकित करने का कष्ट करें।

श्री सभापति: इसमें ऐसा ही लिखा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वैसे कई माननीय सदस्य और मंत्रीजी लगे हुए हैं, कम से कम आप तो मेरे साथी रहे हुए हो पीएसी में तो आप तो सही करो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उन्होंने टोडासरा नहीं कहा, डोटासरा कहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): इस डोटासरा का शब्दार्थ तो बता दो। शब्दार्थ तो बता दो पूरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शब्दार्थ भी अभी सवा तीन साल से पता नहीं चल रहा है तो फिर चलेगा भी नहीं।

श्री सभापति: यह कभी और आगे आइंदा रखना। आप तो विषय पर आ जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। ओ.बी.सी, एस.सी, एस.टी, इन सबके लिए भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है और जिस प्रकार भारत का संविधान जो कहता है, उसके मुताबिक समय-समय पर विभिन्न जातियों के बारे में, विभिन्न राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार निर्णय लेता रहा है। उन्हीं निर्णय के तहत आज हमारे यहां एससी को 16 परसेंट, एसटी को 12 परसेंट, ओबीसी को 21 परसेंट दिया जा रहा है और पिछले दिनों सदन में प्रस्ताव लेकर के एक परसेंट एस.बी.सी को दिया था। ईबीसी और एस.बी.सी के बारे में भी बिल आये लेकिन चूंकि उस वक्त भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे 2008 तक रही हो, चाहे अब वर्तमान में चल रही है ये इन वर्गों को ऊपर उठते नहीं देखना चाहती है और इसी कारण से ओ.बी.सी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। एस.सी/एस.टी के वर्ग के लोगों के यहां दखल दिया जा रहा है उनको परेशान किया जा रहा है। ई.बी.सी और एस.बी.सी के आरक्षण के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इनकी कथनी और करनी में सभापति महोदय, आप तो जानते हैं फर्क है। निश्चित रूप से मैं प्रमाणित करूंगा सदन में आपके आदेश से कि वास्तव में ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज ओबीसी का 21 परसेंट आरक्षण है। अभी इसी सरकार ने जब पटवार परीक्षा की भर्ती ली। इसी सरकार ने जब आरपीएससी में आरएएस की भर्ती ली तो जो अभ्यर्थी जितनी वेकेंसी है उसके 15 गुना फाइनल मेन एग्जाम के लिए सलेक्ट किया जाता है उसमें इन्होंने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ इसलिए की कि ओबीसी के लोग वंचित रहें और उस 15 परसेंट में अकेले 49 परसेंट में इन्होंने जनरल को डाल दिया। आप बताइये जब आज तक व्यवस्था थी, जब से ये ओ.बी.सी जातियां आई हैं तब से लेकर आज तक जो व्यवस्था चली आ रही थी। इन्होंने सर्विस सलेक्शन बोर्ड बनाया। पटवारी की भर्ती की विज्ञप्ति निकाली और बाद में जब उनका प्री-एग्जाम हुआ तो उसका रिजल्ट दिया उसमें पचास परसेंट में अकेले जनरल को देकर के ओ.बी.सी के जो जनरल के बराबर से भी ऊपर नम्बर ला रहे थे उन लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया है। लोग हाई कोर्ट में गये सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट से इनको मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी ओबीसी के वर्ग को सामान्य से ऊपर आप नहीं रख सकते। आज ये भर्तियां जो अटकी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओ.बी.सी के, एस.बी.सी के और ई.बी.सी के वर्ग के प्रति गलत नीतियों के कारण से अटकी हुई हैं। आप बताइये हम निकाल कर गये थे विज्ञप्ति। पटवारी की भर्ती कभी की हो जाती अगर ये गलती नहीं करते और गलती नहीं मैं तो कहता हूं जानबूझ कर के ओबीसी के हकों के साथ कुठाराघात करने की मानसिकता नहीं रखते तो आज हमारे प्रदेश में पटवारी भी मिल जाते, हमारे प्रदेश में आरएएस भी मिल जाते। आरएएस के एग्जाम, हाई कोर्ट में चले गये दो बार स्थगित हो गये। आज 2013 की भर्ती नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, शर्म की बात है। आप जिस नारे के साथ में सरकार में आये थे कि अशोक गहलोत की सरकार ने बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया। अशोक गहलोत की सरकार ने कोर्ट्स में भर्तियों को अटका दिया और बेरोजगारों के साथ धोखा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि किस मुंह से भाषण दे रहे थे राठौड़ साहब आप ? किस मुंह से यह कह रहे थे। आपने क्या किया। आपसे एक पटवारी भर्ती नहीं हुआ। आपसे आरएएस भर्ती नहीं हुआ। आपसे कोई पुलिस का कांस्टेबल भर्ती नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हुआ। आपसे थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती नहीं हुई। आप विद्यार्थी मित्रों को समायोजित नहीं कर पाये और इसलिए नहीं कर पाये ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 1 लाख 16 हजार सरकारी भर्ती इस सरकार के कार्यकाल में हुई है ये आथेंटिक आकड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आ गया न सामने इसमें भी दाल में काला है। पन्द्रह लाख का वादा किया था राठौड़ साहब आपने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पन्द्रह लाख सरकारी नौकरी का नहीं किया था। पन्द्रह लाख नौजवानों को स्वावलंबित करने की बात कही थी हमने। स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही थी और वो हमने जोड़ दिये 11 लाख। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में पन्द्रह लाख की बात कही थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये जो वर्ड है न, ये कल अखबारों के माध्यम से जाएगा न कि हमने वादा नहीं किया तो आने वाले समय में हमारी तो बीस आई इक्कीस आई थी, आपकी पांच भी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये उस युवा को छला गया था और इसी का परिणाम था कि 163, युवाओं ने कहा कि 15 लाख नौकरी, सबको नौकरी मिल जाएगी। सारे वर्ग निहाल हो जाएंगे और हम तो वाहवाही करेंगे और सरकार का पैसा, आराम से नौकरी करेंगे। ये जो...।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आप इसी असत्य के कारण इक्कीस पर रह गये क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको इसीलिए संसदीय सचिव बनाया वर्ना मैंने तो मैडम को कहा था कि इनको मंत्री बना दो, लेकिन कारनामे ही ऐसे नहीं रहे कि मंत्री कौन बनाये आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अच्छा यह मिलीभगत है क्या आपकी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, पक्की है, साहब, हमारी मुख्यमंत्री हैं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से आज भी आरएएस की भर्ती एस.बी.सी के सरकार के टालमटोल के रवैये के कारण से है। ये पाइंट भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज है कि आप एसबीसी का, हाई कोर्ट ने आदेश दिया आरपीएससी ने वापस अपने हाथ खींचे। पटवारी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आरपीएससी ने कहा कि नहीं, हम ओबीसी को भी जनरल के बराबर रख देते हैं। क्यों? पन्द्रह गुना पहले जो जनरल में आएगा वो चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पहले जनरल में आएगा और उसके बाद में आप कहां दे रहे हो। एक तरफ तो 49 परसेंट आरक्षण दे रहे हो और एक तरफ आप जो 21 परसेंट आरक्षण है उसको बिलकुल निपटाने में लगे हुए हो तो यह दोहरी नीति सब समझ गये हैं आज के युवा और ये ओ.बी.सी है न ये आपका सूपड़ा साफ कर देंगे राठौड़ साहब, इतनी बड़ी तादाद में हैं। आपने इतनी बड़ी इनके साथ में नाइंसाफी की है। सोची-समझी साजिश है। आर.पी.एस.सी में बढ़ा करके कह दिया कि नहीं, इनको नहीं देना है ओ.बी.सी को, जनरल को अकेले को पचास परसेंट देना है। घनश्याम जी तिवाड़ी साहब माननीय सदस्य हैं, ये बार-बार कह रहे हैं। मैं तो इनसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। न इनकी नीयत ब्राहमण के प्रति है न राजपूत के प्रति है। राठौड़ साहब, आप तो देखते हो रोजाना आपके साथ किस तरह का व्यवहार होता है यहां सदन में। निश्चित रूप से ये सरकार जिस तरीके से सब वर्गों को निपटाने में लगी हुई है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला समय ज्यादा दूर नहीं है डेढ़ और पौने दो साल है क्या हालत कर रखी है आपने। कई हमारे जनरल के माननीय वरिष्ठ मंत्री हैं अब आप काम ही नहीं करने दे रहे हो उनको। आप परनामी जी को और उनको जांच कराने के लिए भेज रहे हो। कोटा प्रकरण में अगर आप कटारिया जी को भेजते तो मैं कहता हूं कि गारंटी के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, न्याय हो जाता।

श्री सभापति: कृपया अपने विषय पर आएं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान)... चर्चा किस विषय पर चल रही है इसका ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान)... जरूरी है क्या डोटासरा जी? अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मत बोलो। क्यों अपना इम्प्रेशन खराब करते हो। ये कहां से लेकर कहां की बात कहां कर रहे हैं।

श्री सभापति: विषय पर रहें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं-नहीं, कोई बात नहीं। तैयारी आपके लिए तो की है। मैं रात को सपने में भी तैयारी कर लेता हूं चिन्ता करने की बात नहीं है। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, ओबीसी के लिए साढ़े चार लाख की इन्कम वार्षिक उस परिवार की होनी चाहिए। यह बढ़नी चाहिए। आज की तारीख में साढ़े चार लाख रुपये से कुछ भी नहीं होता। सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आरटीई जिसके तहत हमारे सब, ओबीसी के बच्चों को जो गरीब परिवार से हैं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार केन्द्रीय कानून के मुताबिक उनका भरण-पोषण करती है और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। हमारे समय में ढाई लाख की जिसकी वार्षिक इन्कम थी उसमें ओबीसी भी सम्मिलित था, बी.पी.एल भी सम्मिलित था उनको सबको आर.टी.ई के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाता था। आपने आते ही सबसे पहले कुठाराघात किया उस ओ.बी.सी के शब्द को हटाया और ओ.बी.सी का नहीं ले सकता। यहां पर शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि नहीं, हम तो केवल बी.पी.एल को देंगे। आपको दुबारा मुंह की खानी पड़ी। राजस्थान के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो ढाई लाख तक के ओ.बी.सी हैं, आर.टी.ई में आप उसका अधिकार छीन नहीं सकते। आपको देना पड़ेगा। आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हो जब राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि ओबीसी का अधिकार है, आर.टी.ई के तहत उसको सुविधा मिलनी चाहिए जो उसका अधिकार है तो आपको लागू करना चाहिए। लेकिन आपकी मानसिकता न पटवारी मामले में ठीक है, न आरएएस मामले में ठीक है, न आरटीई के मामले में ठीक है। एसबीसी और ईबीसी के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि आप ही के माननीय सदस्य कह रहे थे कि एसबीसी के लिए हमने यहां खड़े हो-होकर कहा था कि आप एसबीसी को 22 परसेंट दे रहे हो यह नियमसंगत नहीं है, न्यायसंगत नहीं है, यह उलझेगा। आपने कहा आप तो खिलाफ हो गुर्जरों के। हमने कहा आपने सत्तर मार दिये जो मार दिये इनको आरक्षण तो ढंग से दे दो जिससे इनको मिल जाए। एक परसेंट दिया था वो भी इस सरकार की कमजोरी के कारण से, इस सरकार की नाकामी के कारण से वो भी वापस हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप करना क्या चाहते हो। 163-60 का बहुमत और उसके बाद में एसबीसी को आरक्षण नहीं, ईबीसी को आरक्षण नहीं। ओबीसी को हटाये जा रहे हो। उन बच्चों को बाहर किये जा रहे हो और एक और किया आपने। आरपीएससी में कॉलेज व्याख्याता की भर्ती में...। इसमें समय नहीं होता वैसे, लेकिन मैं आपकी बात मानूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं। कालेज व्याख्याताओं में जो चयन की यूजीसी द्वारा योग्यता निर्धारित वो सब करने के बाद में इन्होंने विज्ञापन में एक और निकाल दिया कि आपका गुड एकेडमिक रिकार्ड होना चाहिए। ये गुड रिकार्ड यही है कि ओबीसी, एससी/एसटी को लेओगे, नहीं जाओगे कहां, क्योंकि सबको चिन्ता है वोटों की, लेकिन ओबीसी के ग्रामीण परिवेश में पढ़े हुए बच्चों को.....

(16:00 बजे)

जो टोटल ओबीसी के बच्चे हैं उनको बाहर करने की आपकी साजिश है। शहरों में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजी में गटर पटर करके अपने बच्चों को पढाते हैं, उनको वापस इस माध्यम से, आरपीएससी के माध्यम से कालेज व्याख्याता बनाने की आपकी साजिश है, लेकिन अब ओबीसी, एससी, एसटी के बेरोजगार युवा जाग चुके हैं वह आपको इस साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने देरी से बनाया, हाईकोर्ट की धमकी के बाद बनाया और आज भी आपकी सही मानसिकता नहीं है। ओबीसी में 21 परसेंट में हमारे जितने भी भाई लोग आये हुए हैं इसके माध्यम से आप उनमें आपस में बंटवारा करा, कर उनमें झगडा करा कर, उनको अलग अलग करने की मानसिकता के साथ में लेकर आये हो। अगर नहीं लेकर आये तो माननीय मंत्री महोदय, जब आपका रिप्लाई आए तो आप बता देना कि हम इस आयोग के बनाने के बाद में इस तरह की कोई विचारधारा नहीं आने देंगे जिससे हमारे ओबीसी के भाइयों में बंटवारा हो, एक दूसरे के प्रति नाराजगी हो, दुबारा आंदोलन के लिये आए। आप यह भी बता देना कि ईबीसी, एसबीसी का आरक्षण हम किस प्रकार से, किस प्रावधान के तहत देने वाले हैं। भरतपुर और धोलपुर की जो जाट जाति है उसको पहले से भी मिलता रहा है, आपकी कमजोर पैरवी के कारण से निकल गया, उन भाइयों को भी एसबीसी में हमारे साथ करो।

सभापति महोदय, आपने बहुत समय दिया, आपने बड़ी मित्रता निभाई, राठौड साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं फिर भी यह मेरे को बीच में उकसाने की चेष्टा करते हैं, मैं आपकी बहुत कद्र करता हूं। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है लेकिन बात समझ में नहीं आई कि या तो इस ओबीसी वालों के लिये आपकी नीयत में भी खोट है और या फिर मैडम आपकी मानती नहीं। आजकल किसकी चलती है यह तो बता दो। ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों हो रहा है, इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, संविधान की शपथ लेकर अपन यहां बैठे हैं और बहुत छोटे मन की बात हम करते हैं। यह न 16 परसेंट आरक्षण है, ना 22 परसेंट है, न 12 परसेंट है, न 21 परसेंट है, सबके लिये स्पान ऑफ रिजर्वेशन ज्यादा है। इसके बारे में सब अपने अपने गिरहबान में देख लें, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, समानता भी लिखी हुई है, अधिकार भी लिखे हुए हैं, यह सब बातें लिखी हुई हैं। आरक्षण के मूल डाक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है सोशली एण्ड इकोनोमिकली बैकवर्ड। आज चार पांच प्रकार के आरक्षण की बात की जा रही है, उसमें सब कवर हो रहे हैं। जो सोशली बैकवर्ड थे उनका

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

भी हो गया, इकोनोमिकली बैकवर्ड हैं उनकी मांग उठ रही है। सोशली और इकोनोमिकली बैकवर्ड में कहीं दोनों टैली होते हैं। एसटी, एससी का पहले ही कर दिया था। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक इतना सा निवेदन है माननीय सदस्य को यह बता दो कि यह राजस्थान की विधान सभा में बोल रहे हो, यह क्लास के हिसाब से 45 मिनट लेंगे तो थोडा सा ज्यादा हो जाएगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ...(व्यवधान)... मैं तो सोशली आधार पर बोल रहा हूं आप तो 1998 में जाति के आधार पर मुख्य मंत्री बना चुके, तब से शुरूआत हुई है। 1998 में आपने चुनाव ही इस आधार पर लड़ा, चार जातियों को आगे करके लड़ा और आप हमें कह रहे हो।

वैसे तो मैं धन्यवाद दूंगा एक मामले में कि 1998 से 2003 की सरकार में राजस्थान के युवा आरक्षण भूल गये थे, कांग्रेस ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली इसलिए भूल ही गये थे कि आरक्षण है भी या नहीं है। यह तो हमने दुबारा वैकेंसी निकाल कर 1 लाख 14 हजार टीचर बनाये तब आरक्षण की बात आई, वर्ना तो लोग पांच साल तक आरक्षण भूल ही गये थे। आरक्षण था कब, बताइए आप एक भी नौकरी दी क्या ? 1998 से 2003 में लोग आरक्षण को भूल गये थे। आरक्षण तब उत्पन्न हुआ जब नौकरी चालू हुई, पहले था ही नहीं।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में इस संकल्प की आवश्यकता है कि जो आज सक्षम हो गये चाहे वह किसी भी जाति के हैं, वह आरक्षण अपने आप छोड़ें जैसे गैस का चूल्हा छोड़ा है, वैसे ही छोड़ें। आज देश को 68 साल बाद इस बात की आवश्यकता है। वर्ना सब लोग अपनी-अपनी जाति का नाम लेकर, अपने-अपने वर्ग का नाम लेकर अपना हित साध रहे हैं, अपने परिवारों का हित साध रहे हैं, छोड नहीं रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से यह भविष्यवाणी कर रहा हूं 2020 के बाद अगर आंदोलन चलेगा तो वह आरक्षण के अंतर्गत जो जातियां है, उनके आरक्षण का आंदोलन चलेगा। क्योंकि उनके गरीबों को आरक्षण मिलेगा नहीं, आरक्षण कुछ ही लोगों को मिलना है, कुछ लोग ही फायदा उठा रहे हैं। जैसे जुडिशियरी की बात आई थी, 87 परिवार इंडिया में ऐसे हैं जिनके लोग न्यायाधीश बन रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह परम्परा है कि आपने जो कुछ भी अनर्गल बोला उसके लिये नैक्स्ट वक्ता तक सुनना पड़ता है, यह नियम है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि गुरुजी के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

विराजने से पहले पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। मैं नियम की पालना करूंगा लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी क्लास के हिसाब से 45 मिनट पूरा बोलेंगे। तो, मैं जल सेवन कर आऊं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, आपको सच्चाई सुनना पसंद नहीं है क्या?

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): कितनी तकलीफ है यह पता लग जाता है जैसे ही कोई सत्य बोलने लगता है आप उठ कर चल देते हो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं विधान सभा में कभी 20 मिनट से ज्यादा बोला ही नहीं।

सभापति जी, यह जो आरक्षण का विषय है इससे वास्तव में सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। आपने देखा होगा कि उसमें बंधुत्व शब्द भी लिखा हुआ है और आरक्षण के जब आंदोलन चले तो इस देश में बंधुत्व बिगड़ा है। संविधान की मूल प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द भी लिखा हुआ है, जो बिगड़ रहा है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है।

उसके आधार पर मेरा तो व्यक्तिगत सुझाव यह है बार कठोरता से चयनित कर लें कि यह 30 परसेंट लोग गरीब हैं, उन 30 परसेंट को आप आरक्षण दे दीजिए, सबका आरक्षण हो जाएगा। चाहे उसे बीपीएल नाम दो चाहे और कुछ नाम दे दो, वर्ना तो नहीं हटेगा। पिछले 20 वर्ष में एक भी चपरासी की भर्ती नहीं हुई, भर्ती का प्रयास किया, छह महीने तक इंटरव्यू चला फिर कैंसिल कर दिया, कर ही नहीं सकते। आज बीपीएल के परिवारों की जो लिस्ट बनी है उनके जो भी बच्चे हैं दसवीं पास, आठवीं पास, उनको चपरासी बना दें, कांग्रेस ने तो कभी उस पर विचार ही नहीं किया। वह तो केवल आरक्षण के नाम पर खाते रहे, कभी किया कुछ नहीं।

आरक्षण का मूल उद्देश्य जो मैं समझ पाया हूं यह है कि जो आदमी असहाय है, उस आदमी को किसी न किसी मुख्य धारा में जीवन जीने के लिये प्रोटेक्ट किया जाए, मूल उद्देश्य यही था। आज कई लोग मेरी बात से असहमत होंगे लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में सामाजिक और धामिर्क संतुलन जिंदा ही इसलिए रहा कि आरक्षण रहा, वर्ना जिंदा नहीं रहता। इतने लोग धर्म परिवर्तन कर जाते जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।

शुरू के 30 वर्ष तो आरक्षण के प्रति सहानुभूति थी, उसके बाद ईर्ष्या पैदा हुई और आज बंटवारा चालू हो गया। आज हम सब लोग बंटवारे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे 14 परसेंट आर्थिक आरक्षण की बात चली है, मैं पूरा समर्थन करता हूं और इसलिए करता हूं कि 15 परसेंट लोग बचे हुए हैं, उसमें हम सब शामिल हैं, एससी का आरक्षण

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

16 परसेंट नहीं है, 16+ 50 यानी 66 परसेंट हैं, एसटी का 50 परसेंट + 12 है, ओबीसी का 21 + 50, 71 परसेंट है। हालांकि वहां जातियां बहुत है, 53 परसेंट का ही है, 5 परसेंट वालों को भी 50 में ओपन है। मैं यह कह रहा हूं कि वह भी देख कर हुआ है।

ओबीसी के आरक्षण में सवर्णों की बात चली ही नहीं थी। जब से मोरारजी देसाई और चरण सिंह जी के बीच मामला चला तो एक टुकडा डाला कि पिछडा आयोग बना दो और 1991 में जब अल्पमत की सरकार आ गयीं, बीजेपी को बट्टेखाते लगाने के लिये वीपी सिंह जी ने उसको चालू कर दिया। उसके बाद सब प्रांतों में चल गया।

इस पर विचार करना चाहिये कि देश को विकृत करने के लिये, तोड़ने के लिये यह चीजें बनी हैं या देश का उत्थान करने के लिये ? हमारा उद्देश्य देश को उन्नति की तरफ ले जाना है, यह उद्देश्य नहीं है। आज हम सारे समाज को बांटते जा रहे हैं, समाज लगातार बंट रहे हैं। इस कारण से इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। अभी ढाई लाख की, साढ़े चार की बात चल रही थी। क्या आता है ढाई लाख में, क्या आता है चार लाख में, कोई न कोई सीमा है, मर्यादा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, गुरुजी को आप आदेश फर्मा दें, थोडा विस्तार से समझा दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं कह रहा हूं क्रीमीलेयर का विरोध क्यों करना चाहिये, चाहे वह एससी, एसटी या ओबीसी का है, क्रीमीलेयर का विरोध क्यों करना चाहिये, वह सक्षम आदमी है। आर्थिक रूप से सक्षम आदमी को, क्योंकि संविधान में लिखा है सोशली, इकोनोमिकली बैकवर्ड, क्या 6 लाख वाला इकोनोमिकली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड अब कोई नहीं है। जब से पाठशालाएं खुली हैं, पढने का अधिकार सबको मिला है। अब सोशली बैकवर्ड कोई नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हैं तो गिरी कंदराओं में रहने वाला.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत गंभीर स्टडी करने के बाद यह विचार आया है, आप कृपया सुनें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अगर देखना है तो मगरों में जा देखो। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मगरों में जाकर देखा ? गरीब तो वहां रहता है। देखो तो यहां देखा। पहाड़ियों में देखो। पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं, उनके घरों में जाकर देखो आप। उनको आरक्षण की आवश्यकता है। अपन को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सदन तैयार है कि हमारे बेटे-बेटियों को आरक्षण नहीं चाहिए ? क्या अपन सब लोग कह सकते हैं ? हम नहीं कहेंगे, स्वार्थ है अपना भी। मैं कह रहा हूं स्वार्थ से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

यह जो एक्ट लाया गया है। यह स्थायी व्यवस्था पहले भी थी। स्थानीय आयोग दो बार आपने बनाया। नहीं बनाया क्या ? इतना जरूर है कि आप हम पर आरोप लगा रहे हो। आपने मनमाना निर्णय करा लिया उनसे।

अभी हनुमान जी चले गये। अभी वे भरतपुर और धौलपुर के आंसू बहा रहे थे। 1980 में वे अपने आपको राजशाही समझते थे। उन्होंने मैमोरेंडम दिया है कि हम तो राजा हैं। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, यह दिया हुआ है। इस कारण से वे इससे कटे हैं। उस बात पर विचार करना चाहिए। ऐसे ही थोड़े कट गया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आप मण्डल आयोग के मैमोरेंडम को पढ़ो। किस-किस ने खिलाफ लिखा है कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हम तो राजशाही के लोग हैं। राजा लोग है। अब देखिये, यह सारा क्या सौदा हो रहा है ? सवर्ण कास्ट कभी करती थी क्या ? मेरा बेटा गांव में चौथी क्लास में पढ़ता था। एक मित्र ने यह कह दिया कि अब तो बेटा तू भी उसमें आ गया। एक हल्का शब्द है । उसने मेरे से आकर पूछा तो मैंने उसको तसल्ली से समझाया। कुछ दिन बाद जब जाट आरक्षण की सभा हुई तो कुछ लेने आ गये मेरे को।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसमें आ गया ?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं उस शब्द का उपयोग यहां विधान सभा में नहीं करूंगा। कुछ लोग मजे लेने आ गये, आप भी मंच पर चलो। मैंने कहा कि मैं तो हिन्दू नेता हूं। मुझे जाट नेता क्यों बनाना चाहते हो ? मैंने मजाक में कहा उन लोगों को।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): किसी में भी आया हो पर जाटों में नहीं आया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वे लोग ज्यादा जोर से बोले तो मेरा बेटा अकड़ गया कि हमें नहीं चाहिए । ऐसा-वैसा कुछ नहीं चाहिए। मेरा चौथी क्लास का बेटा ऐसा बोल गया। ये सब चीज़ें आत्म सम्मान की बातें हैं। आत्म सम्मान के लिए मैं कह रहा हूं। आप सब लोगों की माला फहरवा दूंगा। सभी आरक्षण वालों की फहरवा दूंगा। संकल्प लो यहां से कि आज से हम आरक्षण से अपने परिवार को अलग रखेंगे। हमें नहीं चाहिए आरक्षण। इतना आसान नहीं है।

अब अंत में इसका समर्थन करते हुए और मेरा प्रस्ताव वापिस लेते हुए एक ही निवेदन करता चाहता हूं कि निश्चित तौर पर समय आ गया है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है। आरक्षण की बीमारी राष्ट्रीय समस्या है, जो बंधुत्व को खराब कर रही है। ईर्ष्या पैदा कर रही है। इसको ठीक करने के लिए सबको सोचना चाहिए, In Toto सोचना चाहिए और मेरे व्यक्तिगत रूप से तो पिछड़ा आयोग नहीं बनना चाहिए था।,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सर्व समाज आयोग बनना चाहिए, जो सबका विचार करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंह जी यादव। माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंह जी यादव (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य श्री मानसिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

बहुत अच्छी बहस सदन के अन्दर चल रही है और सरकार पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग को कानूनी जामा पहना रही है। एक स्वागतयोग्य कदम है।

सभापति महोदय, जिस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर माननीय न्यायालय ने विभिन्न टाइम पर टिप्पणियां की हैं। उस ओ.बी.सी. और एस.बी.सी. में गुर्जर जाति एक ऐसी जाति है जिसे आजादी से पहले अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स माना था। आजाद भारत से पहले गुर्जर को क्रिमिनल ट्राइब्स माना जाता था। वह जाति लगातार अपने आरक्षण की मांग को करती रही। 1973 में धौलपुर के अन्दर एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस के मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी आये। उन्होंने भी समर्थन किया कि इस जाति को यह आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए। मेरे प्रतिपक्ष के साथी जिन बैंचों से बोल रहे थे। जरा ! आप लंबा इतिहास देखें। चाहे लोकुर कमेटी का देखें, चाहे आप समय-समय पर जो विभिन्न आयोग गठित हुए, उन आयोगों का देखें। काका कालेलकर आयोग है, मण्डल कमीशन है, अन्य सारी कमेटियों में जिस प्रकार से इस जाति को माना। कभी कांग्रेस नेतृत्व पर इसकी जूं नहीं रेंगी। राजस्थान में पत्राचार की फाइल को जब देखते हैं तो केन्द्र सरकार के दर्जनों पत्र सरकार को मिले। आखिर में 1981 के अन्दर तत्कालीन शिवचरण माथुर गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी लिख दी कि इस जाति को अगर आरक्षण दिया जाता है तो अनावश्यक विवाद पैदा हो जाएगा और यह कहकर उस फाइल को बंद कर दिया गया। उसके बाद भी 23 दिसम्बर, 1999 को केन्द्र सरकार ने पुन: कहा कि इस बारे में राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट दे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दो बार, तत्कालीन संयुक्त सचिव ने दो बार उस फाइल को पुटअप किया और पुटअप करने के बाद उन्होंने केवल यह कहकर कि उदयपुर ट्राइबल कमीशन में इसको एग्जामिन करा लो, इसके अलावा फाइल को पटक कर रखा।

यह समाज लगातार झुलसता रहा। अपनी मांग को कहता रहा और आखिर आंदोलन के रूप राजस्थान में इस प्रकार का एक वातावरण बना कि इस जाति ने अपने आरक्षण की मांग तो की। 2008 के अन्दर इसी पवित्र सदन ने सर्वसम्मति से

(श्री मान सिंह)

एक विधेयक पारित किया, संकल्प पारित किया, 9वीं अनुसूची के लिए भी। माननीय वसुंधराजी की सरकार चली गयी। माननीय अशोक जी गहलोत की पुन: सरकार बनी। तेरह महीने तक उस सरकार ने उस विधेयक पर साइन करने का कोई प्रयास नहीं किया और अनावश्यक रूप से मुख्यमंत्री जी एक ही बयान देते रहे कि यह विधेयक ही गलत है। सदन के अन्दर हमने यह देखा था कि पवित्र सदन में असत्य नहीं बोला जाता। इस सदन में जो बोला जाता है वह कम-से-कम आत्मा से बोला जाता है, लेकिन सदन के अन्दर क्या बोलना, बाहर क्या बोलना और इस प्रकार का राजस्थान का वातावरण बना दिया कि वह वातावरण बिगड़ता गया।

आखिर राज्यपाल महोदय ने साइन भी किए, लेकिन वह पुन: स्ट्रक डाउन कोर्ट में हुआ। कोर्ट में जब हुआ तो उसके बाद पुन: Quantitative Data के लिए हाई कोर्ट का निर्देश हुआ। इसरानी कमेटी को बनाया गया। गुर्जर समाज से जब माननीय गहलोत साहब ने समझौता किया तो उन्होंने कहा कि इस कमेटी के माध्यम से हम आपकी इस मांग को फुलफिल करेंगे। वापिस गुर्जर उस झांसे में रहा और उस इसरानी कमेटी ने उसके अंदर 25 जातियां और जोड़ दीं।

माननीय सभापति महोदय, वह अपने आप चलता रहा और वापिस अपने पांच साल निकालकर वे चले गये। पुन: सरकार आई और 2015 के अन्दर जब विधेयक आया तो ये ही मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों ने उस विधेयक का समर्थन नहीं किया।

मैं इस सदन में इसलिए कह रहा हूं।(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये कहां से लाये हैं ?

श्री मान सिंह (गंगापुर): आप रिकार्ड पर देखें। आप रिकार्ड पर देखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या देखें रिकार्ड पर ? इस सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): डोटासराजी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ, बल्कि आप वॉक आउट करके गये थे। (व्यवधान) आप वॉकआउट करके गये थे। वॉक आउट। डोटासरा जी, आपकी पार्टी वॉक आउट करके गयी है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय डोटासरा जी, आप सुनिये। मैं जो बोल रहा हूं (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सर्वसम्मति से हुआ था।

श्री मान सिंह (गंगापुर): मैं जो बोल रहा हूं, इस सदन में इसलिए बोल रहा हूं कि रिकॉर्ड मौजूद है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी पार्टी वॉक आउट करके गयी। आपने समर्थन नहीं किया।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): मानसिंह जी बोल रहे हैं, वह सदन की कार्यवाही के आधार पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप देख सकते हैं कि मानसिंह जी बोल रहे हैं, वह सौ प्रतिशत सत्य है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप भाग गये थे। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, सदन के रिकार्ड पर जो बात है, उसको कोई भी चैक कर सकता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मेरे अंदर दर्द है।

इन्होंने 60 साल तक घड़ियाली आंसू बहाकर, जिस कौम को, जिस प्रकार से उपयोग करने का काम किया और आज आरक्षण पर जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, आपको इस बात का कोई हक नहीं है। यह तो संविधान को धन्य है कि उसने एस टी, एस सी का आरक्षण भी सुरक्षित रखा और ओबीसी को भी आरक्षण देने का काम किया। आपके समय में तो जिस प्रकार से मंडल कमीशन बैठा था, आपको याद होगा कितने लोगों ने उसके अंदर आहुतियां दी थीं। आज आप जिस ओबीसी के आरक्षण की बहुत आसानी से बात कर रहे हो, मण्डल कमीशन के अंदर भी बहुत बड़ी आहुतियां हुई थीं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार जिस आयोग को बनाने जा रही है, मैं उम्मीद करूंगा और आज बहुत विनम्र शब्दों में पूरे सदन से, सरकार से मांग करूंगा कि गुर्जर समाज जिस आरक्षण को लेना चाह रहा है वह उसको आजादी के पहले का ट्राइबल क्राइम की जाति कोई हिन्दुस्तान में अगर है, जिसको सबसे पहला क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा था तो वह गुर्जर था। अगर इस देश की रक्षा करने का काम कहीं सबसे पहले आया तो वह गुर्जर ने किया। सबसे पहले गुर्जर ने गाय का दूध देने का काम, किसान का, खेती का काम किया। लेकिन कभी इस कांग्रेस के लोगों ने इसको नहीं सुना।

जब आप रिकार्ड देखेंगे, 23 दिसम्बर,1999 के पत्र को एक मामूली यूडीसी लेवल का कर्मचारी उस फाइल को देखें, आप नकल निकलवाएं, मुझे जवाब देना। उस फाइल को लेकर यूडीसी तीन-तीन बार दिल्ली जाकर डेढ़ लाख रूपये खर्च कर देता है और उदयपुर के ट्राइबल कमीशन में ले जाकर पटक देता है। कभी आप इस बात देखते कि आखिर इस कौम का लिखने वाला, वह यूडीसी इस प्रकार की बात कर सकता है। मुख्यमंत्री इस बात को चैक नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस

(श्री मान सिंह)

आरक्षण को, आयोग का गठन होने जा रहा है, मुझे खुशी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एस टी, एस सी, ओबीसी, ईबीसी, सबके लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है। वह जातियां फुलफिल करेगी, अगर ईबीसी को भी मिलता है तो हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। मैं आज कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, इस देश में समाजवादियों ने जो नारा दिया था कभी आपने सुनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तो हमेशा एक ही बात कही थी कि सन सोपा में बांधी गांठ पिछड़ा पावे सौ बे साठ, कभी आपने स्वीकार नहीं किया। ना आज कर सकते आप उसको।

इसलिए सबसे पहले आप यह देखो, आप यह मत कहो कि कौन किसको लड़ा देगा, वह 50 से नीचे मांग रहा है, वह 50 से ऊपर मांग रहा है, कम से कम सदन के अंदर ऐसी बातें मत करो। जिस प्रकार लंबी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से गुर्जर समाज ने लड़ी है, इस सदन में मैं इस समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मांग करता हूं कि इस आयोग के माध्यम से आप और हम इस बात का प्रयास करें कि जो भी .....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पूरे विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं कि एक कौम के जनप्रतिनिधि हैं ? इसलिए मेहरबानी करके ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): डोटासरा जी, वह बोल रहे हैं, गुर्जर आरक्षण के पक्ष में बोल रहे हैं, गुर्जरों की मांग उठा रहे हैं। आपको उसमें कहां आपत्ति है, आप आराम से बैठिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ओबीसी में सभी जातियां आती हैं ...(व्यवधान)... वह सभी जातियों के बारे में बोल रहे हैं, आपको पता नहीं। नींद आ रही है आज ऐसा लग रहा है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): निश्चित रूप से सदन का प्रतिनिधि हूं। ...(व्यवधान)... उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। जाति से जन्म जो लिया है, वह जाति इसकी सच्चाई है। कम से कम अगले 50 साल तक तो इस देश की जाति सच्चाई है, उस जाति को न संविधान ने नकारा है, न आपमें नकारने की हिम्मत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भंवरलाल जी कह रहे हैं ...(व्यवधान)... यह भाषण बाहर चला गया ना तो गंगापुर में खाट खड़ी हो जाएगा।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): गंगापुर में मामला गड़बड़ है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, मैं जिस जगह से चुनकर आता हूं, मेरी जाति का वोट वहां पर बहुत कम है ...(व्यवधान)... सुनो मेरी बात सुनो।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): क्या जाति की बात कर रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री मान सिंह (गंगापुर): मैं जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं उनका विश्वास मेरे अंदर है। मैं वहां भी वही बोलता हूं और मुझे वहां भी यही बोला जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): सर्व समाज ने उन्हें चुनकर भेजा है। एक जाति ने चुनकर नहीं भेजा, सर्व समाज ने चुनकर भेजा है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना सर्वे करा लेना और कांग्रेस के लोगों आप जितना सर्वे कराओ करा लेना, यह व्यक्ति आपको अगले सदन में भी यही मिलेगा। ...(व्यवधान)... इसलिए कहीं चिंता करने की बात नहीं है। आप खूब अपना तकदीर लिख लो। मेरी तकदीर मैं जानता हूं कैसे लिखी गयी है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चैलेंज मत करों वर्ना गड़बड़ हो जाएगा। आप वापिस ले लो अपने शब्द।

श्री मान सिंह (गंगापुर): डोटासरा जी, आप लोग जिस प्रकार से बंटे हुए हो, दुर्भाग्य है राजस्थान का।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इनको कौन चैलेंज करें, यह तो बार-बार, पहले ...(व्यवधान)... जनता दल, कई बार बदल चुके । ...(व्यवधान)...

श्री मान सिंह (गंगापुर): राजस्थान का दुर्भाग्य, जिस प्रकार विपक्ष का विचार होना चाहिए, इस विधेयक के मामले में आपको जिस प्रकार सर्व सम्मति देनी चाहिए थी, जिस प्रकार से इस विधयेक के मामले में आपका मत होना चाहिए था, मैं उम्मीद करूंगा कि इस विधेयक पर आप उसी प्रकार का मत देंगे। राजस्थान के अंदर एक समरसता पैदा हो, राजस्थान सरकार जो प्रयास कर रही है, जिस प्रकार के कदम बढ़ाकर कानूनी दावपेच दूर करने की दिशा में इस आयोग का गठन करके एक पहले की है, मैं पूरे सदन से, सरकार से अपील करूंगा कि इस मामले में सहमति रखें। हमारा समाज, अन्य सभी समाज समरसता से रह सके।

इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री प्रहलाद जी गुंजल। ...(व्यवधान)...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाए।

श्री सभापति: आप बोलें, सब आ जाएगा धीरे-धीरे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने तो बड़े-बड़े को आर्डर में ला दिया, घर जाकर आपसे मांफी मागनी पड़ी, तो आपकी तो आवाज ही बुलंद है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इन्होंने तो आपको भी आर्डर में ला दिया है।...(व्यवधान)...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 सदन में विचार के लिए लाया गया है। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और उसके बाद लगातार कई विद्वान सदस्यों ने गंभीरता पूर्वक इस पर अपना मत दिया।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के उद्देश्य और कारणों में, इस विधेयक को लाने की सरकार की जो मंशा है वह स्पष्ट है। राजस्थान की सरकार एक अधिनियम बनाकर आयोग का गठन करे, न कि किसी प्रशासनिक आदेश से। न्यायालय ने इस पर गहरी आपत्ति बताई है। सरकार का आदेश कान्स्टीट्यूशनल अथोरिटी नहीं हो सकता, यह गंभीर न्यायिक सवाल न्यायालय के सामने गया और इसको रिजेक्ट करते हुए सरकार से अपेक्षा की कि कोई कान्स्टीट्यूशनल अथोरिटी फ्रेम करेंगे और उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

माननीय सभापति, यह जो बिल आ रहा है इसको लेकर सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। न्यायालय ने अपेक्षा की है और हम इस ज्वलंत मुद्दे पर अब आगे बढ़ने के लिए, संवैधानिक नजरिये के साथ आगे बढ़ेगे तो राजस्थान के हित में होगा।

हम सब लोग जानते हैं, इस समय हिन्दुस्तान में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे राजस्थान का गुर्जर आंदोलन रहा हो, हरियाणा में जाट आंदोलन रहा हो, महाराष्ट्र के मराठा से लेकर गुजरात के पटेल तक। अभी तीन दिन पहले राजस्थान में ईबीसी वर्ग ने भी अपनी बात रखी है। मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का हो गया। अलग-अलग समाज, अलग-अलग प्रान्तों में अपनी मांग कर रहे हैं लेकिन इस आरक्षण के मुद्दे पर राजस्थान के अनुभव कड़वे रहे हैं। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, समूचा राजस्थान जानता है, सारा हिन्दुस्तान जानता है। आरक्षण के आंदोलन के जो अनुभव राजस्थान के साथ जुड़े, आने वाली सदियों तक के लिए एक हिस्ट्री बन गया है। मैं अगर बिना हिचक के टिप्पणी करूं, शायद राजस्थान के इतिहास का, लोकतांत्रिक इतिहास का एक आंदोलन जिसमें अपनी बुनियादी मांग के लिए 70-72 लोगों को शहादत देनी पड़ जाए, 60-70 साल की पहली घटना थी, डेमोक्रेसी आने के बाद। ऐसे गम्भीर बिल पर जहां समाजों में आग लगी है, देश में एक वातावरण बन रहा है, माननीय सभापति महोदय, हमारी चर्चा जिम्मेदारीपूर्वक नहीं है। किसने क्या किया, गहलोतजी ने क्या किया, वसुन्धराजी ने क्या किया, हम इस नजरिये के बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारी बहस में संवेदनशीलता नहीं है। हमारी बहस राजनीतिक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

शब्दावली के इर्दगिर्द घूम रही है। आरक्षण मिले, न मिले, मुद्दा समाप्त हो, न हो, मेरा मत, विचार, मेरी स्कोरिंग कायम हो जानी चाहिये। व्यवस्था और ज्यादा चिंताजनक है।

इसीलिये आज, मैं इस अवसर पर, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं, हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार के सामने केवल दो ही लक्ष्य होने चाहिए। एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ सम्पूर्ण राष्ट्र। जब हम एक तरफ व्यक्ति को, दूसरी तरफ राष्ट्र को, व्यवस्था के केन्द्र में रखकर चलने की बात करते हैं तो फिर हमको यह भी तय करना पड़ेगा, इन दोनों लक्ष्यों के बीच ऐसी कोई घटना घटित हो, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की एकता को बाधित करे। जब मैं यह बात कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, राजस्थान में गुर्जर आन्दोलन में व्यक्ति की गरिमा भंग हुई। व्यक्ति मरा, वह राष्ट्र का सपूत था। पटरियां उखड़ीं, वे राष्ट्र की सम्पत्ति थीं। हरियाणा में कोई मरा तो वह राष्ट्र का सपूत था। लेकिन पर्दे के पीछे से पोलिटिकल स्कोरिंग के लिये गुर्जर, मीणा, जाट, माली समुदायों को लड़ाने की व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता खंडित करने की दृष्टि से कुछ लोग इसमें पीछे लगे। यह स्थितियां देश और समाज के लिये हितकर नहीं हैं।

इसीलिये मैं आज जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह आयोग बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमें इस मुल्क में घटने वाली घटनाओं के कड़वे अनुभवों के साथ इस सदन को यहां से लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट तक जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार का प्रदर्शन करना पड़ेगा। वर्ना हम एक आन्दोलन के मुहाने पर खड़े हैं। जिस व्यक्ति को भूख लगी है, आरक्षण चाहिये। कुछ समय आरक्षण ले लिया, कुछ परीक्षाओं में परिणाम घोषित हो गये। सड़क पर बैठा है। विधेयक क्रेश होने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले जिन लोगों की वरीयता सूची जारी हो गयी उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिये, यह मांग आज सड़क पर उठ रही है। अगर हमने गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार नहीं किया और इसके समाधान के रास्ते नहीं ढूंढे तो पुराने अनुभवों के आधार पर हमको इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिये। यह समूचे सदन के सामने बहुत गम्भीरता का सवाल है। इसीलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम इस गम्भीर मुद्दे पर इस प्रदेश के व्यक्ति की गरिमा, इस प्रदेश की सामाजिक एकता की, इस प्रदेश में समूची जातियां मिल कर रह रही हैं, इस नजरिये के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से इस आयोग को बनाने के बाद यह सदन सर्वसम्मति से किसी दिशा में आगे बढ़ पायेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अगर आरोपों-प्रत्यारोपों की बात करेंगे, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अभी भाषण कर रहे थे, करना ही नहीं चाहती आपकी सरकार। ओ.बी.सी. के साथ अन्याय करना चाहती है, ई.बी.सी. के साथ अन्याय करना चाहती है, एस.बी.सी. के साथ अन्याय करना चाहती है, हम तो आरक्षण देना चाहते हैं, ये नहीं देना चाहते।

माननीय सभापति महोदय, आप विद्‌वान हैं, कानून के जानकार हैं। कानून के विषय पर आपकी पकड़ है। आपने संविधान सभा की कार्यवाही पढ़ी होगी। इस मुल्क का दुर्भाग्य रहा कि इस मुल्क में जब डैमोक्रेसी आई तो मजबूत दो दलीय व्यवस्था कायम नहीं हो पाई। उसका परिणाम रहा कि अपने गलत कामों को भी सत्य साबित करने में कांग्रेस कामयाब हो गयी। अगर आप संविधान सभा की प्रोसीडिंग उठा कर देखेंगे, आप सम्पूर्ण अम्बेडकर वांङ्गमय उठा कर देखेंगे तो जब अम्बेडकरजी ने सवाल उठाया दलित के आरक्षण का, और इस तर्क के साथ कि इस मुल्क की व्यवस्था में कोई जातिगत दलित नहीं, दलित इस मुल्क के लिये लड़ते-लड़ते हजारों सालों की गुलामी की व्यवस्था के कारण, जो बन गया, डैमोक्रेसी आने के बाद उसका उद्‌धार होना आवश्यक है, वह दलित जो लड़ा इस मुल्क की संस्कृति, सभ्यता, वैभव और परम्पराओं के लिये, कुचल दिया गया उसको, रास्ते से हटा दिया गया, समाज और व्यवस्था से दरकिनार कर दिया गया। असहाय हो गया, अछूत हो गया। उसको मुख्य धारा में लाने के लिये जब आरक्षण की बात हुई तो आज भी संविधान सभा इस बात का सबूत दे रही है कि भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने खड़े होकर कहा, जिस दलित की अम्बेडकर साहब, आप आरक्षण की पैरवी कर रहे हो, राष्ट्र के प्रति उसकी निष्ठा और लायल्टी क्या है, इस बात के सबूत दीजिये। इस बात के सबूत दीजिये। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में खड़े होकर कहा कि मैं सैकड़ों सालों के इस मुल्क के लिये लड़ने के उनके इतिहास पर नहीं जाना चाहता, नेहरूजी, लेकिन जब इस मुल्क के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तानी सेना कबीलों के रूप में जब मुल्क के कश्मीर को छीनने के लिये वापस लड़ने के लिये आई और आपने जब यू.एन.ओ. में आत्मसमर्पण कर दिया तो शायद आपका भरोसा मर गया था। उस रोज 24 घण्टे समर्पण नहीं करते तो जो कश्मीर के पूरे हिस्से पर तिरंगा फहरा देती, वह कोई और नहीं, महार रेजीमेंट थी, जिसमें सौ प्रतिशत दलित थे, सौ प्रतिशत।

आज कांग्रेस कह रही है, हमने दलित को आरक्षण दिया है। कांग्रेस का सौभाग्य रहा कि भारत की डैमोक्रेटिक व्यवस्था में मजबूत विपक्ष का अभाव होने के कारण अपने काले कारनामों को भी सफेद स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने में कामयाब रही।

अगर इस आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में चलेंगे तो फिर हम राजस्थान के साथ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिये, अगर राजस्थान के साथ न्याय करना चाहते हैं तो फिर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। हम विधान मण्डल में बैठे हैं।

मैं कोर्ट के बहुत सारे फैसलों का उदाहरण तो नहीं देना चाहता लेकिन, माननीय सभापति महोदय, देवदासन बनाम भारत संघ, सबसे पहले इस फैसले में आया कि सरकारें 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकतीं। जब इसके खिलाफ अपील हुई, थॉमस और अखिल भारतीय कर्मचारी संघ, कोर्ट ने फैसले को बदल दिया। देवदासन का निर्णय वीभत्स रूप से उलट दिया और यह कहा कि यह जरूरी नहीं कि 50 प्रतिशत की सीमा में आरक्षण रहे।

माननीय सभापति महोदय, हम जिस इन्दिरा साहनी के मुकदमे को लेकर इस सदन में चर्चा करते हैं कि इन्दिरा साहनी के मुकदमे के कारण हम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन इन्दिरा साहनी के फैसले में भी उन विशेष परिस्थितियों का जिक्र है कि विशेष परिस्थिति में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है।

संविधान की व्यवस्था में भी इस बात का उल्लेख है। आप पढ़ लीजिये संविधान को।

फिर आखिर क्यों, कि लगातार पिछले दस सालों से राजस्थान और सारा का सारा मुल्क इस आग में झुलसता जा रहा है। क्यों नहीं झुलसेगा, माननीय सभापति महोदय, मैं आज एक गम्भीर सवाल इस सदन के सामने उठाऊं। देश में लोकतंत्र आया, समता का अधिकार, समान विकास का अधिकार, हमारा भी नारा, मोदीजी का नारा, वसुन्धराजी का नारा, 36 कौम को लेकर चलेंगे, सबका विकास-सबका साथ।

माननीय सभापति महोदय, मुल्क की आजादी के बाद एस.टी., एस.टी. के आरक्षण के बाद जो उपेक्षित और दलित वर्ग था, उसने अपना स्थान बनाया लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था में आप उन्हें किस रूप में परिभाषित करेंगे कि आजादी के पचास साल बाद इस मुल्क का एक बड़ा तबका सरकारी नौकरियों में पाइंट जीरो-जीरो-जीरो परसेंट स्थान नहीं बना पाया। समता का, समानता का अधिकार, मुल्क की व्यवस्था में जिसकी जीरो परसेंट भागीदारी नहीं बनी और आज अगर मैं इस सदन में कहूं कि जातिगत दलित व्यवस्था से त्रस्त वह दलित जिनके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, मुल्क को गर्व है लेकिन इस पचास साल की डैमोक्रेटिक व्यवस्था में कुछ व्यवस्थागत दलित पैदा हो गये जो अपनी हिस्सेदारी के लिए तड़पते रहे लेकिन उनकी हिस्सेदारी के लिए किसी ने नहीं सोचा और मजबूर होकर उनको सड़कों पर निकलना पड़ा। उसका परिणाम यह है कि आज सारे लोग, सारे मुल्क, अगर हरियाणा का जाट

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सड़क पर निकले अपने हक के लिए, जाति की गरिमा भंग होती है, अगर वह राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाए, माली, अन्य समुदाय सामने आए और कोई पोलिटिकल एक्सपोजर दें कि जाट विरोधी वातावरण, इससे हम अंदर की आग को ठंडा नहीं कर सकते। आग को ठंडा करने के लिए हमें गहराई से रास्ते निकालने पड़ेंगे। गंभीरतापूर्वक चिंतन करना पड़ेगा।

यह चिंतन का सिलसिला यही पर नहीं रुकने वाला, 2008 में जो भी परिस्थितियां रहीं, एक बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद वह एक्ट कैसा था ? देश के दूसरे प्रांतों में पचास परसेंट से ज्यादा आरक्षण है। हमारे यहां पर क्यों नहीं हो सकता था ? लेकिन हमारे यहां उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख, कोई संवैधानिक अथोरिटी नहीं थी। चौपड़ा समिति कांस्टीट्यूशनल नहीं थी, सरकारी आर्डर से थी। उसका खामियाजा भुगता लेकिन जब इस सदन ने एक्ट पारित कर दिया, आरक्षण का बिल पास कर दिया, सरकार बदलने के बाद गहलोतजी उस बिल पर कुंडली मार कर बैठ गये, गवर्नर को साइन नहीं करने दिये। इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता।

आखिर हमने अगर आरक्षण को राजनीति का हथियार बनाया, एक दूसरे को कठघरे खड़ा करने के लिए हमारे एजेंडे बन गये आरक्षण के विषय पर बोलने के तो किसके साथ अन्याय कर रहे हैं ? एक व्यक्ति राजस्थान में पुलिस की गोली से मरता है तो उसकी जाति नहीं देखी जाती। वह इस मुल्क का भविष्य है, वह नौजवान इस भारत का सपूत है। हमें उसकी चिंता करनी पड़ेगी और अगर मैं समूची डैमोक्रेटिक व्यवस्था की बात करूं तो आप छोड़ दीजिए जाति को, सम्प्रदाय को, यह सारी की सारी व्यवस्था अगर किसी के लिए है तो इस व्यवस्था के केन्द्र में केवल और केवल एक व्यक्ति है, आम व्यक्ति जिसके लिए समूचा लोकतंत्र बना है।

हम अगर लोकतंत्र की भावना से काम करेंगे तो एक व्यक्ति के हक-अधिकार को भी हम वंचित करके नहीं चल सकते और इसीलिए समूची व्यवस्था में हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी का व्यवहार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल को लेकर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। बिल अच्छा है कि एक कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी बनेगी लेकिन यह कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी बनने के बाद राजस्थान के लोगों को जो वर्षों से अपने हक की बात कर रहे हैं, यह हक कैसे मिले? विधान मंडल इस पर गंभीरता से चर्चा करे, और इसका समाधान निकालें, क्योंकि हमें आने वाले समय में गंभीर खतरे नजर आ रहे हैं। तीन दिन पहले आर्थिक पिछड़ा वर्ग सड़क पर आया। विशेष पिछड़ा वर्ग तैयारी कर रहा है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यह हमारे हित में भी नहीं है, राजस्थान के हित में भी नहीं है और हम सब लोगों को मिलकर इसकी चिंता करनी पड़ेगी और उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा।

इस बिल में जरूर सारी जो परिभाषाएं, एम्स एंड आब्जेक्ट्स जो आपने सब पढ़ा ही होगा माननीय सभापति महोदय,

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: कृपया विराजिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: विराजिए, कृपया विराजिए आप। माननीय सदस्य, आप जारी रखें। ....(व्यवधान).... माननीय सदस्य के जो विचार आए हैं, कृपया, विराजिए। माननीय सदस्य के वक्तव्य को रिकार्ड नहीं करें। ....(व्यवधान)....

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए। प्लीज।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान की व्यवस्था पर सवाल उठाये हैं। मुझे याद आ रहा है कि जिस संविधान को संविधान सभा ने बनाया, जिस संविधान से देश चलता है, उससे सुप्रीम प्रधान मंत्री भी नहीं हो सकता। उस संविधान से सुप्रीम असेम्बली नहीं हो सकती। असेम्बली का फ्रेम इस संविधान की व्यवस्था के तहत हुआ है और मुझे दु:ख है, मुझे तकलीफ है, माननीय सभापति महोदय, जिस कांस्टीट्यूशन की भावना से देश चलता है, समूची व्यवस्था चलती है, यह सदन चलता है, उस संविधान की व्यवस्था को हमारा कोई माननीय सदस्य चुनौती देने की कोशिश करें, मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहता लेकिन इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए इससे घातक और चुनौतीपूर्ण बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं उस पर नहीं जाना चाहता।

मुझे तो इस पर केवल इतना कहना है माननीय सभापति महोदय, परिभाषाओं में आपने लिखा है कि यह आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए है, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग का कहीं उल्लेख नहीं है।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप बोल लेना, साहब। विजयजी, आप बोल लेना।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: बिना इजाजत जो भी माननीय सदस्य ने बोला है इसको अंकित न

(श्री सभापति)

किया जाए। नहीं, कोई रिकार्ड नहीं। जो बिना इजाजत के बोले हैं, वह कोई रिकार्ड न किया जाए। डिलीट कर दिया जाए। ....(व्यवधान)....

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप थर्ड वाचन पर बोल लेना।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, मैं कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइए। यह अगर थर्ड वाचन पर बोलेंगे तो बोलें।

मुझे मेरी समझ में यह आ रहा है, माननीय सभापति महोदय, इसमें केवल अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग का जो उल्लेख है, धारा-2 के 'छ' में दिया गया है और 'छ' में भी लिखा गया है कि - '(छ) 'राज्य के अधीन सेवाओं' का वही अर्थ होगा, जो उसे राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्या-12) की धारा 2 के खण्ड (छ) में दिया गया है।'

और, माननीय सभापति महोदय, इसके जो खंड- 'छ' दिया गया है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। ....(व्यवधान)....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): धारा- 2 के खंड 'छ' में जो उल्लेखित है, उसको आप पढ़ लें, माननीय सभापति महोदय, क्या राजस्थान हाई-कोर्ट के इस बिल को क्वैश करने के बाद, इस राजस्थान की व्यवस्था में, किसी भी एक्ट और विधान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग का वजूद मौजूद है? इसकी प्रासंगिकता पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

भी एक सवाल उठता है। जिस एक्ट के तहत आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया, उस एक्ट को ही क्वेश कर दिया तो उस लाइट में जिन-जिन भी एक्टों में इसका उल्लेख किया गया है, मैं समझता हूं कि वह शब्दांश, वह जो धाराएं हैं, वह अपने आप ही नल एण्ड वाइड हो जाएंगी। इन्फ्रक्चुअस हो जाएंगी। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। इसमें उल्लेख करना चाहिये था। केवल इस एक्ट का हवाला देने के बजाय, राज्य की अधीनस्थ सेवाओं वाले एक्ट का हवाला देने के बजाय आज यह धारा प्रभावशून्य हो गयी। इसलिये प्रभावशून्य हो गयी कि जिस पिछड़े वर्ग को आपने इसमें लिखा है, जिस आर्थिक पिछड़े वर्ग को और विशेष पिछड़े वर्ग को, उसको परिभाषित करने वाले एक्ट की यह विधिक मान्यता न्यायालय के आदेश के बाद नहीं बची तो अपने आप में इन धाराओं का वजूद किसी भी एक्ट में लिखे हुए इस बात का उल्लेख अपने आप समाप्त हो जाता है और इसलिये यह अध्ययन करके इसका उल्लेख करने से पहले अच्छा होता इसी पिछड़े वर्ग की परिभाषा में आप उल्लेखित कर देते कि विशेष पिछड़ा वर्ग का मतलब आयोग द्वारा जिनका सर्वे करके, जो समाज की परिस्थितियों से कटा हुआ भिन्न, जो भी आप उसको पैरामीटर्स तय करते। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, जो आर्थिक बदहाली के दलदल में चला गया है, या जो भी आप परिभाषा देते, वह परिभाषा अगर आप इस एक्ट में अलग से उल्लेखित करते तो मैं समझता हूं कि एक्ट सम्पूर्ण रूप से परिपूर्ण एक्ट होता। आज भी मुझे डाउट है इस एक्ट से आप विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों की कोई साधना कर पाओगे। फिर जाकर यह कोर्ट में चैलेंज होगा और निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई कानून खामी के कारण हम लोगों को फिर दुबारा से सदन में इस पर विचार करने की आवश्यकता न पड़े।

अच्छा हो कि इसको पारित करने से पहले कर्तव्य और अधिकार, सारा सब कुछ ठीक है आयोग के बारे में, लेकिन उसकी शक्तियों में यह निहित कर दें कि परिभाषा में खण्ड धारा 2 की (च) (छ) (ज) में जो पिछड़ा वर्ग, सम्पूर्ण वर्गों के लिये यह आयोग काम करेगा, शक्तियों में एक यह लाइन जोड़ते हुए और परिभाषाओं में दो परिभाषाएं जोड़ते हुए आप इस बिल को पारित करोगे तो यह बिल सम्पूर्ण रूप से परिपूर्ण बिल होगा, अन्यथा मुझे इस पर फिर संदेह है कि इससे हम कोई लाभ दिला पायेंगे।

मुझे अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करनी है और मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा कि मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेने की अनुमति दी जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पूरणमल जी सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य

(श्री पूरणमल सैनी)

पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 पर सदन में चर्चा हो रही है। इस पर मैं मेरी आप बात रखूं इससे पहले हमारे दल की ओर से आपको सभापति बनने के लिये बधाई हो।

साथ ही इसके संबंध में सबसे पहले अपनी पार्टी की ओर से संविधान और राष्ट्र के निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धाजंलि भी अर्पित करता हूं। 26 नवम्बर, 1949 माननीय सभापति जी, हमारे देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हमारी संविधान सभा ने स्वतन्त्र भारत के संविधान को अंगीकार किया था। डा. बी.आर.अम्बेडकर जी ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी और संविधान की आत्मा माने जाने वाले प्रिएम्बल में सावेरन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में राष्ट्र के स्वरूप की घोषणा की थी। माननीय सभापति महोदय, यह अलग बात है जब संविधान के 42 वें संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट और सैक्युलर शब्द भी जोड़ दिये गये। लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटरनिटी के मूल्यों के साथ भारतीय संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया और इन तमाम बातों के बीच में बाबा साहब डा. बी.आर.अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ ही इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कायम करने का एक बहुत बड़ा सपना इस देश के समक्ष रखा था। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर चाहे बंगाल से जीतकर आये और चाहे बाम्बे प्रोविंस से जीतकर आये, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया और किस पार्टी ने बाबा साहब को मसौदा समिति का मैम्बर बनाया।

श्री सभापति: बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य आ रहा है, कृपया सुनें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): इसमें बहुत बड़ा सवाल एक यह है और किसने बाबा साहब डा. बी.आर.अम्बेडकर को चुनाव हराया ?

इन तमाम सवालों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, वह बाबा साहब बी.आर.अम्बेडकर के सपनों के भारत से जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, आरक्षण की उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, सभापति महोदय, जिसके बारे में क्षेत्र की जनता के बीच में जाओ तो जनता में लोग कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिये।

पिछले तकरीबन पांच घंटे से इस सदन में भी माननीय सदस्यों के द्वारा इस चर्चा में हिस्सा लिया जा रहा है। किसी माननीय सदस्य के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको खत्म किया जाना चाहिये। कोई माननीय सदस्य कहते हैं कि उन जातियों को भी जोड़ा जाना चाहिये।

मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले माननीय सभापति महोदय, इस सदन को उस ओर लेकर जाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत

(श्री पूरणमल सैनी)

क्यों पड़ी ? माननीय सभापति महोदय, यह देश व्यवस्थाओं का देश है और व्यवस्थाओं के देश के चलते इस देश में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि मेरी मांग है कि आरक्षण खतम होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अवगत करवाना चाहूंगा कि आरक्षण की जरूरत इस देश में इसलिये पड़ी कि यह देश वर्गों के बाद जातियों में बंटा हुआ है। जातियों में बंटे होने के साथ-साथ देश के चौथे वर्ग की 6,743 जातियों के साथ इस देश में, मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में माननीय गुंजल साहब जो बता रहे थे कि इस देश की संस्कृति को बचाने के लिये और इस देश की भक्ति के रूप में इन जातियों ने अपना सर्वस्व लगाया और उससे पिटते-पिटते उनकी हालत जर्जर होती चली गयी। तब उनको उस लेवल में लाने के लिये 1927 से 1932 के बीच में इस देश में चार गोलमेज सम्मेलन हुए और चौथे गोलमेज सम्मेलन में शूद्र वर्ग की ही एस.सी. और एस.टी. में आने वाली जातियों को 16 और 12 प्रतिशत के रूप में आरक्षित कर दिया गया था और 1932 के बाद यह बात जब आगे बढ़ी और शूद्र वर्ग में ही एस.सी और एस.टी. की जातियों को जब आरक्षण मिल गया उस समय सभापति महोदय, यह देश आजाद नहीं हुआ था। कहीं सुनते हैं कि यह आरक्षण तो मात्र 10 वर्ष के लिये था तो मैं आज सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कह रहा हूं और आम आदमी सोचता भी है, जिनको नहीं मिला, वह सोच भी रहे हैं। मैं इस बात को ईमानदारी से कहता हूं मैं इस वर्ग में आता हूं और मैं उन लोगों से आग्रह करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण वैसे कोई भीख नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अगर आप इसको यूं चाहते हैं कि इसको खत्म किया जाना चाहिये तो माननीय सभापति महोदय, किसी भी चीज को पैदा होने के लिये कोई न कोई कारण होता है और जब इस देश में सर्वप्रथम जातियां आयीं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार रहा इसलिये उनको लेवल में लाने के लिये आरक्षण दिया गया और आज खतम करना चाहते हो तो मेरी मांग है कि आरक्षण से पहले इस देश में से जातियों को हटाया जाए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो चीज पहले आयी, वह पहले जाए और वह चीज जिस गति से आयी उसी गति से वापस जाए।

माननीय सभापति महोदय, ढाई हजार वर्षों से यह देश लगातार गुलाम रहता रहा और गुलामी के अन्तिम पड़ाव ब्रिटिशों के शासन काल में इस शूद्र वर्ग की जाति के लोगों को एस.सी. और एस.टी. को 16 और 12 के रूप में आरक्षित कर दिया गया, शेष बची जातियां शूद्र वर्ग के लोगों के लिये है तो बाबा साहब डा. बी.आर.अम्बेडकर ने यह मांग की और बाबा साहब ने ही नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम ही इस बची हुई

(श्री पूरणमल सैनी)

जातियों की मांग के लिये दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता के रूप में काफी लोग यह भी कह रहे थे कि फलां भर्ती में जो आरक्षण के बाहर जो लोग बचे हैं, उन लोगों की उपस्थिति यही है नौकरियों में, शासन और प्रशासन में भागीदारी की बात कर रहे थे,

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैंने बात शुरू करते ही कहा है कि वो दिन इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जब इस देश में काका कालेलकर के आयोग का गठन किया गया।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने उस बिल को 15 महीने तक अटकाया रखा। माननीय सभापति महोदय, हम भी इस बात से खफा हैं लेकिन इससे पहले कि अगर मैं कहीं बात करूं तो कब काका कालेलकर आयोग का गठन इस देश में किया गया था। शूद्र वर्ग की शेष बची जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए सर्वे करने के लिए काका कालेलकर आये और बहुत जल्दी ही काका कालेलकर आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों का सर्वे कर के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट केन्द्र की सरकार को पेश कर दी थी लेकिन मैं इस सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि 1979 तक लगातार वो रिपोर्ट केन्द्र की सरकार के पास पड़ी रही, चाहे वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही होगी और चाहे कांग्रेस की रही होगी। लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को इस केन्द्र की सरकार ने समाविष्ट नहीं किया और उसको लागू नहीं किया।

दुबारा हमारे महापुरुषों को इस बात के लिए लड़ना पडा और 1979 में केन्द्र की सरकार के द्वारा, मण्डल आयोग का गठन जब केन्द्र की सरकार ने किया और मण्डल आयोग इस देश में पूरा सर्वे कर के लेकर गये और सर्वे रिपोर्ट में यह पाया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की इन-इन जातियों को आरक्षण की जरूरत है। भारत के संविधान की मंशा के अनुसार, माननीय सभापति महोदय, जब इस देश की केन्द्र की सरकार में, जिस भी किसी पार्टी की थी, माननीय वी.पी. सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय मण्डल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस देश में 52 जातियों को, जिनकी संख्या 42 प्रतिशत रही थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण दिया गया। माननीय सभापति महोदय, आरक्षण जब केन्द्र की सरकार के द्वारा 1992 में दे दिया गया, बात आगे बढ़ती चली गयी, मात्र चार, पांच, छह या सात वर्ष उन 52 जातियों के लिए यह आरक्षण रहा।

माननीय सभापति महोदय, एक बच्चा पैदा होता है और जब उसको स्कूल के

(श्री पूरणमल सैनी)

लिए भेजा जाता है तो उसकी आयु कम से कम पांच वर्ष की होनी चाहिए। जब वह बच्चा पांच से आगे बढ़ेगा, पांच वर्ष का प्रवेश लेगा तो कम से कम 15 या 16 वर्ष में वह ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर पाता है। माननीय सभापति महोदय, इस देश की पार्लियामेंट सरकारों की व्यवस्था मानें या असेम्बली की सरकार की व्यवस्थाएं मानें, उसके तहत किसी न किसी डिग्री या दूसरी उपाधि पाने के लिए भी उस विद्‍यार्थी को पढ़ना पड़ता है। जब वह विद्‍यार्थी किसी नौकरी के लिए, किसी विभाग की नौकरी के लिए तैयार होता है तब तक उसकी आयु लगभग 22 वर्ष या 25 वर्ष हो लेती है।

माननीय सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग की 52 जातियों को जो आरक्षण दिया वो मात्र छह वर्ष उन मूल जातियों के लिए रहा, उसके तुरन्त बाद माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी साहब ने इस देश के विभिन्न राज्यों की या जनता की मांग पर राजस्थान प्रदेश में 39 और दूसरी जातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, जरूरत है। 39 जातियों को इस अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में और शामिल कर लिया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की संख्या 91 हो गयी। आरक्षण की जरूरत उनकी थी, उनकी आवश्यकता और मांग थी इसलिए केन्द्र की सरकार ने प्रोविजन किया। करो, हमें किसी प्रकार का इसके लिए कोई खेद और चिंता नहीं है लेकिन, जब 52 जातियों का आरक्षण हुआ तब उन जातियों की संख्या इस देश में लगभग 42 प्रतिशत थी, आज बढ़ कर उन मूल ओ.बी.सी. की जातियों की संख्या 60 प्रतिशत को क्रॉस करती जा रही है।

मेरी मांग थी, मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि 39 जातियों का प्रोविजन कर दिया, इन जातियों की संख्या और पापूलेशन भी बढ़ गयी, वैसी परिस्थिति में 27 परसेंट के लिए पहले ही रिक्वायर्ड थे उसके बाद भी इस राजस्थान प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए केवल 21 प्रतिशत आरक्षण ही मुहैया करवाया जा रहा है। उस 21 प्रतिशत आरक्षण की भी जब हम बात करें तो, चाहे कोई कुछ भी कहें, अभी बंसल साहब कह रहे थे, उनकी बात के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और साथ ही आंकड़ों के रूप में आपको पेश करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस देश के लगभग 25 वर्ष के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के आरक्षण के बाद भी आज तक अगर मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि 1992 के बाद आरक्षण का प्रतिशत वहीं 21 पर अटका हुआ है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे थे, उसके जवाब में कहना चाह रहा हूं, आप इस बात पर थोड़ा गौर फर्माएं।

मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब 42 प्रतिशत की संख्या के लोगों का, बहुत बड़ा समूह है, उनको 21 प्रतिशत आरक्षण मिला और उस आरक्षण के मिले जाने के बाद भी

(श्री पूरणमल सैनी)

आज तक सैक्रेटरी लेवल की अगर हम बात करें तो एस.सी. के, तो जो आजादी से पहले के ही आरक्षित हैं, आज तक पांच प्रतिशत लोग सैक्रेटरी लेवल पर कार्मिक रूप में स्थापित हो पाये हैं। माननीय सभापति महोदय, एस.टी. की जातियों की अगर हम कहीं बात करें तो उनके तीन प्रतिशत लोग आज तक वहां स्थापित हो पाये हैं। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की अगर बात करें तो बहुत बड़ा दल होने के बाद भी और 6743 जातियों का एक समूह होने के बाद भी उस सैक्रेटरी लेवल पर आज तक एक आई.ए.एस. अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का है। इसी बात को अगर हम और आगे बढ़ाएं और अगर डिप्टी सैक्रेटरी लेवल पर बात करें तो एस.सी. के तीन, एस.टी. के दो और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक भी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आपको भी और इस सदन को भी, सबको पता है कि आज की तारीख में चाहे हम मोहर के रूप में जन प्रतिनिधि आएं लेकिन कानून बनाने का काम इस देश और प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और ब्यूरोक्रेसी में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को आरक्षण मिले जाने के बाद भी आज की तारीख में स्थितियां यह हैं तो इनके प्रोटोकोल के लिए, काम कौन करेगा? हम किसी का भी विरोध नहीं करते।

माननीय सभापति महोदय, मैं ही नहीं, मेरे अकेले के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब को सर्वविदित है और मैं तीन बार सुन चुका हूं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात को दोहराया है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहिन मायावती जी हर जगह, जहां भी, सदन में भी मांग करती हैं, आप सबको पता है कि जो लोग किसी भी जाति में निवास करते हैं, जिनकी जरूरत है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में रा.ज.पा. की अगर कोई बात करे, बी.एस.पी. की कोई बात करे या कांग्रेस पार्टी की कोई बात करे तो वो किसी भी प्रकार से इस देश और प्रदेश में किसी को प्रोटोकोल देने की स्थिति में नहीं है।

सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा, ई.बी.सी. के आरक्षण की हमारे माननीय सदस्य मनोज जी न्यांगली भी तीन बार इस बात को इस सदन में रख चुके, मैं समूचे रूप में यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मना कौन कर रहा है, माननीय सभापति महोदय।

उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मिलने का आधार क्या है? आज केन्द्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों नवीं अनुसूची में डालने की बात करते हैं? मेरे पूर्व वक्ता के रूप में माननीय गुंजल साहब ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं, आप सभी लोग जानते हो कि यह देश और सदन, इस देश के संविधान से

(श्री पूरणमल सैनी)

चलता है। जब सरकारें दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की हैं तो इस देश के संविधान में प्रोविजन करके, जो भी रिक्वायर्ड जातियां हैं उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आप घंटी भी बजा रहे हैं। वैसे इसमें समय फिक्स नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करुं कि यह बिल लेकर के आए हैं, अच्छी बात है। कोई भी चीज व्यवस्था से चलेगी, कानून से चलेगी। लेकिन जब अन्य पिछड़ा वर्ग में इस देश की 52 प्रतिशत से लेकर के 60 प्रतिशत तक जनसंख्या आती है, जब देश के संविधान में प्रोविजन ही करने जा रहे हो, तो मेरी भी कुछ मांगें इस बात के लिए हैं, कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का समूह बहुत बड़ा है, इस समूह को 27 प्रतिशत आरक्षण ही दिया हुआ था और उसमें जातियां और बढ़ा दी, इससे यह 21 प्रतिशत ही रह गया। इस आरक्षण के प्रतिशत को भी बढ़ाया जाए। जब एस.सी. और एस.टी. की जातियों को आरक्षण शिड्युल्ड के माध्यम से दिया गया था, उस समय उनको उनकी संख्या के अनुपात में दिया गया था। मेरी मांग है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है, उसका बाइफरकेशन जाति अनुपात में करते हुए, जिस जाति की जितनी मांग बनती है आनुपातिक दृष्टि से, उसको उस हिसाब से शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस संबंध में 4-5 बातें और आपके माध्यम से मंत्री महोदय के संज्ञान में डालना चाहूंगा कि पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ एवं शासन, प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व हेतु राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 21 से 27 प्रतिशत किया जाए, यह मैं मांग कर चुका।

(17.13 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगला, पिछ़डे वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण करते हुए मंडल कमीशन की भावना के अनुसार मूल पिछड़ा वर्ग यानी राज्य की प्रथम ओबीसी सूची, क्रम संख्या 1 से 52 तक में शामिल जातियों के लिए 21 प्रतिशत और बाद में शामिल जातियों के लिए और प्रोविजन फरमाया जाना चाहिए। सरकार जिस जाति वर्ग को लाभ देना चाहे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समस्त आरक्षित वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए भी मैं मांग करता हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की कई जातियों के, जैसी अक्सर सदन में भी चर्चा होती है, आरक्षण में कई चीजों को लेकर विवाद जैसे मीणा और मीना, धानक और धानका, नायक और नायका में, अधिकारियों के यहां प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वहां समस्या आती है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। उनके

(श्री पूरणमल सैनी)

लिए भी यह आयोग जब बने तो निर्देश दें। इसको दिखवाएं कि जहां-जहां क्रिटिकल समस्याएं पैदा हुई हैं, उनको भी खतम करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अंत में एक मांग है कि इस बिल में अगर संभव हो तो प्रोविजन किया जाए, मैंने पहले भी कहा है कि आरक्षण मिल जाने के बाद भी वहां तक पहुंच नहीं पाए, समस्त विभागों ने जब-जब भर्तियां निकाली, तब-तब उनके साथ न्याय नहीं हुआ, आरक्षण मिल जाने के बाद भी उनकी स्थिति दयनीय है। मैं चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कोई कानून बनाया जाए। उस कानून का कोई भी उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु प्रस्ताव दिया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बिल को और अधिक अच्छा बनाने के लिए 2 माह जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: डा. किरोड़ीलाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री मानिक चन्द सुराना। विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के 16 सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है। मैंने इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। मूल बात यह है कि यदि हम पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में गंभीर हैं और यह बिल संविधान के समस्त प्रावधानों के बावजूद राजस्थान में विधेयक के रूप में पहली बार लाया जा रहा है, इसमें अनेक कमियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली कमी यह है कि आपने जो पिछड़ा वर्ग की परिभाषा दी है, इसमें एसबीसी कैसे आएगी ? विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, स्पेशली बैकवर्ड क्लासेज, जिनको हम 5 परसेंट आरक्षण देना चाहते हैं, वही इसकी परिधि में नहीं हैं। जब तक आप इसमें एक व्याख्या नहीं डालते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं डालते हैं कि पिछड़ा वर्ग में विशिष्ट पिछड़े वर्ग की जातियां भी शामिल मानी जाएंगी। तब तक इस बिल का, इस विधेयक का जो क्षेत्राधिकार है, वह आप सीमित कर रहे हैं। भाजपा की सरकार 5 परसेंट एसबीसी और 14 परसेंट ईसी, इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास, को आरक्षण देने के लिए अधिनियम बना चुकी है। आप उन दोनों व्याख्याओं को इस बिल से कैसे पूरा करते हैं श्रीमान, यह तो बताइए? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चाहता हूं कि जब तक आप धारा 2 की परिभाषा 'क' और धारा 9 को अमेंड नहीं करते हैं, एसबीसी को शामिल करने के लिए, तब तक एसबीसी और पिछड़ा वर्ग के लिए भी यह कानून अपूर्ण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 की तरफ आकर्षित करता हूं। अनुच्छेद 46 में 'अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि', 'राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषतया: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा'। पहला शब्द जो संविधान में उपयोग में लिया है, वह है 'दुर्बल वर्गों के', राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के और फिर विशेषतया: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण लाने का मुख्य उद्देश्य डा. अम्बेड़कर जो लाए, संविधान में पहला प्रावधान यह भी किया उसके साथ कि आरक्षण 10 साल रहेगा। प्रत्येक 10 वर्ष में आरक्षण की सीमा देश की अनुसूचित जाति, जन जातियों की स्थिति की कमजोरी को देखकर और इस बात का ध्यान करके कि जो आरक्षण 10 साल में मिला है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, हमारी लोकसभा ने उस आरक्षण को 10-10 साल बढ़ाया है।

और आज भी यह आरक्षण दस साल से प्रत्येक दस वर्ष में एक बार बढ़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरक्षण के बिलकुल पक्ष में हूं। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति, जनजातियों को जब तक वह समाज के दूसरे वर्गों तक शिक्षित नहीं होती और सामाजिक पिछड़ापन दूर नहीं होता तब तक निश्चित रूप से आरक्षण रहना चाहिए। पर, मैं एक ऐसे हिन्दुस्तान की कल्पना भी करता हूं हम तो अभी 2017में हैं, वर्ष 2100 में क्या होगा ? मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन को और लोक सभा के माननीय सदस्यों को, राज्य सभा के माननीय सदस्यों को कि आप तो एक बार में ही 50 साल का आरक्षण बढ़ा दीजिए, 50 साल का, लेकिन उसके साथ यह भी लिखिए कि इस 50 साल के बाद कोई आरक्षण इस देश में किसी भी जाति के लिए नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया, मैं अर्ज करता हूं कि आज आरक्षण खत्म करने का मुद्दा नहीं है, पर कभी तो कल्पना कीजिए, आप 50 नहीं, 60 या 70 साल लीजिए, आप 21वीं सदी लिखिए या 22वीं सदी लिखिए पर यह तो सोचिए कि कभी तो सभी लोगों को इतना शिक्षित करना है और इस आर्थिक स्तर पर लाना है कि फिर आरक्षण की आवश्यकता न हो।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि आज 5 परसेंट आरक्षण जो आप दे रहे हैं एसबीसी को, आपने राज्यपाल के भाषण में कहा है कि एक लाख नौकरियां हैं, एक लाख नौकरी हमने दी है। मैंने मान लिया कि आपने एक लाख नौकरी दी, फिर पांच परसेंट में से आप कितनो को देंगे नौकरी? पांच हजार को, पांच हजार गुर्जर, बंजारा, राइका को नौकरी देंगे। क्या पांच हजार व्यक्तियों को रोजगार देने से उस समाज का भला हो जाएगा? आरक्षण मिले उनको, मैं पक्षधर हूं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि यह आरक्षण बहुत कमजोर हथियार है, पूरे समाज को ऊँचा लाने के लिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाए। ...(व्यवधान)... आधा घंटा।

श्री उपाध्यक्ष: बिल के पारण तक का बढ़ाइए। इसकी संवैधानिक वैधता को आपका समय नहीं रोक सकता। बिल के पारण तक आप समय बढ़ाइए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ठीक है। दूसरा प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बिल के पारण तक।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का बिजनस पूरा होकर बिल पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय बिल के पारण होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

इसका मतलब यह नहीं कि रात के बारह बजे तक।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो मेरे बोलने के बाद माननीय मंत्री महोदय को ही बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो थर्ड रीडिंग में जाने कौन-कौन बोले।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): वह ठीक है, थर्ड रीडिंग भी है। सही है आपका फर्माना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज की आर्थिक, ...(व्यवधान)... खेती की आर्थिक स्थिति, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे समाज की आर्थिक स्थितियों को बदलने के लिए सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? इस आरक्षण से जैसा मैंने आपसे कहा, चार जातियों के पांच हजार लोगों को ही नौकरी मिलती है और जिनके सोलह हैं, बारह हैं, उनके निश्चित रूप से सोलह हजार और बारह हजार को नौकरी मिलती है, ओबीसी को इक्कीस हजार नौकरी मिलती है और इक्कीस में अपन पांच डाल दें तो छब्बीस हजार को मिल जाएगी। पर मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि आखिर राजस्थान में 70 परसेंट लोग तो खेती पर है, हमने उनके लिए क्या किया है? माननीय कृषि मंत्रीजी अभी यहां नहीं है, हम यह कह रहे हैं कि इतना यूरिया, इतना खाद लाखों टन हमने बांट दिया, वितरण कर दिया, यह तो भारत सरकार ने कर दिया। भारत सरकार का काम है, माननीय टीटी साहब भी इससे सहमत होंगे कि फर्टिलाइजर, यूरिया, यह सब तो भारत सरकार का है। हम तो बीज वितरण भी नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय, राजस्थान की सरकार अच्छा बीज बांटने का काम, अच्छा बीज बेचने का काम भी नहीं करती, चाहे कांग्रेस रही पावर में, ...(व्यवधान)... चाहे हम लोग रहे, ...(व्यवधान)... क्या यह विधेयक का मुद्दा नहीं है कि गरीबी हटे ? विधेयक का मुद्दा नहीं है कि आर्थिक स्थिति ऊपर आए ? आरक्षण किस बात का ? किस बात का हल है ? समाज के शैक्षिक पिछड़ेपन का और समाज के सामाजिक पिछड़ेपन का एक औजार है कि उससे समाज को आगे ले जाया जाए। जैसी मेरी छोटी सी समझ है, मैंने निवेदन किया और आपकी यह समझ हो कि इससे लाभ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जितना रेलेवेंट लगा उतनी मैंने चर्चा की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21 परसेंट आरक्षण, यह आपने लिखा है, धारा 9 में कि लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना पत्र पर, वह निर्णय करेगा, 'आयोग, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देशों के निबंधनों के अनुसार नागरिकों के किसी वर्ग को संबंधित पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग में सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों का परीक्षण करेगा और पिछड़े वर्ग के किसी भी प्रवर्ग में अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतें सुनेगा और उस पर राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य स्वयं इस बात को क्यों नहीं देखे कि जो आरक्षण हमने दिया उसके क्या नतीजे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हुए, जितनी पिछड़ी जातियां चिन्हित हैं उन पिछड़ी जातियों में 21 परसेंट का लाभ कहां गया ? क्या उसका संवितरण हुआ या उसका संवितरण नहीं हुआ ? यदि उसका संवितरण नहीं हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो सभी जातियों को उसका लाभ देने के लिए आप उसका कोई बंटवारा करने की सोचें, उसमें कोई विभाजन करने की सोचें, जिनको अधिक लाभ हो रहा है वे उसका अधिक विरोध करेंगे और जो लाभांवित नहीं हैं, कुम्हार, सुनार, नाई, धोबी, तेली, स्वामी, पुरी, गिरी, आखिर तो इस 21 परसेंट जो अभी है उसका भी बंटवारा आवश्यक है। सिर्फ आप नागरिक को कह रहे हैं कि वह प्रार्थना करें, मैं कहता हूं इसमें आप प्रावधान करिए कि राज्य स्वयं निर्देश देगा कि वह एक्जामिन करके राज्य को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काम न तो जनमत जानने से हो सकता है, प्रवर समिति में इस बिल के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो संशोधन आवश्यक हैं, उनमें संशोधन लाकर, नए बिल को पेश करने से वह उद्देश्य पूरा हो सकता है। आप अध्यादेश ले आए, 21 अक्टूबर, 2016 को, इन चार महीनों में क्या हुआ, सदन को बताने की कृपा करें, 21 अक्टूबर, 2016, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, साढ़े चार महीने हो गए हैं, आपने इन साढ़े चार महीने में क्या किया? अध्यादेश जारी करने का सरकार को विशेष अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप यह तो बताइए कि इन साढ़े चार महीने में कितनी लंबी यात्रा आपने कर ली, ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए, यही तो आर्डिनेंस था, उसी तरह का यह बिल है, कोई विशेष तरह का इसमें कुछ है नहीं, इसलिए यह भी आप बताने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान की धारा 332 सदन के सामने कोट कर रहा हूं, जो विधान सभा से सम्बन्धित है। '332(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।' अब आप जनजातियों का आरक्षण न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं।

संविधान ने सीमा रख दी , जितनी उनकी जनसंख्या है उसी अनुपात में उनकी सीटें रहेगी। मैं जानना चाहता हूं संविधान ने ओबीसी के लिए यह प्रावधान नहीं किया, मेरे ध्यान में है। लेकिन आप ऐसा प्रावधान क्यों नहीं करें? अनुसूचित जाति और जनजातियों की सीटें तो तय है जितनी उनकी पापूलेशन होगी। वह 16 वाला जरूरी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

नहीं है, 13 भी हो सकती है। यदि उनकी संख्या में वृद्धि है तो वह 17 या 13 भी हो सकती है। माननीय सदस्यों ने आपका काफी ध्यान आकर्षित किया है कि ओबीसी की जो आप 21 परसेंट कह रहे हैं उनका रिजर्वेशन उनकी संख्या के अनुपात में क्यों न हो? यदि संख्या के अनुपात में होता है तो यह रिजर्वेशन इंदिरा साहनी से 50 परसेंट पर टिका हुआ है और अनेक फैसले हो गये हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार, देश में भाजपा की सरकार, बहुत प्रांतों में भाजपा की सरकार, माननीय गृह मंत्रीजी, इन ओबीसी के लोगों को, एसबीसी को और ईबीसी, आर्थिक पिछड़े वर्ग को आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, यदि आप उसमें वृद्धि करना चाहते हैं तो उस 50 परसेंट की सीमा को संविधान संशोधन करके 65 परसेंट करिए। 65 करिए, 70 करिए, जो आप उचित समझते हैं वह करिए। मेरा सुझाव है कि 65 करिए। ताकि 5 परसेंट तो एसबीसी को और 14 परसेंट ईबीसी को। 50 में 19 जोड़िए। मैंने इसीलिए 70 का कहा है कि 70 परसेंट आरक्षण कीजिए ताकि ये सब अनावश्यक झगड़े, अनावश्यक विवाद, आंदोलन दूर हों। जब आप चाहते हैं कि 5 परसेंट एसबीसी हो, जब आप चाहते हैं 14 परसेंट ईबीसी हो तो आप संविधान का संशोधन करवाइये।

आप सदन से प्रस्ताव पारित कराइये, खाली ईबीसी का एक्ट पास करने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। आप सदन से प्रस्ताव पास कराइये और सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा कि अनेक फैसलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई विशेष परिस्थिति में 50 परसेंट की सीमा बढ़ायी भी जा सकती है। उन सब परिस्थितियों का जिक्र करके राजस्थान विधान सभा में आप वह बिल लाइये हमारे राज्य की परिस्थिति यह है कि हमें 70 परसेंट आरक्षण चाहिए। ऐसा बिल आप लाएं, यह मेरा निवेदन है ताकि विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को वाकई में राहत दी जा सके। जो आपने एसबीसी व ईबीसी के बिल पास किये हैं उनका उद्देश्य पूरा हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में इस पर चर्चा हुए बिना इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को माननीय मंत्री महोदय एक प्रवर समिति को सुपुर्द करें ताकि भविष्य में यह बिल कारगर बिल साबित हो, हम ईबीसी व एसबीसी दोनों वर्गों को संतुष्ट कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय प्रदान किया।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बिल, 2017 के ऊपर चर्चा में 13

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

लोगों ने तथा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए अपने विचार व्यक्त किये। बहुत ही सारगर्भित चर्चा रही। लगता है चर्चा आने वाले समय में राजस्थान में बहुत सारे विषयों को तय करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निर्वहन करेगी।

मैं सदन के सभी सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी लोगों ने इस विधेयक के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये हैं, शब्दश: उन सब विचारों को पढ़ते हुए और आगे जितनी भी चीजों को लागू करने की बात होगी, इंप्लीमेंटेशन का जब पार्ट आएगा तो उनको हम देखते हुए आगे सही तरीके से समाविष्ट कर सकें, इसका प्रयास हम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल कैसे लाया गया इसकी पृष्ठभूमि में लगभग पहले भी सदस्यों ने कहा है। राजस्थान में सबसे पहले 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। जस्टिस इसरानी 1993 में इसके अध्यक्ष बने। 1996 में फिर जस्टिस इसरानी इसके अध्यक्ष बने। 1999 में जस्टिस रणवीर सहाय जी वर्मा इसके अध्यक्ष बने। 2003 में फिर जस्टिस वर्मा इसके अध्यक्ष बने। 2008 में जस्टिस पी.के. तिवाड़ी, 2012 में फिर जस्टिस इसरानी और 2015 से जस्टिस जे.आर.गोयल साहब की चेयरमैनशिप में यह कमीशन काम कर रहा है। 2016 में जब यह अध्यादेश आया तो सदस्यों ने कहा कि इसने क्या-क्या काम किये और क्या-क्या अब तक आगे बढ़ने का काम हो पाया है। 2008 से अब तक, इसका अध्यादेश आने के बाद 4 बैठकें आयोग की हुईं। विशेष रूप से भरतपुर और धौलपुर के जाटों के आरक्षण का जो विषय था, बाकी सबके साथ उसको विशेष रूप से टेक-अप किया। पूरे भरतपुर व धौलपुर जिले के प्रत्येक उपखण्ड, पंचायत समिति मुख्यालय पर जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठक इस कमीशन के द्वारा आयोजित हुई। जो इनका हैडक्वार्टर है उसमें चार बैठक हुई, बल्कि फील्ड में लगातार विजिट करके रिपोर्ट तैयार करने का काम किया है। सैम्पल सर्वे का काम किया जा रहा है और यह लगभग फाइनल स्टेज पर है। वह आने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम यह आयोग एक विषय के ऊपर करेगा। बाकी विषयों के ऊपर लगातार आयोग के काम करने की बात आ रही है। कुछ सदस्यों ने इसको लाने में योग्यता की बात कही है, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता की बात आयी है। सदन इस बात से पूरी तरह सहमत होगा कि केवल हम डिग्री के आधार पर किसी की योग्यता तय नहीं कर सकते। हमने समाजशास्त्र के नाते बात की है या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों की बात की है। इस बात से हम सब सहमत होंगे, कई बार डिग्री एक पक्ष होती है, उसके बाद अनुभव भी बहुत बड़ा पक्ष है। इसी को ध्यान में रखते हुए

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अनुभव के आधार पर भी किसी व्यक्ति को योग्य मानकर इसका सदस्य बना सकते हैं। उसी नाते इसमें किसी डिग्री को या क्वालिफिकेशन को कहीं पर मापदण्ड शायद नहीं बनाया गया।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य व बाकी सदस्यों ने भी एक विषय को रखा कि समय-समय पर कहीं कभी भी बदलाव की बात, जोड़ने की बात, घटाने की बात या 10 साल से अधिक समय हो चुका उसके बाद भी इसको करने की बात है। इसलिए इसमें पीरियोडिकल रिव्यू की बात एक्ट की धारा 11 में प्रावधान किया हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के ऊपर साफ-साफ कहा है और राज्य सरकार को ही इसके अधिकार पूरे दिये हैं कि राज्य सरकार ही इस बारे में तय करे, इसको पीरियोडिकल रिव्यू करे और किस समय, कब करना है इसके बारे में तय करें। अलग-अलग विचार हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के समय कई बार 20 वर्ष का, कई बार 10 वर्ष का, लेकिन अंतिम अधिकार सरकार को दिया गया, 10 वर्ष के समय में कई बार लगता है कि कोई समाज 5 साल के बाद उनको लगता है कि एक स्तर मैप आ गया तो उसको 5 साल बाद भी रिव्यू करने के लिए कमीशन को दे सकती है और कमीशन उसके बारे में अपनी रिपोर्ट दे।

एक विषय और माननीय सदस्यों ने उठाया कि इस कमीशन को सरकार खुद तय कर सकती थी कि किस समाज को कब लेने की बात हो। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में, चाहे वह इंदिरा साहनी का फैसला होगा, रामसिंह का फैसला होगा, रतनलाल बागड़ी के फैसले में भी राजस्थान उच्च न्यायालय में इन दोनों फैसलों को साइट करते हुए इस बात को इंगित किया, उन्होंने कहा कि इसका किसी भी योग्य, कंपीटेंट बॉडी को यह अधिकार दिया जाना चाहिए जिसमें क्वालीफाइड लोग हों, जिसमें एक्सपर्ट लोग हों। एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर सरकार निर्णय करे। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कई बार आया कि पहले एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कमीशन काम कर रहा था। बात आयी कि इसको स्टेट्यूटरी बनाने की क्या जरूरत थी, बिल क्यों लेकर आये? इसमें एक ही बात रही कि बाध्यता का इसमें क्लॉज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा, केन्द्र के एनसीबीसी कमीशन ने भी और हमने भी इसको कहा कि राज्य सरकार के ऊपर It may be the binding of the State Government. इस चीज को इसमें लेकर आये हैं। इसमें कहा कि सरकार अगर किसी चीज से असहमत है कमीशन की राय से तो रीजंस राइटिंग में देते हुए उसको रिजेक्ट कर सकती है, मना कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है और उसको दुबारा कमीशन को रैफर बैक करेगी और उसके बाद कमीशन अपनी रिपोर्ट को

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सरकार के पास जितनी रिकमंडेशंस हैं, सरकार की राय है उसके आधार पर जांच करके अपनी राय को फिर देने की बात कर सकता है।

कुछ लोगों ने कहा कि इसमें जातिगत आधार नहीं, आर्थिक आधार होना चाहिए। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रामसिंह के फैसले में बड़ी कैटेगरीकली कहा कि जाति के आधार पर ही इस विषय को, मैं उस पार्ट को एक बार पढ़ना चाहूंगा-

Past decisions of this Court. "It is in Indra Sawhney's case that this Court held that the terms 'backward class' and 'socially and educationally backward classes' are not equivalent and further that in Article 16(4) the backwardness contemplated is mainly social. The above interpretation of backwardness in Indra Sawhney would be binding on numerically smaller Benches. We may, therefore, understand a social class as an identifiable section of society which may be internally homogenous or heterogeneous based on disability or gender e.g. transgender."

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सोशल क्लासेज के आधार पर, गुड्स के आधार पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उसमें भी कमीशन को अधिकार दिया कि कमीशन अपनी रिपोर्ट देने की बात करे।

कई हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, मैं इस विषय को राजनीति के दायरे में नहीं लाना चाहता लेकिन मुझे लगा कि इसमें बहस करते हुए जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हम कुछ स्कोर सैट करने का काम कर रहे हैं। हम इस कमीशन की, यह लगातार 93 से चल रहा है, 2008 में बना, चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट आई, चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट को पिछली सरकार 13 महीने तक लेकर बैठी रही और राज्यपाल के हस्ताक्षर उसके ऊपर नहीं कराये। उसके बाद कोर्ट में चैलेंज हुआ और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद कहीं भी चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट को क्वैश नहीं किया, एस.बी.सी. के पूरे आरक्षण को क्वैश नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप फिफ्टी परसेंट से अबॉव नहीं कर सकते, इंदिरा साहनी के केस के आधार पर उस फैसले को किया। बाद में आपने अपनी सरकार आने के बाद इसको फिर दुबारा कमीशन को भेजा, कमीशन ने अपनी स्टडी दी और 2010 के फैसले में कमीशन ने फिर इस बात को कहा। मैं पहले भी सांगानेर से आने वाले सम्माननीय विधायक ने जब अपना रखा था उस समय बोला था और मैं फिर एक बार आपके सामने रीपीट कर रहा हूं। फिर कोर्ट ने इस बात को कहा कि एक बार क्वांटीफिएबल डाटा कलेक्शन किया जाए, कमीशन करे, उसको नोटिफाइड करे और

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

नोटिफाइड करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने, इम्प्लीमेंट करने का काम होना चाहिए।

यह दुर्भाग्य रहा कि आपने उसके बाद जो कमीशन बनाया है इसरानी कमीशन, उस कमीशन के आधार पर ही वर्तमान में जो ओ.बी.सी. का बिल अब लेकर आये जिसमें एस.बी.सी. को आरक्षण देने का विषय था उस एस.बी.सी. को आरक्षण हमने दिया। उस एस.बी.सी. के आरक्षण में पूरी उस रिपोर्ट के बेस पर पूरे आरक्षण को क्वैश किया गया। आज हम कर सकते हैं इस बात को ? हम इस पर कितनी ही बहस कर लें और स्कोर सैट करने का काम कर सकते हैं कि गलती किसकी रही या किसकी नहीं है लेकिन इस बात को देखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं कोई कमियां रहीं जिन कमियों के आधार पर, जिनमें कहा कि विशेष परिस्थितियों के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक दिया जा सकता है। क्या हमने उन विशेष परिस्थितियों को इंगित करते हुए कोई स्टडी तैयार करने का काम किया ? अगर इस बात को किया होता और केवल राजनीति स्कोर के लिए नहीं करते, जल्दबाजी में अपना काम नहीं करते और स्टडी करने का काम कमीशन को हम पूरा करने देते तो शायद कोर्ट इन सब चीजों को देखते हुए वो जो विशेष परिस्थितियों की बात थी उसको आधार में लेते हुए हमारे 50 प्रतिशत से अधिक की बात को स्वीकार करने का काम करता।

आज ओ.बी.सी. कमीशन को हमने फिर एक बार बनाकर दुबारा इस काम को दिया है और उनको पूरे अधिकार दिये हैं कि आप इन सब चीजों के आधार पर, आज चाहे भरतपुर-धौलपुर के जाटों का विषय होगा, कई बार हमारे समाज के लोगों ने इस बात को कहा कि एक समयबद्ध सीमा में इसको देने की बात करें। हमने कहा कि अगर समयबद्ध सीमा में आएगी तो हमें राजनीति नहीं करनी थी। हम चाहते हैं जिसकी हम बात करते हैं सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात, हम केवल राजनीति के नाते बात नहीं करते, सब समाज को उसका अधिकार पूरा मिलना चाहिए, इस सिद्धांत के आधार पर हमने बात की। हमने कहा कि कमीशन को पूरा समय दो, अपनी पूरी रिपोर्ट करे और पूरी फील्ड की विजिट के आधार पर जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसमें निश्चित रूप से किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आज ओबीसी कमीशन ने भरतपुर जिले की सभी तहसीलों में जाकर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की है और मुझे विश्वास है कि उसके आधार पर वो रिपोर्ट निकल आएगी।

इसी प्रकार एस.बी.सी. के लिए भी जो ओ.बी.सी. कमीशन ने स्पेशली एजुकेशन की टीम इसमें कांस्टीट्यूट की है, हाई पावर कमेटी कांस्टीट्यूट की है जस्टिस सुनील कुमार गर्ग की चेयरमैनशिप में। उसने भी अपना काम शुरू किया और हमने कहा कि

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

समयबद्ध सीमा में बांधकर, जब इसकी एक विस्तृत सर्वे रिपोर्ट चाहिए तो हम किसी सीमा में इसको नहीं बांध सकते। पूरी विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए और विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर हम कोर्ट के सामने रखें और कोर्ट को कन्वींस कर पाएं कि राजस्थान की विशेष स्थितियां हैं। केवल 5 नहीं, 25 जातियां भी हैं तो उनकी भी एक बार रिपोर्ट आए और इसी आधार पर ओ.बी.सी., एस.बी.सी. कमीशन जिसकी चर्चा की है उसमें लिखा है 25 जातियों के बारे में भी। एक सम्पूर्ण स्टडी के आधार पर किसी चीज को लेकर आएं और उसको आगे बढ़ाने का काम करें ऐसा हमें विश्वास लगता है।

आज सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है, कुछ सदस्यों ने इस बात को कहा। मैं नाम नहीं ले रहा, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, ध्यान है आपको कि यही सरकार है 2008 में भी हम एस.बी.सी. का बिल लेकर आये और एस.बी.सी. को आरक्षण देने की बात की। मैं फिर दोहराऊंगा, सदन का समय लूंगा लेकिन एक बार पुराने पन्नों को पलट लें और पलट कर खुद देखें कि हम अपने गिरहबान में झांककर देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि हम पांच साल तक केवल रेवड़ियां बांटने का काम करते रहे और इस सरकार में सदन में किसी को देने की बात नहीं की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्रीजी, एक सैकिण्ड। आप तो इस बात को स्पष्ट कर दो कि पटवारी परीक्षा में और जो आरपीएससी से आरएएस है उसमें आप जनरल में ओबीसी से ऊपर, ओबीसी की ले जा रहे हो जनरल से ऊपर मैरिट और उसमें जो कर रहे हो वो क्लियर कर दो कि क्या चाहते हो आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप तो बैठो आ जाएंगे।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप बड़े विद्वान हैं और सदन में भी मेरे से ज्यादा अनुभवी हो। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि इस सबके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस प्रकार के हैं। उन फैसलों के आधार पर बात करें। एक बार अगर सुनने का हो तो यही आरपीएससी है जब आपके समय में जिस आरपीएससी की चर्चा होती थी कि यहां से कोई व्यक्ति निकलेगा तो किस धांधलेबाजी में निकला है। हबीब साहब गोरान और......

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज भी वो ही हो रही है। (व्यवधान) बुकिंग चल रही है आरपीएससी में। बुकिंग चल रही है हर पोस्ट के ऊपर। (व्यवधान) आज भी वो ही हो रही है। वो पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): डोटासरा जी, आप जब बोल रहे थे तब मैं बोला नहीं। आप जब बोले थे तब मैं नहीं बोला।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके टाइम के आरपीएससी के चेयरमैन तो जेल में गये। (व्यवधान) सदस्य जेल में गये। (व्यवधान) कितना भ्रष्टाचार किया आप लोगों ने, यह तो देखो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, इनसे पूछना चाहता हूं कि एस.आई. की भर्ती आपके टाइम में हुई और 4 प्रतिशत थे ओबीसी के। अपने गिरहबान में झांककर देखो। 4 प्रतिशत थे एस.आई. की भर्ती में आपके टाइम में।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): विराजो भिण्डाजी। आपको कम से कम यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगली हमारी तरफ आती है। आपने भी पांच साल राज किया और उस राज के चर्चे केवल राजस्थान में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में चर्चे होते हैं। उस आरपीएससी के घोटालों के चर्चे होते हैं और इसी प्रकार जयनारायण विश्वविद्यालय, यह भी नियुक्तियों का विषय है, उसके चर्चे कैसे हो रहे हैं, कैसे-कैसे निकल कर आ रहे हैं। सारे शिक्षा के संस्थान में जिस प्रकार घोटालों की बात आपने की है....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले कालीचरण जी सराफ थे उच्च शिक्षा मंत्री, इन्होंने कहा कि हमने कमेटी बिठायी है, उस कमेटी ने क्या घालमेल की वह बता दो और अभी किरण जी माहेश्वरी ने कहा कि दुबारा कमेटी बिठायी है तो इस 12 महीने में, अप्रैल से लेकर मार्च तक जो कमेटियां बिठाईं उनमें क्या-क्या घालमेल किया वो भी बता दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): घालमेल नहीं किया, दूध का दूध और पानी का पानी किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कुछ किया ही नहीं। केवल मालपुए खाये और कुछ किया ही नहीं। केवल मंत्री जी, कमेटी के नाम पर मालपुए खाये हैं, बाकी किया कुछ नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुनिये, बैठिये। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार जो फर्जीवाड़ा वहां पर पकड़ा गया और वहां पर प्रशासक नियुक्त किया गया और उसकी सारी सम्पत्ति जब्त की गयी। यह भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुआ, समझे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो यूनिवर्सिटियों की जांच की उसमें जो मालपुए खाये वो भी बता दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किसके ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने स्वयं ने यहां कहा था कि हमने जांच कमेटी बिठायी है और आज तक वो रिपोर्ट सदन में नहीं आई है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, मैं कोई उनके मुंह में थोड़े ही डाल सकता हूं। (व्यवधान) कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जोधपुर में चयन समिति कांग्रेस चयन समिति थी, यह भी साबित है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि मैं राजनीतिक विषय में नहीं जाना चाहता लेकिन दुर्भाग्य से मैं केवल याद दिलाना चाहता था कि जो आदमी दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं उनको अपनी तरफ देखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि किसी जांच की जरूरत नहीं है। ए.सी.बी. की खुद की जांच हो चुकी है और ए.सी.बी. ने कोर्ट में पेश कर दिया। केवल एक उंगली दबने से कितने दर्द हो रहे हैं इसकी सड़कों पर गूंज सुनाई दे रही है। केवल एक उंगली दबी है और हमारे आदमी की दब गई इस कारण से आज तक उसकी पीड़ा सड़कों पर सुनाई दे रही है। जब हमने खुद ने कष्ट दिए थे राज में रहते हुए चुन-चुन कर राजनीति कर रहे थे तो हमें ध्यान नहीं आया कि हम किस प्रकार के काम कर रहे हैं।

आज लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य और बाकी सदस्यों ने इसकी परिभाषा के विषय में कहा। प्रहलादजी गुंजल ने भी इस विषय को कहा कि 2 (6) में इसका उल्लेख आर्थिक पिछड़ा वर्ग का नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि इसमें 2008 का जो ई.बी.सी. का बिल है उसका उल्लेख किया है और 2008 के ई.बी.सी. के बिल का हमने केवल उसकी डेफिनेशन को एडॉप्ट किया है जो कहीं भी हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्रक-डाउन नहीं हुई है। सैक्शन 3 और 4 को क्वैश किया गया है बाकी पूरी रिपोर्ट के बारे में और सैक्शन 2 को कभी किसी हाई कोर्ट ने क्वैश नहीं किया और इसको री-प्रोड्यूस करके तैयार करने की बात उन्होंने की है। मुझे लगता है कि आज सरकार की मन्शा इस बात की थी कि हम ओ.बी.सी. के विषय को लेकर गंभीर थे, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे इसीलिए सरकार ने तय किया, जैसे ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा, आज कई लोगों ने कहा, शब्दों का इस्तेमाल किया कि कोर्ट की धमकी के आधार पर, कोर्ट के दबाव के आधार पर किया। हम कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं और कोर्ट के जितने भी आदेश हैं उनकी पालना करने की पूरी तरह से मंशा रखते हैं इसीलिए आगे बढ़ने की बात करते हैं।....

आपको ध्यान है कि हम केवल हाई कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट ने कहा था कि चार महीने में करने का। पिछली विधान सभा में जिसमें जीएसटी का बिल उस समय आया था, दोतीन दिन का सदन था। उस समय इस ओबीसी के बिल को राजस्थान सरकार ने

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सदन के पटल पर रख दिया था। क्योंकि उस समय सदन की कार्यवाही कम चली, इस कारण से बिल उस सत्र में नहीं आ पाया। बाद में उच्च न्यायालय में आया और उसके बाद तुरंत करके हमने आर्डिनेंस जारी किया और आज सामने रखने की बात की। इसके पीछे पक्ष इतना ही है कि इसकी कानूनी बाध्यता रहे और उस कानूनी बाध्यता के आधार पर हम कहीं इस बिल को पूरी तरह से पारित कर सकें।

जहां तक एसबीसी का विषय है। एसबीसी के बारे में कहा कि सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट रूप से है कि हमने केवल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि इस वर्ग को पूरा लाभ देने के लिए एसबीसी का बिल पारित किया था। पारित करके लागू किया और यही सरकार है जिसने पहली बार 13 महीने तक इस बिल के लाभ भी एसबीसी कम्युनिटी के सभी लोगों को देने की बात की और यहां तक ही नहीं था। जिस समय हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद क्योंकि सरकार को इस बात का ध्यान था कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम एसएलपी में लेकर गये और एसएलपी में जाकर सुप्रीम कोर्ट से इस बात का प्रोटेक्शन हमने लिया कि जिन बच्चों के एपोइंटमेंट हो चुके हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया। लगभग 4,000 बच्चों का प्रोटेक्शन हुआ और उसके साथ-साथ जो पाइप लाइन के बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई नियम निकालकर, कोई प्रावधान निकालकर, आप इस बात को जानते हैं। सदन के पटल के ऊपर कोई बात कह सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि इस बात को, आप छाती पर हाथ रखकर कहें कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद क्या सरकारें उस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्लंघन करते हुए किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही कर सकती हैं? अगर कर सकती है तो मुझे सदन में बता दें। उन परिधि के अंदर कौनसे रास्ते हो सकते हैं, इसको निकाल करके, सरकार की मंशा है कि उन पाइप लाइन के लोगों को भी उसके पूरी तरह से जो लाभ हैं, वह पूरा मिले। इसके साथ-साथ सरकार की मंशा है कि पांच परसेंट के आरक्षण का जो संकल्प और विधेयक इस सदन ने पारित किया है, उसका भी लाभ पूरा-पूरा दें। इसीलिए हमने तुरंत स्टडी के लिए भी दिया ओबीसी कमीशन को और ओबीसी कमीशन के बाद एक हाई पावर कमेटी बनाकर उसका काम भी, तुरंत जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके सात दिन के अंदर-अंदर उस हाई पावर कमेटी ने भी अपना काम शुरू किया। मंशा एक थी जल्दी रिपोर्ट आये और रिपोर्ट आने के बाद अगर जरूरत पड़ती विधेयक लाने की तो उसकी दिशा में हम अपना प्रयास पुन: करते, सरकार करती।

जहां तक इसमें एसबीसी के कल्याण की बात थी। लूणकरणसर से आने वाले

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

माननीय सदस्य ने सही बात की। हमने कहा कि केवल आरक्षण नहीं, उसके साथ-साथ वैलफेयर की चीजें भी चलनी चाहिए। जिन वैलफेयर की चीजों के आधार पर उन समाज के लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात हो। इसीलिए हमने देवनारायण योजना की बात की। देवनारायण योजना बनाई तो 2007 में इसी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गयी और उस देवनारायण योजना के माध्यम से इन तीन सालों में लगभग 900 करोड़ रुपयों के काम, जिसमें छात्रवृत्ति होगी, जिसमें स्कूटी होगी, जिसमें गुरुकुल योजना होगी, जिसमें छात्रावासों में बच्चों के रहने का विषय होगा, वहां पीएचसी बनाने का विषय होगा, पानी की टंकी बनाने का विषय होगा। इस तरह के अलग-अलग उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए क्या-क्या काम हो सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर के सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से उनके अपलिफ्टमेंट की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।

जहां तक आर्थिक पिछड़े वर्ग का विषय है। सरकार ने उसका भी संकल्प पारित किया है विधान सभा में, अपन सबने इस विधान सभा में ही पारित किया था। मैं फिर इस बात को कहूंगा, शायद आपको कष्ट होगा। 2010 का फैसला आने के बाद 2012 में आपने ओबीसी का कमीशन बना दिया। उसकी रिपोर्ट भी ले ली लेकिन ईबीसी का कमीशन नहीं बनाया। अगर वास्तव में चिंतित थे। आज कहें कि सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप हमें उपदेश दे रहे हो आज। आपको अगर चिंता थी कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए उत्थान करना चाहिए तो उस समय कमीशन बना देते। कमीशन बनकर वह अपनी रिपोर्ट दे देता तो शायद जिस समय इसी विधान सभा ने विधेयक पारित किया, नोटिफाइड करने का समय था तो आपका वह विधेयक उसी समय ही नोटिफाइड हो जाता और बाद में क्या होता, उसकी मैं बात नहीं करता लेकिन 13 महीने तक जो एसबीसी के लोगों को मिला है, शायद आर्थिक पिछड़ा वर्ग को भी वह सारे लाभ मिलने की स्थिति होती और उसको आगे बढ़ाने की बात होती। इसलिए राजनीति में कई बार केवल अंगुली उठाना और केवल कमियां गिनाना।

इतना ही नहीं, एक समग्र दृष्टि से विचार करने की बात होनी चाहिए कि इस विचार के आधार पर हम करें। हमने कहा कि आरक्षण का एक विषय...

श्री रमेश (सपोटरा): हमने कहा कि पांच परसेंट की गारंटी है क्या मंत्रीजी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गारंटी है क्या? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे गारंटी दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। थर्ड रीडिंग अभी भी है। I will give you all opportunities to actually come across and put your views but let him complete first.

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण एक विषय है। जैसा हमने देवनारायण योजना की बात की। उसी प्रकार से आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी उनके भी अपने अपलिफ्टमेंट की बात हो तो इसकी दिशा में राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने, मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने उसके बाद दी। कोई एक बोर्ड बने लेकिन उससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 750 के आसपास छात्रावास राजस्थान में चलते हैं। उन सब छात्रावासों में 10 परसेंट स्थान उनके लिए आरक्षित किये हैं। 18 छात्रावास आर्थिक पिछ़ड़ा वर्ग के लोगों के लिए राजस्थान में स्वीकृत हो गये। कलक्टर्स को चिट्ठी लिख दी। जमीनों के आबंटन के साथ छात्रावासों के बनने की शुरूआत हो गयी। जितने भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बालक जिनके प्रवेश होंगे और जिनके माता-पिता की आय पांच लाख रुपये से कम है, उन बच्चों की फीस का आधा पैसा राजस्थान की सरकार देगी। इसको सुनिश्चित करने का काम सरकार ने किया और केवल यहां तक नहीं, जब हम उन छात्रावासों में जाकर उन बच्चों की स्थिति देखते हैं जिन बैकग्राउण्ड से आते हैं और उसके बाद कहीं कोई 12वीं क्लास के बाद, कोई बीए पढ़ने के बाद केवल आर्थिक मजबूरी के कारण से वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। इस विषय का जब ध्यान आया और मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लेकर आये तो राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने पांचों संवर्गों के लिए जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एसबीसी और जनरल, इन पांचों वर्गों के लिए पांच छात्रावास कोटा में और पांच छात्रावास जयपुर में खोलने की बात की। 100-100 बच्चों के छात्रावास होंगे। उन बच्चों के कोचिंग संस्थान में जितने बच्चे पढ़ेंगे और जो फीस लगेगी, वह फीस भी सरकार के देने की बात होगी। उनके रहने का खर्चा भी सरकार उठाएगी। यह अपलिफ्टमेंट की बात इसमें निकलकर आने की बात आई और यही नहीं, केवल अनुप्रति योजना के माध्यम से आईएएस और आरएएस में जो बच्चे परीक्षा क्वालीफाई करेंगे, उनको एक लाख रुपये आईएएस में या केन्द्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने के ऊपर अलग-अलग चरणों में भुगतान और 50,000 रुपये राजस्थान के आरएएस और सबओर्डिनेट सर्विसेज में क्वालीफाई करने पर अलग-अलग चरणों में देने का, यह भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधान राजस्थान की सरकार ने किया है।

हमारी मंशा केवल इतनी है कि निश्चित रूप से राजस्थान में हर चीज कानून के रिव्यू में आ सकती है। कोर्ट किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसके ऊपर समीक्षा कर सकती है। वह सरकार के और आपके, हमारे दायरे में नहीं है लेकिन हम जाते हैं। उसके बाद भी हम कैसे इन समाजों के अपलिफ्टमेंट की

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

बात कर सकें, उसकी बात करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद भी लीगल प्रोविजन्स के अन्तर्गत रास्ते निकाल करके कैसे हम लाभ दे सकते हैं, उसको भी सुनिश्चित करने का काम सरकार करेगी। इस दिशा में सतत प्रयासरत हैं और लगातार एक प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान की सरकार सभी वर्गों के विकास के कामों में आगे बढ़ती रहेगी। मुझे विश्वास है कि हम यह जो विधेयक लेकर आये हैं, वह इसी नाते से कि यह कानूनी बाध्यता के नाते रहे, सरकार के पास आये और कोई भी सरकार हो, लेकिन इन सरकारों को केवल इस आधार पर नहीं टालें कि हम नहीं चाहते यह, राजनैतिक आधार के ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आज कृषक राजपूत समाज की बात उसमें हुई थी। जरा ओबीसी कमीशन को क्या अपन ने रैफरेंस दिया था, उसको उठाकर देख लें। उसके कारण से उस समाज के लोगों को आज परेशानी उठानी पड़ रही है। हम बात तो करते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि हमने चुनाव के समय, आखिरी समय में, केवल दो-दो महीने में कोई चीज रैफरेंस करके उनकी रिपोर्टें ले लीं और रिपोर्ट के बाद देने की बात की। राजस्थान सरकार चाहती है कि इन सब वर्गों की भी जो चीज है, ओबीसी कमीशन से प्रोपर स्टडी के बाद रिपोर्ट आने के बाद उन सबको भी वह लाभ जो ओबीसी कमीशन के थे, उनको वापस दिये जाएं। यह हमारी प्रतिबद्धता है। उस दिशा में हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता है या नहीं है ?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, यह बात सही है कि आपका एक विषय इसमें संविधान में संशोधन का विषय है। लेकिन उसको भी अपन जानते हैं कि आज भी नौवीं अनुसूची का जो विषय है, तो देश की सरकार के सामने लगभग-लगभग 90 से ज्यादा केसेज हैं और आपको इस बात की जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नाइंथ शिड्यूल का प्रोटेक्शन नहीं रहा है किसी को भी। वह भी कहीं कोर्ट के रिव्यू में आ सकता है। कोर्ट उसके ऊपर समीक्षा कर सकती है। इसके प्रोटेक्शन की बात होती थी राजनैतिक दृष्टि से। राजनैतिक मंचों पर तो हम भाषण दे सकते हैं, लेकिन सदन के ऊपर जब खड़े हों तो कहीं कोर्ट की समीक्षा के दायरे में वह भी आ सकें, उसमें भी कोई प्रोटेक्शन मिलेगा, इसकी बात अब समाप्त हो चुकी है। इसलिए सरकारों को अब सुप्रीम कोर्ट के, इन्दिरा साहनी के फैसले और संविधान के दायरे, उसी में चीजों को निकालकर इन वर्गों को लाभ कैसे दे सकते हैं, इसको सुनिश्चित करने की बात है। इसलिए राजस्थान की सरकार, इसमें चाहते हैं कि विशेष परिस्थितियों का पूरी तरह स्टडी के आधार पर

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

उल्लेख करते हुए इन वर्गों को हम लाभ दें चाहे वह आर्थिक पिछड़ा वर्ग का विषय होगा या एसबीसी का विषय होगा। इनको पूरा लाभ मिले। किसी भी कोर्ट में आपत्ति नहीं हो। यह सरकार की मंशा है और सरकार इसी दिशा में लगातार प्रयास करती है और उन कानूनी बाधाओं को दूर करने में लग रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे प्रस्ताव को, मुझे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। मेरा जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री मानिक चन्द सुराना द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

(18.00 बजे)

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड- 2 से 19 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 19 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 19 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री अरुण चतुर्वेदी।

विधेयक का पारण

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 07 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 18.01 बजे मंगलवार, दिनांक 07 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रदेश में बिना एन.ओ.सी. संचालित उद्योग

143. श्री पूरणमल सैनी (खेतडी): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2016-17 में कितने उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एन.ओ.सी. जारी की थी ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा बिना एन.ओ.सी. के चल रहे कितने उद्योगों को कार्यवाही कर बंद करवाया गया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योगों को एन.ओ.सी. नहीं अपितु सम्मति जारी की जाती है। वर्ष 2016-17 में (28 फरवरी 2017 तक) कुल 2125 उद्योगों को स्थापना हेतु सम्मति जारी की गई जिनका विवरण **परिशिष्ट 'अ'** पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इसी अवधि में बिना सम्यक सम्मति के कार्यरत 387 उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए एवं/अथवा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग बंद करने हेतु आदेश जारी किये गये। विवरण **परिशिष्ट 'ब'** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ (झुन्झुनूं) में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना

144. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् कहां-कहां पर किस-किस प्रकार के नये न्यायालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में काफी मुकदमे लम्बित होने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के नवलगढ शहर में ए.डी.जे न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् विभिन्न प्रकार के सृजित नये न्यायालयों की स्थानवार सूची **प्रदर्श -1 पर** संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ शहर में वर्तमान में 971 दीवानी प्रकरण एवं 2157 फौजदारी प्रकरण लम्बित हैं।

किसी स्थान पर नवीन अपर जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर, न्यायालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानदण्ड 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

ए.डी.जे. न्यायालय सृजित करने हेतु प्रकरण वर्तमान में लम्बित नहीं है। ए.डी.जे. न्यायालय सृजित करने का मामला दिनांक 04.02.2015 को ए.डी.जे. न्यायालय में श्रवण योग्य लम्बित प्रकरणों की संख्या 439 होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल तहसील में राज्य कैम्पों के निर्णयों की पालना

145. श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत 3 वर्षों से ग्रामों में राजस्व कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कैम्पों में इन्तकाल नामान्तरण व अन्य नामान्तरण आदि के फैसलों का निस्तारण किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय कैम्प तक ही सीमित रहते हैं तथा नीचे के स्तर पर इनकी क्रियान्विति नहीं होती है ?

(4) गत दो वर्षों में (जनवरी, 2017 तक) तहसील जायल जिला नागौर में किन-किन गावों में ऐसे राजस्व कैम्प लगे तथा इनमें क्या-क्या निर्णय हुआ व क्या उक्त निर्णयों की क्रियान्विति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त निर्णयों की क्रियान्विति नहीं करने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा संख्या 195 के अनुरूप राजस्व लोक अदालत अभियान- न्याय आपके द्वार वर्ष 2015 व 2016 के दौरान ग्राम पंचायत

(राज्य मंत्री, राजस्व)

मुख्यालयों पर शिविर/ कैम्प कोर्ट्स आयोजित किये गये हैं।

(2) जी हां। उक्त अभियानों के दौरान आयोजित कैम्प कोर्ट्स में इन्तकाल/नामान्तरण सहित अन्य विभिन्न प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

(3) जी नहीं। अभियानों के दौरान आयोजित कैम्प कोर्ट्स में निस्तारित राजस्व प्रकरणों की क्रियान्विति नीचे के स्तर तक होती है।

(4) गत दो वर्षों में (जनवरी 2017 तक) तहसील जायल में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित कैम्प कोर्ट्स की तिथिवार सूचना **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है।

इसमें सहायक कलक्टर स्तर के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 188, 251 पत्थरगढी इजराय के निर्णय किये गये एवं तहसीलदार स्तर के नामान्तरण, खाता दुरुस्ती, खाता विभाजन, सीमाज्ञान आदि प्रकरण निम्नानुसार निस्तारित किये गये हैं:-

वर्ष 2015 में निस्तारित प्रकरण	3006
वर्ष 2016 में निस्तारित प्रकरण	8861

सूचना **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

उक्त निर्णयों की क्रियान्विति हो चुकी है।

(5) जिले में उक्त निर्णयों की क्रियान्विति हो चुकी है। इसमें कोई अधिकारी/कर्ममारी दोषी नहीं होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अशोक चिह्न के अनधिकृत उपयोग पर कार्यवाही

146. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार एवं जनप्रतिनिधियों में से कौन-कौन व्यक्ति अपने लैटर हैड में अशोक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं व किस नियम के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या कोई पूर्व विधायक अपने लैटर हैड पर अशोक चिह्न का प्रयोग कर सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या कोई जिला परिषद सदस्य अपने लैटर हैड पर अशोक चिह्न का प्रयोग कर सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(4) क्या यह सही है कि जो अशोक चिह्न के प्रयोग के लिये अधिकृत नहीं है, उनके द्वारा प्रयोग किये जाने पर क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 [भारत का राज्य सम्प्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम, 2010 के साथ पठित] की अनुसूची-1 में उल्लेखित संविधानिक या कानूनी सरकार के मंत्रालय या विभाग, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अन्य सरकारी कृत्यकारी, जो संप्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं। (**परिशिष्ट "क"** संलग्न)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) विभिन्न व्यक्ति/प्राधिकारी, जो भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, और इसका प्रयोग कर रहे हैं के विरुद्ध भारत का राज्य संप्रतीक का प्रयोग भारत का राज्य संप्रतीक (दूरुपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 के अध्यधीन शर्तों के तहत धारा 7 तथा 8 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाती है। (**परिशिष्ट "ख"**)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के लिये पंचायती राज के नियम व उप नियम

147. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विस्तार अधिनियम, 1999 के तहत नियम, उप नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियम छः माह में बनाये जाने प्रस्तावित थे ? यदि हां, तो अब तक नहीं बनाने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज विस्तार अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद का गठन किया गया है, जो कि उक्त नियम, उप नियम बनाने के संबंध में सरकार को राय देगी ? यदि हां, तो उक्त परिषद द्वारा अब तक किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 की प्रति **परिशिष्ट क** पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नियम बनाने संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 बना दिये गये हैं।

(3) जी नहीं पंचायती राज विस्तार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।

भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया जाता है। जिसका पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(32)प्रसु/अनु.3/91 दिनांक 06.06.2014 से किया गया है। आदेश की प्रति **परिशिष्ट ख** पर संलग्न है।

जनजाति परामर्शदात्री परिषद द्वारा समय समय पर की गई अनुशंसाओं पर सक्षम स्तर से निर्णय उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महिला शस्त्रधारियों के अनुज्ञापत्रों का क्षेत्र विस्तार

148. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में महिला शस्त्रधारियों ने अपने अनुज्ञापत्रों का क्षेत्र विस्तार हेतु वर्ष 2013 से 2017 तक आवेदन किया है ? यदि हां, तो किसने व कब-कब तथा उनका क्षेत्र विस्तार कब हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब कब तक उक्त अनुज्ञा पत्रों का क्षेत्र विस्तार करने का विचार रखती है ?

(2) उक्त कितनी महिला अभ्यर्थियों के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के क्षेत्र विस्तार हेतु वर्ष 2014 से 2017 तक गृह विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट, चूरू को दिशा-निर्देश प्रदान किये ? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग के आदेशों के उपरांत भी कितनी महिला आवेदकों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों का क्षेत्र विस्तार नहीं किया ? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस संबंध में राजस्थान सम्पर्क पर किसी प्रकार की शिकायत पंजीबद्ध हुई है ? यदि हां, तो कब व उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) नवीन आयुध अधिनियम, 2016 में दी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ

(श्री मनोज कुमार)

इंडिया के आजीवन सदस्यों को किस श्रेणी का शूटर माना है व उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र के क्षेत्र विस्तार एवं अनुज्ञापत्र जारी करने में प्रदत्त की गई शिथिलताओं एवं क्षेत्र विस्तार के नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सालासर पुलिस थाने में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कितने शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारियों का क्षेत्र विस्तार राज्य एवं गृह मंत्रालय द्वारा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) दी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों के क्षेत्र विस्तार हेतु जिला मजिस्ट्रेट किन-किन तथ्यों की पुष्टि करवा सकते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले की एक महिला शस्त्र अनुज्ञाधारी श्रीमती दुर्गा राठोड़ पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी निवासी सरदारशहर चूरू द्वारा वर्ष 2013 से 2017 की अवधि में शस्त्र अनुज्ञापत्र के क्षेत्र विस्तार को समस्त भारतवर्ष में करने हेतु आवेदन किया। उक्त आवेदिका द्वारा राज्य सरकार एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू को समय-समय पर प्रस्तुत आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। आवेदिका द्वारा स्वयं को नेशनल राइफल एसोसियेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली की आजीवन सदस्य होने एवं शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र का क्षेत्र विस्तार चाहा है। प्रकरण वर्तमान में जिला मजिस्ट्रेट चूरू के कार्यालय में नेशनल राइफल एसोसियेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली की सदस्यता के सत्यापन एवं विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने की सूचना हेतु लम्बित है। अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हो सकेगी।

(2) गृह विभाग द्वारा जिला मजिस्ट्रेट चूरू को वर्ष 2014 से 2017 की अवधि में एक प्रकरण में महिला अभ्यर्थी श्रीमती दुर्गा राठोड़ के शस्त्र अनुज्ञापत्र के क्षेत्रविस्तार हेतु आयुध नियम, 2016 के नियम 19 के अनुरूप कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

(3) चूरू जिले में एक महिला आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञापत्र का क्षेत्र विस्तार का प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट चूरू के कार्यालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण में आवेदिका के राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली की आजीवन सदस्यता के संबंध में महासचिव नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से सत्यापन रिपोर्ट एवं आवेदिका के राज्य, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का विवरण चाहा गया है, जो अपेक्षित होने से प्रकरण लंबित है।

(गृह मंत्री)

(4) जी हां। विवरण **परिशिष्ट "स"** पर संलग्न है।

(5) आयुध नियम, 2016 के नियम 40 के अनुसार नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के सदस्यों को अन्य शूटर (other shooter) की श्रेणी में माना गया है नियम 40 की प्रति **परिशिष्ट "द"** पर संलग्न है। शस्त्र अनुज्ञापत्र के क्षेत्र एवं अनुज्ञापत्र जारी करने में प्रदत्त की गई शिथिलताओं एवं क्षेत्र विस्तार के नियमों की प्रति **परिशिष्ट "य"** पर संलग्न है।

(6) तत्समय प्रभावी नियमों के अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से स्वीकृति के उपरान्त पुलिस थाना सालासर के तीन शस्त्र अनुज्ञाधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र का क्षेत्रविस्तार समस्त भारतवर्ष किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. श्री यशोदानन्दन पुजारी पुत्र श्री रामदेव पुजारी निवासी सालासर पीएस सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू स्वीकृति दिनांक 24.11.2015
2. श्री अर्जुन पुजारी पुत्र श्री झाबरमल पुजारी निवासी सालासर पीएस सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू स्वीकृति दिनांक 24.11.2015
3. श्री संजय कुमार पुत्र श्री राधाकिशन पुजारी निवासी सालासर पीएस सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू स्वीकृति दिनांक 24.11.2015

(7) आयुध नियम, 2016 के नियम 19 के तहत जिला मजिस्ट्रेट पांच श्रेणियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों का क्षेत्र विस्तार समस्त भारतवर्ष करने हेतु अधिकृत है। आवेदन पत्र में अंकित संबंधित श्रेणी के तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्र विस्तार की कार्यवाही की जा सकती है। नेशनल राइफल एसोसियेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के सदस्य होने मात्र से शस्त्र अनुज्ञापत्र का क्षेत्र विस्तार "समस्त भारत" जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना

149. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में अब तक कितने नवीन पशु चिकित्सालय खोले गये एवं कितने क्रमोन्नत किये गये ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने नवीन पशु चिकित्सालय खोलने और कितने पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में नव स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवं क्रमोन्नत किये गये उपकेन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत	पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत
2015-16	5	1
2016-17	5	वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु चिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

(2) नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र आवश्यकता एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार स्वीकृत/क्रमोन्नत किये जाते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा (जोधपुर) में सेज की स्थापना

150. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि भूमि व अन्य भूमि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के लिए अवाप्त की है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी-कितनी भूमि किस-किस दर पर तथा अवाप्तशुदा कितनी भूमियों पर सेज विधिवत स्थापित हो चुका है व कितनी अवाप्तशुदा भूमि वर्तमान में रिक्त है ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में सेज स्थापित करने हेतु भूमि अवाप्त की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी व कब तथा वर्तमान में क्या उक्त भूमि पर सेज स्थापित हो चुका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को विभाजित कर अन्य प्रयोजनार्थ विक्रय कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र एस.ई.जेड. (सेज) के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर जिले के 11 विभिन्न ग्रामों में 1602.52 हैं कृषि भूमि विभिन्न दरों पर **परिशिष्ट "अ"** के अनुसार अवाप्त की गई थी। अवाप्त की गई कुल भूमि में से 1217.276 हैं। भूमि का अवार्ड भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने की नीति पर किया गया था तथा सेज 385.244 हैं। भूमि का अवार्ड नकद मुआवजा, भूमि की किस्म एवं लोकेशन के अनुसार विभिन्न दरों पर परिशिष्ट के

(उद्योग मंत्री)

कॉलम 8 अनुसार किया गया था। अवाप्तशुदा एवं आवंटित राजकीय भूमि में से 1472.84 एकड़ भूमि पर 5 उत्पाद विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिसूचित किये गये थे जो अब एवं अविरत भूमि उपलब्ध होने पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2017 को इन्हें विलय करते हुए बहुउत्पाद विशेष आर्थिक जोन (सेज) स्थापित करने की स्वीकृति दी है जिसकी अधिसूचना जारी होना शेष है। शेष अवाप्त की गयी भूमि को अवाप्ति हेतु मुआवजा, डीटीए एवं सोशल सैक्टर हेतु निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा रीको द्वारा पूर्व में औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवाप्त भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की स्थापना सीतापुरा ईपीआईपी जयपुर में विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रथम कुल क्षेत्र 21.15 एकड़ भूमि, विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वितीय कुल क्षेत्र 89.39 एकड़ भूमि तथा बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर में बोरानाडा चतुर्थ चरण में 180.94 एकड़ भूमि में स्थापना की गयी। बोरानाडा चतुर्थ विशेष आर्थिक क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.05.2014 को अधिसूचना जारी अनाधिसूचित कर दिया गया।

(2) जी नहीं। जोधपुर जिले के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र एस.ई.जेड (सेज) की स्थापना के प्रयोजन से पृथक् से भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

(3) जी नहीं, इस एस.ई.जेड औद्योगिक क्षेत्र को विभाजित नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.05.2014 को अधिसूचना जारी कर स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र, बोरानाडा को पूर्ण रूप से डि-नोटिफाइड कर दिया गया। तत्पश्चात् विशेष आर्थिक क्षेत्र, बोरानाडा सामान्य औद्योगिक क्षेत्र बन गया एवं इसमें नियोजित औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन नियमानुसार किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत जारी गैस कनेक्शन

151. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में दिसम्बर 2016 तक कुल कितने गैस कनेक्शन जारी किये गये व कितने जारी करना शेष है ? ग्रामवार एवं नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार शेष पात्रताधारियों को गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत दिसम्बर, 2016 तक कुल 9577 गैस कनेक्शन जारी किये गये तथा 227 गैस कनेक्शन जारी किया जाना शेष है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र.सं.	नाम गैस एजेन्सी	जारी गैस कनेक्शनों की संख्या	बकाया गैस कनेक्शनों की संख्या
1.	मै.टोडारायसिंह गैस सर्विस, टोडारायसिंह	2605	40
2.	मै.बापू गैस एजेन्सी, मालपुरा	1479	68
3.	मै.आदिनाथ इण्डेन ग्रामीण वितरक, लाम्बा	2338	16
4.	मै.श्रीजी भारत गैस ग्रामीण वितरक, डिग्गी, मालपुरा	1433	28
5.	मै.लाम्बाहरिसिंह इण्डियन ग्रामीण वितरक, लाम्बाहरिसिंह, तह.मालपुरा	1722	75
6.	मै.केन्द्रीय भेड ऊन अनुसंधान संस्थान, आविकानगर मालपुरा	0	0
	योग -	9577	227

जारी कनेक्शनों का नामवार विवरण **परिशिष्ट-1** पर एवं शेष कनेक्शनों का विवरण **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया चालू है एवं पात्र परिवारों को नियमानुसार गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमणों का नियमन

152. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं ? क्या सरकार वन क्षेत्र बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितनी वनभूमि पर कितने आदिवासी/गैर आदिवासी लोगों का अतिक्रमण है ? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों का नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या गत 5 वर्षों में इनकी पहचान कर नियमन की कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 40 वर्षों में जनजाति उप योजना क्षेत्र का वन प्रतिशत क्या रहा है तथा प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जनजाति उप योजना क्षेत्र में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(4) जनजाति क्षेत्र के वनों से सरकार को गत 5 वर्षों में कितनी आय हुई तथा कितनी राशि व्यय की गई ? क्या जनजाति क्षेत्रों में वनों से प्राप्त आय के अनुरूप व्यय किया गया ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जहां अधिक जनजाति निवास करती है, वहीं वन क्षेत्र भी बचा हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.59 प्रतिशत वन भूमि है। प्रदेश की वन भूमि (Forest land) में सामान्यतया वृद्धि की संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि वन भूमि में वृद्धि सिर्फ गैर वन भूमि (यथा सिवाय चक, राजस्व भूमि) के वन विभाग को आवंटित होने से ही होती है। अपितु प्रदेश में वन आच्छादन (Forest cover) में वृद्धि हेतु निम्न विकास योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं:-

1. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना
2. नाबार्ड ऋण अंतर्गत वनारोपण
3. जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक कार्यक्रम
4. परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण
5. भाखडानांगल नहर वृक्षारोपण
6. गंग नहर वृक्षारोपण
7. कैम्पा के अन्तर्गत वृक्षारोपण
8. राज्य वन विकास अभिकरण
9. पर्यावरण वानिकी
10. फार्म फोरेस्ट्री
11. घाटी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण

(2) प्रदेश में 13470.18 हैक्टेयर क्षेत्र में 12482 आदिवासी/गैर आदिवासी लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण को नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को वन अधिकार पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

(वन मंत्री)

(3) फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में Forest cover संबंधित उपलब्ध विवरण संलग्न **परिशिष्ट "ए"** अनुसार है।

फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट वर्ष 2015 के अनुसार राजस्थान के जनजाति क्षेत्र के 5 जिलों का कुल 38218 वर्ग किमी. भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें वृक्ष आच्छादित क्षेत्र (Forest cover) 6320 वर्ग किमी. है, जो कि उक्त भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.54 प्रतिशत है और राज्य के कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र (Forest cover) का 39.08 प्रतिशत है।

(4) जनजाति क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में वनों से राज्य सरकार को 41.64 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई तथा 221.38 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी। इस प्रकार जनजाति क्षेत्रों में वनों से प्राप्त आय से काफी अधिक राशि का व्यय किया गया है।

(5) प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 'जनजाति के घनत्व के सापेक्ष वनों के अस्तित्व' के संबंध में वन विभाग द्वारा कोई अधिकारिक अध्ययन नहीं कराया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा के गांवों से हाईटेन्शन लाइनों को हटाने की योजना

153. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 11000 के.वी. की विद्युत लाइन गांवों के अन्दर से होकर गुजरने के कारण दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार हाई वोल्टेज की विद्युत लाइनें गांवों से बाहर करने का विचार रखती है ? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? गांवों के नामों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव बड़ोपल से गुजर रहीं 11000 के.वी. की विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्तमान में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें कर्मचारियों की करंट लगने से मृत्यु हुई है ? क्या सरकार द्वारा उनके आश्रितों को नियुक्ति दी गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 11के.वी. की विद्युत लाइनें निर्धारित तकनीकी मानदंड के अनुसार खींची गयी हैं। अतः इनसे सामान्य परिस्थितियों

(ऊर्जा मंत्री)

में दुर्घटना होने की संभावना नहीं है।

सामान्यतया गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर गांव के लोड सेन्टर पर स्थापित किया जाता है उसके लिए 11 केवी विद्युत लाइनें उपयुक्त रास्ता (राइट ऑफ दी वे) होने पर खींची जाती हैं।

गांवों में स्थापित सभी 11 केवी लाइनों को बाहर करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से गांवों के निवासियों को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराना तकनीकी रूप से संभव नहीं हो सकता है।

विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा के जिन गांवों में से 11 के.वी. की विद्युत लाइन गुजर रही है, उसका विवरण **परिशिष्ट "अ"** पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यद्यपि आवेदक/संस्था द्वारा आवेदन करने पर निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में इस तरह का कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(3) विद्युत करंट से मृत विद्युत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को दी गयी नियुक्तियों का निगमवार विवरण **परिशिष्ट "ब"** पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटड़ा उपखण्ड का सैटलमेन्ट

154. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आजादी के बाद से अब तक उपखण्ड कोटड़ा का सैटलमेन्ट नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपखण्ड कोटड़ा का सैटलमेन्ट कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। आजादी के बाद उपखण्ड कोटडा का सर्वे सैटलमेन्ट कार्य 1955 में पूर्ण किया जा चुका है।

(2) राज्य के अभिलेख को डिजिटल करने हेतु डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 10 जिलों में आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण कार्य करवाया जा रहा है। द्वितीय चरण में जिला उदयपुर में सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के लम्बित पेंशन प्रकरण

155. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भागीरथ चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के लिए सरकार ने पेंशन योजना स्वीकृत की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में पेंशन हेतु आवेदनकर्ताओं का रिकार्ड संबंधित जेल एवं पुलिस थानों में जीर्ण- शीर्ण एवं गायब होने के कारण बडी़ संख्या में आवेदन जिला कलक्टर कार्यालय में लम्बित हैं ? यदि हां, तो लम्बित प्रकरणों की जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ? पुलिस अधीक्षक एवं जेल अधीक्षक कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रिकार्ड की अनुपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था एवं नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 के तहत राजस्थान राज्य में 25 जून, 1975 से मार्च, 1977 के दौरान घोषित आपातकाल में राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. के अंतर्गत राज्य के कारागारों में निरुद्ध राज्य के मूल निवासियों को पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता देने हेतु प्रावधान किया गया है।

(2) जी हां। कुछ जिलों में आवेदनकर्ताओं का रिकार्ड जेल तथा पुलिस थानों में उपलब्ध नहीं है जिससे कुछ आवेदन जिला कलक्टरों के पास लम्बित हैं। रिकार्ड के अभाव में लम्बित प्रकरणों का संख्यात्मक आंकड़ा जिलेवार **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

(3) रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के संबंध में जिला कलक्टर्स से प्राप्त पुलिस अधीक्षक एवं जेल अधीक्षक कार्यालयवार विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

(4) जी हां, रिकार्ड की अनुपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था व नियमों में संशोधन विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुजानगढ़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत कराये गये कार्य

156. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़/बीदासर तहसील में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चलाया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना में प्रथम चरण में

(श्री खेमाराम)

कितने तालाब, कुण्ड, टांका आदि के कार्य कौन-कौनसे गांवों में स्वीकृत किये गये ? कार्यवार लाभार्थी का नाम, पता, राशि व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में निर्मित जलाशय, कुण्ड, टांका, तालाब आदि कार्यों का कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों का किस जन- प्रतिनिधि द्वारा उदघाटन व शिलान्यास किया गया ? तिथिवार जनप्रतिनिधि का नाम दिवस व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कार्य का वर्षा के बाद भौतिक सत्यापन किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त जलाशयों में पर्याप्त पानी है व नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सुजानगढ़ एवं बीदासर तहसील में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चलाया गया है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत सुजानगढ़ तहसील के गांव गुलेरिया, देवाणी एवं सुरवास में तालाब, कुण्ड, टांका इत्यादि के 461 कार्य तथा बीदासर तहसील के गांव लुहारा, सारंगसर में कुण्ड, तालाब, टांका इत्यादि के 735 कार्य स्वीकृत किये गये।

सुजानगढ तहसील एवं बीदासर तहसील में स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों का ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार, नाम/लाभार्थी का नाम मय पिता/पतिवार, कार्य का नामवार एवं स्वीकृत राशिवार विस्तृत विवरण क्रमश **परिशिष्ट 1 व 2** पर संलग्न है।

(2) जलाशय, कुण्ड,टांका, तालाब इत्यादि कार्यों का रेण्डम भौतिक सत्यापन/निरीक्षण जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू द्वारा माह फरवरी, 2016 में, उपखण्ड अधिकारी द्वारा माह फरवरी, मार्च, अप्रैल व दिसम्बर, 2016 तथा जनवरी, 2017 में एवं अधीक्षण अभियंता, जलग्रहण, जिला परिषद, चूरू द्वारा माह फरवरी, मार्च, अप्रैल एवं मई 2016 में विकास अधिकारी द्वारा माह फरवरी, मार्च, अप्रैल एवं दिसम्बर, 2016 में साथ ही अधिशासी अभियंता, पंचायत समिति, सुजानगढ़ द्वारा माह जनवरी से माह अगस्त 2016 में किया गया।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्यों का अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों का पंचायत समितिवार,ग्राम

(पंचायती राज मंत्री)

पंचायतवार, ग्रामवार, कार्य के नामवार एवं कार्य की टिप्पणीवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3** पर संलग्न है

(3) जी हां। जन प्रतिनिधियों द्वारा भी निर्माण कार्यों का शुभारम्भ के समय उद्घाटन/ शिलालेख किया गया है।

श्रीमान् राजकुमार रिणवा, माननीय मंत्री, वन पर्यावरण एवं खनन विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमान् खेमाराम मेघवाल विधायक, सुजानगढ़, सरपंच ग्राम पंचायत, गुलेरिया आदि के द्वारा पंचायत समिति, सुजानगढ़ के ग्राम गुलेरिया के निर्माण कार्य का दिनांक 27.01.2016 को तथा श्रीमान् खेमाराम मेघवाल विधायक, सुजानगढ़, श्रीमती संतोष देवी, प्रधान, पंचायत समिति बीदासर, सरपंच, ग्राम पंचायत लुहारा आदि के द्वारा पंचायत समिति बीदासर के ग्राम लुहारा के निर्माण कार्य का दिनांक 27.01.2016 को शुभारम्भ के समय उद्घाटन/शिलालेख किया गया है जिसका शुभारम्भ करने वाले जन प्रतिनिधि का नामवार, पंचायत समिति का नामवार, शुभारम्भ स्थलवार (ग्राम पंचायत, ग्राम), शुभारम्भ दिनांकवार, कार्य का विवरणवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4** पर संलग्न है।

(4) उक्त कार्यों का वर्षा के बाद भौतिक सत्यापन अधिशासी अभियंता, पंचायत समिति, सुजानगढ़ द्वारा किया गया। उस समय टांकों में पर्याप्त पानी पाया गया एवं कुछ क्षेत्र में कम वर्षा होने से चार जोहड़ में पर्याप्त पानी संग्रहीत नहीं होना पाया गया। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 5** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीमान्त क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को हथियारों के लाइसैंस

157. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में लाइसैंसशुदा हथियारधारी की मृत्यु के पश्चात् हथियार थानों में जमा करवाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके वारिसों के नाम लाइसैंस जारी कर उक्त पैतृक हथियार उनके वारिसों को वापस देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीमा क्षेत्र की सुरक्षा हेतु क्या सरकार सीमांत जैसलमेर जिले में भूतपूर्व सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों को हथियारों का लाइसैंस देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लाइसैंसशुदा हथियारधारी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों के नाम

(गृह मंत्री)

शस्त्र अनुज्ञापत्र आयुध अधिनियम, 1959 व आयुध नियम, 2016 में उपलब्ध प्रावधानानुसार समुचित जांच उपरान्त जारी किया जाता है। इनके समयबद्ध निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी अनुज्ञा प्राधिकारियों को दिनांक 22.07.2016, 07.12.2016 एवं 07-02-2017 द्वारा निर्देशित किया गया है।

(2) वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अन्य आवेदकों के समान ही भूतपूर्व सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों के हथियार लाइसैंस के आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के आयोजन पर व्यय राशि

158. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के आयोजन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी धनराशि खर्च की गयी ? यदि हां, तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खर्च का मदवार, विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट तकनीक और निवेश के नाम पर असफल रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में सरकारी खर्चे पर बड़ी-बड़ी कम्पनियों को अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार, विक्रय करने का प्लेटफार्म दिया गया ? यदि हां, तो क्यों व कौन-कौनसी कम्पनी ने अपने किन-किन उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त एग्रीटेक मीट में राजनैतिक, कार्पोरेट व उद्योग जगत से जुडे लोगों को पांच सितारा होटलों में ठहराने व खाने-खर्चे पर बड़ी धन-राशि व्यय की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 82 की अनुपालना में 9 से 11 नवम्बर, 2016 तक जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया। मदवार व विभागवार व्यय का विवरण **परिशिष्ट 1** पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में कृषि एवं संबद्ध विषयों पर आधारित प्रदर्शनी, स्मार्ट फार्म के माध्यम से कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी एवं कृषि विपणन क्षेत्र की राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाग लेकर राज्य के 58 हजार कृषकों सहित कुल 70 हजार भागीदार लाभान्वित हुए। आयोजन के दौरान कृषकों ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन

(कृषि मंत्री)

एवं कृषि विपणन विषयों पर आधारित सेमिनार, कान्फ्रेन्स, जाजम चौपाल में उत्साह पूर्वक भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया तथा नवीन तकनीकी जानकारी प्राप्त की।

ग्राम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के 38 निवेशकों द्वारा राज्य सरकार के साथ राशि रु. 4400.89 करोड़ निवेश के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये। इन समझौता ज्ञापनों के धरातल पर आने पर लगभग 47 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किसानों की आय में वृद्धि करने तथा कृषि क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने की दिशा में एक सफल पहल है।

(3) जी नहीं, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में विभिन्न कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु स:शुल्क जगह/स्टाल आवंटित कराई गयी थी, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा भुगतान किया गया था। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में स्पोन्सरशिप/कम्पनियों को स्टाल विक्रय से राशि रु. 6.51 करोड़ की आय अर्जित की गयी। इवेंट में भाग लेने वाली कम्पनियों एवं प्रदर्शित उत्पादों की सूची **परिशिष्ट 2** पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त भागीदारों तथा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित व्यक्तियों को नियमानुसार सुविधा उपलब्ध कराई गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धोद में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

159. श्री गोरधन (धोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? क्या जिस स्थान पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता, वहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धोद में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विस्तार के लिए स्थल चयन समिति के गठन हेतु रीको के कार्यालय आदेश दिनांक 08.03.1999 एवं 08.10.2014 की छायाप्रति **परिशिष्ट "1"** पर संलग्न है।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु प्रथम दृष्टिया निर्णय नवीन उद्योगों की स्थापना की संभावना, आधारभूत सुविधाओं, मानव संसाधन, उपयुक्त भूमि की

(उद्योग मंत्री)

उपलब्धता एवं उद्यमियों की मांग इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस हेतु प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की टैक्नो इकोनोमिक फिजिबिलिटी एवं पर्यावरण संबंधी बिन्दुओं पर भी अध्ययन किया जाता है।

(2) विधानसभा क्षेत्र धोद में वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र धोद के आस-पास चार औद्योगिक क्षेत्र क्रमश: सीकर, आई.जी.सी. पलसाना, आई.आई.डी. पलसाना व पलसाना द्वितीय फेज स्थापित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में डीलरों को राशन सामग्री का वितरण

160. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राशन डीलरों को राशन सामग्री आवंटन के क्या नियम हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अलवर जिले में गत तीन वर्षो में किस-किस राशन डीलर को कब-कब व कितनी-कितनी राशन सामग्री आवंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त जिले में राशन डीलरों को राशन सामग्री आवंटित करने में असमानता की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में राशन डीलरों को उपलब्ध कराई जा रही राशन सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. **गेहूं**:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार एवं अन्य पात्र परिवारों को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. **चीनी**:- राज्य के समस्त अन्त्योदय एवं बी.पी.एल. परिवारों को प्रतिमाह 500 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 24.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करायी जाती है।
3. **केरोसीन**:- बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को 03 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 17.50 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) अलवर जिले में गत तीन वर्षों से आबंटित राशन सामग्री का डीलरवार विवरण **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(3) उक्त जिले में राशन डीलर्स को राशन सामग्री का आवंटन उनसे जुड़े विभिन्न योजनाओं के राशनकार्ड्स/यूनिट के आधार पर किया जाता है। किसी राशन डीलर के पास वितरण क्षेत्र बड़ा होने पर उसी अनुरूप राशन सामग्री आवंटित की जाती है। किसी निकटवर्ती डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने पर निलम्बित डीलर की राशन सामग्री भी अटैच डीलर को आवंटित की जाती है। राशन डीलर के वितरण क्षेत्र में असमानता होने पर तदानुपात में आवंटन में असमानता होती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 161

(स्थगित)

बयाना में स्टोन क्रेशर हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

162. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नया उद्योग स्थापित करने के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो विद्युत विभाग बयाना द्वारा खनन पट्टा सं. 02/93 खनिज सिलिका सैण्ड स्टोन निकट ग्राम अघावली को 200 टी.पी.एच. का स्टोन क्रेशर चलाने के लिए बिजली कनेक्शन दिया गया है ? क्या उक्त खनन पट्टेधारी द्वारा अपने खनन पट्टे की कनसर्न टू आपरेट लगाई है या पोल्यूशन विभाग भरतपुर द्वारा अलग से इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए जारी की गयी कन्सर्न टू आपरेट लगाई है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बयाना में वर्ष 2013 से 2016 तक कब-कब एवं कितने-कितने लम्बाई के बिजली के तार बदले गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक रूपवास व बयाना प्रत्येक शुक्रवार को संचालित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शिविर में बिजली की कितनी समस्याएं आयी एवं कितनी समस्याओं का निस्तारण किया गया ? क्या सरकार शेष समस्याओं का निस्तारण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। नया उद्योग स्थापित करने हेतु राज्य प्रदूषण मण्डल से "स्थापना सम्मति" लेना अनिवार्य है। तत्पश्चात उद्योग को राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा संचालन हेतु "संचालन सम्मति" भी प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ऊर्जा मंत्री)

जी हां। मैसर्स शिवालिक सिलिका, निकट ग्राम अघावली को दिनांक 14.09.2015 को 1000 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है। उक्त फर्म द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिये पत्रावली में राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा जारी "संचालन सम्मति" (Consent to operate) की छाया प्रति लगाई है, जिसकी प्रति **परिशिष्ट "अ"** पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बयाना में वर्ष 2013 से 2016 तक बदले गये विद्युत तारों का उपखंण्डवार वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

उपखंड	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016
रूपवास	3.30 कि.मी.	4.75 कि.मी.	5.15 कि.मी.	9.00 कि.मी.
बयाना	2.8 कि.मी.	3.2 कि.मी.	12.4 कि.मी.	10.6 कि.मी.

(3) प्रत्येक शुक्रवार को संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शिविर में दिनांक 17.02.2017 तक रूपवास व बयाना उपखण्ड में क्रमश: 10 व 99 शिकायतें दर्ज हुई। इन सभी का निस्तारण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी जिले में किसानों को भूमि का आवंटन

163. श्री अशोक (हिण्डौली): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में अत्यधिक समय से किसानों को भूमि का आबंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व कब से ?

(2) उक्त जिले में तहसीलवार किस वर्ष में कितने किसानों को भूमि का आवंटन किया गया ? किस तहसील में वर्तमान में कितनी सिवायचक भूमि उपलब्ध है एवं उपलब्ध भूमि में से कितनी भूमि पर कितने किसान कृषि कार्य कर रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में वर्ष 2010 से 2016 तक वर्षवार कितने किसानों पर राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत कार्यवाही की गयी ? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि हिंडौली एवं नैनवा उपखंड में वर्तमान में भूमि रिकॉर्ड में झाड़-झंखाड़ वाले वन दर्ज हैं, जबकि भौतिक/वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं है ?

(5) क्या सरकार उक्त भूमि को वन भूमि से मुक्त कर सिवायचक करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में 24.01.2013 के बाद किसानों को भूमि आवंटन नहीं किया गया है।

(2) बून्दी जिले में तहसीलवार आवंटन की वर्षवार सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

जिले में तहसीलवार उपलब्ध सिवायचक भूमि एवं उन पर कृषि कार्य कर रहे किसानों का विवरण निम्नानुसार है-

तहसील	सिवायचक भूमि (रकबा हैं में)	उपलब्ध सिवायचक भूमि में से किसानों के कृषि कार्य में आ रही भूमि का रकबा	किसानों की सं.
बून्दी	4058.24	1504.90	3047
तालेडा	5288.19	1499.68	2287
के. पाटन	3060	3060	1909
इन्द्रगढ़	5903	598	2336
नैनवा	19643	3044	5510
हिण्डौली	15131.40	5380.10	10405

(3) जिले में वर्ष 2010 से 2016 तक वर्षवार राजस्व की धारा 91 के तहत किसानों पर हुई कार्यवाही का विवरण **परिशिष्ट ब** पर संलग्न है।

(4) जी हां। अधिकांश भूमि रेकार्ड में झाड़ झंखाड़ वाले वन दर्ज हैं, भौतिक/वास्तविक स्थिति अलग-अलग खसरा नम्बरान की अलग-अलग है।

(5) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स, 1957 के नियम 164 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अनुसार झाड़-झंखाड़ वाली वन भूमियां खाता संख्या 1 में दर्ज की जाती हैं जो कि राजकीय खाते की भूमि होती है। इसलिये अलग से सिवायचक दर्ज किये जाने की आवश्यकता नहीं है। नियम की प्रति **परिशिष्ट स** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आबादी क्षेत्र से 33 के.वी. लाइन हटाने के मानदण्ड

150. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दौसा जी.एस.एस. से गीजगढ़ जी.एस.एस. पर 33 के.वी. मेन लाइन कब डाली गयी ? उक्त लाइन की सुरक्षा व देखरेख की जिम्मेवारी किसकी है ? वर्ष में कितनी बार केबल की सुरक्षा की जांच किया जाना अनिवार्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 33 के.वी. लाइन को आबादी क्षेत्र से हटाने के क्या मापदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जी.एस.एस. से गीजगढ़ सब स्टेशन पर 33 केवी लाइन लगभग 30 वर्ष पूर्व खींची गयी। वर्तमान में उक्त लाइन की देख-रेख की जिम्मेदारी जयपुर विद्युत वितरण निगम की है। सामान्यतया स्थापित 33 के.वी. विद्युत लाइनों की वर्ष में दो बार जांच (पैट्रोलिंग) की जाती है। पैट्रोलिंग के दौरान पाई जाने वाली सुरक्षा सम्बन्धी कमियों को तुरन्त दुरस्त कर दिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(2) स्थापित 33 केवी लाइन को यदि कोई ग्राम पंचायत/नगर निगम/व्यक्ति विशेष/संस्था द्वारा आवेदन करने और नियमानुसार लाइन हटाने/शिफ्टिंग का खर्चा वहन करने को तैयार हो एवं उपयुक्त रास्ता उपलब्ध होने पर विद्युत लाइन हटाने/शिफ्टिंग का कार्य किया जाता है। यदि कोई भी विद्युत लाइन/स्ट्रक्चर जो कि मानवीय जीवन के लिए हानिकारक हो तो, उपरोक्त द्वारा आवेदन करने पर होने वाले कुल व्यय राशि का 50 प्रतिशत आवेदक द्वारा व 50 प्रतिशत निगम द्वारा वहन किया जाता है।

पृथ्वीराज नगर योजना जयपुर में नये विद्युत कनेक्शनों से रोक हटाने की कार्यवाही

151. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर में स्थित कॉलोनियों में नये विद्युत कनेक्शन देने पर मा. उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या मा. उच्च न्यायालय द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना की कॉलोनियों में नए विद्युत कनेक्शनों पर रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा रोक हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों ?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(3) क्या सरकार वर्तमान में जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में न्यायालय द्वारा लगाई गयी उक्त रोक को हटवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर में स्थित कॉलोनियों में जिन व्यक्तियों के पास जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टा विलेख (लीज डीड) नहीं है, उनमें नये विद्युत कनेक्शन देने पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 05.07.2013 से रोक लगाई हुई है।

(2) उक्त योजना के क्षेत्र में जिन निवासियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख जारी नहीं है, उन्हें विद्युत कनेक्शन देने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई हुई है। उक्त क्षेत्र में जो मकान पूर्व से बने हुए हैं, लेकिन जिनको जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे जारी नहीं हुए हैं, उन्हें विद्युत कनेक्शन देने हेतु एक प्रार्थना पत्र (SBCMA No. 338/2016) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष लगाया गया है।

(3) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

प्रदेश में आशुलिपिकों के रिक्त पद

152. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शासन सचिवालय, अधीनस्थ विभागों, राजकीय निगम और उपक्रमों में कई वर्षों से आशुलिपिकों के पद रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 2017 तक आशुलिपिकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? विभागवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को उक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु अभ्यर्थना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब एवं बोर्ड द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड उक्त आशुलिपिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु विज्ञापन जारी करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु कार्यक्रम को प्रतिवर्ष की जाने वाली भर्तियों के कैलेण्डर में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 2017 तक शासन सचिवालय, अधीनस्थ विभागों में आशुलिपिको के 887 पद रिक्त चल रहे हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

1. शासन सचिवालय में 87 आशुलिपिकों के रिक्त पद हैं।
2. अधीनस्थ कार्यालयों में 800 आशुलिपिकों के रिक्त पद हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को आशुलिपिक पद भरने हेतु कोई अर्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

(4) राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित रिक्तियों में से प्रदत्त नियुक्तियों के बाद वर्ष 2011-12 में शेष रही रिक्तियों तथा तत्पश्चात् रिक्त रहे पदों को भरने हेतु विचार रखती है। शासन सचिवालय में आशुलिपिक संवर्ग स्वीकृत पद कम होने के कारण आवश्यकतानुसार रिक्त हुये पदों के विरुद्ध नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जारी विद्युत कनेक्शन

153. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना क्या है ? उक्त योजना प्रदेश में कब से तथा कौन-कौनसे जिलों में लागू की गयी ? योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उक्त योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गयी व उसमें से कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी तथा कितनी राशि व्यय की गयी ? वर्षवार व विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के प्रारम्भ से अब तक कितने गांवों में कितने परिवारों को बिजली उपलब्ध करवायी जानी थी ? कितने परिवारों को बिजली उपलब्ध करवा दी गयी है ? वर्षवार व विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के तहत अब तक कितने उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके विद्युत कनेक्शन स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है ? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व आर.जी.जी.वी.वाई.) के अन्तर्गत अविद्युतीकृत गांवों/ढाणियों का विद्युतीकरण एवं विद्युतीकृत

(ऊर्जा मंत्री)

गांवों/ढाणियों का सघन विद्युतीकरण कर बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क एवं सामान्य परिवारों को नियमानुसार शुल्क लेकर घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2005 में प्रारंभ की गयी। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है। वर्तमान में यह योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित कर ली गयी है। 10वें व 11वें प्लान में स्वीकृत योजनाओं एवं स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का योजनावार/जिलेवार विवरण **परिशिष्ट "अ"** पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत योजनाओं के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं योजनाओं में व्यय की गई राशि का योजनावार/जिलेवार विवरण **परिशिष्ट "ब"** पर उपलब्ध है। उक्त योजनाऐं विधानसभावार न बनाकर जिलेवार बनाई गयी हैं।

(3) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वितीय चरण के तहत प्रस्तावित सामान्य एवं बी.पी.एल. परिवारों के लक्ष्य तथा माह जनवरी, 17 तक की प्रगति का योजनावार/जिलेवार विवरण **परिशिष्ट "स"** पर उपलब्ध है। उक्त योजनाएं विधानसभावार न बनाकर जिलेवार बनाई गयी हैं।

(4) 10वें व 11वें प्लान के तहत स्वीकृत योजनाओं में प्रस्तावित सभी योग्य परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान) प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के लक्ष्य, प्रगति व विद्युत से वंचित रहे परिवारों का विवरण **परिशिष्ट "द"** पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घण्टे बिजली देने की योजना

154. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को कितने घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है ?

(2) क्या सरकार शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कब से ?

(3) सरकार द्वारा वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली उपयोग की वसूली की दर क्या निर्धारित की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(4) क्या सरकार घरेलू उपभोक्ताओं से ली जा रही वर्तमान दरों में कमी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब, कितनी व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सामान्यतया राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे थ्री फेस एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22-24 घंटे सिंगल फेस विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) जी हां। वर्तमान में चार हजार से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में शहरी क्षेत्रों की भांति 24 घंटे थ्री फेस विद्युत आपूर्ति की जा रही है। स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 3000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों एवं चिन्हित 33/11 केवी सब स्टेशनों से 2 किमी की परिधि में आने वाले ग्रामों में कृषि फीडर/अकृषि फीडर अलग कर विद्युत तंत्र सुदृढ कर शहरों की भांति विद्युत उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(3) वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली उपयोग की वसूली की दरों का विवरण **परिशिष्ट "अ"** पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। विद्युत दरें राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय की जाती हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा लघु घरेलू व बी.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनुदान देकर उचित राहत पहले से ही दी जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आयुध नियम, 2016 में संशोधन

155. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय परम्परा में सदियों से विवाहोत्सव के समय धार्मिक एवं सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार प्रत्येक समाज में दूल्हे के हाथ में तलवार-कटार आदि का होना अनिवार्य है तथा तलवार प्राय: शौर्य एवं सम्मान के रूप में नेताओं को भेंट भी की जाती रही है ?

(2) क्या सरकार 'आयुध नियम, 2016' जो आमजन के लिए भारतीय परम्पराओं के पालन में बहुत प्रतिबन्धकारक एवं हर प्रकार से अलोकप्रिय है, को संशोधित कर व्यवहारिक बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) "आयुध नियम-2016" केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियम है व इनमें संशोधन भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

बाड़मेर जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर अपराध के दर्ज प्रकरण

156. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों पर अपराध के मामले ज्यादा दर्ज हुए हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा ऐसे पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त अवधि में बाड़मेर जिले में ऐसे पीड़ित लोगों को कितना मुआवजा दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में क्रमश वर्ष 2014 में 8415 वर्ष 2015 में 7320 तथा वर्ष 2016 में 6331 प्रकरण पंजीबद् हुये हैं जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014 के पश्चात् अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अपराधों में निरन्तर कमी आई है।

(2) जी हां। भारत सरकार के अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 2016 यथासंशोधित नियम 2016 के अनुसूची [उपाबंध-1नियम 12(4)] के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट अ** पर संलग्न है एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 एवं संशोधित नियम 2015 के तहत आर्थिक सहायता (परिशिष्ट ब पर संलग्न है) दी जाती है।

(3) बाड़मेर जिले में अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट स** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना

157. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में नये पुलिस थाने व चौकियां खोलने तथा थानों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार का उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में नवीन पुलिस चौकियां खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौन से स्थानों पर?

(श्री फूलसिंह मीणा)

विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में थाना हिरण मगरी के अधीन कलड़वास रीको एरिया, गौवर्धन विलास थाना के अधीन काया व बारापाल व पुलिस थाना नाई की पंचायत धार में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में नये पुलिस थानों/चौकियों के पुनर्गठन/ सृजन/क्रमोन्नत करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

(2) समिति की अभिशंसा के आलोक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने पर विचार किया जा सकेगा ।

(3) समिति की अभिशंसा के आलोक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में थाना हिरण मगरी में कलडवास रीको एरिया, गौवर्धन विलास थाना की काया व बारापाल व पुलिस थाना नाई की पंचायत धार में पुलिस चौकी खोलने पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रदेश में आबादी के अनुपात में पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की योजना

158. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा पुलिस की कार्य प्रणाली एवं उसे आधुनिक साज सामानों से लैस करने की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में अपराध व अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या प्रदेश में पुलिस बल की कमी के कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं ?

(4) क्या सरकार प्रदेश में आबादी के अनुपात में पुलिस बल की नियुक्ति करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) पुलिस की कार्य प्रणाली एवं उसे आधुनिक साज सामानों से लैस करने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना (आयोजना भिन्न) लागू है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि तथा राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राशि सहायता के रूप में दी जाती है। इसके तहत निम्नानुसार पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाता है :-

1. गतिशीलता (वाहन) (बुलेट प्रूफ व मार्डन प्रूफ सहित वाहन)
2. हथियार
3. प्रशिक्षण
4. फोरेन्सिक साइंस लेबोरेट्री/ फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो
5. उपकरण
6. भवन

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पुलिस विकास कोष के तहत भी उपकरण/साजो-सामान क्रय किये जाते हैं ।

(2) राज्य में अपराध, अपहरण आदि की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये :-

1. स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों में प्रभावी कार्यवाही
2. निरोधात्मक कार्यवाही
3. राजपासा

पुलिस विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए गये जिनका विवरण **परिशिष्ट- अ** पर संलग्न है :-

1. अपराधों की रोकथाम के संबंध में निर्देश दिनांक 03.01.2007
2. घटनास्थल पर पहुंचने के संबंध में समय सीमा निर्धारित के निर्देश दिनांक 26.11.2007
3. अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित एवं वर्गीकृत कर उनका डाटा बेस तैयार करने एंव उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिनांक 25.01.2011
4. अपराध नियन्त्रण व अपराधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिनांक 25.02.2013
5. अपराधों की रोकथाम के संबंध में निर्देश दिनांक 19.03.2014
6. बीट प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिनांक 09/2014

(गृह मंत्री)

7. अपराध के घटनास्थल पर तत्काल पहुँचने के उददेश्य से चेतक/ सिग्मा वाहनों को निर्देश दिनांक 19.11.2014
8. सम्पत्ति संबंधी अपराध/अपराधियों के संबंध में विशेष अभियान बाबत निर्देश दिनांक 25.04.2014
9. स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिनांक 14.11.2014
10. बलात्कार संबंधी प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से निष्पादन हेतु कार्य योजना के संबंध में निर्देश दिनांक 11.12.2014
11. एटीएम तोडने व लूटने की घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देश दिनांक 20.03.2015
12. आपराधिक गैंग एवं गैंग के सदस्यों के डोजियर तैयार करने के संबंध में निर्देश दिनांक 22.06.2015
13. वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के संबंध निर्देश दिनांक 02.02.2016

(3) राज्य में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए समय-समय पर आदेश/निर्देश जारी किए गये हैं। राज्य में अपराधों में कमी भी आई है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है । विवरण **परिशिष्ट ब** पर संलग्न है ।

(4) आबादी के अनुपात में पुलिस बल की नियुक्ति करने का मापदण्ड निर्धारित नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

159. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हनुमानगढ़ जिले के पुलिस थाना भादरा, भिरानी एवं गोगामेड़ी में गत पांच वर्षों में दर्ज अपराधों का थानेवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में अपराध किस-किस तरह के दर्ज हुए ? वर्षवार व थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पिछले पांच वर्षों में दर्ज अपराधों की वर्षवार एवं थानेवार संख्या निम्नानुसार है:-

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	थाना	2012	2013	2014	2015	2016	कुल
1	भादरा	423	459	420	328	307	1937
2	भिरानी	262	278	296	177	211	1224
3	गोगामेडी	169	193	199	193	167	9 2 1
योग		854	930	915	698	685	4082

थानेवार तुलनात्मक सूची संलग्न **परिशिष्ट "अ"** पर अंकित है।

(2) उक्त थानों में दर्ज उपराधों की वर्षवार एवं थानेवार सूची संलग्न **परिशिष्ट "अ"** पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महानरेगा के तहत महिला व पुरुष श्रमिकों को कार्य का समान आवंटन

160. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या महानरेगा के तहत महिला व पुरुष श्रमिकों के कार्य आवंटन में समान व्यवहार किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्र द्वारा महिला श्रमिकों को समानता से भागीदारी देने या न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी के कोई निर्देश हैं ? यदि हां, तो क्या इसका पालन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 15 में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है, जो कि पंजीकृत है एवं जिन्होंने कार्य के लिये अनुरोध किया है।

जी हां। राज्य में इस प्रावधान की पालना की जा रही है। राज्य में वर्तमान में 67 प्रतिशत मानव दिवस महिला श्रमिकों द्वारा सृजित किये गये हैं।

बामनवास में बी.पी.एल. का पुन: सर्वे

161. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कुंजीलाल)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 2002 के सर्वे में सम्मिलित बी.पी.एल. परिवारों को राजनैतिक द्वेषता के कारण वर्ष 2011 में हुए सर्वे में बी.पी.एल. परिवार की श्रेणी से हटा देने से वास्तविक गरीब परिवार लाभ से वंचित हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच एवं पुन: सर्वे कराकर वास्तविक व्यक्ति को बी.पी.एल. श्रेणी में लेकर लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बी.पी.एल. सेन्सस- 2002 में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचकों के आधार पर सर्वे करवाकर 52 अंकों में से अंक प्रदान किये गये थे। सर्वे से प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूचियां तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक आने वाले परिवारों को एकल कट ऑफ स्कोर के आधार पर 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों का बी.पी.एल. सूची 2002 (ग्रामीण) में चयन किया गया था।

प्रत्येक पांच वर्ष में भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. सर्वे करवाया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में सभी परिवारों का सर्वे किया गया।

भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में तीन स्तरीय प्रकिया द्वारा रैंक प्रदान की गयी है :

1. परिवारों का एक समूह जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में स्वत: अलग हो जाएगा।
2. परिवारों का एक समूह जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में स्वत: शामिल हो जाएगा।
3. शेष बचे परिवारों को 7 वंचन सूचकांकों का प्रयोग करते हुए रैंक दिया गया है। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में शामिल करने के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट अ** पर संलग्न है।

विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में आवास विहीन,एक कमरा कच्चा एवं दो कमरे कच्चे वाले पात्र परिवारों को वरीयता के आधार पर दिनांक 1.04.2016 से लाभान्वित किये जाने की प्रकिया शुरू कर दी गयी है।

पुन: सर्वे करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायती राज विभाग में एन.जी.ओ के माध्यम से विकास कार्य

162. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के सभी विकास कार्य एन.जी.ओ. के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा सार्वजनिक निविदा जारी नहीं करके केवल एन.जी.ओ. के माध्यम से कार्य करवाये जाएँगे ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) एन.जी.ओ. से कार्य करवाने के लिये चयन की पात्रता के क्या मानदण्ड एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विदेशी एन.जी.ओ. को भी इस दायरे में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायती राज विभाग के सभी कार्य एन.जी.ओ. के माध्यम से कराने का निर्णय नहीं लिया गया है।

विभागीय **परिपत्र** क्रमांक 875 दि. 25.11.2016 से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा एनजीओ से कार्य कराने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार एक जिले में संस्था/संगठनों को संबंधित योजना के जिले की वार्षिक कार्य योजना के 25 प्रतिशत से अधिक के कार्य आबंटित नहीं किये जा सकेंगे।

(2) जी नहीं। विभागीय **परिपत्र** क्रमांक 875 दि. 25.11.2016 के बिन्दु संख्या 6.1 के अनुसार गैर सरकारी/स्वयंसेवी संगठनों से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के कार्य कराने के लिये जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा विज्ञापन के माध्यम से एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट जारी कर पैनल तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी।

एनजीओ से कार्य सम्पादन हेतु दरों का निर्धारण इस **प्रपत्र** के बिन्दु संख्या 1.10 के अनुसार संस्था / संगठन द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य हेतु कार्य की लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान उपलब्ध करवाना होगा।

एनजीओ से कार्य संपादन के क्रम में इस **परिपत्र** के बिन्दु संख्या 7.6 के अनुसार दरों का निर्धारण उपापन समिति/संस्था द्वारा उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित दर, बीएसआर व समानान्तर दर अनुबंध, यदि कोई हो, को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा।

(3) एनजीओ से कार्य कराने एवं चयन के संबंध में आवश्यक पात्रता के मापदण्ड

(पंचायती राज मंत्री)

एवं शर्तें विभागीय **परिपत्र** क्रमांक 875 दि. 25.11.2016 में अंकित है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(4) जी नहीं। गैर सरकारी संस्था जो पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने की इच्छुक है, उसे **परिपत्र** क्रमांक 875 दि. 25.11.2016 के अनुसार पात्रता पूर्ण करनी होगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत शौचालयों का निर्माण

163. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी योजनान्तर्गत कितने शौचालयों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में ऐसे कितने परिवार हैं, जिनका सर्वे 2012 में नाम दर्ज नहीं होने के कारण स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है ? विधानसभावार क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत एवं अन्य योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अब तक कुल 199020 शौचालयों का निर्माण करवाया जाकर रु. 5124.96 लाख की राशि व्यय की गयी है।

सीकर जिले में शहरी क्षेत्रों में 5686 शौचालयों के निर्माण की स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्वीकृति जारी कर निर्माण करवाया जा रहा है। जिस पर 289.64 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है ।

सीकर जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बेसलाइन सर्वे 2012 से वंचित परिवारों की संख्या 51494 है जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

(पंचायती राज मंत्री)

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र	बेसलाइन सर्वे 2012 से वंचित परिवारों की संख्या
1	सीकर	5968
2	धोद	9291
3	दातारामगढ़	10245
4	श्रीमाधोपुर	10971
5	नीमकाथाना	2142
6	पाटन	3541
7	खण्डेला	5484
8	फतहेपुर	3852
	योग	51494

(2) सीकर जिले के शहरी क्षेत्र के विभिन्न नगर निकायों द्वारा अपने स्तर पर वर्ष 2014-15 में शौचालयों से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। ऐसे वंचित परिवारों के शौचालयों का निर्माण नगर पालिकाएँ नियमानुसार स्वयं के स्तर पर करवाएगी जिसकी सूचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	सर्वे 2014-15 से वंचित परिवारों की संख्या
1	सीकर	4195
2	श्रीमाधोपुर	450
3	नीमकाथाना	965
4	खण्डेला	783
5	लक्ष्मणगढ़	887
6	रींगस	758
7	लोसल	878
8	शेखावाटी	435
9	फतेहपुर	193
	योग	9544

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में बेसलाईन सर्वे 2012 से वंचित परिवारों में महात्मा गॉधी नरेगा योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं। जिलों द्वारा शौचालय निर्माण की निर्देशानुसार स्वीकृतियां जारी की जावेंगी।

स्वच्छ भारत मिशन के शहरी के अन्तर्गत सीकर शहरी को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है। सीकर जिले के शहरी एवं निकाय क्षेत्र में ऐसे सभी परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं को इस योजना स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना में शामिल किया जाकर शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले में मनरेगा योजना में स्वीकृत कार्य

164. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले में मनरेगा योजना में गत तीन वर्षों में विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये ? उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में जिला भरतपुर में मनरेगा योजना से कराये जाने वाले कार्यों की राशि में कमी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में गत तीन वर्षों में विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से स्वीकृत कार्यों, स्वीकृत राशि, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है जिसमें कार्यों का पूर्ण होना रोजगार की मांग पर निर्भर करता है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के प्रयास निरन्तर जारी हैं।

(2) जी नहीं। बल्कि योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष मानव दिवस सृजन एवं कुल व्यय में वृद्वि हुई हैं। विवरण **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रूफ टॉप फार्मिंग योजना में देय अनुदान

165. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रूफ टॉप फार्मिंग योजना क्या है ? यह योजना किन जिलों में कितने अनुदान की सहायता के साथ आरम्भ की गयी ? गत तीन वर्षों में जिलेवार उक्त योजना के लिए आवंटित बजट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के आरम्भ से 31 जनवरी, 2017 तक वर्षवार निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त लक्ष्य एवं लाभान्वितों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रूफ टॉफ फार्मिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर इसका लाभ अपने चहेते लोगों को दिया गया है व उक्त योजना का प्रचार प्रसार, विज्ञापन नहीं किये जाने से योजना आम आदमी से दूर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) रूफ टॉप योजना का तात्पर्य शहरी लोगों के पास भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण उनके मकानों की छत पर सब्जी को उगाने से संबंधित है। इस योजना का क्रियान्वयन जयपुर शहर में वर्ष 2016-17 में किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था। इस योजना के तहत 100 वर्गफीट क्षेत्र हेतु इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 5500/- के प्रावधान निर्धारित किये गये थे। इस योजना के तहत अब तक किसी प्रकार का बजट का आवंटन नहीं हुआ है।

(2) रूफ टॉप योजना का क्रियान्वयन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(3) रूफ टॉप योजना का क्रियान्वयन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

प्रदेश के कृषि विकास केन्द्रों पर किसानों को प्रशिक्षण

166. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के सभी कृषि विकास केन्द्रों पर किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक उपलब्ध करवाने एवं नवीन तकनीकी से जागरूक किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई कारगर कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसानों को अब तक किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा तथा प्रशिक्षण किस स्तर पर दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ऐसे प्रशिक्षण में जिला/तहसील/ग्राम स्तर से भी किसान

(श्री नारायण सिंह देवल)

उपस्थित रहे हैं ? यदि हां, तो उसका नाम/पिता का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि विभाग में कृषि विकास केन्द्र नाम की कोई संस्था नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

सपोटरा में कृषि बीमा हेतु प्राप्त आवेदन

167. श्री रमेश (सपोटरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक कितने किसानों ने कृषि बीमा हेतु आवेदन किया ? विधान सभा क्षेत्र सपोटरा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक कितने किसानों ने कितना प्रीमियम दिया ? उक्त विधान सभा क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक कितने किसानों को कितना मुआवजा वितरित किया गया ? करौली जिले के विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक कुल 1.63 करोड़ कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है।

बीमा कम्पनी द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार सूचनाओं/आंकडों का संधारण नहीं किया जाता है। करौली जिले में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक बीमित किए गये कृषकों का तहसीलवार विवरण **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक कुल 1.63 करोड़ कृषकों का बीमा किया जाकर कृषक प्रीमियम के रुप में राशि रु. 712.99 करोड़ बीमा कम्पनियों को दी।

करौली जिले में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक बीमित कृषक संख्या व कृषक प्रीमियम राशि का तहसीलवार विवरण **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक (खरीफ 2015 से रबी 2015-16 तक) 77.22 लाख कृषकों को कुल राशि रु. 1783.88 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किया गया है।

खरीफ-2016 के बीमा क्लेम के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(कृषि मंत्री)

करौली जिले में खरीफ-2015 से रबी 2015-16 तक वितरित बीमा क्लेम का तहसीलवार विवरण **परिशिष्ट-3** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जगतपुरा (जयपुर) शूटिंग रेंज में रेंज निदेशक की नियुक्ति

168. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जगतपुरा जयपुर में संचालित शूटिंग रेन्ज का संचालन राजस्थान खेल परिषद् द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका अनुबंध, नियम, संचालन समय सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान खेल परिषद् के द्वारा इसमें किसी रेन्ज निदेशक की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो कब ? इसका विज्ञापन कब जारी किया गया, क्या-क्या पात्रताएं रखी गयी ? किन-किन व्यक्तियों ने साक्षात्कार में भाग लिया तथा चयन का आधार क्या था ? आवेदन पत्रों की प्रतियां मय चयनित व्यक्ति के साक्षात्कार के अंकों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रेन्ज में वर्ष 2016 में प्रत्येक मदवार खर्च की गयी व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि का मदवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान खेल परिषद् द्वारा उक्त रेन्ज पर वर्ष 2014 से 2017 तक कब-कब कुल कितनी प्रतियोगिताएँ महिलाओं के लिए 12 बोर एवं 32 बोर रिवाल्वर एवं पिस्टल में आयोजित की गयी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान खेल परिषद द्वारा जगतपुरा शूटिंग रेंज का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 03.12.2015 को अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में शूटिंग रेंज के संचालन के संबंध में एक बैठक आयोजित की गयी थी। जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शूटिंग रेंज के संचालन व रख रखाव हेतु राशि रुपये 12.00 करोड़ राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त राशि में से लगभग 2.00 करोड़ रुपये टार्गेट्स क्रय हेतु एवं 1.00 करोड़ रुपये रख-रखाव व संचालन हेतु तथा शेष 9.00 करोड़ रुपये की राशि सावधि जमा के रूप में जमा कर उसके ब्याज से शूटिंग रेंज का खर्च व रख-रखाव किया जाएगा।

(2) जी हां। राजस्थान खेल परिषद के द्वारा अनुबंध पर रेंज निदेशक लगाया गया है। दिनांक 01.02.2016 को लगाया गया है। इसका विज्ञापन समाचार पत्र में

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

दिनांक 31.12.2015 को जारी किया गया है।

पात्रताएं **परिशिष्ट अ** पर संलग्न हैं।

साक्षात्कार में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची **परिशिष्ट ब** पर संलग्न है। साक्षात्कार की मैरिट अंक चयन का आधार रहा है। आवेदन पत्रों की पत्रियां **परिशिष्ट स** पर संलग्न है।

चयनित व्यक्ति ने 80 अंक में से 66 अंक प्राप्त किये हैं।

(3) उक्त रेंज में वर्ष 2016 में किये गये मदवार खर्च का विवरण **परिशिष्ट द** पर संलग्न है।

(4) उक्त रेंज राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद को दिनांक 29.12.2015 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित की गयी थी। रेंज स्थानान्तरण के बाद राज्य खेल परिषद द्वारा रेंज में शूटिंग खेल की महिलाओं की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की गयी हैं। जिन संस्थानों द्वारा रेंज पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी हैं, उनका विवरण **परिशिष्ट य** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इटावा (कोटा) में पैंथर को पकड़ने की कार्यवाही

169. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के इटावा क्षेत्र में पैंथर की मौजूदगी का मामला सरकार के सामने आया है ?

(2) क्या यह सही है कि पैंथर द्वारा गत दिनों आमल्दा गांव में पशुओं का शिकार किया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा पैंथर को पकड़ने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के गांव खेडली नोनेरा में जनवरी, 2017 में पैंथर के पद चिन्ह मिलने एवं ग्राम आमल्दा व उसके आस-पास के क्षेत्र में ग्रामवासियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पैंथर की मौजूदगी प्रमाणित हुई है।

(2) पैंथर द्वारा ग्राम आमल्दा में पशुओं के शिकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विभाग द्वारा सजगता बरती जा रही है।

प्रदेश में बड़े एवं मंझले उद्योगों में कार्यरत श्रमिक

170. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2016 तक बड़े एवं मंझले उद्योगों की संख्या कितनी थी तथा उक्त में से स्वदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियां कितनी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उद्योगों में कितने श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त उद्योगों में मानदण्डों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों-अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को रोजगार दिया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कार्यरत कुशल श्रमिक/कर्मचारियों के कार्य करने की शर्तें निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कुशल व दक्ष कर्मचारियों को देय वेतन-पैकेज उस उद्योग कंपनी द्वारा लाभ के अनुकूल है एवं इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2016 तक बड़े एवं मंझले उद्योगों की संख्या 735 थी, इसमें स्वदेशी कम्पनियों की संख्या 672 एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या 63 है। जिलेवार सूचना **परिशिष्ट अ** पर संलग्न है।

(2) उक्त उद्योगों में 231078 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। जिलेवार सूचना **परिशिष्ट अ** पर संलग्न है।

(3) अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के राज्य सरकार द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जाते हैं। उद्यमी स्वयं श्रमिकों की कार्य कुशलता, योग्यता एवं लाभ ग्रहीता के आधार पर श्रमिकों का चयन करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(4) राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना दिनांक 05.07.2016 के अनुसार कुशल कार्य वह है, जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त

(उद्योग मंत्री)

या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। उक्त निर्धारण में चार श्रेणियॉ क्रमश: अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल हैं जिनकी वर्ष 2016 में दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार है :-

श्रेणी	**न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन**	**न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह**
अकुशल	201/-	5256/-
अर्द्धकुशल	211/-	5486/-
कुशल	221/-	5746/-
उच्च कुशल	271/-	7046/-

इस संबंध में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में रीको द्वारा चिह्नित औद्योगिक क्षेत्र

171. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मोकलसर एवं समदड़ी कस्बे में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कस्बों में चिह्नित भूमि पर उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको दवारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना कें मोकलसर एवं समदडी कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा चुके हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) औद्योगिक क्षेत्र समदड़ी में 26 इकाइयां तथा मोकलसर में 11 इकाइयां वर्तमान में कार्यरत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले में संचालित रसोई गैस एजेन्सियां

172. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में वर्तमान में कितने रसोई गैस उपभोक्ता हैं एवं कितनी गैस वितरण एजेंसी किस-किस नाम से कहां-कहां पर संचालित हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गैस एजेन्सियों पर उपभोक्ता की मांग के अनुसार प्रतिमाह कितने गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जा रही है ? गत एक वर्ष में प्रतिमाह उपभोक्ता की मांग एवं की गयी आपूर्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोंक में संचालित उक्त गैस एजेन्सी में गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी के कारण आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस की आपूर्ति नहीं करने की सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में वर्तमान में 225053 रसोई गैस उपभोक्ता एवं 25 गैस वितरण एजेन्सियां हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(2) उक्त गैस एजेन्सियों पर गत एक वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार प्रतिमाह आपूर्ति किये गये गैस सिलेण्डरों का विवरण **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है। विधान सभा क्षेत्र टोंक में गत एक वर्ष के दौरान गैस एजेन्सी में गैस की कालाबाजारी की कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टाटगढ़ (ब्यावर) में गैस एजेन्सी की स्थापना

173. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कौन-कौनसी गैस एजेंसियां संचालित हैं तथा उक्त गैस एजेंसियों के पास कितने घरेलू व व्यावसायिक गैस कनेक्शन चालू हालत में हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकरसिंह रावत)

(2) प्रधान मंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत उक्त एजेंसियों द्वारा ब्यावर क्षेत्र में अब तक कितने गैस कनेक्शन जारी किये गये तथा कितने शेष हैं ? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार टाटगढ़ उपखंड ब्यावर से दूर होने तथा बड़ा क्षेत्र होने के कारण उक्त स्थान पर गैस एजेंसी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में छह गैस एजेन्सियां संचालित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**एजेन्सी का नाम**	**घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या**	**व्यावसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या**
1	मै. ब्यावर गैस एजेन्सी (आई.ओ.सी.)	18384	410
2	मै. ज्वाला इण्डेन एजेन्सी (आई.ओ.सी.)	9998	73
3	मै. डांगी गैस सर्विस (आई.ओ.सी.)	16762	172
4	मै. दिव्या इण्डेन एजेन्सी (आई.ओ.सी.)	8877	74
5	मै. गोयल गैस सर्विस (एच.पी.सी)	11473	938
6	मै. कपीश एसपी गैस (एच.पी.सी)	232	4

(2) प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत इन एजेन्सियों द्वारा ब्यावर क्षेत्र में जारी किये गये गैस कनेक्शन एवं शेष का विवरण निम्न प्रकार है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र.सं.	**एजेन्सी का नाम**	**जारी कनेक्शनों की संख्या**	**पैण्डिग की संख्या**
1	मैं. ब्यावर गैस एजेन्सी (आई.ओ.सी.)	1344	454
2	मै. ज्वाला इण्डेन एजेन्सी (आई.ओ.सी.)	415	204
3	मै. डांगी गैस सर्विस (आई.ओ.सी.)	387	156
4	मै. दिव्या इण्डेन एजेन्सी (आई.ओ.सी.)	456	94
5	मै. गोयल गैस सर्विस (एच.पी.सी)	1	32
6	मै. कपीश एसपी गैस (एच.पी.सी)	0	0

(3) जी नहीं। टाटगढ़ उपखण्ड में फिलहाल कोई गैस एजेन्सी खोलने का विचार नहीं है। टाटगढ़ उपखण्ड ब्यावर के नजदीक जवाजा, खेरा कलां आदि में गैस एजेन्सी खोलने पर विचार चल रहा है, जिससे टाटगढ़ वासियों को गैस उपलब्ध होगी, अपितु फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की योजना

174. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पटवारियों/लिपिकों के काफी पद रिक्त होने के कारण आमजन को काफी असुविधा हो रही है ?

(2) क्या सरकार पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में पटवारियों/लिपिकों के पद रिक्त हैं परन्तु आमजनों की सुविधा हेतु वर्तमान में रिक्त पदों का कार्यभार अन्य पदस्थापित पटवारियों/लिपिकों को सौंपा जाकर कार्य करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। राज्य में राजस्व पटवारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 4400 पदों हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाना संभावित है। चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर तहसील मालपुरा (जिला टोंक) में पटवारियों के रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

जिला कलक्टर कार्यालयों में निजी सहायकों का पदस्थापन

175. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल द्वारा जिला कलक्टर कार्यालयों में कार्यरत निजी सहायकों के स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापन करने के संबंध में कोई आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो गत दस वर्षों में कब-कब ? आदेश-निर्देश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त आदेशों की पूर्णत: पालना हो चुकी है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ? जिलेवार पालना रिपोर्ट की प्रतियों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आदेशों की पालना नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कार्यरत निजी सहायकों के स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापन करने हेतु दिनांक 21.04.2015 एवं 22.02.2016 को आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं। आदेश निर्देश की प्रतियां **परिशिष्ट अ** पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त आदेशों की पालना अधिकांश जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा की जा चुकी है। कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण कुछ कार्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन नहीं किया जा सका है। पदस्थापित कार्मिकों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट ब** पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, राजस्व)

3. उक्त आदेशों की पालना कर दी गयी है किन्तु कुछ कार्यालयों में कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण पदस्थापन संभव नहीं हो पाया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर ग्राम (जोधपुर) के खसरा नं. 426 पर निर्माण

176. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम जोधपुर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 426 का कुल रकबा कितना है ?

(2) भारतीय तिथि के अनुसार संवत् 2013 से 2073 तक उक्त खसरा राजस्व रिकॉर्ड में किन-किन के नाम से तथा किस-किस की सक्षम अनुमति व सहमति से नामान्तरित हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त खसरे पर क्या-क्या निर्माण कार्य हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम जोधपुर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 426 का कुल रकबा 1190-04 बीघा है।

(2) संवत् 2013 से 2073 तक राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 426 रकबा एवं खातेदारी में कोई परिवर्तन नहीं है।

(3) वर्तमान में उक्त खसरे में रक्षा विभाग के भवन निर्माण व उम्मेद हेरिटेज नामक कॉलोनी में मकानात इत्यादि निर्मित हैं तथा कुछ भाग रिक्त है।